



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर
31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
प्रतिवेदन



राजस्थान सरकार

वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5

दिनांक 28 मार्च 2017 को विधानसभा में प्रस्तुत की गई।

**भारत के नियंत्रक—महालेखापरीक्षक
का
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन**

31 मार्च 2016 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

**राजस्थान सरकार
वर्ष 2016 का प्रतिवेदन संख्या 5**

विषय सूची

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xiv
अध्याय I		
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप		
प्रस्तावना	1.1	1
जवाबदेयता संरचना	1.2 – 1.4	2-3
राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी	1.5	3
राज्य पीएसयूज में निवेश	1.6 – 1.7	3-5
वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ	1.8	5-6
वित्त लेखों के साथ मिलान	1.9	6-7
लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया	1.10 – 1.12	7-8
पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण	1.13	8-9
लेखों के अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव	1.14	9
अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन	1.15 – 1.18	9-11
अकार्यरत पीएसयूज का समापन	1.19	12
लेखा टिप्पणियां	1.20 – 1.21	12-13
निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद	1.22	13
लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही	1.23 – 1.25	13-14
पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण	1.26	15
इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु	1.27	15

विषय	सन्दर्भ	
	अनुच्छेद	पृष्ठ संख्या
अध्याय II		
सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा	2.1 – 2.34	17-48
अध्याय III		
सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा		
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		
टिकटिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)	3.1 – 3.49	49-80
अध्याय IV		
अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप		
सरकारी कम्पनियां		
जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड		
मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के पेटे कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव के कारण ठेकेदारों को अदेय लाभ	4.1	81-84
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड		
‘उद्यमियों से आर्थिक किराया एवं सेवा प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियों’ पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा	4.2	84-90
औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना	4.3	90-98
आरक्षित मूल्य का कम निर्धारण	4.4	98-99
राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड		
हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे क्षतिपूर्ति की कम वसूली	4.5	100-101
राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड		
अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन	4.6	102-103

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड		
राज्य सरकार को खनिज अधिकारों पर उपकर का दुगुना भुगतान	4.7	103-105
अतिरिक्त व्यय	4.8	105-107
राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड		
रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वाल का ढहना	4.9	107-109
सांविधिक निगम		
राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम		
राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान पत्र जारी करना	4.10	109-115

अनुबंध

अनुबंध संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	117
2.	सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम	118-122
3.	उच्च स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले के अधिक उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	123
4.	आरईआरसी के मानदण्डों की तुलना में ईंधन ऑइल के अधिक उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	124
5.	हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे क्षतिपूर्ति की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र	125

प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कम्पनियों तथा सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा के परिणामों से संबंधित है एवं इसे समय समय पर यथा संशोधित नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधानों के अंतर्गत राजस्थान सरकार को प्रस्तुत किये जाने हेतु तैयार किया गया है।

2. सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 एवं 143 के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा की जाती है।

3. राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जो एक सांविधिक निगम है, के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक एक मात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को उनके लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। राज्य वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम, 2000 के अनुसार भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को राजस्थान वित्त निगम के लेखों की लेखापरीक्षा करने का अधिकार है, जो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित अंकेक्षकों के पेनल में से निगम द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा की गई लेखापरीक्षा के अतिरिक्त होगी। इन समस्त निगमों के वार्षिक लेखों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य सरकार को अलग से अग्रेषित किये जाते हैं।

4. इस प्रतिवेदन में उन मामलों को समाविष्ट किया गया है जो वर्ष 2015-2016 में की गई लेखापरीक्षा के दौरान ध्यान में आये एवं उन मामलों को भी सम्मिलित किया गया है जो गत वर्षों में ध्यान में आये थे परन्तु उनका उल्लेख गत प्रतिवेदनों में नहीं किया गया था। 31 मार्च 2016 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी, जहां आवश्यक था, सम्मिलित किया गया है।

5. लेखापरीक्षा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

विहंगावलोकन

1. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 एवं 143 के तहत होती है। सरकारी कम्पनियों के लेखों की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है। इन लेखों की पूरक लेखापरीक्षा भी सीएजी द्वारा की जाती है। सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनसे संबंधित विधानों के तहत होती है।

31 मार्च 2016 को राजस्थान में 54 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयूज) जिसमें 48 कार्यरत कम्पनियां, तीन कार्यरत सांविधिक निगम एवं तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे, जिनमें लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे। कार्यरत पीएसयूज ने उनके अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार वर्ष 2015-16 हेतु ₹ 54834.65 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 8.13 प्रतिशत के बराबर था, जो राज्य के पीएसयूज की राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

31 मार्च 2016 को 54 पीएसयूज में ₹ 124810.19 करोड़ का निवेश (पूँजी एवं दीर्घकालीन ऋण) था। यह 2011-12 के ₹ 59724.03 करोड़ से 108.98 प्रतिशत बढ़ गया। ऊर्जा क्षेत्र ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान किये कुल निवेश का 92.06 प्रतिशत प्राप्त किया था। राज्य सरकार ने 2015-16 के दौरान पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के पेटे ₹ 50655.12 करोड़ का अंशदान किया।

पीएसयूज का निष्पादन

वर्ष 2015-16 में, 51 कार्यरत पीएसयूज में से, 23 पीएसयूज ने ₹ 843.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं 19 पीएसयूज ने ₹ 13217.71 करोड़ की हानि वहन की। पांच पीएसयूज में वर्ष 2015-16 हेतु न लाभ व न हानि थी जबकि दो पीएसयूज ने अपने समामेलन से अब तक वार्षिक लेखे प्रस्तुत नहीं किये थे तथा दो पीएसयूज के लेखे देय नहीं थे। साथ ही, 51 पीएसयूज में से 18 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2015-16 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2015-16 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी। इस प्रकार, इन पीएसयूज की स्थापना का उद्देश्य विफल हो गया। सरकार को इन पीएसयूज की व्यावसायिक गतिविधियां प्रारम्भ करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिये।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़) एवं राजस्थान राज्य स्वान एवं स्पनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे। विद्युत कम्पनियों यथा अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3504.00 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4462.91 करोड़) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3273.87 करोड़) ने भारी हानियां वहन की थी।

लेखों की गुणवत्ता

पीएसयूज के लेखों की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। अक्टूबर 2015 से 30 सितम्बर 2016 तक अंतिम रूप दिये गये 55 लेखों में से सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 22 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र एवं एक लेख पर प्रतिकूल प्रमाण-पत्र दिया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने के 47 मामले थे।

लेखों के बकाया एवं समापन

30 सितम्बर 2016 को 12 कार्यरत पीएसयूज के 20 लेखे बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज में से दो पीएसयूज के चार लेखे बकाया थे। सरकार अकार्यरत पीएसयूज को बन्द करने के संबंध में निर्णय ले सकती है।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय उर्जा परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टिकटिंग गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 584.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

2. सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय उर्जा परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) को अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सम्मिलित किया तथा केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। निष्पादन लेखापरीक्षा में टीसीई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना के साथ, 2015-16 तक के निष्पादन को शामिल करते हुए केएटीपीपी की समस्त गतिविधियां समाहित हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

डीपीआर में संयंत्र को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) तथा इसको पुनः संशोधित कर ₹ 9479.51 करोड़ किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2011 एवं अगस्त 2014)। केएटीपीपी की दोनों इकाइयों

₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई। संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य सरकार द्वारा ₹ 1895.90 करोड़ की समता पूंजी सहायता (20 प्रतिशत) प्रदान की गई तथा ₹ 7583.61 करोड़ के शेष कोषों (80 प्रतिशत) की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की गई।

डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी (₹ 1852 करोड़); जल संग्रहण प्रणाली (₹ 764.05 करोड़); रेलवे साइडिंग के निर्माण (मार्च 2015 तक ₹ 153.85 करोड़ एवं मार्च 2016 तक कार्य प्रगति पर था); तथा निर्माण की अवधि के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत (₹ 1881 करोड़) के कारण अधिक हुई। इसके अतिरिक्त, स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण; फायर टेण्डर एवं डोजर; तृतीय पक्ष निरीक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यों को भी डीपीआर में अभिकल्पित नहीं किया जिसने परियोजना लागत को बढ़ाया।

परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को मोलभाव कर ₹ 4900.06 करोड़ के मूल्य पर दिया (अक्टूबर 2008)। अनुबंध के मूल्य में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3296.665 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियों/ सेवाओं को सम्मिलित किया गया।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः अक्टूबर 2011 तथा जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गई। परियोजना की पूर्णता में देरी का कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना नहीं किया जाना था। मुख्य गतिविधियों यथा बॉइलर लाइटअप, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट एवं कूलिंग टावर इत्यादि को प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह एवं द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी से पूर्ण किया गया। जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति का कार्यादेश दोनों इकाइयों की स्थापना की अनुसूचित तिथि समाप्त हो जाने के बाद दिया गया (फरवरी 2012)। साथ ही, बीजीआर एनर्जी ने इलैक्ट्रीकल तथा मैकेनिकल कार्यों के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश, ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये। उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति/ मैकेनिकल एवं सिविल कार्य पूर्ण करने में दो साल से अधिक की देरी की। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था। कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था तथा विनिमय दर के कारण होने वाले किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 के मध्य विचरित दर पर स्वरीदे एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किये। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई

2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकरण के पुनर्भुगतान द्वारा बीजीआर एनर्जी को अदेय वित्तीय लाभ पहुंचाया।

सिविल कार्य

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करने की सहमति दी लेकिन इसने कोई व्यय वहन नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने 2007-16 के दौरान डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ के कोष जारी किये लेकिन डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली लागत की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इरकॉन निर्दिष्ट समयावधि में रेलवे साइडिंग के निर्माण को पूरा नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात बार (50 माह) समय बढ़ाया तथा प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़ (मार्च 2015 तक) के भुगतान किये।

केएटीपीपी की परिचालन दक्षता

केएटीपीपी, प्लांट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल उपभोग एवं सहायक उपभोग के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों को प्राप्त नहीं कर सका। परिचालनात्मक मानदण्डों को प्राप्त नहीं करने/ अनुपालना नहीं करने के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़ मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में कमी; ₹ 177.34 करोड़ मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग; 22723 किलोलीटर तेल (₹ 99.25 करोड़) का अधिक उपभोग; तथा ₹ 51.67 करोड़ मूल्य की 127.70 एमयूज की हानि हुई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित किये गये संयंत्र उपलब्धता मानदण्ड (85 प्रतिशत) भी प्राप्त नहीं किये। प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्स आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्मक घण्टों में से 4431.45 घण्टों (56.12 प्रतिशत) तक अचालित रही।

पर्यावरणीय मामले

कम्पनी ने पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तानुसार केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)। केएटीपीपी पारटीक्यूलेट मैटर; सल्फर डाइ ऑक्साइड; एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए उपकरण भी स्थापित नहीं किये गये।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक की तथा किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट नहीं ले पाने के अतिरिक्त ₹ 8.47 करोड़ के शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज चुकाना पड़ा। प्रथम इकाई की स्थापना में 31 माह की देरी से कम्पनी को ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी को चुकाये गये प्रवेश कर (₹ 22.74 करोड़) के भुगतान से राज्य सरकार से छूट पाने का कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही, केएटीपीपी भारत सरकार की मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय

परिलाभ लेने के लिए पात्र थी लेकिन कम्पनी ने कभी इसकी संभावनाएं तलाश नहीं की तथा इसलिए, ₹ 431.30 करोड़ के राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ मुख्य रूप से अनुबंध की सामान्य शर्तों/ निविदा शर्तों के अनुसार एलडी एवं बीजीआर एनर्जी को किये गये अन्य अधिक भुगतानों की वसूली; आनुपातिक प्रभारों सहित डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत की वसूली; पर्यावरणीय मानदण्डों की अनुपालना; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभों को प्राप्त करने के लिए संभावनाएं तलाशने से संबंधित हैं।

3. सांविधिक निगमों से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टिकटिंग गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) ने 'ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली' (ओआरएस); ओआरएस के साथ इलैक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएम्स) का एकीकरण; एवं रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) स्मार्ट कार्ड तैयार करने का कार्य ड्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई (सेवाप्रदाता) को आउटसोर्स किया (मई 2011)। सेवाप्रदाता द्वारा ओआरएस को मई 2011 में क्रियान्वित किया गया लेकिन ओआरएस के साथ ईटीआईएम्स का एकीकरण लम्बित था (अगस्त 2016)।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 एवं 2015-16 (नवम्बर 2015) की अवधि से संबंधित ओआरएस; ईटीआईएम्स एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के इलैक्ट्रॉनिक डाटा का विश्लेषण तथा सेवाप्रदाता के अनुबंधात्मक कार्यनिष्पादन को शामिल किया गया। ईटीआईएम्स से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम 57 डिपोज में से चयनित आठ डिपोज पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं। परियोजना प्रबंधन नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमियों पर भी प्रकाश डालती है। सिस्टम डिजाइन विसंगतियों में ईटीआईएम सर्वर के साथ ईटीआईएम्स के एकीकृत नहीं होने; अपर्याप्त वैधता नियंत्रण; एवं व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित नहीं करने को शामिल किया गया। परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन विसंगतियों का निगम के राजस्व पर वित्तीय प्रभाव पड़ा। वित्तीय मामले किराये की कम वसूली; यात्रियों को अनाधिकृत छूट देने; तथा कार्यादेश/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने से संबंध रखते हैं।

परियोजना प्रबंधन

नियोजन एवं क्रियान्वयन

निगम द्वारा आईटी नीति, आईटी सुरक्षा नीति, पासवर्ड नीति एवं बदलाव नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति नहीं बनाई गई। निगम के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के

प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी के लिए स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के साथ एक नियोजन/ स्टीयरिंग समिति का गठन भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के पास ओआरएस के विकास एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड तैयार करने के दौरान आईटी नीतियों एवं क्रियाविधियों के लिए एक ढांचा मौजूद नहीं था। मार्गों में परिवर्तन, सॉफ्टवेयर में किराया, आईटी सम्पत्तियों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में डाटाबेस में सेवाप्रदाता द्वारा किये गये संशोधन किसी पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं थे। पासवर्ड नीति के अभाव में बुकिंग विंडो पर स्थापित सिस्टम्स द्वारा अल्फान्यूमेरिक एवं विशेष वर्णों के संयोजन के बिना किसी भी लम्बाई तक के पासवर्ड को स्वीकार किया गया। अनाधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करने के क्रम में भिन्न-भिन्न समयांतरालों के बाद उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड बदलने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।

साथ ही, निगम के पास उचित व्यावसायिक निरंतरता एवं संकट से उबरने की योजना नहीं थी क्योंकि ईटीआईएम एप्लीकेशन के लिए प्राथमिक डाटा केन्द्र के साथ साथ संकट से उबरने का स्थल एक ही सिस्मिक जोन (डिपो स्तर) में स्थापित किया गया था। डिपो स्तर पर किसी संकट के मामले में ईटीआईएम के डाटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। निगम द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के बिना सेवाप्रदाता को 'पायलट स्वीकृति परीक्षण' एवं 'उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण' प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये थे।

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमी थी जिसके कारण समझौते/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने तथा संचालन राजस्व के मिलान नहीं करने को बढ़ावा मिला।

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण महिला एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को छूट अनुमत करने में विसंगतियों के रूप में परिणामित हुई यथा राज्य के बाहर छूट अनुमत करना; अपात्र वरिष्ठ नागरिकों को छूट; पुरुष यात्रियों को महिला छूट; तथा महिला दिवस एवं रक्षाबंधन के अतिरिक्त भी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा। इसने विद्यार्थी एवं मासिक पासधारक यात्रियों को छूट अनुमत करने यथा एक दिन में एक से अधिक बार यात्रा अनुमत करने; रविवार को मुफ्त यात्रा अनुमत करने; तथा किराये की प्राप्ति के बिना शून्य शेष वाले मासिक पास पर यात्रा अनुमत करने में विसंगतियों को भी बढ़ावा दिया। नियमों को अपर्याप्त रूप से अभिरेखित करने के कारण प्रचलित टैरिफ पर किराया प्रभारित नहीं करने; अंतर्राज्जीय बसों में किराये की कम वसूली तथा आईटी फीस/ दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार/ टोल टैक्स/ मुफ्त यात्रा टिकटों पर मानव संसाधन अधिभार की वसूली के अभाव को बढ़ावा मिला। सिस्टम डिजाइन में कमी भी आरक्षण प्रभारों की वसूली के अभाव तथा निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली/ वसूली के अभाव में परिणामित हुई।

सॉफ्टवेयर द्वारा व्यावसायिक नियमों के उल्लंघन में दो यात्रियों को समान सीट नम्बर का आवंटन; आरएफआईडी कार्डधारकों को पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा; 'यात्री नाम अभिलेख' संख्या 18 अंकों से कम; एक टिकट के समक्ष एक से अधिक निरस्तीकरण आदेश

जारी करने; अवधिपार आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा तथा वैध आरएफआईडी कार्ड के बिना छूट इत्यादि को अनुमत किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशांषां

लेखापरीक्षा, निगम को विभिन्न पहलुओं जैसे आईटी सुरक्षा नीति एवं पासवर्ड प्रबंधन इत्यादि के लिए एक स्पष्ट एवं विस्तृत आईटी नीति बनाने एवं क्रियान्वित करने; ईटीआईएम्स के डाटा के लिए अलग-अलग स्थानों पर प्राथमिक डाटा केन्द्र एवं संकट से उबरने का स्थल स्थापित करने; व्यावसायिक नियमों एवं निगम की आवश्यकताओं के अनुसार आगत डाटा एवं निर्गत परिणामों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांचों को विकसित करने; संगठन नियमों/ नीतियों, नियमावलियों, सरकारी निर्देशों इत्यादि के अनुसार व्यवसाय के नियमों की अभिरेखा को सुनिश्चित करने; ओआरएस एवं ईटीआईएम्स टिकटिंग एवं वित्तीय डाटा के वास्तविक समय एकीकरण के लिए जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मोडयूल के कार्य को सुनिश्चित करने; कार्यसंचालन दक्षता को बढ़ाने एवं आगत गलतियों को कम करने के लिए ईटीआईएम्स की संचालन क्रियाविधियों को आसान बनाने; तथा राजस्व के किसी रिसाव को टालने के लिए आईटी डाटा एवं लेखांकन डाटा के मिलान करने की सिफारिश करती है।

4. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

इस प्रतिवेदन में सम्मिलित अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबन्धन में रही कमियों को उजागर करते हैं, जिनके गंभीर वित्तीय प्रभाव पड़े थे। प्रकट की गई कमियां मुख्यतः निम्न प्रकार की हैं:

नियमों, दिशानिर्देशों, प्रक्रियाओं एवं अनुबन्धों के नियमों व शर्तों इत्यादि की अनुपालना नहीं किये जाने के कारण छः मामलों में ₹ 21.73 करोड़ की हानि/ अतिरिक्त व्यय/ वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.1, 4.2, 4.3, 4.7, 4.9 एवं 4.10)

संगठन के वित्तीय हितों की सुरक्षा नहीं किये जाने के कारण चार मामलों में ₹ 9.37 करोड़ की हानि/अतिरिक्त व्यय/वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 4.4, 4.5, 4.6 एवं 4.8)

कुछ महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आक्षेपों का सार नीचे दिया गया है:

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड ने कॉमन मीटर पठन इंस्ट्रुमेंट (सीएमआरआई)/ हैंड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) के माध्यम से मासिक मीटर पठन एवं भार सर्वेक्षण के उद्देश्य से कार्यादेश प्रदान किये परन्तु ठेकेदारों ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन के स्थान पर अधिकतर (73.66 प्रतिशत) मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन का कार्य किया। कम्पनी ने मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के लिए कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव में सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन की निर्धारित दरों पर ठेकेदारों को भुगतान किये।

(अनुच्छेद 4.1)

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों द्वारा वर्षा जल संचयन ढांचों (आरडब्ल्यूएचएस) की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युत्पन्न बनाने एवं लागू करने में विफल रही। आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णयों/ निर्देशों की अनुपालना के अभाव में कम्पनी/ इकाई कार्यालयों द्वारा इकाई के संविधान में परिवर्तन; भू उपयोग में परिवर्तन; इकाइयों के अंतरण; अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमत किया गया तथा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को सुनिश्चित किये बिना मौजूदा मानदण्डों के अनुसार इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' मान लिया गया। कई उदाहरण ऐसे भी देखे गये जहां आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की गई लेकिन इकाई कार्यालयों द्वारा इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित करने को प्रमाणित किया गया।

(अनुच्छेद 4.3)

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूली की क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई जिससे ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई।

(अनुच्छेद 4.5)

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा निगरानी के अभाव एवं सामग्री, मैसनरी व निर्माण तकनीकों की निम्न गुणवत्ता के कारण हिण्डोल-गंगापुर सिटी रोड पर रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल ढह गई। इसके कारण लोक धन का अपव्यय हुआ तथा सुधार कार्य के पेटे कम्पनी पर ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

(अनुच्छेद 4.9)

अध्याय I

सार्वजनिक क्षेत्र के
उपक्रमों के कार्यकलाप

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यकलाप

प्रस्तावना

1.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयूज) में राज्य सरकार की कम्पनियां एवं सांविधिक निगम सम्मिलित हैं। राज्य पीएसयूज की स्थापना जन-कल्याण को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक स्वरूप की गतिविधियों को संचालन के लिये की जाती है तथा इनका राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान है। 31 मार्च 2016 को 54 पीएसयूज थे जिनमें तीन सांविधिक निगम एवं 51 सरकारी कम्पनियां सम्मिलित थीं। इन सरकारी कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं थी। वर्ष 2015-16 के दौरान, छह¹ पीएसयूज समामेलित हुए जबकि दो पीएसयूज यथा राजस्थान वेटेनरी सर्विसेज निगम लिमिटेड एवं राजस्थान राज्य रिफाइनरी लिमिटेड बन्द हुईं। राजस्थान आवास विकास एवं ढांचागत लिमिटेड का विलय (जनवरी 2016) राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड के साथ कर दिया गया। 31 मार्च 2016 को राजस्थान में पीएसयूज का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.1: 31 मार्च 2016 को कुल पीएसयूज की संख्या

पीएसयूज का प्रकार	कार्यरत पीएसयूज	अकार्यरत पीएसयूज ²	कुल
सरकारी कम्पनियां ³	48	3	51
सांविधिक निगम	3	-	3
योग	51	3	54

कार्यरत पीएसयूज ने 30 सितम्बर 2016 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 54834.65 करोड़ का टर्नओवर दर्ज किया। यह टर्नओवर वर्ष 2015-16 के लिये राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 8.13 प्रतिशत के बराबर था। कार्यरत पीएसयूज ने 30 सितम्बर 2016 तक अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार ₹ 12373.88 करोड़ की हानि वहन की। मार्च 2016 को राज्य पीएसयूज में लगभग एक लाख कर्मचारी नियोजित थे।

तीन अकार्यरत पीएसयूज गत दो से 36 वर्षों की अवधि से विद्यमान हैं जिनमें ₹ 26.23 करोड़ का निवेश है। यह ध्यान देने योग्य विषय है क्योंकि अकार्यरत पीएसयूज में किये गये निवेश राज्य के आर्थिक विकास में कोई योगदान प्रदान नहीं करते हैं।

1 जोधपुर बस सेवा लिमिटेड (2 अप्रैल 2015), कोटा बस सेवा लिमिटेड (15 अप्रैल 2015), राजस्थान उर्जा विकास निगम लिमिटेड (4 दिसम्बर 2015), राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड (21 दिसम्बर 2015), जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (12 मार्च 2016) एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड (12 मार्च 2016)।

2 अकार्यरत पीएसयूज वे हैं जिन्होंने अपने क्रिया-कलाप बन्द कर दिये हैं।

3 सरकारी पीएसयूज में अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं 139(7) में संदर्भित अन्य कम्पनियां भी सम्मिलित हैं।

जवाबदेयता संरचना

1.2 सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा की प्रक्रिया कम्पनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम 2013) की धारा 139 एवं 143 के संबंधित प्रावधानों के द्वारा शासित होती है। अधिनियम 2013 की धारा 2 (45) के अनुसार, सरकारी कम्पनी से आशय ऐसी कम्पनी से है जिसमें प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत भाग केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार के द्वारा एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा धारित हो तथा इसमें ऐसी सरकारी कम्पनी की सहायक कम्पनी भी सम्मिलित है।

साथ ही, अधिनियम 2013 की धारा 143 की उप-धारा 7 के अनुसार, धारा 139 की उप-धारा (5) अथवा (7) के अंतर्गत आने वाली किसी कम्पनी के मामले में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी), यदि आवश्यक समझें, तो एक आदेश के माध्यम से ऐसी कम्पनी के लेखों की नमूना जांच करवा सकते हैं तथा नमूना जांच के प्रतिवेदन पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के प्रावधान लागू होंगे। इस प्रकार, एक सरकारी कम्पनी अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा, अथवा किसी राज्य सरकार अथवा सरकारों, अथवा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार एवं आंशिक रूप से एक अथवा अधिक राज्य सरकारों के द्वारा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से स्वामित्वाधीन अथवा नियंत्रित कोई अन्य कम्पनी सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। किसी कम्पनी के 31 मार्च 2014 को अथवा उससे पूर्व प्रारम्भ होने वाले वित्तीय वर्षों से संबंधित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कम्पनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती रहेगी।

सांविधिक लेखापरीक्षा

1.3 सरकारी कम्पनियों (अधिनियम 2013 की धारा 2(45) में परिभाषित) के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है जो कि अधिनियम 2013 की धारा 139 (5) अथवा (7) के प्रावधानों के अंतर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। सांविधिक लेखापरीक्षक, अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत वित्तीय विवरणों एवं अन्य के सहित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति सीएजी को प्रस्तुत करते हैं। यह वित्तीय विवरण अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अंतर्गत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्राप्ति से 60 दिनों की अवधि में सीएजी द्वारा की जाने वाली पूरक लेखापरीक्षा के भी अधीन होते हैं।

सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा उनके संबंधित विधानों के द्वारा शासित होती है। तीन सांविधिक निगमों में से राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम हेतु सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। राजस्थान राज्य भण्डारव्यवस्था निगम एवं राजस्थान वित्त निगम के मामले में सनदी लेखाकारों द्वारा लेखापरीक्षा तथा सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा की जाती है।

सरकार एवं विधान मण्डल की भूमिका

1.4 राज्य सरकार अपने प्रशासनिक विभागों के माध्यम से इन पीएसयूज के क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखती है। प्रमुख कार्यकारी एवं संचालक मण्डल हेतु निदेशकों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

राज्य विधान मण्डल भी पीएसयूज में किये गये सरकारी निवेश के लेखांकन एवं उपयोगिता की निगरानी करता है। इसके लिये, अधिनियम 2013 की धारा 394 अथवा संबंधित अधिनियमों के अनुसार राज्य सरकार की कम्पनियों के संबंध में वार्षिक प्रतिवेदन, सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन व सीएजी की टिप्पणियों के साथ तथा सांविधिक निगमों के मामले में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष रखे जाते हैं। सीएजी (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19ए के अन्तर्गत सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत किये जाते हैं।

राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी

1.5 राजस्थान सरकार (जीओआर) की इन पीएसयूज में भारी वित्तीय हिस्सेदारी है। यह हिस्सेदारी मुख्यतः तीन प्रकार से है:

- **अंशपूँजी एवं ऋण-** अंशपूँजी योगदान के अतिरिक्त राजस्थान सरकार पीएसयूज को समय-समय पर ऋण के माध्यम से भी वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
- **विशेष वित्तीय सहायता-** जब-तब आवश्यक हो, अनुदान व अर्थ-साहाय्य के माध्यम से राजस्थान सरकार पीएसयूज को बजट से सहायता प्रदान करती है।
- **गारण्टियां-** पीएसयूज द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋणों एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्थान सरकार गारण्टियां भी देती है।

राज्य पीएसयूज में निवेश

1.6 31 मार्च 2016 को 54 पीएसयूज में नीचे दिये गये विवरणानुसार कुल निवेश (पूँजी एवं दीर्घावधि ऋण) ₹ 124810.19 करोड़ था:


तालिका 1.2: पीएसयूज में कुल निवेश

(₹ करोड़ में)

पीएसयूज के प्रकार	सरकारी कम्पनियां			सांविधिक निगम			कुल योग
	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	पूँजी	दीर्घावधि ऋण	योग	
कार्यरत	35270.98	87053.39	122324.37	807.54	1652.05	2459.59	124783.96
अकार्यरत	10.16	16.07	26.23	-	-	-	26.23
योग	35281.14	87069.46	122350.60	807.54	1652.05	2459.59	124810.19

31 मार्च 2016 को राज्य के पीएसयूज में कुल निवेश का 99.98 प्रतिशत कार्यरत पीएसयूज में एवं शेष 0.02 प्रतिशत अकार्यरत पीएसयूज में था। इस कुल निवेश में 28.91 प्रतिशत हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 71.09 प्रतिशत दीर्घावधि ऋण के रूप में सम्मिलित थे। निवेश वर्ष 2011-12 में ₹ 59724.03 करोड़ से 108.98 प्रतिशत बढ़कर वर्ष 2015-16 में ₹ 124810.19 करोड़ हो गया, जैसा कि नीचे ग्राफ में दर्शाया गया है:

चार्ट 1.1: पीएसयूज में कुल निवेश



1.7 31 मार्च 2016 को पीएसयूज में निवेश का क्षेत्र-वार सारांश नीचे दिया हुआ है:


तालिका 1.3: पीएसयूज में क्षेत्र-वार निवेश

क्षेत्र का नाम	सरकारी कम्पनियां		सांविधिक निगम		कुल	निवेश ⁴ (₹ करोड़ में)
	कार्यरत	अकार्यरत	कार्यरत	अकार्यरत		
ऊर्जा	16	-	-	-	16	115350.95
वित्त	4	-	1	-	5	616.05
सेवा	15	-	2	-	17	4524.95
ढांचागत	6	-	-	-	6	2349.19
अन्य	7	3	-	-	10	1969.05
योग	48	3	3	-	54	124810.19

31 मार्च 2012 एवं 31 मार्च 2016 के अन्त में विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश नीचे लाईन चार्ट में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.2: पीएसयूज में क्षेत्रवार निवेश

(आंकड़े ₹ करोड़ में)



4 निवेश में पूँजी एवं दीर्घ कालिक ऋण सम्मिलित है।

गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज में किये गये निवेश का प्रभुत्व ऊर्जा क्षेत्र पर था। वर्ष 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान किये गये ₹ 65086.16 करोड़ के कुल निवेश में से ऊर्जा क्षेत्र ने ₹ 59921.35 करोड़ (92.06 प्रतिशत) का निवेश प्राप्त किया था। सेवा एवं ढांचागत क्षेत्रों ने भी इस अवधि के दौरान क्रमशः 204.80 प्रतिशत एवं 226.16 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की थी।

वर्ष के दौरान विशेष सहायता एवं प्रतिलाभ

1.8 राजस्थान सरकार वार्षिक बजट के माध्यम से पीएसयूज को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। पीएसयूज के संबंध में बजट से पूँजी, ऋण व अनुदान/अर्थ-साहाय्य, ऋणों का अपलेखन एवं ब्याज परित्याग का मार्च 2016 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों हेतु संक्षिप्त विवरण आगे दिया गया है:

तालिका 1.4: पीएसयूज को बजटीय सहायता से संबंधित विवरण

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	विवरण ⁵	2013-14		2014-15		2015-16	
		पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि	पीएसयूज की संख्या	राशि
1.	अंश पूँजी की जावक	14	4722.21	7	4371.79	6	8497.69
2.	दिये गये ऋण	8	428.98	11	776.25	9	36568.64
3.	प्रदत्त अनुदान/अर्थ-साहाय्य	16	5732.53	14	7904.76	16	5588.79
4.	कुल जावक (1+2+3)	26 ⁶	10883.72	18 ⁶	13052.80	19 ⁶	50655.12
5.	अपलिखित ऋण पुनर्भुगतान	1	204.42	-	-	-	-
6.	ऋणों का पूँजी में परिवर्तन	1	2.62	-	-	3	995.00
7.	निर्गमित गारण्टियां	7	26881.55	6	12066.92	7	16134.66
8.	गारण्टी प्रतिबद्धता	9	81228.38	9	90054.11	9	48678.03

मार्च 2016 को समाप्त पांच वर्षों में पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक का विवरण नीचे दिये गये ग्राफ में दिया गया है:

5 यह राशि केवल राज्य के बजट से जावक को दर्शाती है।

6 यह संख्या ऐसी कम्पनियों की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने राज्य बजट से जावक एक या एक से अधिक मदों में प्राप्त की है यथा पूँजी, ऋण, अनुदान/अर्थ-साहाय्य।

चार्ट 1.3: पूँजी, ऋणों एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजटीय जावक



— पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के मदों में बजट जावक राशि

उपर्युक्त इंगित करता है कि राजस्थान सरकार द्वारा पूँजी, ऋण एवं अनुदान/अर्थ-साहाय्य के रूप में बजट सहायता वर्ष 2011-12 में ₹ 10327.42 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹ 50655.12 करोड़ हो गई। ऊर्जा क्षेत्र को उल्लेखनीय बजट जावक वर्ष के दौरान अंश पूँजी जावक (₹ 8497.69 करोड़) का 99.31 प्रतिशत (₹ 8438.82 करोड़) एवं कुल बजटीय जावक (₹ 50655.12 करोड़) का 98.24 प्रतिशत (₹ 49762.43 करोड़) थी।

तीन वितरण कम्पनियों को राज्य सरकार से उदय (उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेन्स योजना) के अन्तर्गत ₹ 34349.77 करोड़ (अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 11785.86 करोड़, जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 10779.31 करोड़ एवं जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को ₹ 11784.60 करोड़) के ऋण कोष प्राप्त हुए।

बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से पीएसयूज को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिये राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के अंतर्गत गारंटी प्रदान करती है। सरकार ने राजस्थान राज्य गारण्टी अनुदान नियमन 1970 के प्रावधानों के तहत पीएसयूज द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण लेने के मामले में बिना किसी अपवाद के एक प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से गारण्टी कमीशन प्रभारित किये जाने का निर्णय लिया (फरवरी 2011)। बकाया गारण्टी प्रतिबद्धताएं 2011-12 में ₹ 57559.34 करोड़ से 15.43 प्रतिशत घटकर वर्ष 2015-16 में ₹ 48678.03 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 के दौरान पीएसयूज द्वारा देय/चुकाया गया गारण्टी कमीशन ₹ 385.97 करोड़ था।

वित्त लेखों के साथ मिलान

1.9 पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियों के संबंध में राज्य पीएसयूज के अभिलेखों के आंकड़े राज्य के वित्त लेखों में दर्शाये गये आंकड़ों से मेल खाने चाहिये। यदि उक्त आंकड़े मेल नहीं खाते हैं तो संबंधित पीएसयूज एवं वित्त विभाग द्वारा अन्तरों का समाधान किया जाना चाहिये। इस संबंध में 31 मार्च 2016 की स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

**तालिका 1.5: वित्त लेखों तथा पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार
पूँजी, ऋण एवं बकाया गारण्टियां**

(₹ करोड़ में)

मद के संबंध में बकाया	वित्त लेखों के अनुसार राशि	पीएसयूज के अभिलेखों के अनुसार राशि	अन्तर
पूँजी	36614.59	35517.53	1097.06
ऋण	38537.79	39274.71	736.92
गारण्टियां	48812.75	48678.03	134.72

लेखापरीक्षा ने पाया कि यह अन्तर 14⁷ पीएसयूज के संबंध में था। सरकार एवं पीएसयूज को अन्तर का समयबद्ध समाशोधन करना चाहिये।

लेखों के अन्तिमीकरण में बकाया

1.10 अधिनियम 2013 की धारा 96(1) के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये कम्पनियों के वित्तीय विवरणों को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति से छह माह के मध्य यथा सितम्बर माह के अन्त तक अन्तिम रूप दिया जाना होता है। ऐसा करने में विफलता पर अधिनियम 2013 की धारा 99 के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान लागू हो सकते हैं। सांविधिक निगमों के मामले में संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार उनके लेखों का अन्तिमीकरण, लेखापरीक्षण एवं विधान मण्डल को प्रस्तुतिकरण किया जाता है।

निम्न तालिका 30 सितम्बर 2016 तक कार्यरत पीएसयूज द्वारा लेखों के अन्तिमीकरण की प्रगति का विवरण उपलब्ध कराती है:

तालिका 1.6: कार्यरत पीएसयूज के लेखों के अन्तिमीकरण की स्थिति

क्र. सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या	44	46	48	48	51
2.	चालू वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	33	59	41	51	55
3.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या जिनके चालू वर्ष के लिये लेखों को अंतिम रूप दिया गया	24	33	27	34	37
4.	चालू वर्ष के दौरान पिछले वर्ष के अंतिम रूप दिये गये लेखों की संख्या	9	25	14	17	18
5.	कार्यरत पीएसयूज की संख्या, जिनके लेखे बकाया हैं	20	13	21	14	12
6.	बकाया लेखों की संख्या	33	21	29	26	20 ⁸
7.	औसत बकाया प्रति पीएसयू (6/1)	0.75	0.46	0.60	0.54	0.39
8.	बकाया की सीमा	एक से पाँच वर्ष	एक से छह वर्ष	एक से सात वर्ष	एक से आठ वर्ष	एक से पाँच वर्ष

7 अनुबंध 2 के क्र. सं. क-1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 16, 29, 36, 45, बी-1 एवं सी-1.

8 दो पीएसयूज (जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड एवं उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड) के लेखे बकाया नहीं माने गये क्योंकि यह पीएसयूज मार्च 2016 में समामेलित हुई थीं।

कुल 51 कार्यरत पीएसयूज में से 47 पीएसयूज ने 55 वार्षिक लेखों को अंतिम रूप दिया जिसमें से 37 पीएसयूज के वार्षिक लेखे 2015-16 से संबंधित थे तथा शेष 18 वार्षिक लेखे गत वर्षों से संबंधित थे। बारह कार्यरत पीएसयूज के 20 लेखे बकाया थे जिनमें से एक कम्पनी (उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड) के लेखे 2011-12 से बकाया थे। दो पीएसयूज के लेखे बकाया नहीं माने गये क्योंकि यह पीएसयूज मार्च 2016 में समामेलित हुई थीं। वार्षिक लेखों के बकाया की स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार हुआ क्योंकि प्रति पीएसयू वार्षिक लेखों का औसत बकाया 2011-12 में 0.75 से घटकर 2015-16 में 0.39 हो गया।

1.11 राजस्थान सरकार ने अनुबंध-1 में दिये गये विवरण के अनुसार वर्ष 2015-16 के दौरान दो पीएसयूज में ₹ 10.93 करोड़ (ऋण: ₹ 8.00 करोड़ एवं अर्थ-साहाय्य: ₹ 2.93 करोड़) का निवेश किया जिनके इस अवधि के लेखों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था। लेखों के अंतिमीकरण एवं तत्पश्चात उनकी लेखापरीक्षा के अभाव में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि निवेश एवं किये गये व्यय को उचित प्रकार से लेखांकित किया गया है एवं वह लक्ष्य, जिसके लिये निवेश किया गया था, प्राप्त किया जा सका था। इस प्रकार, राजस्थान सरकार का ऐसे पीएसयूज में किया गया निवेश राज्य विधायिका के नियंत्रण के दायरे से बाहर रहा।

इन पीएसयूज की गतिविधियों की निगरानी एवं इन पीएसयूज द्वारा लेखों को निर्धारित समय में अंतिम रूप दिये जाने एवं अपनाये जाने को सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व प्रशासनिक विभागों पर है। संबंधित विभागों को त्रैमासिक रूप से सूचित किया गया था, जिसके फलस्वरूप बकाया लेखों वाले पीएसयूज की संख्या 2014-15 में 14 से घटकर 2015-16 में 12 हो गई। तथापि, महालेखाकार/प्रधान महालेखाकार द्वारा लगातार अनुसरण के उपरान्त भी स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन आने वाले छह⁹ पीएसयूज के 14 लेखे बकाया थे।

1.12 इसके अतिरिक्त, अकार्यरत पीएसयूज के लेखे भी अंतिमीकरण हेतु बकाया थे। अकार्यरत पीएसयूज के लेखों के बकाया की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.7: अकार्यरत पीएसयूज के बकाया लेखों की स्थिति

क्र. सं.	अकार्यरत कम्पनियों के नाम	लेखों के बकाया रहने की अवधि
1.	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2013-14 से 2015-16
2.	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2015-16

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का प्रस्तुतिकरण

1.13 सभी तीनों सांविधिक निगमों द्वारा 2015-16 के लेखे 30 सितम्बर 2016 तक अग्रप्रेषित किये जा चुके थे। दो सांविधिक निगमों के लेखों की लेखापरीक्षा प्रगति पर थी (सितम्बर 2016)।

पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएआर), सांविधिक निगमों के लेखों पर सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन हैं। यह प्रतिवेदन संबंधित अधिनियमों के प्रावधानों के अनुसार विधायिका के समक्ष

9 अनुबंध 2 के क्र.सं. क-10, 34, 35, 38, 39 एवं 48 पर पीएसयूज

प्रस्तुत किये जाने होते हैं। वर्ष 2014-15 की अवधि हेतु इन सांविधिक निगमों के संबंध में एसएआर राज्य विधायिका में मार्च से सितम्बर 2016 के दौरान प्रस्तुत¹⁰ की गयी थी।

लेखों का अन्तिमीकरण नहीं किये जाने के प्रभाव

1.14 जैसा कि अनुच्छेद 1.10 में इंगित किया गया है, लेखों के अन्तिमीकरण में विलम्ब संबंधित विधानों के प्रावधानों के उल्लंघन के साथ कपट एवं लोक धन में रिसाव के जोखिम के रूप में भी परिणामित हो सकता है। उपर्युक्त बकाया की स्थिति को देखते हुये पीएसयूज का 2015-16 में राज्य की जीडीपी में योगदान का आंकलन नहीं किया जा सका तथा इन पीएसयूज के राजकोष में योगदान को भी राज्य विधायिका को प्रतिवेदित नहीं किया गया था।

अतः यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासकीय विभागों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिये तथा लेखों के बकाया की समाप्ति के लिये आवश्यक निर्देश जारी किये जाने चाहिये। सरकार को भी कम्पनी द्वारा लेखे तैयार करने में आने वाली बाधाओं पर ध्यान दिया जाना चाहिये तथा बकाया लेखों की समाप्ति हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिये।

अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार पीएसयूज का निष्पादन

1.15 कार्यरत सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों की वित्तीय स्थिति एवं कार्यकारी परिणामों का विस्तृत विवरण **अनुबंध-2** में प्रदान किया गया है। पीएसयूज के टर्नओवर का राज्य के सकल घरेलू उत्पाद से अनुपात, राज्य की अर्थव्यवस्था में पीएसयूज की गतिविधियों के स्तर को दर्शाता है। नीचे दी गई तालिका मार्च 2016 को समाप्त होने वाले पांच वर्षों की अवधि के लिये कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद को दर्शाती है।

तालिका 1.8: कार्यरत पीएसयूज के टर्नओवर एवं राज्य की जीडीपी का विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
टर्नओवर ¹¹	32440.58	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65
राज्य की जीडीपी ¹²	436465.00	494004.00	549701.00	612194.00	674137.00
टर्नओवर का राज्य की जीडीपी से प्रतिशत	7.43	6.78	7.09	7.83	8.13

पीएसयूज के टर्नओवर ने पूर्व वर्षों की तुलना में लगातार वृद्धि दर्ज की। वर्ष 2011-16 की अवधि के दौरान टर्नओवर में वृद्धि 3.22 से 23 प्रतिशत के मध्य रही जबकि इसी अवधि के दौरान जीडीपी में वृद्धि 10.12 से 13.18 प्रतिशत के मध्य रही थी। गत पाँच वर्षों में पीएसयूज के टर्नओवर में 14.02 प्रतिशत की मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई जो की राज्य की जीडीपी की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 11.48 प्रतिशत से अधिक थी। इसके परिणामस्वरूप राज्य के सकल

10 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम (2 मार्च 2016), राजस्थान वित्त निगम (11 मार्च 2016) एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (2 सितम्बर 2016)।


11 टर्नओवर अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

12 राज्य का सकल घरेलू उत्पाद राज्य सरकार की आर्थिक समीक्षा 2015-16 के अनुसार है।

घरेलू उत्पाद में पीएसयूज के टर्नओवर का अंश वर्ष 2011-12 में 7.43 प्रतिशत से बढ़कर 2015-16 में 8.13 प्रतिशत हो गया।

1.16 वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान राज्य में कार्यरत पीएसयूज द्वारा अर्जित लाभ¹³ अथवा उठायी गई हानियां नीचे एक रेखीय चार्ट में दर्शाई गई हैं।

चार्ट 1.4: कार्यरत पीएसयूज के लाभ/हानि



— कार्यरत राजकीय उपक्रमों द्वारा वर्ष के दौरान समग्र लाभ अर्जन/वहन की गयी हानि। कोष्ठक में दिये गये आंकड़े संबंधित वर्षों में कार्यरत पीएसयूज की संख्या को दर्शाते हैं।

कार्यरत पीएसयूज ने 2011-12 में ₹ 768.55 करोड़ के लाभ की तुलना में 2015-16 में ₹ 12373.88 करोड़ की हानि वहन की। 51 पीएसयूज के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार, 23¹⁴ पीएसयूज ने ₹ 843.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया, 19¹⁴ पीएसयूज ने ₹ 13217.71 करोड़ की हानि वहन की, पांच पीएसयूज को न लाभ न हानि थी जबकि दो पीएसयूज को इसके प्रारम्भ होने से अपने प्रथम लेखे अभी प्रस्तुत करने हैं तथा शेष दो पीएसयूज के लेखे 31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए देय नहीं थे। साथ ही, 51 पीएसयूज में से 18 पीएसयूज, जो वर्ष 2006-07 से 2015-16 के दौरान समामेलित हुये थे, ने 2015-16 तक अपनी वाणिज्यिक गतिविधियां आरम्भ नहीं की थी (अनुबंध-2)।

अन्तिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (₹ 349.58 करोड़) एवं राजस्थान राज्य स्वान एवं खनिज लिमिटेड (₹ 200.33 करोड़) लाभ के मुख्य अंशदाता थे जबकि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3504.00 करोड़), जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 4462.91 करोड़) एवं जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (₹ 3273.87 करोड़) ने भारी हानियां वहन की थी।

13 आंकड़े संबंधित वर्षों के अन्तिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार हैं।

14 उन पीएसयूज को शामिल करते हुये जिन्होंने अपनी व्यावसायिक गतिविधियाँ आरम्भ नहीं की थी परन्तु अल्प लाभ/हानि दर्शाया था।

इन डिस्कॉम्स ने प्रापण की लागत से कम विद्युत के विक्रय, भारी प्रसारण एवं वितरण हानियों एवं कृषि उपभोक्ताओं को अनुदानित दरों पर विद्युत के विक्रय के कारण भारी हानियां वहन की।

1.17 राज्य के पीएसयूज से संबंधित कुछ अन्य मुख्य मापदण्ड नीचे दिये गये हैं।

तालिका 1.9: राज्य की पीएसयूज के मुख्य मापदण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
नियोजित पूँजी पर प्रतिफल ¹⁵ (प्रतिशत)	8.09	-16.32	-7.86	-11.10	0.62
ऋण	45976.15	53503.45	63829.17	74747.68	88721.51
टर्नओवर ¹⁶	32440.58	33486.33	38953.84	47914.29	54834.65
ऋण / टर्नओवर अनुपात	1.42:1	1.60:1	1.64:1	1.56:1	1.62:1
ब्याज अदायगी ¹⁶	3681.11	7864.69	8498.38	10346.56	12682.80
संचित लाभ (हानियां) ¹⁶	(1590.48)	(50951.85)	(56133.11)	(83732.89)	(99343.29)

गत पाँच वर्षों के दौरान पीएसयूज के टर्नओवर ने 14.02 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से वृद्धि दर्ज की। तथापि, ऋणों की मिश्रित वार्षिक वृद्धि 17.86 प्रतिशत थी जो यह इंगित करती है कि टर्नओवर की तुलना में ऋण अधिक तीव्र गति से बढ़ रहे थे। ऋणों के टर्नओवर से अनुपात में 2011-12 में 1.42:1 से 2015-16 में 1.62:1 की वृद्धि पीएसयूज की ऋणों पर निर्भरता में वृद्धि को इंगित करती है।

1.18 राज्य सरकार ने एक लाभांश नीति बनाई (सितम्बर 2004) जिसके अन्तर्गत सभी लाभ अर्जन करने वाले पीएसयूज को राज्य सरकार द्वारा योगदान की गयी प्रदत्त पूँजी का न्यूनतम दस प्रतिशत अथवा कर पश्चात लाभ का 20 प्रतिशत, जो भी कम हो, का प्रतिफल भुगतान किया जाना आवश्यक है। अंतिम रूप दिये गये उनके नवीनतम लेखों के अनुसार, 23 पीएसयूज ने कुल मिलाकर ₹ 843.83 करोड़ का लाभ अर्जित किया एवं आठ¹⁷ पीएसयूज ने ₹ 64.55 करोड़ का लाभांश घोषित किया, जो कि राज्य सरकार द्वारा सभी पीएसयूज में योगदान की गयी अंश पूँजी का 0.18 प्रतिशत था। लाभ अर्जित करने वाली 23 कम्पनियों में से 15 पीएसयूज ने संचित हानियों अथवा अल्प लाभ के कारण लाभांश घोषित नहीं किया था, चार¹⁸ पीएसयूज ने निर्धारित से अधिक लाभांश घोषित किया जबकि दो¹⁹ पीएसयूज ने सरकार की लाभांश नीति में निर्धारित लाभांश से कम लाभांश घोषित किया जबकि दो²⁰ पीएसयूज ने नीति के अनुसार लाभांश घोषित किया।

15 वर्ष 2011-12 तक नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शुद्ध स्थायी सम्पत्तियां + कार्यशील पूँजी) द्वारा की गई। वर्ष 2012-13 से नियोजित पूँजी की गणना इस फॉर्मूले (शेयरधारक निधि + दीर्घकालीन ऋण) द्वारा की गई।

16 अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार।

17 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 8, 9, 13, 14, 16, 31 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

18 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-1, 9, 16 एवं ब-3 पर वर्णित पीएसयूज।

19 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-8 एवं 14 पर वर्णित पीएसयूज।

20 अनुबंध-2 के क्र.सं. क-13 एवं 31 पर वर्णित पीएसयूज।

अकार्यरत पीएसयूज का समापन

1.19 31 मार्च 2016 को तीन अकार्यरत पीएसयूज (सभी कम्पनियां) थे जिनमें पूँजी (₹ 10.16 करोड़) एवं दीर्घावधि ऋण (₹ 16.07 करोड़) सहित कुल निवेश ₹ 26.23 करोड़ था। गत पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के अन्त में अकार्यरत कम्पनियों की संख्या नीचे दी गयी है।

तालिका 1.10: अकार्यरत पीएसयूज

विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
अकार्यरत कम्पनियों की संख्या	3	2	3	3	3

इन अकार्यरत कम्पनियों में से कोई भी समापन के अन्तर्गत नहीं थी। चूंकि अकार्यरत पीएसयूज से वांछित उद्देश्यों में कोई योगदान प्राप्त नहीं हो रहा है अतः इन पीएसयूज का या तो पुनरुत्थान किया जाना चाहिए अन्यथा इन्हें समापित कर दिया जाना चाहिये।

लेखा टिप्पणियां

1.20 अक्टूबर 2015 से सितम्बर 2016 तक 44 कार्यरत कम्पनियों ने अपने 52 लेखापरीक्षित लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। इनमें से 20 कम्पनियों के 23 लेखों को पूरक लेखापरीक्षा के लिये चयनित किया गया था। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इंगित करते हैं कि लेखों के रस्स-रस्साव की गुणवत्ता में सारभूत सुधार की आवश्यकता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण आगे दिया गया है।

तालिका 1.11: कार्यरत पीएसयूज पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	6	266.83	5	85.90	5	28.74
2.	लाभ में वृद्धि	1	0.81	8	121.79	6	14.24
3.	हानि में वृद्धि	5	459.02	8	3059.24	6	712.94
4.	हानि में कमी	3	20.16	2	55.54	3	203.06
5.	सारवान तथ्यों को प्रकट नहीं किया जाना	1	26.54	3	68.25	1	2.98
6.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	4	28.42	10	2738.30	6	398.16

वर्ष 2015-16 के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने 21 लेखों पर मर्यादित प्रमाण-पत्र एवं राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड के एक लेख पर प्रतिकूल²¹ प्रमाण-पत्र प्रदान किया। पीएसयूज द्वारा लेखांकन मानकों (एएस) की अनुपालना कमजोर रही क्योंकि 14 लेखों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा एएस की अनुपालना नहीं करने के 46 मामले इंगित किये गये।

21 लेखे सत्य एवं उचित स्थिति को नहीं दर्शाते हैं।

1.21 इसी प्रकार, तीन कार्यरत सांविधिक निगमों ने अपने वर्ष 2015-16 के लेखे महालेखाकार को अग्रेषित किये। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के संबंध में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है। शेष दो सांविधिक निगमों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा राजस्थान वित्त निगम के संबंध में मर्यादित प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। लेखांकन मानकों की अनुपालना नहीं करने का एक मामला पाया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों एवं सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा टिप्पणियों के एकीकृत मौद्रिक मूल्य का विवरण नीचे दिया गया है:

तालिका 1.12: सांविधिक निगमों पर लेखापरीक्षा टिप्पणियों का प्रभाव

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	2013-14		2014-15		2015-16	
		लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि	लेखों की संख्या	राशि
1.	लाभ में कमी	2	51.91	2	22.41	1	31.59
2.	लाभ में वृद्धि	1	1.30	-	-	-	-
3.	हानि में वृद्धि	1	729.18	1	2162.57	1	2364.69
4.	सारवान तथ्यों का प्रकट नहीं किया जाना	2	554.11	1	604.45	1	1819.89
5.	वर्गीकरण की अशुद्धियां	1	1.27	-	-	2	81.00

वर्ष 2015-16 के राजस्थान वित्त निगम एवं राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के वार्षिक लेखों की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा 30 सितम्बर 2016 तक प्रगति पर थी।

निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं अनुच्छेद

1.22 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन हेतु दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं एवं 11 लेखापरीक्षा अनुच्छेद, छह सप्ताह की अवधि में उत्तर प्रेषित करने के आग्रह के साथ, संबंधित विभागों के मुख्य सचिवों/ सचिवों को जारी किये गये थे। एक²² अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद पर उत्तर राज्य सरकार से प्रतीक्षित (30 सितम्बर 2016) था। तथापि, 'तथ्यात्मक विवरण-पत्र' पर संबंधित पीएसयू से उत्तर प्राप्त हो गया था तथा अनुच्छेद को अंतिम रूप देते समय इसे ध्यान में रख लिया गया था।

लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर अनुवर्ती कार्यवाही

बकाया उत्तर

1.23 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन लेखापरीक्षा संवीक्षा की प्रक्रिया का सार है। अतः यह आवश्यक है कि इन पर कार्यपालिका से उचित एवं समयबद्ध उत्तर प्राप्त किया जाये। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में सम्मिलित किये गये अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर प्रतिवेदनों के विधायिका के समक्ष प्रस्तुतिकरण से तीन माह की अवधि में,

22 राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड।

राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा किसी प्रश्नसूची की प्रतीक्षा किये बिना, निर्धारित प्रारूप में उत्तर/व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्रस्तुत करने के निर्देश जारी (जुलाई 2002) किये थे।

तालिका 1.13: बकाया व्याख्यात्मक टिप्पणियां (30 सितम्बर 2016 तक)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (पीएसयूज) का वर्ष	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की राज्य विधायिका में प्रस्तुतिकरण की तिथि	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित कुल निष्पादन लेखापरीक्षाएं (पीएज) एवं अनुच्छेद		पीएज/अनुच्छेदों की संख्या जिन पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई	
		पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2014-15	28.03.2016	2	9	-	-

सभी निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेदों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां प्राप्त हो गई थी।

कोपू द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर चर्चा

1.24 30 सितम्बर 2016 को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) में सम्मिलित निष्पादन लेखापरीक्षाओं एवं अनुच्छेदों पर कोपू द्वारा चर्चा की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

तालिका 1.14: लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित एवं 30 सितम्बर 2016 तक चर्चा किये गये निष्पादन लेखापरीक्षाएं/अनुच्छेद

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की अवधि	निष्पादन लेखापरीक्षाओं/अनुच्छेदों की संख्या			
	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित		चर्चा किये गये अनुच्छेद	
	पीए	अनुच्छेद	पीए	अनुच्छेद
2013-14	3	11	2	11
2014-15	2	9	-	-

वर्ष 2012-13 तक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (पीएसयूज) पर चर्चा पूर्ण की जा चुकी है।

कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

1.25 सितम्बर 2015 में राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किये गये कोपू के एक प्रतिवेदन पर कार्यवाही विषयक टिप्पणियां प्राप्त नहीं हुई थी (30 सितम्बर 2016) जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: कोपू के प्रतिवेदनों की अनुपालना

कोपू के प्रतिवेदन का वर्ष	कोपू के प्रतिवेदन की संख्या	कोपू के प्रतिवेदन में सम्मिलित सिफारिश की संख्या	सिफारिशों की संख्या जिन पर एटीएन प्राप्त नहीं हुई
2015-16	1	1	1

कोपू के इस प्रतिवेदन में वर्ष 2011-12 के लिये भारत के सीएजी के प्रतिवेदन में सम्मिलित पर्यटन विभाग से संबंधित अनुच्छेदों पर सिफारिश सम्मिलित थी।

सरकार को प्रारूप अनुच्छेदों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर निर्धारित समयावधि में उत्तर एवं कोपू की सिफारिशों पर एटीएन प्रेषित करने तथा हानियों/बकाया अग्रिमों/अधिक भुगतानों की निर्धारित समयावधि में वसूली करने को सुनिश्चित करना चाहिये।

पीएसयूज का विनिवेश, पुनर्संरचना एवं निजीकरण

1.26 जनवरी 2016 में राजस्थान आवास विकास एवं ढांचागत लिमिटेड का विलय राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड के साथ कर दिया गया।

इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु

1.27 इस प्रतिवेदन में 10 अनुपालना लेखापरीक्षा अनुच्छेद एवं दो निष्पादन लेखापरीक्षाएं यथा 'राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय उर्जा परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा' एवं 'राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा टिकटिंग गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' सम्मिलित हैं जिनमें ₹ 584.94 करोड़ का वित्तीय प्रभाव निहित है।

अध्याय II

सरकारी कम्पनियों से संबंधित
निष्पादन लेखापरीक्षा

सरकारी कम्पनियों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

2. राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सार

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) को अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में सम्मिलित किया तथा केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। निष्पादन लेखापरीक्षा में टीसीई कन्सल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना के साथ, 2015-16 तक के निष्पादन को शामिल करते हुए केएटीपीपी की समस्त गतिविधियां समाहित हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

डीपीआर में संयंत्र को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) तथा इसको पुनः संशोधित कर ₹ 9479.51 करोड़ किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2011 एवं अगस्त 2014)। केएटीपीपी की दोनों इकाइयां ₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई। संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत तक बढ़ गई। राज्य सरकार द्वारा ₹ 1895.90 करोड़ की समता पूंजी सहायता (20 प्रतिशत) प्रदान की गई तथा ₹ 7583.61 करोड़ के शेष कोषों (80 प्रतिशत) की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी)/ वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की गई।

डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी (₹ 1852 करोड़); जल संग्रहण प्रणाली (₹ 764.05 करोड़); रेलवे साइडिंग के निर्माण (मार्च 2015 तक ₹ 153.85 करोड़ एवं मार्च 2016 तक कार्य प्रगति पर था); तथा निर्माण की अवधि के दौरान ब्याज एवं वित्त लागत (₹ 1881 करोड़) के कारण अधिक हुई। इसके अतिरिक्त, स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण; फायर टेण्डर एवं डोजर; तृतीय पक्ष निरीक्षण जैसे विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यों को भी डीपीआर में अभिकल्पित नहीं किया जिसने परियोजना लागत को बढ़ाया।

परियोजना की स्थापना के लिए कार्यादेश बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को मोलभाव कर ₹ 4900.06 करोड़ के मूल्य पर दिया (अक्टूबर 2008)। अनुबंध के मूल्य में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3296.665 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियों/ सेवाओं को सम्मिलित किया गया।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः अक्टूबर 2011 तथा जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित

की गई। परियोजना की पूर्णता में देरी का कारण पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना नहीं किया जाना था। मुख्य गतिविधियों यथा बॉइलर लाइटअप, ऐश हैंडलिंग प्लांट, कोल हैंडलिंग प्लांट एवं कूलिंग टावर इत्यादि को प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह एवं द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी से पूर्ण किया गया। जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति का कार्यादेश दोनों इकाइयों की स्थापना की अनुसूचित तिथि समाप्त हो जाने के बाद दिया गया (फरवरी 2012)। साथ ही, बीजीआर एनर्जी ने इलैक्ट्रिकल तथा मैकेनिकल कार्यों के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश, ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये। उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति/ मैकेनिकल एवं सिविल कार्य पूर्ण करने में दो साल से अधिक की देरी की। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शारित (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था। कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था तथा विनिमय दर के कारण होने वाले किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 के मध्य विचरित दर पर खरीदे एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किये। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार भी पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई 2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकर के पुनर्भुगतान द्वारा बीजीआर एनर्जी को अदेय वित्तीय लाभ पहुंचाया।

सिविल कार्य

राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) ने कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की लागत का 60 प्रतिशत हिस्सा वहन करने की सहमति दी लेकिन इसने कोई व्यय वहन नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने 2007-16 के दौरान डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ के कोष जारी किये लेकिन डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली लागत की वसूली के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इरकॉन निर्दिष्ट समयावधि में रेलवे साइडिंग के निर्माण को पूरा नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात बार (50 माह) समय बढ़ाया तथा प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़ (मार्च 2015 तक) के भुगतान किये।

केएटीपीपी की परिचालन दक्षता

केएटीपीपी, प्लांट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल उपभोग एवं सहायक उपभोग के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों को प्राप्त नहीं कर सका। परिचालनात्मक मानदण्डों को प्राप्त नहीं करने/ अनुपालना नहीं करने के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़ मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में कमी; ₹ 177.34 करोड़ मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग; 22723 किलोलीटर तेल (₹ 99.25 करोड़) का अधिक उपभोग; तथा ₹ 51.67 करोड़ मूल्य की 127.70 एमयूज की हानि हुई। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निश्चित किये गये संयंत्र उपलब्धता मानदण्ड (85 प्रतिशत) भी प्राप्त नहीं किये। प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्सर्ड आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्मक घण्टों में से 4431.45 घण्टों (56.12 प्रतिशत) तक अचालित रही।

पर्यावरणीय मामले

कम्पनी ने पर्यावरणीय मंजूरी की शर्तानुसार केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)। केएटीपीपी पारटीक्यूलेट मीटर; सल्फर डाइ ऑक्साइड; एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइडस के

संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित उत्सर्जन मापदण्डों को प्राप्त करने में विफल रहा। साथ ही, वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए उपकरण भी स्थापित नहीं किये गये।

वित्तीय प्रबंधन

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/मूलधन के भुगतान में चूक की तथा किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट नहीं ले पाने के अतिरिक्त ₹ 8.47 करोड़ के शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज चुकाना पड़ा। प्रथम इकाई की स्थापना में 31 माह की देरी से कम्पनी को ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रहना पड़ा। कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी को चुकाये गये प्रवेश कर (₹ 22.74 करोड़) के भुगतान से राज्य सरकार से छूट पाने का कोई प्रयास नहीं किया। साथ ही, केएटीपीपी भारत सरकार की मेगा पाँवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ लेने के लिए पात्र थी लेकिन कम्पनी ने कभी इसकी संभावनाएं तलाश नहीं की तथा इसलिए, ₹ 431.30 करोड़ के राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही।

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ

लेखापरीक्षा अनुशंसाएँ मुख्य रूप से अनुबंध की सामान्य शर्तों/ निविदा शर्तों के अनुसार एलडी एवं बीजीआर एनर्जी को किये गये अन्य अधिक भुगतानों की वसूली; आनुपातिक प्रभारों सहित डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत की वसूली; पर्यावरणीय मानदण्डों की अनुपालना; तथा भारत सरकार एवं राज्य सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभों को प्राप्त करने के लिए संभावनाएं तलाशने से संबंधित हैं।

परिचय

2.1 राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) की कालीसिंध तापीय (कोयला आधारित) विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) राजस्थान राज्य के झालावाड़ जिले में स्थित है। राजस्थान सरकार (राज्य सरकार/ जीओआर) ने राज्य के तीव्र आर्थिक विकास के लिए विद्युत की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिए अपनी ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में केएटीपीपी को सम्मिलित किया। संयंत्र की प्रस्तावित क्षमता 1000 (2 × 500) मेगावाट (एमडब्ल्यू) थी जो ₹ 4600 करोड़ की अनुमानित लागत से स्थापित की जानी थी। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की सिफारिशों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय निविदादाताओं की अधिकाधिक भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी के निवेदन (मई 2007) पर राज्य सरकार ने प्रस्तावित क्षमता को 1200 एमडब्ल्यू (2 × 600 एमडब्ल्यू) तक बढ़ा दिया (जून 2007)। केएटीपीपी की प्रथम इकाई (मई 2014) एवं द्वितीय इकाई (जुलाई 2015) ₹ 9479.51 करोड़ की कुल लागत पर स्थापित की गई।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

2.2 निष्पादन लेखापरीक्षा में सलाहकार द्वारा 2007-08 में विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तैयार करने से लेकर संयंत्र की स्थापना सहित 2015-16 के निष्पादन तक केएटीपीपी की गतिविधियां समाहित है।

हमारी संवीक्षा में मुख्य रूप से डीपीआर; संयंत्र को लगाने/अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना से संबंधित अनुबंधों एवं सहबद्ध निर्माण कार्यों की समीक्षा को सम्मिलित किया गया। संयंत्र के संचालनात्मक निष्पादन को डीपीआर में प्रस्तावित निष्पादन के मानकों एवं सीईए/ राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)/ भारत सरकार (जीओआई) द्वारा निर्धारित मानकों के संदर्भ में विश्लेषित किया गया। साथ ही, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं विनियमों की अनुपालना की समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

2.3 निष्पादन लेखापरीक्षा यह आंकलन करने के लिए की गई कि क्या:

- संयंत्र की अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना (ईपीसी) डीपीआर में दी गई समय सीमा के अनुसार थी;
- समय एवं लागत आधिक्य को न्यूनतम करने के लिए अनुबंध एवं वित्तीय प्रबंधन प्रभावी थे;
- संयंत्र द्वारा संचालनात्मक दक्षता को डीपीआर में निर्धारित मानदण्डों/ मानकों तथा सीईए/ आरईआरसी/ जीओआई द्वारा निर्धारित मानकों को प्राप्त किया गया; तथा
- कम्पनी द्वारा पर्यावरणीय नियमों/ विनियमों की अनुपालना की गई।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

2.4 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त लेखापरीक्षा मापदण्डों को अपनाया गया:

- परियोजना की डीपीआर;
- परियोजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति/ अनुमोदन;
- संयंत्र को लगाने, प्रापण एवं स्थापना के लिए जारी किए गए निविदा प्रपत्र एवं कार्यादेश;
- डीपीआर में निर्दिष्ट निष्पादन के मानक;
- सीईए/ आरईआरसी/ जीओआई द्वारा निर्दिष्ट निष्पादन के मानक;
- कोयले की आपूर्ति के लिए संयुक्त साहस अनुबन्ध;
- जीओआई/ राज्य सरकार के पर्यावरणीय नियम एवं विनियम;
- आरईआरसी को प्रस्तुत किए गए निष्पादन प्रतिवेदन; एवं
- कम्पनी के संचालक मण्डल की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त, मैनुअल्स, एमआईएस एवं अन्य संबंधित अभिलेखा।

लेखापरीक्षा कार्यविधि

2.5 लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में अपनाई गई कार्यविधि में निम्नलिखित को समाहित किया गया:

- 22 फरवरी 2016 को आयोजित प्रविष्टि सभा में कम्पनी तथा सरकार के समक्ष लेखापरीक्षा उद्देश्यों एवं लेखापरीक्षा मापदण्डों को स्पष्ट करना;
- जनवरी 2016 से मई 2016 के दौरान कम्पनी के प्रधान कार्यालय तथा केएटीपीपी पर अभिलेखों की संवीक्षा;
- लेखापरीक्षा प्रश्नावली जारी करना एवं कम्पनी के प्रबंधन के साथ चर्चा;
- सरकार/ कम्पनी को टिप्पणी एवं उन पर प्रत्युत्तर के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी करना (जून एवं अगस्त 2016);
- 29 अगस्त 2016 को आयोजित समापन सभा के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ कम्पनी के साथ चर्चा करना।

समापन सभा में कम्पनी के विचारों तथा प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर इसके उत्तर (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को अन्तिम रूप दिया गया। सरकार ने कम्पनी के उत्तर को पृष्ठांकित किया (अगस्त 2016)।

लेखापरीक्षा परिणाम


2.6 लेखापरीक्षा परिणाम मुख्यतः परियोजना को स्थापित करने एवं सिविल कार्यों में अनुबंध प्रबंधन; संयंत्र की संचालनात्मक निष्पादन दक्षता; तथा पर्यावरणीय नियम एवं विनियमों की अनुपालना से संबंधित मामलों को सम्मिलित करते हैं।

केएटीपीपी को स्थापित करना

2.7 राज्य सरकार ने केएटीपीपी की दो इकाइयों (प्रत्येक 500 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने के लिए ₹ 4600 करोड़ की प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान की (जून 2007)। स्वीकृति की शर्तों में कोषीय व्यवस्था को 80:20 के ऋण-समता अनुपात में दिया गया था। राज्य सरकार द्वारा 20 प्रतिशत की समता सहायता प्रदान की जानी थी तथा शेष 80 प्रतिशत कोषों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पॉवर फाइनैस कॉरपोरेशन (पीएफसी) एवं वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की जानी थी।

डीपीआर में संयंत्र (2 x 600 एमडब्ल्यू) को स्थापित करने की लागत ₹ 5495.07 करोड़ परिकल्पित की गई थी (अक्टूबर 2007)। कम्पनी द्वारा अनुमानित लागत को ₹ 7723.70 करोड़ तक संशोधित किया गया (मई 2011) जो कि राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई (अगस्त 2011)। राज्य सरकार ने अतिरिक्त समता सहायता के लिए भी स्वीकृति प्रदान की (सितम्बर 2012)। अनुमानित लागत को फिर से ₹ 9479.51 करोड़ तक संशोधित किया गया (मार्च 2014) जिसको राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया (अगस्त 2014)।

परियोजना लागत में वृद्धि (₹ करोड़ में)




परियोजना का कोषीय स्वरूप मार्च 2016 को निम्न प्रकार था:

कोषों के स्रोत	राशि (₹ करोड़ में)	अंशदान प्रतिशतता
राज्य सरकार से वित्तीय सहायता	1895.90	20.00
पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन से ऋण	6583.61	69.45
बॉण्ड जारी किए गए	850.00	8.97
बैंकों से लघु अवधि ऋण	150.00	1.58
कुल	9479.51	100.00

मुख्य संयंत्र की प्रथम एवं द्वितीय इकाई को कार्यादेश जारी करने की तिथि से क्रमशः 39 तथा 42 माह में स्थापित किया जाना अनुसूचित था। इकाइयों को, तथापि, अनुबंधित स्थापना अवधि से क्रमशः 31 तथा 42 माह की देरी से स्थापित किया गया। प्रथम इकाई मई 2014 में तथा द्वितीय इकाई जुलाई 2015 में कुल ₹ 9479.51 करोड़ की लागत पर स्थापित की गई। इस प्रकार संयंत्र को स्थापित करने की वास्तविक लागत, अनुमानित लागत से 106.08 प्रतिशत से बढ़ गई। लागत आधिक्य के कारणों के मुख्य घटकों को नीचे दिए गए पाई चार्ट में दर्शाया गया है:

लागत आधिक्य के मुख्य घटक (₹ करोड़ में)



2.8 बड़ी हुई लागत के लिए उत्तरदायी कारणों की चर्चा नीचे की गई है:

- सलाहकार द्वारा तैयार की गई डीपीआर तथा राज्य सरकार द्वारा जारी की गई प्रारम्भिक स्वीकृति (जून 2007) के अनुसार दोनों इकाइयों की 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) की लागत ₹ 3539 करोड़ थी। तथापि, ईपीसी अनुबंध न्यूनतम निविदादाता को ₹ 4900.06 करोड़ में प्रदान किया गया (अक्टूबर 2008)। बाद में विदेशी विनिमय दर में बदलाव एवं प्रवेश कर जैसी कर देयताओं के समावेश के कारण ईपीसी अनुबंध के मूल्य को ₹ 5391 करोड़ तक बढ़ा दिया गया (मई 2011 एवं मार्च 2014)। प्रारम्भिक स्वीकृत लागत एवं डीपीआर में अभिकल्पित लागत की तुलना में ईपीसी कार्यों की लागत, इस प्रकार, ₹ 1852 करोड़ (52.33 प्रतिशत) से बढ़ गई।
- डीपीआर में जल संग्रहण प्रणाली की लागत को ₹ 50 करोड़ अभिकल्पित किया गया। तथापि, कम्पनी ने डीपीआर में अभिकल्पित जल संग्रहण प्रणाली के अतिरिक्त कालीसिंध नदी पर बांध तथा केएटीपीपी परिसर में पानी हेतु एक अतिरिक्त जलाशय का निर्माण भी कराया। यद्यपि बांध तथा पानी के एक अतिरिक्त जलाशय का निर्माण प्रगतिशील था (मार्च 2016), कम्पनी बांध के निर्माण के पेटे राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग को ₹ 696.37 करोड़ का भुगतान जारी कर चुकी थी। पानी के अतिरिक्त जलाशय के लिए ₹ 67.68 करोड़ का अनुबंध प्रदान किया गया। इस प्रकार, परियोजना लागत ₹ 764.05 करोड़ से बढ़ गई।
- परियोजना की प्रारम्भिक स्वीकृत लागत में निर्माणावधि में ब्याज एवं वित्त लागत को ₹ 564 करोड़ अनुमानित किया गया था। तथापि, समय एवं लागत आधिक्य ने ब्याज एवं वित्त लागत को ₹ 2445 करोड़ तक बढ़ा दिया।
- सलाहकार ने रेलवे साइडिंग के निर्माण के लिए ₹ 30 करोड़ की लागत अभिकल्पित की। कम्पनी ने लागत सहित के आधार पर इरकॉन लिमिटेड को अनुबंध प्रदान किया। कार्य प्रगतिशील था (मार्च 2016) तथा मार्च 2015 तक कम्पनी द्वारा इरकॉन लिमिटेड को ₹ 160.56 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी थी। कम्पनी, रेलवे साइडिंग के निर्माण से संबंधित अन्य कार्यों के लिए रेलवे को ₹ 23.29 करोड़ का भुगतान भी कर चुकी थी (मार्च 2015)।
- डीपीआर में विभिन्न प्रकार के सहायक कार्यों यथा स्टोर शेड/ हॉस्टल का निर्माण (₹ 12.97 करोड़); फायर टेण्डर एवं डोजर (₹ 8 करोड़); तृतीय पक्ष निरीक्षण (₹ 3.75 करोड़); चारदीवारी का निर्माण (₹ 2.28 करोड़); निगमित सामाजिक दायित्व (₹ 24 करोड़) को भी अभिकल्पित नहीं किया था जिसने परियोजना लागत में वृद्धि की।

कम्पनी ने लागत आधिक्य के तथ्य को स्वीकार किया तथा बताया कि इकाइयों (2 × 500 मेगावॉट) को स्थापित करने के लिए परियोजना प्रतिवेदन को राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त करने के लिए सामान्य मूल्यों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी द्वारा मौटे तौर पर अनुमानों के आधार पर तैयार किया गया था। तथ्य यही रहा कि परियोजना अनुमान यथार्थवादी नहीं थे।

परियोजना का निष्पादन

2.9 केएटीपीपी की इकाइयों को स्थापित करने के लिए कम्पनी द्वारा दिए गए मुख्य अनुबंध निम्न प्रकार थे:

कार्यादेशों/ अनुबंधों का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश जारी करने की तिथि	कार्यादेश की राशि (₹ करोड़ में)
डीपीआर तैयार करना	टीसीई कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड	6 अक्टूबर 2007	8.40
आयातित अनिवार्य पुर्जों सहित उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	405 मिलियन यूएस डॉलर एवं ₹ 431.296 करोड़ (कुल ₹ 2034.691 करोड़)
भारतीय मूल के अनिवार्य पुर्जों सहित सभी उपकरण एवं सामग्री की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	1843.216
अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	26 जून 2015	166.00
बॉइलर, स्टीम टरबाइन, जनरेटर सामग्री का तृतीय पक्ष से निरीक्षण	लॉयडस रजिस्टर एशिया	16 जुलाई 2009	3.00

कालीसिंध तापीय विद्युत संयंत्र का बाहरी दृश्य



सलाहकार की नियुक्ति

2.10 कम्पनी ने केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए विस्तृत सलाहकारी सेवाओं जिसमें व्यवहार्यता प्रतिवेदन/ डीपीआर; प्रापण सहायता, निरीक्षण सवाएँ, फील्ड अभियांत्रिकी (कार्यस्थल पर्यवेक्षण) सेवाएं एवं स्टार्ट अप; स्थापना तथा स्थापना के बाद सलाह सहित प्रारम्भिक संचालन रूपरेखा एवं अभियांत्रिकी सेवाओं को सम्मिलित किया गया, को प्रदान करने

के लिए ₹ 8.40 करोड़ की लागत पर टीसीई कंसल्टिंग इंजिनियर्स लिमिटेड (सलाहकार) को नियुक्त किया (अक्टूबर 2007)।

कार्यादेश में भुगतान को तीन भागों में विभक्त किया गया था: विस्तृत सलाहकारी सेवाओं के लिए एकमुश्त स्थिर कीमत; निरीक्षण सेवाओं के लिए मानव दिवस दर; तथा योग्यताधारी एवं अनुभवी इंजिनियरों की सेवाओं के लिए मानव माह दर। मानव माह दरें 31 दिसम्बर 2008 तक वैध थी जबकि एकमुश्त कीमतें 30 जून 2012 तक वैध थी। कम्पनी को वैधता अवधि के पश्चात सेवाएं प्राप्त करने के लिए प्रति कैलेण्डर वर्ष या उसके भाग के लिए आठ प्रतिशत की दर से मूल्य वृद्धि प्रभारों का भुगतान करना था।

हमने देखा कि कम्पनी ने परियोजना की स्थापना में देरी के कारण वैधता अवधि के पश्चात सेवाएं प्राप्त करने के लिए मूल्य वृद्धि प्रभारों सहित मानव दिवसों तथा मानव माहों के पेटे ₹ 3.75 करोड़¹ का अतिरिक्त व्यय वहन किया।

कम्पनी ने बताया कि योजनानुसार कार्यों की निगरानी/ निरीक्षण के लिए निरीक्षण सेवाएं अत्यावश्यक थी। तथ्य यही रहा कि परियोजना की स्थापना में देरी के कारण कम्पनी को अतिरिक्त व्यय वहन करना पड़ा।

परियोजना का क्रियान्वयन

2.11 कम्पनी ने बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, चेन्नई (बीजीआर एनर्जी) को ₹ 4900.06 करोड़ की मोलभाव की गई कीमत पर केएटीपीपी की दोनों इकाइयां स्थापित करने के लिए 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) आधार पर आशय पत्र (एलओआई) जारी किया (जुलाई 2008)। अनुबंध में 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित तथा ₹ 3296.66 करोड़ की स्थानीय (भारतीय) आपूर्तियां/ सेवाएं सम्मिलित थी। कार्यादेश (13 अक्टूबर 2008) के वाक्यांश 11 में प्रावधान था कि प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि एलओआई जारी करने की तिथि से क्रमशः 39 तथा 42 माह होगी। तदनुसार, प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 तथा 8 जनवरी 2012 थी। प्रथम एवं द्वितीय इकाई को क्रमशः 17 दिसम्बर 2011 तथा 17 मार्च 2012 को अन्तिम रूप से सौंपा जाना था।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को वाणिज्यिक संचालन के लिए स्थापित घोषित की गई। इस प्रकार, प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि में क्रमशः 31 तथा 42 माह की देरी हुई जिसकी चर्चा नीचे की गई है।

पर्यावरणीय मंजूरी की अनुपलब्धता

2.12 कम्पनी ने केएटीपीपी के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने के लिए एमओईएफ को आवेदन किया (19 दिसम्बर 2007) जिसकी स्वीकृति 26 फरवरी 2009 को प्राप्त हुई। जिसके कारण, बीजीआर एनर्जी एलओआई जारी करने (9 जुलाई 2008) की तिथि से कार्य प्रारम्भ नहीं कर सकी परिणामतः कार्य प्रारम्भ करने में सात माह की देरी हुई।

1 कार्यादेश के अनुसार ₹ 2.65 करोड़ चुकाये जाने थे। तथापि, परियोजना में देरी के कारण सलाहकार को चुकाये गये कुल परिवर्तनशील प्रभार ₹ 6.40 करोड़ थे।

कम्पनी ने बताया कि एमओईएफ से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्ति में देरी एक प्रक्रियात्मक देरी थी तथा कम्पनी के नियंत्रण से बाहर थी।

पर्ट चार्ट के अनुसार समय सारणी की अनुपालना नहीं करना

2.13 बीजीआर एनर्जी ने परियोजना के विभिन्न इलैक्ट्रीकल, मैकेनिकल एवं सिविल कार्यों को पूर्ण करने की अनुसूचित तिथि इंगित करते हुए पर्ट² चार्ट प्रस्तुत किया (सितम्बर 2008)। पर्ट चार्ट के अनुसार पूर्णता की अनुसूचित तिथि की तुलना में मुख्य माइलस्टोन्स को प्राप्त करने में बीजीआर एनर्जी का निष्पादन निम्न प्रकार है:

कार्य का नाम	प्रथम इकाई			द्वितीय इकाई		
	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	देरी माह में	पूर्णता की अनुसूचित तिथि	पूर्णता की वास्तविक तिथि	देरी माह में
बॉइलर लाइट अप	12 मार्च 2011	30 दिसम्बर 2012	21	07 जून 2011	16 अप्रैल 2014	33
ऐश हैण्डलिंग प्लाण्ट	28 मार्च 2011	03 जून 2014	38	20 जून 2011	03 जून 2014	35
कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट	05 मई 2011	16 सितम्बर 2013	28	05 मई 2011	16 सितम्बर 2013	28
कूलिंग टावर	10 मई 2011	21 अप्रैल 2013	23	25 जून 2011	12 दिसम्बर 2015	53
बैरिंग गियर पर टरबाइन	27 मई 2011	03 फरवरी 2013	18	06 अगस्त 2011	25 अगस्त 2014	36
रोलिंग एण्ड सिंक्रोनाइजेशन	14 जून 2011	30 मई 2014	35	05 सितम्बर 2011	27 फरवरी 2015	41
400 के वी स्वीच यार्ड की तैयारी	09 सितम्बर 2010	31 मार्च 2014	42	20 जनवरी 2011	31 मार्च 2014	38

उपरोक्त से देखा गया कि बीजीआर एनर्जी निर्दिष्ट समयावधि में किसी भी मुख्य गतिविधि को पूरा नहीं कर सकी। मुख्य गतिविधियां यथा बॉइलर लाइट अप, ऐश हैण्डलिंग प्लाण्ट, कोल हैण्डलिंग प्लाण्ट एवं कूलिंग टावर इत्यादि प्रथम इकाई के मामले में 18 से 41 माह तथा द्वितीय इकाई के मामले में 28 से 53 माह की देरी के बाद पूरी की गई। मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में देरी ने इकाइयों के ट्रायल रन को क्रमशः 32 तथा 42 माह से विलम्बित किया। बीजीआर एनर्जी ने इकाइयों को अन्तिम रूप से जनवरी 2016 में हैण्ड ओवर किया।

हमने देखा कि ईपीसी अनुबंध दिये जाने के बाद बीजीआर एनर्जी द्वारा उप विक्रेताओं को दिये गये कार्यादेशों में भी अधिक देरी थी। 87 इलैक्ट्रीकल एवं 567 मैकेनिकल कार्यों में से 17 इलैक्ट्रीकल एवं 60 मैकेनिकल कार्यों के लिए उप विक्रेताओं को कार्यादेश ईपीसी अनुबंध दिये जाने की तिथि से दो साल से अधिक की देरी के बाद जारी किये गये। बीजीआर एनर्जी के उप विक्रेताओं ने भी सामग्री की आपूर्ति तथा मैकेनिकल एवं सिविल कार्यों को पूरा करने में देरी की। उप विक्रेताओं ने तीन इलैक्ट्रीकल तथा 85 मुख्य मैकेनिकल कार्यों के लिए सामग्री की आपूर्ति में दो साल से अधिक की देरी की। साथ ही, उप विक्रेताओं ने कुल 74 सिविल कार्यों में से 36 कार्यों में दो साल से अधिक की देरी की।

दोनों इकाइयों के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक प्रगति प्रतिवेदनों से उजागर हुआ कि 8 जनवरी 2012 तक (द्वितीय इकाई की पूर्णता की अनुसूचित तिथि), शेष संयंत्र; बॉइलर; टरबाइन एवं जनरेटर (बीटीजी) के निर्माण के पूर्णता का स्तर, पर्ट चार्ट में परिकल्पित 99.57 प्रतिशत पूर्णता के स्तर के विरुद्ध केवल 73.59 प्रतिशत था। आगे विश्लेषण से उजागर हुआ कि बीजीआर एनर्जी ने कोल हैण्डलिंग प्लांट से संबंधित 16 मैकेनिकल ड्रॉइंग्स तथा वैगन टिपलर से संबंधित चार सिविल इंजिनियरिंग्स ड्रॉइंग्स द्वितीय इकाई की पूर्णता की निर्दिष्ट तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये थे। सिविल कार्य के संबंध में, द्वितीय इकाई की पूर्णता की निर्दिष्ट तिथि तक 42 प्रतिशत सोलिंग³ एवं स्टोक पाइल एरिया का 60 प्रतिशत आरसीसी⁴ कार्य; क्रशर हाउस का 40 प्रतिशत आरसीसी कार्य; तथा कनवेयर फाउण्डेशन का 45 प्रतिशत कार्य लम्बित थे।

हमने देखा कि कम्पनी द्वारा देरी के कारणों का कोई विस्तृत विश्लेषण नहीं किया गया था। संचालक मण्डल (मण्डल) ने संचालक मण्डल की सभाओं में परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014)। तथापि, परियोजना को समयबद्ध पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए बीजीआर एनर्जी को कोई ठोस कार्यवाही या निर्देश जारी नहीं किये गये। यहां तक कि संचालक मण्डल ने मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य छः बार शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को इस तर्क के साथ स्थगित किया कि एलडी आरोपित नहीं किये जाने का यह आशय नहीं होगा कि ठेकेदार अपने कर्तव्यों तथा दायित्वों से मुक्त हो जायेगा।

हमने देखा कि कार्यादेश (अक्टूबर 2008) के वाक्यांश 5 में प्रावधान था कि ठेकेदार को अनुबंध के विश्वसनीय निष्पादन एवं समयबद्ध पूर्णता के लिए ईपीसी अनुबंध के कुल समेकित मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर बैंक गारन्टी के रूप में एक अनुबंध निष्पादन गारन्टी प्रस्तुत करना आवश्यक था। अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के वाक्यांश 22.1 तथा बीजीआर एनर्जी को जारी किये गये कार्यादेशों के वाक्यांशों में इकाइयों को सौंपने में देरी के लिए प्रति सप्ताह या उसके किसी भाग के लिए कुल अनुबंध मूल्य के 0.5 प्रतिशत की दर से एलडी लगाने का प्रावधान था। इकाइयों को सौंपने में देरी के लिए एलडी की अधिकतम राशि कुल अनुबंध मूल्य का 10 प्रतिशत थी।

31 जुलाई 2016 को कम्पनी के पास परियोजना की पूर्णता में देरी के लिए एलडी के पेटे ₹ 109.57 करोड़ तथा 10.7 मिलियन यूएस डॉलर का वित्तीय धारण था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी के पास बीजीआर एनर्जी द्वारा आपूर्ति किये गये उपकरणों के निष्पादन के पेटे बैंक गारन्टी⁵ के रूप में ₹ 329.67 करोड़ तथा 40.5 मिलियन यूएस डॉलर का वित्तीय धारण भी था।

कम्पनी ने बताया कि पर्ट चार्ट में दर्शायी गई विभिन्न गतिविधियां एक दूसरे से अंतर्संबंधित थीं तथा आगत उपलब्ध कराने में कोई भी देरी का भावी गतिविधियों पर पारीणामिक प्रभाव था। कम्पनी ने समय आधिक्य के लिए पर्यावरणीय एवं रेलवे साइडिंग की मंजूरी में देरी; ठेकेदार को भुगतान से संबंधित मामलों; 2011 एवं 2012 के दौरान बारिश के लम्बे दौर; इत्यादि को

3 भूमि का समतलीकरण।

4 रिइन्फोर्स्ड सिमेंट कंक्रीट।

5 बैंक गारन्टी अप्रैल 2017 तक वैध हैं।

उत्तरदायी बताया। कम्पनी ने यह भी बताया कि परियोजना की पूर्णता में देरी के लिए बीजीआर एनर्जी से वसूली जाने वाली एलडी को अन्तिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया जा चुका था।

जनरेटर ट्रांसफॉर्मर का संस्थापन

2.14 ईपीसी अनुबंध के तकनीकी विशिष्ट विवरणों⁶ के अनुसार बीजीआर एनर्जी को भारतीय मेक के ट्रांसफॉर्मर्स के दो सैट संस्थापित किया जाना था। अग्रणी उप विक्रेताओं में भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लिमिटेड, एल्सटोम, ट्रांसफॉर्मर्स एण्ड इलैक्ट्रीकल्स केरला लिमिटेड, एशिया ब्राउन बोवेरी तथा क्रोम्टन ग्रीव्ज लिमिटेड शामिल थे।

बीजीआर एनर्जी द्वारा सभी नियम, शर्तों एवं तकनीकी विशिष्ट विवरणों को निविदा के अन्तिमीकरण के दौरान स्वीकार किया गया था तथा यहां तक कि निविदा पूर्व की बैठकों के दौरान भी जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स के तकनीकी विशिष्ट विवरणों में बदलाव के लिए कोई विशेष निवेदन नहीं किया था। तथापि, बीजीआर एनर्जी ने बाद में, जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स के तकनीकी विशिष्ट विवरणों में बदलाव के लिए निवेदन किया (फरवरी 2009) तथा चीन निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स लगाने का प्रस्ताव दिया। फरवरी 2009 से अक्टूबर 2011 के दौरान कम्पनी एवं बीजीआर एनर्जी के मध्य इस मामले में कई बार पत्राचार हुआ लेकिन बीजीआर एनर्जी अग्रणी स्थानीय उप विक्रेताओं से भारत में निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति नहीं करने के पर्याप्त कारणों को प्रस्तुत नहीं कर सकी। अन्त में, बीजीआर एनर्जी भारत में निर्मित जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए सहमत हुई (जनवरी 2012) तथा क्रोम्टन ग्रीव्ज लिमिटेड को आपूर्ति आदेश दिया (फरवरी 2012)। जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स मार्च 2012 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त हुआ। उस समय तक, दोनों इकाइयों पर जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स को स्थापित करने की अनुसूचित तिथि (26 जनवरी 2011) पहले ही निकल चुकी थी।

इसके कारण प्रथम एवं द्वितीय इकाई को स्थापित करने में महत्वपूर्ण देरी हुई क्योंकि जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति के लिए क्रयादेश दोनों इकाइयों को स्थापित करने की अनुबंधात्मक तिथि (जनवरी 2012) निकल जाने के बाद दिया गया।

कम्पनी ने बताया कि जनरेटर ट्रांसफॉर्मर्स की आपूर्ति में देरी के कारण परियोजना की पूर्णता में किसी भी देरी को अनुबंध के समापन को अन्तिम रूप देते समय देरी के अन्य कारणों के साथ ध्यान में रखा जायेगा।

बीजीआर एनर्जी को अदेय लाभ

2.15 कम्पनी ने ईपीसी आधार पर केएटीपीपी की दो इकाइयों को स्थापित करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की (13 अगस्त 2007) तथा बीजीआर एनर्जी तथा भेल से निविदाएं प्राप्त हुईं। निविदादाताओं को निर्देश (आईटीबी) तथा अनुबंध की सामान्य शर्तों (जीसीसी) के विभिन्न वाक्यांशों में प्रावधान था कि:

- निविदादाता स्थिर आधार पर समस्त कार्यक्षेत्रों के लिए एकमुश्त मूल्य में अपने प्रस्ताव देंगे तथा नियत व्यवस्था के अतिरिक्त मूल्य उद्धृत करने पर निविदाओं के निरस्त होने का जोखिम होगा। मूल्य को भारतीय रुपये या यूएस डॉलर में उद्धृत किया जायेगा।

6 भाग सी-14 / वोल्यूम-II

यदि निविदादाता यूएस डॉलर में मूल्य उद्धृत करता है तब यूएस डॉलर को तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू विनिमय दर पर भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जायेगा। इस प्रकार भारतीय रुपये में परिवर्तित मूल्य को निविदा मूल्यांकन के उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किया जायेगा। साथ ही, तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू विनिमय दर पर भुगतान के लिए मुद्रा भारतीय रुपया (मूल्य निविदा में निविदादाता द्वारा इंगित मुद्रा को ध्यान में नहीं रखते हुए) होगी (आईटीबी का वाक्यांश 18)।

- अनुबंध मूल्य केवल भारत में लागू करें एवं शुल्कों में वैधानिक विचलन के अतिरिक्त स्थिर होगा (जीसीसी का वाक्यांश 16)।
- कम्पनी अनुबंध के अन्तर्गत भुगतानों के लिए सहबद्ध वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से भारतीय रुपये/ यूएस डॉलर में भुगतान करेगी। यदि आयातित घटकों के लिए यूएस डॉलर में भुगतान के लिए निवेदन किया गया तो तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर यूएस डॉलर के विक्रय मूल्य को ध्यान में रखते हुए भुगतान यूएस डॉलर में किया जायेगा तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतरों का दायित्व ठेकेदार के हिस्से होगा (जीसीसी का वाक्यांश 45.5.1)।
- कोई विनिमय दर का अंतर भुगतान योग्य नहीं होगा; मूल्य स्थिर होंगे; तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतर का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर यूएस डॉलर की विनिमय दर को अनुबंध समाप्त होने तक काम में लिया जायेगा तथा यूएस डॉलर की व्यवस्था करने के लिए सभी प्रभारों का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा (जीसीसी का वाक्यांश 47.2)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि बीजीआर एनर्जी ने निविदा पूर्व बैठक (अक्टूबर 2007) के दौरान आईटीबी के वाक्यांश 18 तथा जीसीसी के वाक्यांश 45.5.1 में विचलन के बारे में पूछताछ की। इसने इच्छा जताई कि भुगतान निविदा में उद्धृत की गई मुद्रा में किये जायेंगे तथा विदेशी भाग का भुगतान तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि को विद्यमान विनिमय दर के स्थान पर इसके भुगतान की तिथि को लागू दर पर किया जाना चाहिए।

कम्पनी ने मामले को स्पष्ट नहीं किया तथा इसे यह कहते हुए स्थगित कर दिया कि निविदादाताओं को देय समयावधि में स्पष्टीकरण जारी कर दिया जायेगा। तथापि, कम्पनी ने अनुबंध के विदेशी आपूर्ति वाले भाग के लिए विदेशी विनिमय में भुगतान के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा मांगे गये अन्य स्पष्टीकरण के संबंध में स्पष्ट किया कि भुगतान उन मुद्राओं (यूएस डॉलर तथा भारतीय रुपया) में किया जायेगा जिसमें ठेकेदार की निविदा में अनुबंध का मूल्य उद्धृत किया था।

यह देखा गया कि भेल ने अनुबंध के मूल्य को विशेष रूप से भारतीय रुपये में उद्धृत किया जबकि बीजीआर एनर्जी ने अपने निविदा मूल्य को दो भागों यथा 405 मिलियन यूएस डॉलर की आयातित आपूर्तियां एवं ₹ 3419.61 करोड़ की देशी आपूर्तियां एवं सिविल कार्य, में उद्धृत किया। कम्पनी ने तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि (10 जनवरी 2008) को विद्यमान विनिमय दर (₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर) को ध्यान में रखते हुए 405 मिलियन

यूएस डॉलर को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया। कम्पनी ने निविदा की शर्तों तथा उपकरणों/प्रस्तावित संयंत्र के गारन्टीड निष्पादन मापदण्डों के अनुसार निविदाओं का मूल्यांकन किया। भेल तथा बीजीआर एनर्जी के अनुबंध मूल्यों को क्रमशः ₹ 5083.35 करोड़ तथा ₹ 5027.51 करोड़ पर मूल्यांकित किया। जैसा कि बीजीआर एनर्जी न्यूनतम निविदादाता था, कम्पनी ने इसके साथ मोलभाव किया (जुलाई 2008) तथा ₹ 4900.06 करोड़ का एलओआई जारी किया (9 जुलाई 2008)। बाद में, 13 अक्टूबर 2008 को कार्यादेश जारी किया।

यह देखा गया कि कम्पनी ने यूएस डॉलर में उद्धृत की गई आपूर्तियों का भुगतान करने के लिए गणना की जाने वाली विनिमय दर की तिथि के संबंध में बीजीआर एनर्जी द्वारा मांगे गये विचलनों पर कभी कोई स्पष्टीकरण जारी नहीं किया। कम्पनी ने, तथापि, यूएस डॉलर का बंदोबस्त किया तथा इस तथ्य को ध्यान में रखे बिना कि विनिमय दर में अंतर भुगतान योग्य नहीं था, बीजीआर एनर्जी को भुगतान किये गये। अनुबंध दिये जाने के बाद यूएस डॉलर की विनिमय दर में काफी उतार चढ़ाव थे तथा कम्पनी ने मार्च 2010 से जून 2015 की अवधि के दौरान ₹ 44.32 से ₹ 66.88 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दरों पर भुगतान किये।

कम्पनी को अनुबंध के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना आवश्यक था तथा विनिमय दर के कारण किसी अंतर को ठेकेदार द्वारा वहन किया जाना था। कम्पनी ने, आईटीबी एवं जीसीसी की शर्तों को ध्यान में नहीं रखते हुए, बीजीआर एनर्जी को इसके द्वारा की गई आयातित आपूर्तियों पर ₹ 295.29 करोड़ अधिक चुकाये। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने यूएस डॉलर का बंदोबस्त करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर को किये गये ₹ 8.72 लाख के भुगतान को भी समायोजित नहीं किया।

विनिमय दर में अंतर के कारण किये गये अधिक भुगतान ने न्यूनतम निविदादाता के चयन की प्रक्रिया को भी अतुलनीय बना दिया क्योंकि ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की विनिमय दर को ध्यान में नहीं रखते हुए बीजीआर एनर्जी को किया गया भुगतान भेल द्वारा उद्धृत किये गये मूल्यों से बहुत अधिक था।

कम्पनी ने बताया कि लदान की तिथि पर लागू विदेशी विनिमय दर पर भारतीय रुपयों में भुगतान करने के लिए सरकारी संस्थाओं में अपनाई गई एक मानक परम्परा थी। साथ ही, कम्पनी ने विदेशी आपूर्तियों के भाग के लिए विदेशी मुद्रा में भुगतान के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया था (नवम्बर 2007) जिसमें बताया गया कि इस अनुबंध के अन्तर्गत मुद्रा अथवा मुद्राएं, जिनमें ठेकेदार को भुगतान किये जाने थे, सामान्य सिद्धान्तों के अधीन, निविदा में नियत किये जाने चाहिए कि भुगतान उन मुद्रा अथवा मुद्राओं (यूएस डॉलर तथा भारतीय रुपया) में किया जायेगा जिसमें ठेकेदार की निविदा में अनुबंध का मूल्य उद्धृत किया था। तथापि, भारत में लागू कर, शुल्क तथा प्रभारों का भुगतान स्थानीय मुद्रा अर्थात् भारतीय रुपये में किया जायेगा। इस स्पष्टीकरण ने विदेशी विनिमय दर को ध्यान में रखे बिना निविदा में उद्धृत मुद्रा/ मुद्राओं में भुगतान को अनुमत किया।

इस तथ्य के मद्देनजर उत्तर सहमतिकाकारक नहीं है कि जीसीसी के वाक्यांशों 45.5.1 तथा 47.2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान था कि भुगतान तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि पर लागू यूएस डॉलर की विनिमय दर में किये जायेंगे तथा विनिमय दर में किसी भी प्रकार के अंतर का दायित्व ठेकेदार को वहन करना होगा। नवम्बर 2007 में जारी स्पष्टीकरण में ये कहीं

उल्लिखित नहीं था कि विनिमय दर में अंतर को कम्पनी द्वारा वहन किया जायेगा। साथ ही, जीसीसी के वाक्यांश 16 तथा आईटीबी के वाक्यांश 18 के अनुसार अनुबंध का मूल्य स्थिर था।

कर/ उपकर के पेटे अधिक दायित्व

2.16 कम्पनी ने आयातित आपूर्तियों के लिए बीजीआर एनर्जी के बिलों से 2009-16 की अवधि के दौरान आयकर (दो प्रतिशत), निर्माण अनुबंध कर (तीन प्रतिशत) तथा श्रम उपकर (एक प्रतिशत) के पेटे 23.98 मिलियन यूएस डॉलर की वैधानिक कटौतियां की। बिलों से की गई कटौतियों की राशि को तकनीकी-वाणिज्यिक निविदा सोलने की तिथि की विनिमय दर (₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर) के स्थान पर विद्यमान विनिमय दर (₹ 44.32 से ₹ 66.88 प्रति यूएस डॉलर) पर यूएस डॉलर में परिवर्तित करने के बाद संबंधित कर प्राधिकारियों के पास जमा कराया गया। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को इन करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

कम्पनी ने बताया कि सभी आयातित भुगतान यूएस डॉलर में किये गये तथा इसी तरह करों की स्रोत पर कटौती भी यूएस डॉलर में की गई तथा विद्यमान विनिमय दर को ध्यान में रखते हुए भारतीय रुपयों के बराबर राशि को संबंधित कर प्राधिकारियों के पास जमा करा दिया। तथ्य यही रहा कि इसके परिणामतः विद्यमान दर पर यूएस डॉलर में भुगतान के कारण जमा कराई गई राशि से, जो कि आईटीबी के वाक्यांश 18 तथा जीसीसी के वाक्यांश 16, 45.5.1 एवं 47.2 का उल्लंघन था के कारण कम्पनी पर अतिरिक्त भार पड़ा।

बीजीआर एनर्जी को श्रम उपकर का पुनर्भुगतान

2.17 बीजीआर एनर्जी को दिये गये (13 अक्टूबर 2008) कार्यादेश के वाक्यांश 1 तथा 2 में प्रावधान था कि अनुबंध मूल्य, हर प्रकार से स्थिर था चाहे दर्शाए गए करों एवं शुल्कों का उल्लेख किया हो अथवा नहीं, 10 जनवरी 2008 को लागू सभी करों एवं शुल्कों सहित था। वाक्यांश 3 में प्रावधान था कि अनुबंधात्मक अवधि के दौरान यदि कर की दरें बढ़ी अथवा घटी अथवा कोई नया कर लगाया गया अथवा किसी विद्यमान कर को समाप्त किया गया, जैसी भी स्थिति हो तो करों एवं शुल्कों में अंतर की राशि को कंपनी द्वारा पुनर्भरित/समायोजित/ वसूल किया जायेगा। स्रोत पर कर की कटौती से संबंधित वाक्यांश 4 में प्रावधान था कि यदि किसी लागू विधान के अन्तर्गत ठेकेदार को किये गये किसी भुगतान से कम्पनी द्वारा स्रोत पर किसी कर की कटौती करनी आवश्यक थी, तो ऐसे कर का पुनर्भरण कम्पनी द्वारा नहीं किया जायेगा। तथापि, ठेकेदार को आवश्यक कर कटौती का प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही, अनुबंध की वैधता के दौरान यदि राज्य अथवा केन्द्र सरकार स्रोत पर कटौती किये जाने वाले किसी अन्य कर को प्रभाव में लाती है तब विद्यमान नियमानुसार इसकी स्रोत पर कटौती की जायेगी तथा कम्पनी द्वारा इसे पुनर्भरित नहीं किया जायेगा।

भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम', 1996 अधिसूचित किया (अक्टूबर 1996) जिसमें नियोक्ताओं द्वारा किये गये निर्माण की लागत पर एक प्रतिशत की दर पर उपकर लगाने का प्रावधान था। भारत सरकार ने 'भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम', 1998 (नियम) भी अधिसूचित किये (मार्च 1998) जिनमें प्रावधान था कि जहां उपकर एक सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (पीएसयू),

को भवन एवं अन्य निर्माण से संबंधित है, वहां सरकार अथवा पीएसयू ऐसे कार्यों के लिए चुकाये गये बिलों से अधिसूचित दरों पर देय उपकर की कटौती करेगी।

राजस्थान सरकार ने नियमानुसार बोर्ड गठित किया (अप्रैल 2009) एवं 'राजस्थान भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार (सेवा की शर्तें एवं नियोजन के विनियम) नियम' 2009 अधिसूचित किये (30 अप्रैल 2009)। राज्य सरकार ने सभी राज्य सरकार के विभागों एवं पीएसयूज को भवन एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए चुकाये गये बिलों से एक प्रतिशत की दर पर उपकर की कटौती करने के लिए निर्देशित किया (9 जुलाई 2010)। अधिसूचना में निर्देशित था कि उपकर राजस्थान राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं पर काटा जायेगा तथा 27 जुलाई 2009 उपकर लगाने एवं संग्रहण के लिए कट ऑफ तिथि⁷ मानी जायेगी।

कम्पनी ने श्रम उपकर के पेटे 2009-15 के दौरान बीजीआर एनर्जी के बिलों में से ₹ 48.21 करोड़ की कटौती की तथा उसे समय-समय पर राज्य सरकार के पास जमा कराया। बीजीआर एनर्जी ने कम्पनी को श्रम उपकर के लागू नहीं होने के संबंध में विभिन्न अभ्यावेदन दिये (2010 से 2012) तथा इन आधारों पर काटी गई राशि के पुनर्भरण का दावा किया कि कार्यादेश के वाक्यांश 1 एवं 2 के अनुसार अनुबंध मूल्य स्थिर था तथा तकनीकी-वाणिज्यिक निविदाएं राज्य सरकार द्वारा उपकर लगाने (27 जुलाई 2009) से पूर्व स्वीकृत की गयी थी (10 जनवरी 2008)।

कम्पनी ने इस विषय पर एक कर सलाहकार⁸ की राय ली (नवम्बर 2012)। सलाहकार ने सुझाया (नवम्बर 2012) कि कम्पनी अनुबंध प्रलेखों की विवेचना के लिए कानूनी राय ले सकती है। तथापि, कम्पनी ने इस मामले पर कानूनी राय नहीं ली तथा ठेकेदार को ₹ 48.21 करोड़ (मार्च 2016 तक) का पुनर्भुगतान किया (जनवरी 2013 से नवम्बर 2015)।

हमने देखा कि कानूनी राय लिये बिना अपने स्रोतों से श्रम उपकर की काटी गई राशि को पुनर्भुगतान करने का कम्पनी का निर्णय न्यायसंगत नहीं था क्योंकि राज्य सरकार की अधिसूचना (9 जुलाई 2010) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि उपकर की कटौती 27 जुलाई 2009 से राज्य में चल रही सभी परियोजनाओं पर की जायेगी। एक पीएसयू होने के नाते कम्पनी को उपरोक्त वर्णित अधिनियम तथा नियमों के अनुसार उपकर काटना आवश्यक था। कार्यादेश के वाक्यांश 4 (स्रोत पर कर की कटौती) में भी स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट था कि अनुबंध की वैधता के दौरान यदि राज्य अथवा केन्द्र सरकार स्रोत पर कटौती किये जाने वाला कोई अन्य कर प्रभाव में लाती है तब विद्यमान नियमानुसार इसकी स्रोत पर कटौती की जायेगी तथा कम्पनी द्वारा इसे पुनर्भरित नहीं किया जायेगा।

कम्पनी ने अपने उत्तर तथा निकास सभा के दौरान बताया कि इस मामले में राजस्थान के महाधिवक्ता की राय ली जा रही थी तथा महाधिवक्ता की राय के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

7 प्रयोज्य तिथि जिससे उपकर लगाया तथा संग्रहण किया जायेगा।

8 मैसर्स कालानी एण्ड कम्पनी।

सिविल कार्य

2.18 सलाहकार द्वारा तैयार की गई (अक्टूबर 2007) डीपीआर में भूमि की लागत के अतिरिक्त ₹ 627.70 करोड़ के सिविल कार्यों की परिकल्पना की गई थी। तथापि, सिविल कार्यों की वास्तविक लागत, अनुमानों से उल्लेखनीय रूप से अधिक रही। सिविल कार्यों के निष्पादन के लिये बीजीआर एनर्जी को दिये गये (13 अक्टूबर 2008) कार्यादेश में संयंत्र को स्थापित करने की ही लागत ₹ 1022.15 करोड़ थी। इसके अतिरिक्त, परियोजना के निष्पादन के दौरान जल संग्रहण प्रणाली एवं रेलवे साइडिंग के निर्माण में नियोजन की विफलता से सिविल कार्यों की लागत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ोतरी हुई। कम्पनी ने केएटीपीपी पर सिविल कार्यों के संबंध में निम्न मुख्य अनुबंध प्रदान किये।

कार्यादेश/ अनुबंध का विवरण	ठेकेदार का नाम	कार्यादेश जारी करने की तिथि	कार्यादेश की राशि (₹ करोड़ में)
सेवाएं प्रदान करना एवं सिविल कार्यों का निष्पादन	बीजीआर एनर्जी लिमिटेड	13 अक्टूबर 2008	1022.152
बांध का निर्माण	जल संसाधन विभाग	उपलब्ध नहीं	799.00
रेलवे साइडिंग का निर्माण	इरकॉन, नई दिल्ली	22 दिसम्बर 2009	लागत प्लस फेक्टर आधार पर। मार्च 2015 तक किया गया व्यय ₹ 163.83 करोड़
टाउनशिप का निर्माण	माण्डा डेवलपर एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर	17 मई 2008	82.89
नदी जल प्रणाली के लिए इंजिनियरिंग एवं आपूर्ति	आइवीआरसीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर्स एण्ड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	30 दिसम्बर 2010	77.85
जल के लिये अतिरिक्त जलाशय का निर्माण	माण्डा डेवलपर एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड, बीकानेर	22 नवम्बर 2012 एवं 24 अप्रैल 2015	67.68
बाउंड्री वाल का निर्माण	जीएमएम कन्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	26 मई 2009	5.18
फील्ड हॉस्टल का निर्माण	मुरारीलाल सिंघल	18 दिसम्बर 2009	2.64
डीजल हाइड्रोलिक शंटिंग लोकोमोटिव की आपूर्ति एवं स्थापना	एसएएन इंजिनियरिंग एण्ड कम्पनी	15 जून 2012	16.49
बीईएमएल मेक डॉजर की आपूर्ति एवं स्थापना	बीईएमएल	20 जून 2012	6.40

सिविल कार्यों की लागत में बढ़ोतरी के मुख्य कारणों की चर्चा नीचे की गई है।

बांध का निर्माण

2.19 डीपीआर में परिकल्पित था कि केएटीपीपी के लिए जल का स्रोत विद्युत संयंत्र से 12 किमी की हवाई दूरी पर स्थित कालीसिंध नदी होगी। जल नदी से संयंत्र परिसर में स्थित जलाशय में पम्प किया जाना प्रस्तावित था। जल संग्रहण प्रणाली की कुल लागत ₹ 50 करोड़ परिकल्पित की गयी थी। जल संरक्षण प्रणाली का निर्माण सितम्बर 2010 तक पूरा किया जाना था।

कम्पनी, ऊर्जा विभाग (जीओआर) तथा जल संसाधन विभाग (जीओआर) के बीच हुई सभाओं (24 फरवरी 2007 तथा 26 मई 2007) में केएटीपीपी की जल की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कालीसिंध मुख्य सिंचाई परियोजना (बांध) का निर्माण करने का निश्चय किया। प्रस्तावित बांध की लागत कम्पनी तथा जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) द्वारा क्रमशः 2:3 के अनुपात में बांटी जानी थी।

हमने देखा कि डब्ल्यूआरडी ने सभाओं में किये गये निर्णयानुसार बांध के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया तथा सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की गई। कम्पनी ने, किसी समझौते के निष्पादन किये बिना ही, 2007-16 के दौरान बांध के निर्माण के लिए डब्ल्यूआरडी को ₹ 696.37 करोड़ जारी किये। डब्ल्यूआरडी ने बांध के निर्माण के लिए ₹ 586.13 करोड़ व्यय किये, आनुपातिक प्रभारों (स्थिर उपरिव्यय) के पेटे ₹ 100.18 करोड़ समायोजित किये तथा शेष ₹ 10.06 करोड़ के कोष इसके पास बिना स्वर्च किये बचे हुए थे।

हमने देखा कि डब्ल्यूआरडी द्वारा कालीसिंध नदी पर एक बांध का निर्माण कम्पनी द्वारा केएटीपीपी को स्थापित करने के निर्णय से पूर्व ही नियोजित था। केवल कम्पनी ही बांध की एक मात्र हिताधिकारी नहीं थी क्योंकि डब्ल्यूआरडी ने नजदीकी गांवों को जलापूर्ति की तथा उसे प्रभारित किया। इसके अतिरिक्त, डब्ल्यूआरडी ने बांध से केएटीपीपी को जलापूर्ति करने के लिए कम्पनी पर बिल (मार्च 2016 तक ₹ 1.44 करोड़) भी जारी किये।

कम्पनी ने डब्ल्यूआरडी द्वारा आनुपातिक प्रभारों सहित बांटे जाने वाली बांध की लागत को वसूलने का कोई प्रयास नहीं किया। इस प्रकार, बांध के निर्माण ने परियोजना की लागत को ₹ 696.37 करोड़ से बढ़ा दिया। इसने विद्युत उत्पादन की लागत के साथ साथ आरईआरसी द्वारा उच्च टैरिफ के अनुमोदन को भी प्रभावित किया क्योंकि बांध की लागत परियोजना की पूंजीगत लागत का भाग थी।

कम्पनी ने बताया कि प्रमुख शासन सचिव, डब्ल्यूआरडी के संप्रेषणानुसार (29 अप्रैल 2008) बांध की कुल लागत इसके द्वारा वहन की जानी थी। संचालक मण्डल ने भी अनुमोदित किया (26 मार्च 2010) कि कालीसिंध नदी पर एनीकट की उंचाई बढ़ाने के निर्माण की लागत के साथ सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि संप्रेषण (29 अप्रैल 2008) डब्ल्यूआरडी (जीओआर) तथा एमओईएफ (जीओआई) के मध्य हुआ था तथा पत्र की एक प्रति कम्पनी को प्रेषित की गई थी। राज्य सरकार ने कम्पनी/ डब्ल्यूआरडी को कोई निर्देश जारी नहीं किया कि बांध की सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी। डब्ल्यूआरडी ने कम्पनी से चर्चा किये बिना एमओईएफ को सूचित किया कि सम्पूर्ण लागत कम्पनी द्वारा वहन की जायेगी तथा उसे कम्पनी के संचालक मण्डल ने स्वीकार कर लिया। यह फरवरी/ मई 2007 में आयोजित सभाओं में लिये गये निर्णय के विरुद्ध भी था।

निकास सभा में, कम्पनी के प्रबंध निदेशक ने आश्वासन दिया कि लागत को बांटने का मामला राज्य सरकार के पास ले जाया जायेगा।

फील्ड पर्यवेक्षण प्रभारों पर परिहार्य व्यय

2.20 कम्पनी ने रेलवे साइडिंग⁹ के डिजाइन, इंजिनियरिंग, विनिर्माण, निर्माण, संस्थापन एवं स्थापना का कार्य लागत सहित फेक्टर (आठ प्रतिशत) आधार पर इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, नई दिल्ली (इरकॉन) को प्रदान किया (22 दिसम्बर 2009)। कार्यादेश की शर्तों के अनुसार फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों¹⁰ के पेटे इरकॉन को किये जाने वाले वास्तविक भुगतान को 22 माह की पूर्णता अवधि के दौरान आठ प्रतिशत ठेकेदार की फीस के साथ ₹ 1.50 करोड़ तक सीमित किया गया था। 22 माह की अवधि की गणना इरकॉन द्वारा अधिकार पत्र (एलओए) की स्वीकृति (8 अक्टूबर 2009) की तिथि से की जानी थी। इस प्रकार, कार्यादेश में दर्शाये गये फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभार सम्पूर्ण कार्य की पूर्णता तिथि अर्थात् 8 अगस्त 2011 तक लागू थे। यदि कम्पनी के कारण 22 माह के पश्चात देरी होती तो फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभार पारस्परिक रूप से विचार विमर्श कर निश्चित किये जाने थे।

हमने देखा कि इरकॉन निर्दिष्ट समयअवधि में कार्य को पूर्ण नहीं कर सका तथा कम्पनी ने फरवरी 2012 से अक्टूबर 2015 के दौरान सात¹¹ बार कुल 50 माह की अवधि के लिए अनुबंध की अवधि को बढ़ाया। इरकॉन ने पर्यावरणीय मंजूरी की अनुपलब्धता, निर्बाध भूमि की अनुपलब्धता, भारी वर्षा, बीजीआर एनर्जी द्वारा कार्य करने के लिए खाली जगह उपलब्ध नहीं कराने इत्यादि को देरी का कारण बताया। तथापि, कम्पनी ने इस प्रकार बतायी गई देरी को कभी विश्लेषित नहीं किया। साथ ही, 22 माह की निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के भुगतान की शर्तों के बारे में भी कभी इरकॉन के साथ विचार विमर्श नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप कम्पनी ने मार्च 2015 तक इरकॉन द्वारा प्रस्तुत किये गये मासिक व्यय विवरण के आधार पर ₹ 1.62 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों के अतिरिक्त फील्ड पर्यवेक्षण/ संस्थापन प्रभारों के पेटे ₹ 6.26 करोड़¹² चुकाये।

कम्पनी ने बताया कि इरकॉन ने 18 अगस्त 2011 को डीपीआर के अन्तिम अनुमोदन के बाद कार्यादेश के भाग-दो के कार्यों (निर्माण, संस्थापन, स्थापना तथा हैंडिंग ओवर) को शुरू किया था। उत्तर अनुबंध की शर्तों के अनुसार पर्यवेक्षण प्रभारों को निश्चित नहीं करने के मामले को संबोधित नहीं करता।

ईंधन की आपूर्ति—डेमरेज प्रभार

2.21 कोयला मंत्रालय (जीओआई) ने केएटीपीपी की ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम्पनी को परसा ईस्ट एण्ड कांटे बसान (छत्तीसगढ़ राज्य) कोयला ब्लॉक

- | | |
|----|--|
| 9 | कार्य के क्षेत्र में रेलवे परिसर तथा विद्युत संयंत्र की बाउण्डरी एवं केएटीपीपी के परिसर को भी सम्मिलित किया गया। |
| 10 | फील्ड पर्यवेक्षण प्रभारों में वेतन, विशेष वेतन, भत्ते प्रोत्साहन भत्ते एवं अन्य परिलाभ, भविष्य निधि में अंशदान, अवकाश यात्रा सुविधा, बोनस, चिकित्सा खर्च, बीमा तथा क्षतिपूर्ति को सम्मिलित किया गया। |
| 11 | 17 फरवरी 2012, 26 जुलाई 2012, 19 मार्च 2013, 06 जून 2013, 17 अक्टूबर 2013, 22 अक्टूबर 2014 एवं 05 अक्टूबर 2015। |
| 12 | ₹ 1.50 करोड़ के प्रतिबद्ध प्रभारों पर 8 प्रतिशत के सेवा प्रभारों सहित। |

आवंटित किया (19/25 जून 2007)। कम्पनी ने 30 वर्षों की अवधि के लिए कोयले का स्ननन एवं इसकी केएटीपीपी पर आपूर्ति के लिए परसा एण्ड कांटे कोलरिज लिमिटेड (पीकेसीएल)¹³ के साथ कोयले के स्ननन एवं आपूर्ति का अनुबंध किया (जुलाई 2008)।

रेलवे रेक्स की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए अनुमत्य समय से अधिक समय तक रुकने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा डेमरेज प्रभार लगाये जाते हैं। रेलवे मंत्रालय ने कोयला रेक्स की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए पांच घण्टे का मुक्त समय अनुमत्य किया (7 मार्च 2013)। मुक्त अनुमत्य समय के अतिरिक्त रेलवे वैगनों के ठहराव के लिए प्रति आठ टायर वाले वैगन के लिए प्रति घण्टे या उसके किसी भाग पर ₹ 150 की दर से डेमरेज प्रभारों को लगाया गया (22 मार्च 2013)। वर्ष 2013-16 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त कोयला रेक्स की संख्या, डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स तथा रेलवे द्वारा लगाये गये डेमरेज प्रभार निम्न थे:

वर्ष	प्राप्त कोयला रेक्स की संख्या	डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स की संख्या	डेमरेज प्रभार लगने वाले रेक्स की प्रतिशतता	रेलवे द्वारा लगाये गये डेमरेज प्रभार (₹ लाख में)
2013-14	05	05	100.00	11.63
2014-15	290	251	86.55	287.03
2015-16	886	602	67.95	133.35
कुल	1181	858	72.65	432.01

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान केएटीपीपी पर प्राप्त की गई 1181 रेक्स में से 858 रेक्स (72.65 प्रतिशत) को पांच घण्टे की अनुमत्य समय सीमा से अधिक समय में खाली किया गया तथा इस प्रकार, ₹ 4.32 करोड़ के डेमरेज प्रभार लगे। पांच घण्टे की अनुमत्य समय सीमा के अतिरिक्त रेलवे वैगन को 54 घण्टे तक की अतिरिक्त अवधि के लिए रोका गया। कम्पनी ने डेमरेज प्रभारों को माफ करने के लिए रेलवे अधिकारियों को विभिन्न कारण यथा इलैक्ट्रीकल एवं मैकेनिकल समस्याएं, कोयला रेक्स का एकत्रित होना, क्रशर एवं कन्वेयर बैल्ट में रूकावट इत्यादि बताते हुए अभ्यावेदन दिया। तथापि, रेलवे ने डेमरेज प्रभारों की मामूली राशि ₹ 8.04 लाख माफ की।

कम्पनी ने, इस प्रकार, 2013-16 के दौरान डेमरेज प्रभारों के पेटे ₹ 4.24 करोड़ का निष्फल व्यय किया।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि रेक्स के एकत्रित होने एवं रेलवे ट्रैक का विद्युतिकरण नहीं होने जैसे विभिन्न कारणों की वजह से प्रारम्भिक स्थापना अवधि के दौरान डेमरेज प्रभार चुकाये जाने आवश्यक थे। इसने आगे बताया कि अब ट्रैक का विद्युतिकरण किया जा चुका था तथा कोयला रेक्स की अनलोडिंग की प्रणाली में सुधार करते हुए रेक्स के एकत्र होने को कम किया जा चुका था।

13 पीकेसीएल, अडानी एन्टरप्राइजेज लिमिटेड तथा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के बीच दिनांक 3 अगस्त 2007 को संयुक्त साहस समझौते की शर्तों के तहत एक संयुक्त साहस कम्पनी है।

केएटीपीपी की परिचालनात्मक दक्षता

कम्पनी ने प्रथम (19 जून 2014) एवं द्वितीय इकाई (6 नवम्बर 2015) के लिए आरईआरसी के पास वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) टैरिफ याचिका दायर की। आरईआरसी ने प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ एवं एआरआर क्रमशः 14 मई 2015 एवं 21 जनवरी 2016 को अनुमोदित की। प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ क्रमशः ₹ 4.216 प्रति केडब्ल्यूएच एवं ₹ 3.683 प्रति केडब्ल्यूएच निश्चित की। आरईआरसी ने प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में कोयले की जीसीवी के लिए मानदण्ड; प्लाण्ट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; ईंधन तेल (एचएफओ एवं एलडीओ) उपभोग, एवं सहायक उपभोग को भी अनुमोदित किया। द्वितीय इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में ये मानदण्ड शामिल नहीं थे क्योंकि दोनों इकाइयां प्रकृति में एक समान थी एवं इसलिए प्रथम इकाई के लिए अनुमोदित मानदण्ड द्वितीय इकाई के लिए भी लागू थे। इसलिए, द्वितीय इकाई के संबंध में निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई गणना, प्रथम इकाई के लिए आरईआरसी द्वारा नियत मानदण्डों पर आधारित है।

प्लाण्ट लोड फेक्टर (पीएलएफ)

2.22 पीएलएफ एक विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित की जा सकने वाली अधिकतम संभव निर्गत की तुलना में इसकी वास्तविक निर्गत का मापक है।

केएटीपीपी की प्रथम एवं द्वितीय इकाई प्रत्येक की स्थापित क्षमता 600 एमडब्ल्यू है। डीपीआर में 10512 एमयूज का वार्षिक सकल विद्युत उत्पादन तथा 80 प्रतिशत के औसत¹⁴ प्लाण्ट लोड फेक्टर (पीएलएफ) पर 8409.60 एमयूज का शुद्ध विद्युत प्रेषण परिकल्पित था। प्रथम एवं द्वितीय इकाई क्रमशः 7 मई 2014 एवं 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गई। 80 प्रतिशत पीएलएफ पर अनुमानित विद्युत उत्पादन की तुलना में 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा विद्युत का वास्तविक उत्पादन निम्न प्रकार था:

एमयूज में विद्युत उत्पादन	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15 (7 मई 2014 से 31 मार्च 2015)	2015-16	2015-16 (25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016)
80 प्रतिशत पीएलएफ पर अनुमानित विद्युत उत्पादन	3790.08	4204.80	2883.62
वास्तविक उत्पादन	1147.39	3570.70	2350.50
कमी	2642.69	634.10	533.12

इसके अतिरिक्त, प्रथम इकाई के लिए आरईआरसी ने अनन्तिम टैरिफ में 83 प्रतिशत पर पीएलएफ मानदण्ड निर्धारण किया। अपने परिचालन की अवधि के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त पीएलएफ निम्न प्रकार था:

14 वर्ष 2014-15 के दौरान एनटीपीसी का औसत पीएलएफ 80.23 प्रतिशत था।

पीएलएफ (प्रतिशतता में)	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15	2015-16	2015-16
आरईआरसी द्वारा निश्चित पीएलएफ	83.00	83.00	83.00
प्राप्त किया गया पीएलएफ	24.22	67.75	65.03

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त पीएलएफ आरईआरसी द्वारा निश्चित किये गये मानदण्डों से बहुत कम था। मासिक प्रतिवेदनों से इंगित हुआ कि प्रथम इकाई ने केवल तीन माहों अर्थात् अक्टूबर 2015, दिसम्बर 2015 एवं जनवरी 2016 में पीएलएफ के मानदण्डों को प्राप्त किया जिनमें पीएलएफ क्रमशः 86.76, 89.31 एवं 84.95 प्रतिशत था। द्वितीय इकाई ने केवल दो माहों अर्थात् जनवरी 2016 एवं मार्च 2016 में पीएलएफ मानदण्डों को प्राप्त किया जिनमें पीएलएफ क्रमशः 84.40 एवं 83.10 प्रतिशत था।

निम्न पीएलएफ के लिए मुख्य कारण स्थापना के बाद इकाइयों का अस्थिरीकरण; जबरन उत्पादन ठप होने; एसएलडीसी के निर्देशों के कारण संयंत्र का बैंक डाउन होना; इत्यादि थे। आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से कम पीएलएफ के कारण 2014-16 के दौरान ₹ 1744.06 करोड़¹⁵ मूल्य की 4217.86 एमयूज के उत्पादन में अनुमानित कमी होने की गणना की गई।

कम्पनी ने बताया कि प्रथम इकाई की स्थापना के समय पर घटित प्रारम्भिक समस्याओं के कारण पीएलएफ कम था। इसने यह भी बताया कि 2015-16 के दौरान संयंत्र का शुद्ध पीएलएफ राष्ट्रीय औसत (62.29 प्रतिशत) से अधिक था। तथ्य यही रहा कि दोनों इकाइयां आरईआरसी द्वारा निश्चित किये गये पीएलएफ को प्राप्त नहीं कर सकी।

संयंत्र की उपलब्धता तथा आउटपुट

2.23 संयंत्र की उपलब्धता से आशय एक निश्चित अवधि के दौरान एक संयंत्र के परिचालन के वास्तविक घण्टों से परिचालन के लिए उपलब्ध अधिकतम घण्टों के अनुपात से है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), जीओआई द्वारा निर्धारित सामान्य वार्षिक संयंत्र उपलब्धता फैक्टर 2014-19 के दौरान सभी तापीय स्टेशनों के लिए 85 प्रतिशत है। प्रथम इकाई की संयंत्र उपलब्धता 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 43.88 प्रतिशत एवं 82.30 प्रतिशत थी। द्वितीय इकाई की संयंत्र उपलब्धता 2015-16 के दौरान 77.92 प्रतिशत थी। कुल उपलब्ध परिचालन घण्टे; वास्तविक परिचालन घण्टे; नियोजित आउटपुट; फोर्स आउटपुट; एवं कुल मिलाकर 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान प्रथम एवं द्वितीय इकाई के संबंध में संयंत्र उपलब्धता निम्न प्रकार थी:

विवरण	प्रथम इकाई		द्वितीय इकाई
	2014-15	2015-16	2015-16
कुल उपलब्ध परिचालन घण्टे (अ)	7896.00	8784.00	6024.00
वास्तविक परिचालन घण्टे (ब)	3464.55	7229.45	4694.12
नियोजित आउटपुट (घण्टों में) (स)	0.00	613.25	412.93
फोर्स आउटपुट (घण्टों में) [(द=अ-(ब+स)]	4431.45	941.30	916.95
कुल घण्टों से फोर्स आउटपुट की प्रतिशतता [द/अ]	56.12	10.72	15.22
संयंत्र उपलब्धता (प्रतिशत) [ब/अ × 100]	43.88	82.30	77.92

15 प्रथम एवं द्वितीय इकाई के लिए आरईआरसी द्वारा अनुमोदित की गई अनन्तिम टैरिफ क्रमशः ₹ 4.216 एवं ₹ 3.683 की दर पर मूल्यांकित।

यह देखा जा सकता है कि प्रथम इकाई 2014-15 के दौरान फोर्सड आउटेज के कारण कुल उपलब्ध 7896 परिचालनात्क घण्टों में से 4431.45 घण्टे (56.12 प्रतिशत) अचालित रही। इससे इंगित हुआ कि प्रथम इकाई को स्थापित करने के बाद इस अवधि के दौरान स्थिर नहीं किया जा सका। फोर्सड आउटेज के लिए बॉइलर ट्यूब लिकेज; जनरेटर एवं टरबाइन की ट्रिपिंग; बॉइलर ड्रम लेवल का उच्च/ निम्न स्तर इत्यादि मुख्य कारण थे जिनको संयंत्र के बेहतर परिचालन एवं रखरखाव से टाला जा सकता था।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि नई चाइनीज तकनीक को अपनाने से संबंधित विभिन्न तकनीकी समस्याओं/ बाधाओं के कारण दोनों इकाइयों की आउटेज उच्च रही। इसने आगे बताया कि इकाइयों के तीव्र एवं पूर्ण स्थिरीकरण के लिए तकनीक से परिचित होने में इतनी तत्परता नहीं थी।

स्टेशन हीट रेट

2.24 तापीय ऊर्जा केन्द्र की दक्षता निर्धारण करने के लिए स्टेशन हीट रेट (एसएचआर) एक महत्वपूर्ण सूचक है। एक ऊर्जा संयंत्र की हीट रेट, रासायनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जो कि विद्युत ऊर्जा की एक इकाई का उत्पादन करने के लिये आवश्यक होती है अर्थात् एक किलोवाट-घंटा (केडब्ल्यूएच) विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने के लिये किलो कैलोरी (केसीएएल) में आवश्यक तापीय ऊर्जा। प्रत्येक स्टेशन का यह प्रयास होना चाहिए कि जहां तक संभव हो इकाई का संचालन उसकी डिजाइन हीट रेट के निकटतम स्तर पर किया जाये। स्टेशन हीट रेट में सुधार, तापीय ऊर्जा केन्द्रों से होने वाले प्रदूषण को घटाने में भी सहायता प्रदान करता है।

प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ निर्धारण करते समय आरईआरसी ने 2320.632 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर एसएचआर निर्धारित की। प्रथम इकाई द्वारा प्राप्त की गई औसत एसएचआर 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 2742.19 तथा 2598.87 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर रही। द्वितीय इकाई द्वारा प्राप्त की गई औसत एसएचआर 2015-16 के दौरान 2606.16 किलो कैलोरी प्रति किलोवाट ऑवर रही।

एसएचआर के अधिक प्रकरणों को तकनीकी समस्याओं यथा बॉइलर ट्यूब लिकेज, इकाई का ठप होना, रखरखाव इत्यादि एवं एसएलडीसी द्वारा लोड कम करने के निर्देशों के कारण होना बताया जिसके परिणामतः एसएचआर आरईआरसी मानदण्डों से उच्च रही। उच्च एसएचआर के परिणामतः ₹ 177.34 करोड़ (अनुबंध-3) मूल्य के 4.34 लाख एमटी कोयले का अधिक उपभोग हुआ।

कम्पनी ने इकाइयों के अस्थिरीकरण; बारम्बार ट्रिपिंग; एसएलडीसी के निर्देशों के कारण इकाइयों के बैक डाउन के कारण कम लोड पर इकाइयों के परिचालन की वजह से उच्च एसएचआर होने के कारण बताया। तथ्य यही रहा कि कम्पनी आरईआरसी द्वारा निर्धारित किये गये मानदण्डों में एसएचआर को बनाए नहीं रख सकी।

ऑइल का अधिक उपभोग

2.25 हाई फरनेस ऑइल (एचएफओ) एवं लाइट डीजल ऑयल (एलडीओ) तापीय ऊर्जा संयंत्रों में शुरूआती अथवा इग्निशन ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। आरईआरसी ने

प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में एचएफओ एवं एलडीओ के उपभोग के लिए 0.50 मिलिलीटर प्रति किलोवाट-घंटा (एमएल/ केडब्ल्यूएच) अर्थात् एचएफओ के लिए 0.45 एमएल/ केडब्ल्यूएच एवं एलडीओ के लिए 0.05 एमएल/ केडब्ल्यूएच मानदण्ड निर्धारित किये (मई 2015)। निर्धारित मानदण्डों के विरुद्ध केएटीपीपी पर औसत ऑइल उपभोग 2014-15 के दौरान 11.156 एमएल/ केडब्ल्यूएच (प्रथम इकाई); एवं 2015-16 के दौरान 2.474 एमएल/ केडब्ल्यूएच (प्रथम इकाई) तथा 1.967 एमएल/ केडब्ल्यूएच (द्वितीय इकाई) था।

कम्पनी ने, इस प्रकार, आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों की तुलना में 22723 किलोलीटर की सीमा तक एचएफओ एवं एलडीओ का अधिक उपभोग किया जिसके परिणामतः 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान ईंधन लागत पर ₹ 99.25 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (अनुबंध-4)।

कम्पनी ने तेल के अधिक उपभोग के तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि राज्य में इस क्षमता एवं तकनीक की ये पहली इकाइयां थी तथा यह अपेक्षा की गई थी कि प्रथम इकाई की स्थापना के समय पर प्रारम्भिक समस्याएं होंगी। इसने आगे बताया कि इकाइयां एसएलडीसी के निर्देशानुसार बैक डाउन की गई तथा ऑइल का सहारा लेना पड़ा जिसने भी ऑयल उपभोग को बढ़ाने में योगदान दिया।

सहायक उपभोग

2.26 एक विद्युत संयंत्र में सहायक उपभोग को संयंत्र के सही संचालन के लिए शेष संयंत्र के उपकरणों द्वारा उपभोग की गई विद्युत के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। केएटीपीपी की डीपीआर में सहायक उपभोग छः प्रतिशत पर परिकल्पित किया गया था जबकि प्रथम इकाई के लिए अनन्तिम टैरिफ में आरईआरसी ने 5.25 प्रतिशत सहायक उपभोग को अनुमत किया। प्रथम एवं द्वितीय इकाई का सहायक उपभोग उनके परिचालन की अवधि के दौरान आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक निम्नानुसार था:

इकाई एवं परिचालन अवधि	सकल उत्पादन (एमयूज)	सहायक उपभोग (एमयूज)			आधिक्य
		आरईआरसी के मानदण्ड	वास्तविक	वास्तविक (प्रतिशतता में)	
प्रथम इकाई					
7 मई 2014 से 31 मार्च 2015	1147.39	60.24	89.76	7.82	29.52
अप्रैल 2015 से मार्च 2016	3570.70	187.46	244.90	6.86	57.44
द्वितीय इकाई					
25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016	2350.50	123.40	164.14	6.98	40.74

दोनों इकाइयों का वास्तविक सहायक उपभोग 2014-16 के दौरान 6.86 प्रतिशत से 7.82 प्रतिशत के मध्य रहा। सहायक उपभोग आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्डों से अधिक था जिसके परिणामस्वरूप 127.70 एमयूज की हानि हुई जिसे ग्रिड में प्रेषित किया जा सकता था एवं ₹ 51.67 करोड़ की आय सृजित की जा सकती थी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सहायक उपभोग के मानदण्डों को बढ़ाने के लिए आरईआरसी के सम्मुख याचिका दायर करने के लिए एक प्रतिवेदन बनाया एवं प्रस्तुत किया जा चुका है।

पर्यावरणीय मामले

2.27 कोयला आधारित विद्युत संयंत्र स्थानीय पर्यावरण को बहुत प्रभावित करते हैं। निर्माण एवं चालू परिचालनों के परिणामस्वरूप प्रत्यक्ष प्रभावों में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है:

- वायु प्रदूषण - कण, सल्फर डाइ ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाईऑक्साइड एवं अन्य स्वतरनाक रसायन एवं जहरीली धातुएं जैसे पारा, सीसा इत्यादि।
- जल प्रदूषण - बहिःस्राव उत्सर्जन से स्थानीय जल प्रवाह, नदियों एवं भू जल में तथा भण्डारित फ्लाइ ऐश से स्वतरनाक पदार्थों का रिसाव।
- भूमि निम्नीकरण - फ्लाइ ऐश के भण्डारण के लिए प्रयुक्त भूमि के परिवर्तनों के कारण घटित।
- ध्वनि प्रदूषण –संयंत्र परिचालन के दौरान घटित एवं वृत्तिक के साथ साथ जन स्वास्थ्य संकट।

एमओईएफ, जीओआई ने उत्पादन परिचालन प्रारम्भ करने के लिए केएटीपीपी को पांच वर्ष की अवधि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी (ईसी) प्रदान की (फरवरी 2009)। ईसी की शर्त संख्या 3 (XXVII) के अनुसार, निर्दिष्ट पर्यावरणीय सुरक्षा के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी को केएटीपीपी पर योग्य कर्मचारियों के साथ एक अलग पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करना आवश्यक था। तथापि, कम्पनी ने केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया (जुलाई 2016)। कम्पनी ने बताया कि मुख्य अभियंता, केएटीपीपी के नियंत्रणान्तर्गत पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ को स्थापित किया जा रहा था।

स्टेक एमिशन मापदण्ड

2.28 एमओईएफ, भारत सरकार ने 'पर्यावरण (सुरक्षा) नियम' 1986 को संशोधित किया (दिसम्बर 2015) तथा 1 जनवरी 2003 एवं 31 दिसम्बर 2016 के मध्य स्थापित तापीय ऊर्जा संयंत्रों के लिए स्टेक एमिशन मापदण्ड निर्धारित किये। तापीय ऊर्जा संयंत्रों को अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि (8 दिसम्बर 2015) से दो वर्ष में मापदण्डों को प्राप्त किया जाना आवश्यक था।

केएटीपीपी की प्रथम इकाई 7 मई 2014 को स्थापित की गई लेकिन कम्पनी ने स्टेक एमिशन मापदण्डों की निगरानी 1 नवम्बर 2015 से शुरू की। कम्पनी ने देखा कि बीजीआर एनर्जी द्वारा स्थापित किये गये उपकरणों ने स्टेक एमिशन के मापदण्डों को असामान्य रूप से उच्च स्तर पर अभिलेखित किया। साथ ही, उपकरणों ने नकारात्मक परिणाम भी अभिलेखित किये तथा कभी कभी यह खराब भी रहे। कम्पनी ने, इसलिए, एसएमएस एन्वोकेयर लिमिटेड से एक तृतीय पक्ष निरीक्षण करवाया (21 मार्च 2016)। तृतीय पक्ष निरीक्षण द्वारा मापे गये स्टेक एमिशन मापदण्ड एमओईएफ द्वारा निर्धारित मापदण्डों के समक्ष निम्नानुसार थे:

मापदण्ड	एमओईएफ द्वारा निर्धारित मापदण्ड (मिलिग्राम प्रति सामान्य घन मीटर प्रति घंटा)	तृतीय पक्ष द्वारा मापे गये परिणाम	
		प्रथम इकाई	द्वितीय इकाई
पारा (एचजी)	0.03 एमजी/एनएम ³	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं
पारटीकूलेट मैटर	50 एमजी / एनएम ³	47.46	74.32
सल्फर डाइ ऑक्साइड	200 एमजी/ एनएम ³	1540.97	1787.33
नाइट्रोजन के ऑक्साइड	300 एमजी / एनएम ³	415.36	481.77

तृतीय पक्ष निरीक्षण के परिणामों ने दर्शाया कि केएटीपीपी ने एमओईएफ द्वारा निर्धारित स्टेक एमिशन मापदण्डों को नहीं बनाए रखा।

हमने देखा कि कम्पनी को सल्फर डाइ ऑक्साइड के अधिक उत्सर्जन होने को नियंत्रित करने के लिए फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन संयंत्र स्थापित करना तथा फायरिंग प्रणाली में सुधार करना अथवा नाइट्रोजन के ऑक्साइडस को अधिक छोड़ने को समाप्त करने के लिए डीनाइट्रोजन ऑक्साइड प्रणाली लगाना आवश्यक था। निविदा पूर्व सभा के दौरान निविदादाताओं ने विशेष रूप से कम्पनी से इस बारे में पुछताछ की थी (अक्टूबर 2007) फिर भी कम्पनी ने फ्लू गैस डीसल्फराइजेन प्लांट स्थापित करने की योजना नहीं बनाई। तथापि, कम्पनी, पर्यावरणीय मानदण्डों की प्राप्ति के लिए अपने कोर्पोरेट कार्यालय में एक कार्य योजना प्रस्तुत कर चुकी थी (अप्रैल 2016)।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी के सभी संयंत्रों द्वारा स्टेक एमिशन मापदण्डों को प्राप्त करने के लिए कोर्पोरेट कार्यालय द्वारा संभावनाएं तलाशी जा रही थी।

वायु एवं ध्वनि प्रदूषण

2.29 एमओईएफ ने पर्यावरण (सुरक्षा) नियम, 1986 को संशोधित किया (16 नवम्बर 2009) तथा वायु के लिए मुख्य प्रदूषकों के लिए निश्चित मानदण्ड निर्धारित किये। कम्पनी ने प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से लगभग दो साल बीत जाने के बाद भी एमओईएफ द्वारा निर्धारित प्रदूषकों को मापने के लिए केएटीपीपी पर उपकरण स्थापित नहीं किये।

कम्पनी ने बताया कि तीन ऑफलाइन एवं एक ऑनलाइन परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी स्टेशन स्थापित किये जा चुके थे तथा वायु गुणवत्ता मानकों की निगरानी के लिए तृतीय पक्ष एजेन्सी को लगाया गया था।

एक तापीय विद्युत केन्द्र पर ध्वनि प्रदूषण के स्रोत स्टीम टरबाइन जनरेटर; अन्य घूर्णन उपकरण; दहन प्रेरित ध्वनि; प्रवाह प्रेरित ध्वनि तथा स्टीम सेफ्टी वाल्व हैं। एमओईएफ ने ध्वनि प्रदूषण (नियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 संशोधित किये (9 मार्च 2009) जिनमें प्रावधान था कि एक सार्वजनिक स्थल जहां ध्वनि का कोई स्रोत प्रयुक्त किया जा रहा हो, की चारदीवारी पर ध्वनि का स्तर उस क्षेत्र के लिए निर्धारित व्यापक ध्वनि मानदण्डों से 10 डेसिबल (डीबी) से अधिक अथवा 75 डीबी जो दोनों में कम हो, से अधिक नहीं होना चाहिए।

तथापि, कम्पनी ने केएटीपीपी पर ध्वनि के स्तर को मापने के लिए उपकरण स्थापित नहीं किये (मार्च 2016) इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि ध्वनि स्तर निर्धारित मानदण्डों की सीमा में थे।

कम्पनी ने बताया कि ध्वनि के स्तर को मापने के लिए उच्च ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों जैसे टरबाइन पर ध्वनिक प्रणाली लगाई गई थी तथा उच्च ध्वनि वाले क्षेत्रों में कर्मकारों को व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण जैसे इयर मफ्स/ इयर प्लग्स उपलब्ध कराये जा रहे थे। साथ ही, कम्पनी, विभिन्न ध्वनि उत्पन्न करने वाले उपकरणों के ध्वनि की निगरानी रखने के लिए भी योजना बना रही थी।

वित्तीय प्रबंधन

ऋण की किस्तों के भुगतान में चूक के लिए शास्ति

2.30 पाँवर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) ने केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए कम्पनी के प्रस्तावों¹⁶ (सितम्बर 2007 से अगस्त 2014) के विरुद्ध ₹ 6583.61 करोड़ का ऋण स्वीकृत¹⁷ किया (मार्च 2008 से सितम्बर 2014)। पीएफसी द्वारा जारी की गई स्वीकृति के वाक्यांश 2.1 में प्रावधान था कि ऋणी प्रत्येक वितरण की तिथि पर निर्धारित ब्याज की दर पर समय-समय पर लागू दर पर ब्याज कर सहित, ऋण पर ब्याज का भुगतान करेगा। ब्याज की किस्त एवं ब्याज कर त्रैमासिक रूप से प्रत्येक वर्ष के अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर एवं जनवरी के 15वें दिन देय था। ऋणी, किस्तों के समय पर भुगतान करने पर लागू ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की छूट के लिए पात्र था। साथ ही, वाक्यांश 6.1 में प्रावधान था कि जिस दर पर ऋण स्वीकृत किया गया था ऋणी उस ब्याज दर से दो प्रतिशत अधिक दर से शास्ति ब्याज चुकायेगा यदि ब्याज/ ब्याज कर अथवा मूलधन की राशि का देय तिथि पर भुगतान नहीं किया गया। शास्ति ब्याज त्रैमासिक आधार पर चक्रवृद्धि होना था।

कम्पनी ने पीएफसी को ब्याज/ मूलधन के भुगतान में पाँच¹⁸ बार (जुलाई 2012 से अक्टूबर 2015) चूक की। परिणामस्वरूप, कम्पनी को शास्ति ब्याज एवं उस पर ब्याज के रूप में पीएफसी को ₹ 8.47 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। साथ ही, कम्पनी किस्तों के समय पर भुगतान के पेटे ₹ 18.15 करोड़ की छूट भी प्राप्त नहीं कर सकी।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी विद्युत के विक्रय के लिए विद्युत वितरण कम्पनियों से नियमित भुगतान नहीं मिलने के कारण वित्तीय समस्या का सामना कर रही थी। पीएफसी से प्राप्त ऋण कोष, विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए अन्य परिचालित विद्युत संयंत्रों के लिए उपयोग किये गये क्योंकि इन इकाइयों को परिचालित रखना उस समय की प्राथमिकता थी। साथ ही, वित्तीय संस्थाओं/ वाणिज्यिक बैंकों ने भी विद्युत क्षेत्र की कम्पनियों को और ऋण देने से मना कर दिया था। कम्पनी को इस अवधि के दौरान हानि हुई तथा ऋण चुकाने के लिए अतिरिक्त कोष उपलब्ध नहीं थे।

16 कम्पनी ने 11 सितम्बर 2007, 23 अगस्त 2011 तथा 22 अगस्त 2014 को ऋण के लिए प्रस्ताव भेजे।

17 31 मार्च 2008 को ₹ 3680 करोड़, 14 नवम्बर 2011 को ₹ 2498.40 करोड़ तथा 30 सितम्बर 2014 को ₹ 405.21 करोड़।

18 जुलाई 2012, अक्टूबर 2012, जुलाई 2013, अक्टूबर 2013 एवं अक्टूबर 2015।

स्थापना में देरी के कारण छूट नहीं लेना

2.31 प्रचलित नीति के अनुसार पीएफसी, परियोजना की प्रथम इकाई की स्थापना की तिथि से उत्पादन परियोजनाओं के लिए ब्याज दर में 0.25 प्रतिशत की छूट अनुमत करता है (2004)। उसी के अनुसार, पीएफसी, केएटीपीपी को स्थापित करने के लिए, लिये गये ऋण पर कम्पनी को 0.25 प्रतिशत की छूट देने पर सहमत हुआ (मई 2014)। हमने देखा कि केएटीपीपी की प्रथम इकाई बीजीआर एनर्जी को जारी किये गये एलओआई के अनुसार 9 अक्टूबर 2011 तक स्थापित की जानी थी। तथापि, स्थापित करने की वास्तविक तिथि 7 मई 2014 थी। इसलिए, कम्पनी प्रथम इकाई को स्थापित करने में 31 माह की देरी के कारण ₹ 35.40 करोड़ की छूट से वंचित रही।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि छूट से वंचित होना परियोजना को स्थापित करने में देरी का एक परिणामिक प्रभाव था।

प्रवेश शुल्क के भुगतान से छूट नहीं ले पाने के कारण अतिरिक्त वित्तीय भार

2.32 जीओआर ने 'स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर राजस्थान कर अधिनियम, 1999' लागू किया (मार्च 1999) जिसमें उपभोग/ उपयोग/ विक्रय के उद्देश्य के लिए स्थानीय क्षेत्र में लाये गये किसी माल के प्रवेश पर कर लगाने का प्रावधान था। अधिनियम की धारा 9 में राज्य सरकार को जन हित में प्रवेश कर के भुगतान से भावी अथवा भूतकालीन प्रभाव से पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से छूट दिये जाने की शक्ति प्रदान की गई।

कम्पनी ने राज्य सरकार से प्रवेश कर के भुगतान की छूट प्राप्त करने के लिए प्रयास नहीं किये। हमने देखा कि निजी ऊर्जा उत्पादक/ अन्य सरकारी पीएसयूज/ निजी कम्पनियों¹⁹ ने प्रवेश कर के भुगतान की छूट प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी जो उन्हें प्रदान की गई थी।

कम्पनी ने ₹ 19 करोड़ के प्रवेश कर की एकमुश्त राशि का अनुमान लगाया (मई 2011)। तथापि, बीजीआर एनर्जी को प्रवेश कर का वास्तविक पुनर्भरण 2009-14 के दौरान ₹ 22.74 करोड़ था। कम्पनी ने अनन्तिम टैरिफ के निर्धारण के लिए आरईआरसी के पास समग्र राजस्व आवश्यकता दायर की (जून 2014) तथा प्रवेश कर के पेटे किये गये भुगतान के विरुद्ध ₹ 19 करोड़ का दावा किया। आरईआरसी ने अनन्तिम टैरिफ में कम्पनी के दावों को अनुमोदित किया (मई 2015)।

कम्पनी द्वारा प्रवेश कर की छूट प्राप्त नहीं करने से, न केवल परियोजना की लागत में वृद्धि हुई बल्कि इसने उत्पादन की लागत बढ़ाकर, अन्ततः उपभोक्ताओं पर भी अतिरिक्त भार डाला।

कम्पनी ने बताया कि, अनुबंध की शर्तों एवं लागू नियमों के अनुसार ही बीजीआर एनर्जी को प्रवेश कर का भुगतान किया गया। राज्य सरकार ने राज्य में निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए निजी उद्यमियों को प्रवेश कर से छूट प्रदान की। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि राज्य सरकार ने सरकारी पीएसयूज को भी उनके आवेदन पर प्रवेश कर के भुगतान से छूट प्रदान की। कम्पनी ने आगे यह भी बताया कि मामले को राज्य सरकार के पास ले जाया जायेगा।

19 अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (अप्रैल 2011), जयपुर मैट्रो रेल कोरपोरेशन लिमिटेड (दिसम्बर 2012), मंगलम सीमेंट लिमिटेड (जनवरी 2013) इत्यादि।

परियोजना लागत में पुर्जों की अतिरिक्त लागत को सम्मिलित नहीं करना

2.33 जीओआर की स्वीकृति (जून 2007) की शर्तों में 80:20 के अनुपात में ऋण-समता अनुपात में परियोजना के कोषीय ढांचे का प्रावधान था अर्थात् जीओआर 20 प्रतिशत समता सहायता उपलब्ध करायेगी तथा शेष 80 प्रतिशत कोषों की व्यवस्था कम्पनी द्वारा पीएफसी/वाणिज्यिक बैंकों से उधारी के माध्यम से की जानी थी।

संयंत्र के लिए मुख्य बीटीजी उपकरण एवं सहायक सामग्री की आपूर्ति बीजीआर एनर्जी के माध्यम से डोंगफेंग इलैक्ट्रीक कम्पनी, चाइना (डीईसी चाइना) द्वारा की गई। बीटीजी पैकेज के अनिवार्य पुर्जे ईपीसी अनुबंध में शामिल किये गये थे लेकिन पुर्जों की व्यवस्था करने में कठिनाइयों, चाइना से आपूर्ति में लगने वाले समय एवं उत्पादन हानि को ध्यान में रखते हुए कम्पनी ने डीईसी चाइना तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा सिफारिश किये गये अतिरिक्त पुर्जों के लिए ₹ 166 करोड़ के मोलभाव मूल्य पर बीजीआर एनर्जी को एक अतिरिक्त क्रयदेश दिया (जून 2015)।

परियोजना लागत को जून 2007 में ₹ 4600 करोड़ से मई 2011 में ₹ 7723.70 करोड़ तक तथा मार्च 2014 में अन्तिम रूप से ₹ 9479.51 करोड़ तक संशोधित किया गया। मार्च 2014 में संशोधित परियोजना लागत राज्य सरकार द्वारा अगस्त 2014 में अनुमोदित की गयी। तथापि, कम्पनी ने परियोजना लागत में अतिरिक्त पुर्जों की लागत को सम्मिलित नहीं किया।

आरईआरसी 'टैरिफ के निर्धारण के लिए नियम एवं शर्तों के विनियम, 2014' के वाक्यांश 16 (6) में भी कट ऑफ तिथि तक पूंजीगत लागत के 2.5 प्रतिशत तक आरम्भिक पुर्जों के पूंजीकरण को अनुमत किया गया। इस प्रकार कम्पनी आरम्भिक पुर्जों के पेटे ₹ 236.99 करोड़²⁰ का पूंजीकरण करने के लिए अधिकृत थी। तथापि, कम्पनी ने अनिवार्य पुर्जों की लागत के पेटे केवल ₹ 51.21 करोड़ का पूंजीकरण किया।

इस प्रकार, कम्पनी ने परियोजना लागत को ₹ 166 करोड़ से कम आंकलित किया तथा यह राज्य सरकार से ₹ 33.20 करोड़ की 20 प्रतिशत समता सहायता पाने में विफल रही।

कम्पनी ने बताया कि संचालक मण्डल ने इस शर्त के अधीन पुर्जों की स्वीकृति के लिए स्वीकृति प्रदान की कि पुर्जों की लागत को केएटीपीपी की संशोधित परियोजना लागत (₹ 9479.51 करोड़) के विरुद्ध इसकी सीमा तक लेखांकित किया जा सकता था तथा परियोजना लागत से अधिक शेष पुर्जों की लागत, यदि हो, को विनियामक मानदण्डों के अनुसार इकाई के संचालन एवं रखरखाव के बजट के अन्तर्गत लिया जा सकता था। तथ्य यही रहा कि कम्पनी विनियमानुसार परियोजना लागत के 2.5 प्रतिशत तक पुर्जों की लागत का पूंजीकरण कर सकती थी जो कि नहीं किया गया जिसके कारण परियोजना लागत का कम आंकलन हुआ तथा राज्य सरकार से 20 प्रतिशत की समता सहायता प्राप्त नहीं हुई।

मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ नहीं लेना

2.34 विद्युत मंत्रालय (एमओपी), भारत सरकार ने विद्युत संयंत्रों की स्थापना के द्वारा देश में समग्र विद्युत आपूर्ति परिदृश्य के उन्नयन को लक्ष्य बनाते हुए मेगा पॉवर परियोजना (एमपीपी) नीति की घोषणा की (नवम्बर 1995)। नीति में एमपीपीज को उत्पाद शुल्क एवं

20 ₹ 9479.51 करोड़ का 2.5 प्रतिशत।

सीमा शुल्क से छूट; पहले पन्द्रह वर्षों में से दस वर्षों के किसी भी स्फण्ड के लिए करावकाश; तथा विक्रय कर एवं अन्य स्थानीय करों से छूट जैसे कुछ परिलाभ दिये गये। यह माना गया कि ये छूटें टैरिफ में कमी लायेगी तथा सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों में विद्युत उत्पादन की बढ़ती हुई लागत से राज्य विद्युत मण्डलों को अत्यावश्यक राहत प्रदान करेगी।

एमपीपी नीति के अनुसार, 1000 एमडब्ल्यू अथवा अधिक की क्षमता वाली परियोजनाएं, कुछ अन्य शर्तों जैसे विनियामक आयोग का गठन; विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री; एवं अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक निविदा (आईसीबी) रूट से निविदाएं करने, का पालन करने के बाद छूटों के लिए पात्र थी।

केएटीपीपी एमपीपी नीति के अन्तर्गत राजकोषीय परिलाभ लेने के लिए पात्र थी क्योंकि परियोजना की सामूहिक क्षमता 1200 एमडब्ल्यू थी तथा निविदाएं आईसीबी आधार पर आमंत्रित की गई थी। तथापि, कम्पनी ने कभी संभावनाएं तलाश नहीं की इसलिए यह राजकोषीय परिलाभों से वंचित रही जो आयातित आपूर्तियों पर करों एवं शुल्कों के पेटे गणना के अनुसार ₹ 431.30 करोड़ अनुमानित थे। साथ ही, केएटीपीपी राज्य सरकार द्वारा लगाये गये बिक्री कर/ वेट से भी मुक्त होती।

आरईआरसी ने प्रथम इकाई के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय परियोजना के लिए एमपीपी की स्थिति पर अनुमत्यता तथा एमपीपी नीति के परिलाभ लेने की दिशा में किये गये प्रयासों को स्पष्ट करने के लिए कहा। कम्पनी ने इस संबंध में आरईआरसी को कोई विवरण उपलब्ध नहीं कराया (मई 2016)।

यह ध्यान देने योग्य है कि कम्पनी के अन्य तापीय विद्युत संयंत्रों (1320 एमडब्ल्यू छबड़ा तापीय विद्युत संयंत्र एवं 1320 एमडब्ल्यू सूरतगढ़ तापीय विद्युत केन्द्र) को एमओपी द्वारा एमपीपी दर्जा दिया गया था।

कम्पनी ने बताया कि एमपीपी नीति के अन्तर्गत परिलाभ प्राप्त करने के लिए विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री एक अनिवार्य शर्त थी जो पूरी नहीं की गई। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कम्पनी के संचालक मण्डल ने विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री के लिए संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश दिये थे (जनवरी 2007) परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गई। साथ ही, भारत सरकार विद्युत की अन्तर्राज्जीय बिक्री की शर्त को हटा चुकी थी (दिसम्बर 2009) लेकिन कम्पनी ने एमपीपी नीति के अन्तर्गत परिलाभ लेने के लिए संभावनाएं तलाश नहीं की।

निष्कर्ष एवं अनुशंसाएं

कालीसिंध तापीय विद्युत परियोजना (केएटीपीपी) में अत्यधिक समय एवं लागत आधिक्य हुआ। परियोजना को स्थापित करने की वास्तविक लागत (₹ 9479.51 करोड़) अनुमानित लागत (₹ 4600 करोड़) से 106.08 प्रतिशत बढ़ गई। लागत आधिक्य मुख्य रूप से 'अभियांत्रिकी, प्रापण एवं स्थापना' (ईपीसी) अनुबंध की लागत में बढ़ोतरी; जल संग्रहण प्रणाली; रेलवे साइडिंग के निर्माण; तथा समय आधिक्य के कारण ब्याज एवं वित्त लागत तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) में अभिकल्पित नहीं किये गये कार्यों को शामिल करने के कारण हुई।

प्रथम एवं द्वितीय इकाई की अनुबंधात्मक स्थापना की अवधि क्रमशः 8 अक्टूबर 2011 तथा 8 जनवरी 2012 थी। इकाइयां 31 तथा 42 माह की देरी के बाद क्रमशः 7 मई 2014 तथा 25 जुलाई 2015 को स्थापित की गईं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ), भारत सरकार से पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने में देरी (सात माह) तथा बीजीआर एनर्जी द्वारा विभिन्न मुख्य गतिविधियों की पूर्णता में समय अनुसूची की अनुपालना के अभाव को परियोजना की पूर्णता में देरी के कारण बताये गये। संचालक मण्डल ने कई बार परियोजना की पूर्णता में देरी के मामले की चर्चा की (मार्च 2009 से मई 2014) लेकिन मार्च 2009 से मई 2014 के मध्य शास्ति (एलडी) आरोपित किये जाने के मामले को छः बार स्थगित कर दिया।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को बीजीआर एनर्जी द्वारा की गई देरी की पहचान करनी चाहिए तथा अनुबंध की शर्तानुसार एलडी वसूल करनी चाहिए।

बीजीआर एनर्जी के अनुबंध का मूल्य स्थिर था तथा कम्पनी द्वारा 'निविदादाताओं को निर्देश' एवं 'अनुबंध की सामान्य शर्तों' (जीसीसी) के विभिन्न वाक्यांशों के अनुसार आयातित आपूर्तियों के लिए ₹ 39.59 प्रति यूएस डॉलर की स्थिर दर पर भुगतान किया जाना था। विनिमय दर के कारण किसी अंतर को बीजीआर एनर्जी द्वारा वहन किया जाना था। तथापि, कम्पनी ने एक यूएस डॉलर ₹ 44.32 से ₹ 66.88 की दर पर खरीदा एवं ₹ 295.29 करोड़ के विनिमय दर अंतर की वसूली किये बिना यूएस डॉलर में भुगतान किया। इस कारण कम्पनी पर केन्द्र/ राज्य सरकार को करों के भुगतान के पेटे ₹ 19.40 करोड़ का भी अतिरिक्त भार पड़ा। साथ ही, कम्पनी ने राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी (27 जुलाई 2009) अधिसूचना एवं कार्यादेश के वाक्यांशों के उल्लंघन में बीजीआर एनर्जी को ₹ 48.21 करोड़ के श्रम उपकर का पुनर्भुगतान किया।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को बीजीआर एनर्जी को किये गये भुगतान की समीक्षा करनी चाहिए तथा निविदा शर्तों/ जीसीसी के अनुसार विनिमय दर अंतर के पेटे किये गये अधिक भुगतानों की वसूली करनी चाहिए। कम्पनी द्वारा बीजीआर एनर्जी को पुनर्भुगतान किये गये श्रम उपकर की राशि की भी वसूली की जानी चाहिए।

कम्पनी, ऊर्जा विभाग (जीओआर) तथा राज्य सरकार के जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी) के बीच हुई सभाओं (24 फरवरी 2007 तथा 26 मई 2007) के दौरान, डब्ल्यूआरडी कालीसिंध नदी पर बांध के निर्माण की 60 प्रतिशत लागत को बांटने पर सहमत हुआ। डब्ल्यूआरडी ने बांध के निर्माण पर कोई व्यय नहीं किया तथा इसके अतिरिक्त कम्पनी से आनुपातिक प्रभार भी प्रभारित किये।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी द्वारा मामले को राज्य सरकार/ डब्ल्यूआरडी के पास उठाया जाना चाहिए तथा डब्ल्यूआरडी द्वारा वहन की जाने वाली बांध की लागत एवं आनुपातिक प्रभारों की भी वसूली करनी चाहिए।

कम्पनी, प्लांट लोड फेक्टर; स्टेशन हीट रेट; सहायक उपभोग; स्थापना के बाद इकाइयों के अस्थिरीकरण के कारण संयंत्र उपलब्धता; फोर्स्ड आउटेज; तकनीकी समस्याओं; राज्य भार प्रेषण केन्द्र के निर्देशों के कारण संयंत्र के बैक डाउन इत्यादि के संबंध में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)/ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निश्चित किये गये परिचालनात्मक मापदण्डों की पालना नहीं कर सकी।

कम्पनी ने केएटीपीपी पर पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित नहीं किया। कम्पनी ने एमओईएफ द्वारा निर्धारित वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए केएटीपीपी पर उपकरण भी स्थापित नहीं किये। साथ ही, एमओईएफ द्वारा निर्धारित स्टेक एमिशन मानदण्डों की पालना भी नहीं की।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को पर्यावरण प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए तथा केएटीपीपी पर वायु एवं ध्वनि प्रदूषण को मापने के लिए उपकरण स्थापित करने चाहिए। साथ ही, एमओईएफ द्वारा निर्धारित वायु प्रदूषण मानदण्डों, ध्वनि स्तरों एवं स्टेक एमिशन मानदण्डों की पालना करनी चाहिए।

कम्पनी ने ऋण की किश्तों के भुगतान में चूक की एवं इसे शास्ति ब्याज चुकाना पड़ा तथा यह पॉवर फाइनेंस कॉरपोरेशन से छूट पाने से भी वंचित रही।

कम्पनी ने भारत सरकार की मेगा पॉवर परियोजना नीति के अन्तर्गत परिलाभ लेने की संभावनाएं तलाशने के प्रयास नहीं किये। इसने प्रवेश कर के भुगतान से राजस्थान सरकार से छूट प्राप्त करने के लिए भी नहीं प्रयास किये।

हमारी सिफारिश है की कि कम्पनी को भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार की नीतियों के अन्तर्गत परिलाभ लेने के लिए संभावनाएं तलाशनी चाहिए।

अध्याय III

सांविधिक निगमों से सम्बन्धित
निष्पादन लेखापरीक्षा

सांविधिक निगमों से संबंधित निष्पादन लेखापरीक्षा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

3 टिकटिंग प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) ने 'ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली' (ओआरएस); ओआरएस के साथ इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएम) का एकीकरण; एवं रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) स्मार्ट कार्ड तैयार करने का कार्य ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई (सेवाप्रदाता) को आउटसोर्स किया (मई 2011)। सेवाप्रदाता द्वारा ओआरएस को मई 2011 में क्रियान्वित किया गया लेकिन ओआरएस के साथ ईटीआईएम का एकीकरण लम्बित था (अगस्त 2016)।

निष्पादन लेखापरीक्षा में 2014-15 एवं 2015-16 (नवम्बर 2015) की अवधि से संबंधित ओआरएस; ईटीआईएम एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के इलेक्ट्रॉनिक डाटा का विश्लेषण तथा सेवाप्रदाता के अनुबंधात्मक कार्यानिष्पादन को शामिल किया गया। ईटीआईएम से संबंधित लेखापरीक्षा परिणाम 57 डिपोज में से चयनित आठ डिपोज पर आधारित हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम मुख्य रूप से परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन में कमियों पर प्रकाश डालते हैं। परियोजना प्रबंधन नियोजन एवं क्रियान्वयन तथा परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमियों पर भी प्रकाश डालती है। सिस्टम डिजाइन विसंगतियों में ईटीआईएम सर्वर के साथ ईटीआईएम के एकीकृत नहीं होने; अपर्याप्त वैधता नियंत्रण; एवं व्यावसायिक नियमों को अभिरेखित नहीं करने को शामिल किया गया। परियोजना प्रबंधन एवं सिस्टम डिजाइन विसंगतियों का निगम के राजस्व पर वित्तीय प्रभाव पड़ा। वित्तीय मामले किराये की कम वसूली; यात्रियों को अनाधिकृत छूट देने; तथा कार्यादेश/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने से संबंध रखते हैं।

परियोजना प्रबंधन

नियोजन एवं क्रियान्वयन

निगम द्वारा आईटी नीति, आईटी सुरक्षा नीति, पासवर्ड नीति एवं बदलाव नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति नहीं बनाई गई। निगम के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी के लिए स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के साथ एक नियोजन/ स्टीयरिंग समिति का गठन भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के पास ओआरएस के विकास एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड तैयार करने के दौरान आईटी नीतियों एवं क्रियाविधियों के लिए एक ढांचा मौजूद नहीं था। मार्गों में परिवर्तन, सॉफ्टवेयर में किराया, आईटी सम्पत्तियों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में डाटाबेस में सेवाप्रदाता द्वारा किये गये संशोधन किसी पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं थे। पासवर्ड नीति के अभाव में बुकिंग विंडो पर स्थापित सिस्टम्स द्वारा अल्फान्यूमेरिक एवं विशेष वर्णों के संयोजन के बिना किसी भी लम्बाई तक के पासवर्ड को स्वीकार किया गया। अनाधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करने के क्रम में भिन्न-भिन्न समयांतरालों के बाद उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड बदलने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।

साथ ही, निगम के पास उचित व्यावसायिक निरंतरता एवं संकट से उबरने की योजना नहीं थी क्योंकि ईटीआईएम एप्लीकेशन के लिए प्राथमिक डाटा केन्द्र के साथ साथ संकट से उबरने का स्थल एक ही सिस्मिक जोन (डिपो स्तर) में स्थापित किया गया था। डिपो स्तर पर किसी संकट के मामले में ईटीआईएम के डाटा को पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकेगा। निगम द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के बिना सेवाप्रदाता को 'पायलट स्वीकृति परीक्षण' एवं 'उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण' प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये थे।

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमी थी जिसके कारण समझौते/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने तथा संचालन राजस्व को मिलान नहीं करने को बढ़ावा मिला।

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण महिला एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को छूट अनुमत करने में विसंगतियों के रूप में परिणामित हुई यथा राज्य के बाहर छूट अनुमत करना; अपात्र वरिष्ठ नागरिकों को छूट; पुरुष यात्रियों को महिला छूट; तथा महिला दिवस एवं रक्षाबंधन के अतिरिक्त भी महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा। इसने विद्यार्थी एवं मासिक पासधारक यात्रियों को छूट अनुमत करने यथा एक दिन में एक से अधिक बार यात्रा अनुमत करने; रविवार को मुफ्त यात्रा अनुमत करने; तथा किराये की प्राप्ति के बिना शून्य शेष वाले मासिक पास पर यात्रा अनुमत करने में विसंगतियों को भी बढ़ावा दिया। नियमों को अपर्याप्त रूप से अभिरेखित करने के कारण प्रचलित टैरिफ पर किराया प्रभारित नहीं करने; अंतर्राज्यीय बसों में किराये की कम वसूली तथा आईटी फीस/ दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार/ टोल टैक्स/ मुफ्त यात्रा टिकटों पर मानव संसाधन अधिभार की वसूली के अभाव को बढ़ावा मिला। सिस्टम डिजाइन में कमी भी आरक्षण प्रभारों की वसूली के अभाव तथा निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली/ वसूली के अभाव में परिणामित हुई।

सॉफ्टवेयर द्वारा व्यावसायिक नियमों के उल्लंघन में दो यात्रियों को समान सीट नम्बर का आवंटन; आरएफआईडी कार्डधारकों को पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा; 'यात्री नाम अभिलेख' संख्या 18 अंकों से कम; एक टिकट के समक्ष एक से अधिक निरस्तीकरण आदेश जारी करने; अवाधिपार आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा तथा वैध आरएफआईडी कार्ड के बिना छूट इत्यादि को अनुमत किया गया।

लेखापरीक्षा अनुशांषाएं

लेखापरीक्षा, निगम को विभिन्न पहलुओं जैसे आईटी सुरक्षा नीति एवं पासवर्ड प्रबंधन इत्यादि के लिए एक स्पष्ट एवं विस्तृत आईटी नीति बनाने एवं क्रियान्वित करने; ईटीआईएम के डाटा के लिए अलग-अलग स्थानों पर प्राथमिक डाटा केन्द्र एवं संकट से उबरने का स्थल स्थापित करने; व्यावसायिक नियमों एवं निगम की आवश्यकताओं के अनुसार आगत डाटा एवं निर्गत परिणामों की यथार्थता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांचों को विकसित करने; संगठन नियमों/ नीतियों, नियमावलियों, सरकारी निर्देशों इत्यादि के अनुसार व्यवसाय के नियमों की अभिरेखा को सुनिश्चित करने; ओआरएस एवं ईटीआईएम टिकटिंग एवं वित्तीय डाटा के वास्तविक समय एकीकरण के लिए जनरल पैकेट रेडियो सर्विस मोड्यूल के कार्य को सुनिश्चित करने; कार्यसंचालन दक्षता को बढ़ाने एवं आगत गलतियों को कम करने के लिए आईटी डाटा एवं लेखांकन डाटा के मिलान करने की सिफारिश करती है।

परिचय

3.1 राज्य (राजस्थान) के लोगों को कुशल, पर्याप्त, मितव्ययी एवं उचित रूप से समन्वित पथ परिवहन सेवाएँ प्रदान करने के अधिदेश के साथ राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) को पथ परिवहन अधिनियम, 1950 के अधीन स्थापित किया गया (1 अक्टूबर 1964)। निगम राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) के परिवहन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। निगम का प्रबंधन निदेशक मण्डल (बीओडी) में निहित है जिसमें राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक एवं अन्य निदेशक सम्मिलित हैं। मार्च 2016 को, निगम के निदेशक मण्डल में सात निदेशक थे। दिन प्रतिदिन का कार्य संचालन कार्यकारी संचालकों, वित्तीय सलाहकार, महाप्रबंधकों, मुख्य उत्पादन प्रबंधकों एवं मुख्य प्रबंधकों की सहायता से प्रबंध निदेशक द्वारा किया जाता है।

मार्च 2016 को, निगम की तीन कार्यशालाओं एवं प्रधान कार्यालय सहित 57 लेखांकन इकाइयां थीं। निगम द्वारा जयपुर एवं अजमेर स्थित दो केन्द्रीय बस स्टेण्ड (सीबीएस) तथा नई दिल्ली स्थित एक डिपो सहित 57 डिपोज के माध्यम से राज्य एवं राज्य के बाहर विभिन्न मार्गों पर वोल्वो, एसी, डिलक्स, एक्सप्रेस एवं साधारण बसों का संचालन किया गया।

वित्तीय एवं संचालन निष्पादन

3.2 वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान निगम की संचालन आय, गैर-संचालन आय तथा लाभ एवं हानि निम्न प्रकार थे:

(₹ करोड़ में)

विवरण	2015-16 (अनंकेक्षित)	2014-15
संचालन आय	1715.55	1702.66
गैर-संचालन आय	51.46	131.13
सकल आय	1767.01	1833.79
व्यय	2036.43	2462.27
वर्ष के लिए लाभ/ हानि	(269.42)	(628.48)

वर्ष 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान किराये में वृद्धि के कारण संचालन आय में मामूली वृद्धि हुई। तथापि, इसी अवधि के दौरान गैर-संचालन आय ₹ 131.13 करोड़ से घटकर (60.76 प्रतिशत) ₹ 51.46 करोड़ हो गई। निगम द्वारा वहन की गई हानि 2014-15 में ₹ 628.48 करोड़ से घटकर (57.13 प्रतिशत) 2015-16 में ₹ 269.42 करोड़ हो गई।

वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान संचालित की गई बसों, उनके द्वारा तय की गई दूरी एवं यात्रियों के संबंध में निगम के कार्यचालन परिणाम निम्न प्रकार थे:

विवरण	2015-16	2014-15
निगम द्वारा धारित बसों की संख्या	4343	4493
निजी पार्टियों से किराये पर ली गई बसों की संख्या	186	211
कुल बसों की संख्या	4529	4704
प्रति दिन संचालित किये औसत किलोमीटर (लाख में)	16.13	17.16
प्रति दिन यात्रियों की औसत संख्या (लाख में)	9.26	9.81

संचालित की गई बसों की संख्या, प्रति दिन बसों के संचालित किये गये औसत किलोमीटर तथा प्रति दिन यात्रियों की औसत संख्या में 2014-15 की तुलना में 2015-16 के दौरान कमी हुई।

निगम में आईटी गतिविधियां

3.3 निगम द्वारा पॉलीटेक कम्प्यूटर एज्युकेशन द्वारा विकसित किये गये एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से जनवरी 2004 से परीक्षण के तौर पर केन्द्रीय बस स्टेण्ड जयपुर पर टिकट बुकिंग/ आरक्षण व्यवस्था प्रारम्भ की गई। निगम ने एक 'एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली' (आईटीएमएस) के क्रियान्वयन करने का निश्चय किया (2011) जिसमें:

- ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (ओआरएस); तथा ओआरएस के साथ इलैक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएमएस) का एकीकरण;
- रेडियो आवृत्ति पहचान (आरएफआईडी) स्मार्ट कार्ड तैयार करना;
- निगम के लिए मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना;
- वाहन ट्रेकिंग एवं यात्री सूचना प्रणाली (वीटी एण्ड पीआईएस); एवं
- यात्री उद्घोषणा प्रणाली (पीएएस) को शामिल किया गया।

निगम द्वारा 'बनाना, धारण करना, संचालन एवं अंतरण' (बीओओटी) के आधार पर उपर्युक्त सभी गतिविधियों को आउटसोर्स किया गया। निगम द्वारा आईटीएमएस की प्रगति की निगरानी करने के लिए एक आईटी प्रकोष्ठ बनाया गया (जून 2013)।

ओआरएस; मौजूदा ईटीआईएमएस के साथ ओआरएस के एकीकरण; तथा आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनाने से संबंधित कार्य ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई (सेवाप्रदाता) को प्रदान किया। सेवाप्रदाता को वेब आधारित एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिजाइन बनाने एवं विकसित करने के साथ हार्डवेयर उपकरणों का प्रापण एवं संस्थापन तथा उनका सफलतापूर्वक संचालन करना आवश्यक था। साथ ही, सेवाप्रदाता समकों तथा एप्लीकेशनों की समग्रता, सुरक्षा तथा बैक अप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी था। सेवाप्रदाता ने ओआरएस को मई 2011 में क्रियान्वित किया लेकिन सेवाप्रदाता के ईटीआईएमएस द्वारा निगम की मौजूदा ईटीआईएमएस के स्थान पर प्रतिस्थापित करने के बावजूद भी ओआरएस के साथ ईटीआईएमएस का एकीकरण लम्बित था (अगस्त 2016)। निगम ने अपने उत्तर में बताया कि जनरल पैकेट रेडियो सर्विस (जीपीआरएस) की क्रियात्मकता को मार्गों पर नेटवर्क की अनुपलब्धता के कारण बाद में बंद कर दिया गया था। तथापि, निगम ने जीपीआरएस को बंद करने के अपने निर्णय के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नहीं किया।

आईटीएमएस की शेष गतिविधियों को, सेवाप्रदाताओं द्वारा पूरा किया गया तथा मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च कर दिया गया (अक्टूबर 2015) जबकि वीटी एण्ड पीआईएस तथा पीएएस के कार्य प्रगति पर थे (अगस्त 2016)।

निगम में सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन

ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली

3.4 सेवाप्रदाता द्वारा लागू की गई ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (ओआरएस) में पब्लिक ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (पीओआरएस) एवं बुकिंग विंडो पर निगम द्वारा टिकटों के आरक्षण को शामिल किया गया। पीओआरएस को निगम के वेब पोर्टल पर होस्ट किया गया तथा आम जनता को बस की अनुसूचित रवानगी से पूर्व के 30 दिन में टिकटों को आरक्षित करना अनुमत किया गया। टिकट के आरक्षण की सुविधा बस की अनुसूचित रवानगी से पूर्व के 30 मिनट तक उपलब्ध थी।

आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड

3.5 राज्य सरकार ने राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत व्यक्तियों की 18 श्रेणियों को मुफ्त/ रियायती यात्रा अनुमत की (27 जून 2012)। इन श्रेणियों के अन्तर्गत छूट पाने वाले व्यक्तियों द्वारा आरएफआईडी कार्ड जारी/ नवीनीकरण कराने के लिए सहायक प्रलेखों, जिनमें मुख्य रूप से पहचान का साक्ष्य, पता, जन्म तिथि एवं एक फोटो शामिल है, के साथ निर्धारित प्रारूप में निगम को एक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक था। आवेदक के विवरण डिपो स्तर पर ऑनलाइन आरएफआईडी मॉड्यूल में प्रविष्ट किये गये तथा आईटी प्रकोष्ठ को अग्रेषित किये गये। आईटी प्रकोष्ठ ने विवरणों को सत्यापित किया एवं आरएफआईडी कार्ड तैयार करने के लिए इनको सेवाप्रदाता के पास भेज दिया। सेवाप्रदाता द्वारा मास्टर डाटा में प्रविष्ट विवरणों की आरएफआईडी कार्ड की प्राप्ति पर आईटी प्रकोष्ठ द्वारा फिर से पुनः जांच की गई।

ईटीआईएम्स के माध्यम से टिकटिंग

3.6 टिकट, निगम के संबंधित डिपोज द्वारा परिचालकों एवं बुकिंग एजेंट्स/ क्लर्कों को जारी किये गये ईटीआईएम्स के माध्यम से उनके द्वारा जारी किये जाते हैं। ईटीआईएम्स में किराये की सूची, बस स्टोप क्रमांक के साथ रूट चार्ट, रियायत कोड एवं अन्य प्रभागों सहित डाला हुआ एक सॉफ्टवेयर होता है। ईटीआईएम्स के माध्यम से जारी किये गये टिकटों में टिकट की श्रेणी, आगमन प्रस्थान का गंतव्य, पूर्ण विवरण के साथ कुल किराया, यात्रा की तिथि, टिकट संख्या, बस सर्विस एवं डिपो का नाम होता है। परिचालकों द्वारा मार्ग विवरणों एवं मार्ग की किराया सूची को अपलोड करने के लिए कार्य पर आगमन के समय डिपो के मुख्य सर्वर के साथ ईटीआईएम्स को जोड़ना आवश्यक था। इसी प्रकार, यात्रा की समाप्ति पर परिचालकों द्वारा कुल जारी किये गये टिकट एवं संग्रहित राशि के संक्षिप्त सार को रोकड़ शाखा में जमा कराने के लिए प्रिंट आउट लेने के लिए ईटीआईएम्स को डिपो पर स्थित मुख्य सर्वर के साथ जोड़ना आवश्यक था।

लेखापरीक्षा का क्षेत्र

3.7 टिकट बुकिंग/ आरक्षण प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण पर लेखापरीक्षा को राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (वाणिज्यिक), इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2004-05 के रूप में जाना

जायेगा, में समामेलित (अनुच्छेद 4.11) किया गया। अनुच्छेद पर 22 मई 2008 को राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा चर्चा की गई तथा उसकी सिफारिशें 11 मार्च 2011 को विधायिका के पटल पर रखी गई।

कोपू द्वारा निगम को एक अभिलेखित आईटी नीति; पासवर्ड नीति; एवं सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति बनाने की सिफारिश की गई। निगम ने कोपू को सिफारिशों को लागू करने का आश्वासन दिया।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) में ओआरएस; ईटीआईएम्स एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड के इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण/ समीक्षा को शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, ओआरएस; ईटीआईएम्स एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनाने के क्रियान्वयन के लिए सेवाप्रदाता द्वारा कार्यादेश के नियम एवं शर्तों की अनुपालना की भी समीक्षा की गई।

निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) के परिणाम 2014-15 एवं 2015-16 (नवम्बर 2015) की अवधि से संबंधित ओआरएस; चयनित डिपोज में ईटीआईएम्स एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड तैयार करने के डाटा के विश्लेषण पर आधारित है। कोपू द्वारा की गई सिफारिशों की अनुपालना की भी समीक्षा की गई।

लेखापरीक्षा के उद्देश्य

3.8 निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) यह निर्धारण करने के लिए की गई कि क्या:

- ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली तथा ईटीआईएम्स के माध्यम से टिकट जारी करना निगम की व्यावसायिक आवश्यकताओं एवं यात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी;
- आईटी प्रणाली प्रभावी थी एवं व्यवसाय जोखिमों को कम करने के लिए इसमें पर्याप्त वैधता जांचे मौजूद थी;
- आईटी सम्पत्तियों की उचित कार्यपद्धति, निगरानी तथा सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियंत्रण तथा आंतरिक जांचें मौजूद थी; तथा
- कोपू द्वारा की गई सिफारिशों की अनुपालना की गई थी।

लेखापरीक्षा मापदण्ड

3.9 लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाये गये लेखापरीक्षा मापदण्ड निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त किये गये:

- राज्य सरकार द्वारा जारी किये गये नियम/ दिशानिर्देश/ अधिसूचनाएं;
- मोटर वाहन अधिनियम, 1988 एवं उसके अधीन बनाये गये नियम;
- समझौते एवं कार्यादेशों के नियम एवं शर्तें तथा ठेकेदार/ सॉफ्टवेयर विकासकर्ताओं/ क्रियान्वयन एजेन्सियों को जारी किये अन्य निर्देश;
- निगम द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियां, व्यावसायिक नियम तथा क्रियाविधियां; तथा

- प्रबंधकीय सूचना प्रणाली (एमआईएस), मैनुअल्स एवं निगम द्वारा जारी किये गये अन्य आदेश/ परिपत्र।

लेखापरीक्षा कार्यविधि एवं प्रतिदर्श का चयन

3.10 लेखापरीक्षा मापदण्डों के संदर्भ में लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये अपनाई गई कार्यविधि में :

- प्रविष्टि सभा (5 फरवरी 2016) के दौरान सरकार/निगम को लेखापरीक्षा उद्देश्य एवं लेखापरीक्षा मापदण्ड स्पष्ट किये गये;
- वर्ष 2014-15 तथा 2015-16 (नवम्बर 2015) की अवधि के लिए निगम से इलेक्ट्रॉनिक डाटा का संग्रहण तथा इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालेसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर के माध्यम से उनका विश्लेषण;
- नवम्बर 2015 से जून 2016 के दौरान निगम के प्रधान कार्यालय एवं चयनित डिपोज पर अभिलेखों की समीक्षा;
- निगम के प्रबंधन/ सेवाप्रदाता के साथ लेखापरीक्षा प्रश्नों को उठाना एवं चर्चा करना;
- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नियंत्रणों का मूल्यांकन करना एवं आंकड़ों की पूर्णता, नियमितता तथा एकरूपता के आंकलन के लिए सूचना प्राप्त करने हेतु प्रश्नावली जारी करना;
- सरकार/ निगम को टिप्पणियों एवं उन पर उत्तरों के लिए प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) प्रतिवेदन जारी करना (जून 2016); तथा
- समापन सभा (2 सितम्बर 2016) के दौरान लेखापरीक्षा परिणामों पर सरकार/ निगम के साथ चर्चा को शामिल किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को लेखापरीक्षा प्रश्नों एवं प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (अगस्त 2016) पर निगम के उत्तर को ध्यान में रखते हुए अंतिम रूप दिया गया है।

3.11 संचालित 57 डिपोज में से, हमने प्रारम्भिक रूप से 2014-15 एवं 2015-16 (नवम्बर 2015) के दौरान उनके द्वारा अर्जित की गई उच्चतम संचालन आय के आधार पर सात¹ डिपोज का चयन किया। प्रविष्टि सभा के दौरान, प्रबंध निदेशक ने सीबीएस (जयपुर) के स्थान पर हानि उठा रहे एक डिपो का चयन करने का निवेदन किया। बाद में, प्रबंधन के निवेदन पर सीबीएस (जयपुर) के स्थान पर कोटा डिपो का चयन किया गया। एक अतिरिक्त डिपो (भरतपुर) का भी इसकी सुदूर भौगोलिक स्थिति के आधार पर चयन किया गया। निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी) में, इस प्रकार, 57 डिपोज में से आठ डिपोज के चयन को शामिल किया गया था।

1 बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, कोटा, सीकर एवं उदयपुर।

लेखापरीक्षा परिणाम

3.12 लेखापरीक्षा के परिणाम अभिलेखों की जांच तथा इलैक्ट्रॉनिक डाटा के विश्लेषण के आधार पर निगम के राजस्व पर वित्तीय प्रभाव डालते हुए मुख्य रूप से सामान्य नियंत्रण, प्रणाली डिजाइन, व्यावसायिक नियमों की रूपरेखा, एप्लीकेशन नियंत्रण इत्यादि में कमियों पर प्रकाश डालते हैं। वित्तीय प्रभाव में मुख्य रूप से किराये की कम वसूली/ अवसूली; यात्रियों को अनाधिकृत रियायत अनुमत करने; तथा कार्यादेश/ सेवा स्तर समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को किये गये भुगतान से संबंधित मामलों को शामिल किया गया है।

परियोजना प्रबंधन

नियोजन एवं क्रियान्वयन

आईटी नीति एवं आईटी सुरक्षा नीति

3.13 समय सीमा निर्धारण करने, मुख्य निष्पादन सूचक तथा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों को एकीकृत एवं विकसित करते हुए लागत-लाभ विश्लेषण करने के लिए एक प्रतिपादित एवं अभिलिखित आईटी नीति आवश्यक है।

निगम द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2004-05 के अनुच्छेद 4.11 के लिए कोपू द्वारा की गई सिफारिशों के प्रत्युत्तर में कोपू को एक अभिलिखित आईटी नीति; पासवर्ड नीति; एवं सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति बनाने का आश्वासन दिया गया। तथापि, निगम द्वारा आईटी नीति; आईटी सुरक्षा नीति; एवं सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई। साथ ही, निगम के आईटी प्रकोष्ठ द्वारा प्रणालीगत रूप से आईटीएमएस के प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी करने के लिए स्पष्ट भूमिका एवं दायित्वों के साथ एक नियोजन/स्टीयरिंग समिति का गठन भी नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, निगम के पास ओआरएस के विकास एवं आरएफआईडी स्मार्ट कार्ड बनाने के दौरान आईटी नीतियों एवं क्रियाविधियों के लिए कोई ढांचा विद्यमान नहीं था।

मार्गों में परिवर्तन, सॉफ्टवेयर में किराये, आईटी सम्पत्तियों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में डाटाबेस में सेवाप्रदाता द्वारा किये गये संशोधन किसी पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं थे। इसलिये, मास्टर डाटा में अनाधिकृत परिवर्तनों की संभावनाओं को स्वारिज नहीं किया जा सकता था।

निगम ने उपर्युक्त नीतियों के अस्तित्व में नहीं होने के तथ्यों को स्वीकार किया।

व्यवसाय निरंतरता एवं संकट से उबरने की योजना

3.14 कम्प्यूटरीकृत टिकटिंग प्रणाली पर निगम की निर्भरता के कारण आपदा से उबरने एवं व्यवसाय निरन्तर योजनाएं इसके संचालन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसलिए निगम के लिए यह आवश्यक था कि आपदा से उबरने एवं व्यवसाय निरन्तर योजना, जिसमें आपदा के तुरन्त बाद किये जाने वाली कार्यवाही एवं प्रभावी रूप से यह सुनिश्चित करना कि सूचना प्रक्रियागत करने की क्षमता अतिशीघ्र शुरू की जा सके, की रूपरेखा को तैयार करे एवं अभिलिखित करे।

हमने देखा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन डाटा के लिए प्राथमिक डाटा सेन्टर को स्टेट डाटा सेन्टर (एसडीसी) जयपुर में तथा संकट से उबरने का स्थल सेवाप्रदाता के परिसर में बेंगलौर में स्थापित किया गया था। तथापि, ईटीआईएम एप्लीकेशन के डाटा का बैक अप ना तो अन्य सिसमिक जोन में रखा गया तथा ना ही एसडीसी को भेजा गया। डिपोज के बैक अप डाटा को उसी डिपो में रखा गया। एक आपदा की स्थिति में ईटीआईएम के डाटा की प्राप्ति नहीं होने का जोखिम अत्यधिक था। निगम ने व्यवसाय निरन्तरता एवं आपदा से उबरने की योजना के मौजूद नहीं होने से संबंधित तथ्यों को स्वीकार किया।

तार्किक पहुंच नियंत्रण

3.15 अनाधिकृत पहुंच से सॉफ्टवेयर की रक्षा करने के लिए तार्किक पहुंच नियंत्रण अभिरेखित किये जाते हैं। हमने देखा कि पासवर्ड नीति के अभाव में, बुकिंग विंडो पर स्थापित सिस्टम्स ने अल्फा न्यूमेरिक एवं विशेष वर्णों के संयोजन के बिना किसी भी लम्बाई तक के पासवर्ड को स्वीकार किया। अनाधिकृत पहुंच के जोखिम को कम करने के लिए भिन्न-भिन्न समयांतरालों के बाद उपयोगकर्ता द्वारा पासवर्ड बदलने को सुनिश्चित करने के लिए कोई प्रणाली प्रचलन में नहीं थी।

निगम ने तार्किक पहुंच नियंत्रणों के अभाव के संबंध में तथ्यों को स्वीकार किया।

आंतरिक नियंत्रण

3.16 निगम द्वारा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली तथा ओआरएस एवं ईटीआईएम के माध्यम से उत्पन्न राजस्वों के वास्तविक समय मिलान के माध्यम से यात्रियों को डोर स्टेप सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईटीएमएस परियोजना को क्रियान्वित करने की योजना बनाई गई (2010)। आईटीएमएस का प्रभावी क्रियान्वयन मार्गानुसार/ बसानुसार/ परिचालकानुसार डाटा के विश्लेषण के माध्यम से राजस्व छीजत के स्रोतों का पता लगाने में निगम को दक्षपूर्ण बनाता। इसके अतिरिक्त, जीपीआरएस मोड्यूल बसों की वास्तविक समय स्थिति के माध्यम से यात्रियों एवं निगम की सम्पतियों को रक्षा एवं सुरक्षा भी उपलब्ध कराता।

हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एवं मास्टर डाटा में आवश्यकता एवं क्षेत्राधारित सेवा आवश्यकता मानदण्डों (एसआरएस); क्रियात्मक आवश्यकता मानदण्डों (एफआरएस); उपयोगकर्ता सहमति; एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आवश्यकताएं; तथा परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के संबंध में कोई निर्धारण नहीं किया गया था। पर्याप्त आईटी नीतियों के अभाव में एवं निगम की आवश्यकतानुसार विकासावस्था पर परियोजना निर्धारण नहीं करने के कारण व्यावसायिक नियमों एवं नीतियों के अपर्याप्त होने/ अभिरेखित नहीं करने; नियंत्रणों के अभाव; सॉफ्टवेयर द्वारा उचित फील्ड की वैधता का पता नहीं लगाने; तथा सही प्रतिवेदनों की उत्पत्ति नहीं करने को बढ़ावा मिला।

निगम, सेवाप्रदाता के साथ किये गये सेवा स्तर समझौते/ कार्यादेश में दिये गये नियम एवं शर्तों के अनुसार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मूल्यांकन करने में विफल रहा तथा 'पायलट स्वीकृति परीक्षण' एवं 'उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण' प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये।

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन

सेवाप्रदाता को अदेय लाभ

3.17 निगम द्वारा अध्ययन करने, विकसित करने, आपूर्ति करने, संस्थापित करने, परीक्षण करने, प्रशिक्षित करने एवं ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के रखरखाव करने तथा आईटीएमएस के एक भाग के रूप में मौजूदा ईटीआईएम्स² को एकीकृत करने के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड (सेवाप्रदाता) को कार्यादेश प्रदान किया गया एवं उसके साथ एक सेवा स्तर समझौता (एसएलए) निष्पादित किया गया (11 मई 2011)।

एसएलए की अनुसूची 3 में सेवाप्रदाता को किये जाने वाले भुगतानों की नियम एवं शर्तों का प्रावधान था जिसमें निर्दिष्ट था कि निगम टिकटों/ व्यवहारों की संख्या के आधार पर मासिक रूप से भुगतान करेगा। तथापि, ईटीआईएम्स के माध्यम से विक्रय किये गये टिकटों के लिए निगम द्वारा सभी ईटीआईएम्स में जीपीआरएस मोड्यूल के सफलतापूर्वक संचालन के बाद भुगतान किया जाना था। साथ ही, एसएलए के वाक्यांश 32 में प्रावधान था कि सेवाप्रदाता को छपाई पूर्व की टिकटों अथवा ईटीआईएम्स के माध्यम से जारी की गई टिकटों पर रिक्त स्थान का किसी प्रकार के विज्ञापन के लिए उपयोग करना अनुमत नहीं था।

टिकटिंग तथा ओआरएस एवं ईटीआईएम्स के वित्तीय डाटा के साथ वास्तविक समय एकीकृत करने; डिपोज पर ईटीआईएम्स पर पेशगी बुकिंग विवरणों के वांछित डाटा की डाउनलोडिंग; ईटीआईएम्स को अपग्रेड करने एवं उनको ऑनलाइन संचालित करने; राजस्व मिलान; ऑनलाइन एमआईएस तथा निगम की आवश्यकतानुसार निर्णय समर्थन प्रणाली के लिए जीपीआरएस मोड्यूल आवश्यक था।

हमने देखा कि जीपीआरएस मोड्यूल परियोजना के प्रारम्भ से ही ईटीआईएम्स में क्रियाशील नहीं था। तथापि, निगम ने ईटीआईएम्स के माध्यम से जारी किये गये टिकटों के लिए 2011 से सेवाप्रदाता को ₹ 15.90 करोड़ के भुगतान जारी किये। ये भुगतान एसएलए की अनुसूची 3 के उल्लंघन में किये गये। हमने आगे देखा कि ओआरएस ने एक टिकट/ व्यवहार में छः यात्रियों की अधिकतम संख्या के लिए टिकट बुकिंग को अनुमत किया लेकिन ईटीआईएम्स ने प्रत्येक यात्री के लिए अलग टिकट जारी किये। ईटीआईएम्स ने, इस प्रकार, समान गंतव्य को यात्रा करने वाले एक परिवार अथवा व्यक्तियों के एक समूह के लिए कई टिकट जारी किये गये तथा इसने सेवाप्रदाता को अधिक भुगतान करने को बढ़ावा दिया।

यह भी देखा गया कि सेवाप्रदाता द्वारा एसएलए के वाक्यांश 32 के उल्लंघन में ईटीआईएम्स के माध्यम से जारी किये गये टिकटों पर 'ट्राइमेक्स द्वारा प्रायोजित' नामक टैग लाइन की छपाई की गई।

निगम ने उत्तर दिया कि ईटीआईएम्स में जीपीआरएस क्रियाशीलता सेवाप्रदाता द्वारा उपलब्ध करायी गई थी लेकिन उचित नेटवर्क के अभाव के कारण, ईटीआईएम्स कार्य नहीं कर रही थी एवं टिकटों को जारी करने में अधिक समय ले रही थी तथा इसलिए इनको क्रियाशील नहीं रखा गया।

2 निगम द्वारा सेवाप्रदाता को 5000 ईटीआईएम्स उपलब्ध कराई गई।

तथ्य यही रहा कि आईटीएमएस परियोजना के उद्देश्यों तथा सेवाप्रदाता के साथ निष्पादित किये गये समझौते के अनुसार, जीपीआरएस मोड्यूल एक मुख्य आवश्यकता थी। जीपीआरएस मोड्यूल के क्रियाशील नहीं होने ने आईटीएमएस के मुख्य उद्देश्य को विफल किया तथा सेवाप्रदाता को समझौते के उल्लंघन में भुगतान किया गया था।

संचालन आय का मिलान नहीं होना

3.18 ओआरएस तथा ईटीआईएम्स द्वारा टिकटों के विक्रय के माध्यम से संग्रहीत किया गया राजस्व लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए राजस्व से मिलान करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि सम्पूर्ण राजस्व को परिचालकों से संग्रहीत किया गया एवं लेखांकित किया गया तथा इससे राजस्व की कोई छीजत नहीं हुई।

हमने देखा कि ई-टिकटिंग प्रणाली के अनुसार संग्रहीत किये गये राजस्व को लेखों के साथ मिलान करने की कोई प्रणाली मौजूद नहीं थी। 2014-15 के दौरान, आईटी डाटा के अनुसार ओआरएस तथा ईटीआईएम्स द्वारा टिकटों के विक्रय के माध्यम से संग्रहीत की गई शुद्ध संचालित आय ₹ 1547.52 करोड़ थी जबकि लेखापरीक्षित लेखों के अनुसार यह ₹ 1511.48 करोड़ (ईटीआईएम्स एवं ओआरएस के हिसाब में नहीं ली गई समस्त आय को छोड़कर) थी। निगम द्वारा ₹ 36.04 करोड़ के अंतर का समाधान नहीं किया गया था। इस प्रकार, ईटीआईएम्स एवं ओआरएस द्वारा डिपो स्तर पर परिचालकों द्वारा आय को जमा नहीं कराने को इंगित करते हुए, लेखों में लेखांकित की गई आय से अधिक आय दर्शाई गई।

हमारे विश्लेषण ने आगे उजागर किया कि आईटी डाटा के अनुसार संचालित आय के शीर्षानुसार आंकड़े भी लेखा पुस्तकों में दर्शाए गए समान आंकड़ों के साथ मेल नहीं खाते थे। उदाहरणार्थ, आईटी डाटा के अनुसार आरएफआईडी कार्ड के नवीनीकरण से आय 2014-15 में ₹ 19.82 करोड़ थी लेकिन लेखा पुस्तकों में यह ₹ 12.94 करोड़ बताई गई थी।

आईटी डाटा के अनुसार डिपो अनुसार संचालित आय का संग्रह भी लेखा पुस्तकों से मेल नहीं खाता था। हमने जनवरी 2016 माह के लिए जयपुर डिपो की संचालित आय की नमूना जांच की तथा पाया कि आईटी डाटा के अनुसार आय ₹ 3.68 करोड़ थी जबकि लेखापुस्तकों के अनुसार यह ₹ 3.45 करोड़ थी।

आईटी डाटा तथा लेखापुस्तकों के अनुसार आय के समाधान नहीं होने के कारण आईटीएमएस परियोजना क्रियान्वित करने का उद्देश्य विफल हुआ।

निगम ने बताया कि डाटा के समाधान के लिए जल्दी ही कार्यवाही की जायेगी।

प्रणाली डिजाइन में कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण

3.19 निगम द्वारा राज्य एवं राज्य के बाहर संचालित बसों के विशाल बेड़े के मद्देनजर, ओआरएस तथा ईटीआईएम्स के माध्यम से प्रचलित नियमों के अनुसार टिकट जारी करना महत्वपूर्ण है क्योंकि नियमों को गलत रूप से लागू/ समाहित करना निगम के राजस्व को गंभीर रूप से बाधित कर सकता था। इस प्रकार, व्यावसायिक नियमों/ नीतियों को अभिरेखित करने, व्यावसायिक नियमों एवं निगम की आवश्यकताओं के अनुसार आगत डाटा एवं निर्गत परिणामों की वैधता को सुनिश्चित करने के लिए सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना चाहिए। एप्लीकेशन

सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में कोई कमी, अपर्याप्त वैधता नियंत्रण तथा व्यावसायिक नियमों को अपर्याप्त अथवा अभिरेखित नहीं करना निगम के लिये वित्तीय हानि का कारण बन सकता था। प्रणाली डिजाइन में कमियों, व्यावसायिक नियमों/ नीतियों को अपर्याप्त अथवा अभिरेखित नहीं करने तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रणों के उदाहरण जिसकी चर्चा आगामी अनुच्छेदों में की गई, के परिणामतः

- महिला यात्रियों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां;
- वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां;
- विद्यार्थी एवं मासिक पासधारक यात्रियों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां;
- अनाधिकृत रियायत/ आरएफआईडी कार्ड के समक्ष यात्रा;
- किराये की कम वसूली;
- आरक्षण/ निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली/ वसूली का अभाव; तथा
- अन्य कमियां।

महिला यात्रियों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां

महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा

3.20 निगम ने राज्य की भौगोलिक सीमाओं में केवल 'महिला दिवस' (8 मार्च) तथा 'रक्षा बंधन' पर महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा अनुमत करने के निर्देश जारी किये (27 फरवरी 2015 एवं 20 अगस्त 2015)। मुफ्त यात्रा के लिए टिकट 'एलएडी' रियायत कोड के साथ 'शून्य' मूल्य पर जारी किये जाने थे।

तथापि, निर्देशों को सॉफ्टवेयर में पर्याप्त रूप से अभिरेखित नहीं किया गया था। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि प्रतिदर्शित डिपोज द्वारा 'महिला दिवस' तथा 'रक्षा बंधन' के अतिरिक्त दिनों पर यात्रा के लिए 2014-16 के दौरान महिला यात्रियों को 'शून्य' मूल्य पर 5479 टिकट जारी किये गये जिसके कारण ₹ 2.09 लाख की हानि हुई।

इसके अतिरिक्त, निगम ने निर्देशों के उल्लंघन में 'महिला दिवस' तथा 'रक्षा बंधन' पर राज्य के बाहर की यात्रा के लिए महिला यात्रियों को 'शून्य' मूल्य पर 18346 टिकट भी जारी किये। इसके कारण निगम को ₹ 9.14 लाख की हानि हुई।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि परिचालकों से वसूली की जा रही थी तथा सेवाप्रदाता को ऐसे दृष्टान्तों को रोकने के लिए सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

राज्य से बाहर की गई यात्राओं पर महिला यात्रियों को रियायत

3.21 राज्य सरकार ने 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011' के अधीन निश्चित सेवाओं को अधिसूचित किया (जून 2012) जिसमें राज्य की महिला यात्रियों को रियायती यात्रा का प्रावधान था। तदनुसार, निगम ने राज्य एवं उसके बाहर की गई निर्बाध यात्रा के लिए सभी प्रकार की बसों के किराये में महिला यात्रियों को 30 प्रतिशत छूट

अनुमत की (21 जून 2013)। बाद में, निगम द्वारा रियायत को केवल राज्य की सीमाओं के भीतर की गई यात्रा तक सीमित कर दिया गया (28 अप्रैल 2014)।

निगम द्वारा ऐसा कोई तंत्र विकसित नहीं किया गया जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि छूट केवल राजस्थान मूल की महिला यात्रियों के लिए अनुमत की गई थी। साथ ही, केवल राज्य की सीमाओं में की गई यात्राओं के लिए छूट अनुमत करने के निर्देशों को भी सॉफ्टवेयर में अभिरेखित नहीं किया गया तथा इसके परिणामतः ईटीआईएम्स द्वारा सभी स्थितियों में महिला यात्रियों को 30 प्रतिशत की छूट को ध्यान में रखते हुए टिकट जारी किये गये। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि निगम ने 30 प्रतिशत की छूट उपलब्ध कराने के बाद राज्य की सीमाओं के बाहर की यात्राओं के लिए 1 मई 2014 से 30 नवम्बर 2015 की अवधि के दौरान महिला यात्रियों को 5.51 लाख टिकट जारी किये जिसके कारण ₹ 73.34 लाख के किराये की कम वसूली हुई। उन मामलों में जहां महिला यात्रियों ने राज्य के भीतर यात्रा के साथ संयोजित यात्रा की वहां संयोजित यात्रा के अलग डाटा की अनुपलब्धता के कारण किराये की कम वसूली की गणना नहीं की जा सकी।

निगम ने बताया कि राज्य की सीमाओं के बाहर की गई यात्राओं के लिए महिला यात्रियों को छूट अनुमत नहीं की गई। उत्तर सही नहीं था क्योंकि इंगित किये गये मामले विशेष रूप से राज्य से बाहर की गई यात्राओं के लिए महिला यात्रियों को ईटीआईएम्स के माध्यम से रियायती टिकट जारी करने से संबंध रखते हैं।

महिला यात्रियों के लिए लिंगभेद के अनुसार रियायत को अभिरेखित नहीं करना

3.22 निगम द्वारा सभी प्रकार की बसों के लिए महिला यात्रियों को आधार किराये में 30 प्रतिशत की छूट अनुमत की गई।

बुकिंग विंडो के माध्यम से ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली के डाटा से उजागर हुआ कि 2014-16 के दौरान महिला रियायत को अनुमत करने वाले 55.50 लाख टिकट पुरुष यात्रियों को जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली के डाटा (वेब पोर्टल एवं बुकिंग विंडो) ने इंगित किया कि 40.85 लाख टिकट महिला यात्रियों को जारी किये लेकिन 30 प्रतिशत की रियायत अनुमत नहीं की गई।

इसने यह दर्शाया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यात्री के लिंगभेद को इंगित करने वाले फील्ड की वैधता निर्धारित करने में विफल रहा तथा केवल महिला रियायत के लिए निर्धारित कोड (एमसीटी) के आधार पर रियायत अनुमत की। इसके परिणामतः पुरुष यात्रियों को महिला रियायत कोड के समक्ष ₹ 11.49 करोड़ की रियायत अनुमत की गई।

पुरुष यात्रियों को अनुमत की गई महिला रियायत को इंगित करते हुए डाटाबेस का एक छायाचित्र नीचे दर्शाया गया है:

TICKET_NO	ISSUE_TM_DATE	AUD_FIN_YEAR	PASSENGER_SEX	CONCESSION_CD	HOME_STATE_AMT
427	121576459	31-Dec-15	2015-2016	M	58.00
428	121576458	31-Dec-15	2015-2016	M	58.00
429	121576456	31-Dec-15	2015-2016	M	31.00
430	121576445	31-Dec-15	2015-2016	M	64.00
431	121576443	31-Dec-15	2015-2016	M	22.00
432	121576441	31-Dec-15	2015-2016	M	16.00
433	121576425	31-Dec-15	2015-2016	M	31.00
434	121576420	31-Dec-15	2015-2016	M	73.00
435	121576387	31-Dec-15	2015-2016	M	81.00
436	121576386	31-Dec-15	2015-2016	M	22.00
437	121576352	31-Dec-15	2015-2016	M	104.00
438	121576339	31-Dec-15	2015-2016	M	24.00
439	121576335	31-Dec-15	2015-2016	M	31.00
440	121576334	31-Dec-15	2015-2016	M	31.00

निगम द्वारा बताया गया कि सेवाप्रदाता द्वारा निकाले गये प्रतिवेदनों ने पुरुष यात्रियों के मामले में एमसीटी रियायत को गलत रूप से प्रदर्शित किया गया तथा इससे निगम को कोई हानि नहीं हुई। इसने आगे बताया कि सेवाप्रदाता को समस्या में सुधार करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि डाटा सर्वर से लिये गये थे न कि सेवाप्रदाता के प्रतिवेदनों से। साथ ही, सॉफ्टवेयर रियायत कोड के साथ लिंगभेद की वैधता स्थापित करने में असक्षम था।

वरिष्ठ नागरिकों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां

अपात्र व्यक्तियों को वरिष्ठ नागरिक रियायत

3.23 निगम द्वारा वरिष्ठ नागरिकों की आयु 60 वर्ष निर्दिष्ट करते हुए एक परिपत्र जारी किया गया (20 अप्रैल 2011)। निगम द्वारा राज्य के वरिष्ठ नागरिकों को आरएफआईडी कार्ड के समक्ष आधार किराये में 30 प्रतिशत की छूट अनुमत की गई।

वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अन्तर्गत रियायत चाहने वाले व्यक्तियों को आरएफआईडी कार्ड को बनवाने के लिए अन्य आवश्यक प्रलेखों के साथ आयु के साक्ष्य को प्रस्तुत करना आवश्यक था। आवेदक के विवरणों को डिपो स्तर पर ऑनलाइन आरएफआईडी मोडयूल में प्रविष्ट किया गया तथा आईटी प्रकोष्ठ को अग्रेषित किया गया। आईटी प्रकोष्ठ ने विवरणों को सत्यापित किया एवं आरएफआईडी कार्ड तैयार करने के लिए उनको सेवाप्रदाता के पास भेज दिया। आरएफआईडी कार्ड की प्राप्ति पर आईटी प्रकोष्ठ द्वारा मास्टर डाटा में सेवाप्रदाता द्वारा प्रविष्ट किये गये विवरणों की फिर से पुनः जांच की गई।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि निगम ने वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अन्तर्गत आरएफआईडी कार्ड उन व्यक्तियों को जारी किये जिनकी आयु 20 से 59 वर्ष के बीच थी। नियमों को अपर्याप्त रूप से अभिरेखित करने के कारण घटित हुई कमी द्वारा वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के लिए आरएफआईडी कार्ड प्रक्रियागत करते समय सॉफ्टवेयर द्वारा आयु की वैधता के पुष्टिकरण नहीं करने को बढ़ावा दिया गया। इसके द्वारा डिपोज एवं आईटी प्रकोष्ठ द्वारा

विवरणों के अनुचित सत्यापन को भी इंगित किया गया।

वर्ष 2014-16 के दौरान, चयनित डिपोज में ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली एवं ईटीआईएम्स द्वारा वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अधीन आरएफआईडी कार्डधारकों को क्रमशः 7.27 लाख एवं 0.13 लाख टिकट जारी किये गये यद्यपि उन्होंने 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की थी। वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अंतर्गत रियायत का दावा करने वाले व्यक्तियों की आयु के संबंध में सॉफ्टवेयर में उचित नियंत्रणों के अभाव एवं आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता के कारण इन टिकटों के समक्ष ₹ 1.64 करोड़ की अनाधिकृत रियायत को बढ़ावा मिला।

निगम ने बताया कि आरएफआईडी कार्ड आवेदकों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रलेखों के उचित सत्यापन के बाद जारी किये गये थे तथा विसंगतियां कर्मचारियों द्वारा गलत आगत के कारण घटित हो सकती थी। तथ्य यही रहे कि सॉफ्टवेयर में वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अंतर्गत आरएफआईडी कार्ड को जारी करने के लिए आवश्यक आयु को वैध ठहराने के लिए प्रोग्राम नहीं बनाया गया था। साथ ही, आवेदकों की आयु को सत्यापित करने के लिए कई स्तरों पर आंतरिक नियंत्रण तंत्र विफल हुआ था।

राजस्थान से बाहर की गई यात्राओं पर वरिष्ठ नागरिकों को रियायत

3.24 निगम द्वारा महिला यात्रियों को दी गई छूट की तरह ही वरिष्ठ नागरिकों को छूट अनुमत की गई जिसकी चर्चा उपर्युक्त अनुच्छेद 3.21 में की गई।

तथापि, सेवाप्रदाता द्वारा निर्देशों (28 अप्रैल 2014) को सॉफ्टवेयर में समाहित नहीं किया गया था। तथापि, ईटीआईएम्स द्वारा यहां तक कि राज्य की सीमा से बाहर की गई यात्राओं पर भी वरिष्ठ नागरिकों को रियायती टिकट जारी किये गये। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि चयनित डिपोज द्वारा 1 मई 2014 एवं 30 नवंबर 2015 के बीच अनन्य रूप से राज्य से बाहर की गई यात्राओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों को 36841 रियायती टिकट जारी किये गये। इसके परिणामतः ₹ 5.48 लाख के किराये की कम वसूली हुई। उन मामलों में जहां वरिष्ठ नागरिक यात्रियों ने राज्य के भीतर यात्रा के साथ संयोजित यात्रा की वहां संयोजित यात्रा के अलग डाटा की अनुपलब्धता के कारण किराये की कम वसूली की गणना नहीं की जा सकी।

निगम ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को राज्य की सीमा से बाहर उनके द्वारा की गई यात्राओं के लिए कोई रियायत अनुमत नहीं की गई तथा बताया कि अनुच्छेद में इंगित किये गये मामले संयोजित यात्रा से संबंधित थे जहां रियायत केवल राज्य में की गई यात्राओं तक अनुमत की गई थी।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि ईटीआईएम्स के डाटा ने दर्शाया कि रियायती टिकट अनन्य रूप से राज्य के बाहर के क्षेत्र में की गई यात्राओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों को जारी किये गये थे।

विद्यार्थी एवं मासिक पास यात्रियों को रियायत अनुमत करने में विसंगतियां

रविवार को मुफ्त यात्रा अनुमत करना

3.25 निगम द्वारा रविवार को सम्मिलित अथवा अलग करते हुए सभी साप्ताहिक दिनों पर यात्रा करने की सुविधा के साथ यात्रियों को मासिक पास जारी किये गये। ईटीआईएम्स द्वारा

उनकी श्रेणी पर निर्भर करते हुए ऐसे पासों के समक्ष 'शून्य' मूल्य वाले टिकट जारी किये जाने आवश्यक थे। 'रविवार के अतिरिक्त' श्रेणी के अंतर्गत मासिक पास वाले यात्रियों द्वारा रविवार को यात्रा करने के लिए टिकट का पूरा मूल्य चुकाया जाना आवश्यक था।

हमने देखा कि सॉफ्टवेयर सप्ताह के दिन को, जिस पर यात्री को टिकट जारी किया गया, तिथि के साथ सहसंबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं था। परिणामतः इस तथ्य के बावजूद कि पास रविवार को मुफ्त यात्रा के लिए पात्र नहीं थे, ईटीआईएमएस ने 2014-16 के दौरान 8758 मासिक पासधारकों को रविवार को 'शून्य' मूल्य वाले टिकट जारी किये। सॉफ्टवेयर में इस कमी के कारण प्रतिदर्शित डिपोज में निगम को ₹ 9.03 लाख की हानि हुई।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि संबंधित कर्मचारियों से वसूली प्रगति पर थी। इसने आगे बताया कि मासिक पास की सुविधा (रविवार के अतिरिक्त) जुलाई 2016 से बंद की जा चुकी थी।

किराये की प्राप्ति के बिना शून्य शेष मासिक पास पर यात्रा अनुमत करना

3.26 मासिक पास निर्धारित प्रभारों के भुगतान पर निगम से प्राप्त किये जा सकते थे। तथापि, ये पास शून्य शेष वाले थे एवं तब तक प्रयुक्त नहीं किये जा सकते थे जब तक इनको पेशगी राशि के साथ रिचार्ज नहीं करवा लिया जाता। पेशगी राशि पास में दर्शाए गए स्रोत एवं गंतव्य तथा यात्री द्वारा यात्रा करने के लिए चुनी गई बस के प्रकार के आधार पर वसूली जानी थी। कार्डधारकों द्वारा ऐसे पास प्रयुक्त किये जाने पर एक शून्य मूल्य का टिकट जारी किया जाता था।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि प्रतिदर्शित डिपोज ने ₹ 42.63 लाख के पेशगी किराये की आवश्यक राशि प्राप्त किये बिना 4541 मासिक पास जारी एवं एक्टीवेट किये तथा 2014-16 के दौरान इन कार्ड पर 3662 शून्य मूल्य के टिकट भी जारी किये। इन कार्डधारकों द्वारा की गई यात्राओं के लिए टिकटों का मूल्य ₹ 0.92 लाख था।

किराये की राशि प्राप्त किये बिना मासिक पास पर की गई यात्रा को अनुमत करने को इंगित करते हुए डाटाबेस का एक छायाचित्र नीचे दर्शाया गया है:

RFID CUSTOMER DETAIL									
Unique Customer Id	09130006169263	Depot Name	BIKANER	Registration Date	02-09-2013 17:51:09				
First Name	OM PRAKASH	Middle Name		Last Name					
Gender	MALE	E-Mail		Mobile	9465938978				
Address	SUDARSHANA NAGAR BIKANER								
Proof ID	OTHERS	Proof Detail	P PND001904	Emp Pass Color	N/A				
Range Period	30/D	Card Stage	Dispatched	Registration Status	OK				
Pass Type	PASS	Pass Detail	MONTHLY-EXCEPT SUNDAY	Amount	0.00				
Activation Date	07-09-2013	Expiry date	07-09-2013						
Bus Type	EXP	From Stop	BIKANER	To Stop	NAPASAR				

Reprint Remittance Report														
Collection Date	10/04/2015													
Conductor Name	PURSHOTAM PAREEK-102939													
Route Name	BIKANER to Jaipur via MUNDGAR													
Waybill No	102939													
<input checked="" type="radio"/> Total Remittance Report <input type="radio"/> Ticket Report <input type="radio"/> DSA Report <input type="radio"/> ALL Ticket Report <input type="radio"/> Shift Wise Remittance Report <input type="button" value="Submit"/>														
VARISTR NAGRIK	CO00003	BRK	-NPS	1	0	1	0	0	1	0	0	16	07:40:52	09130000171106
WALLA CONCESSION	CO00004	BRK	-NPS	1	0	1	0	0	1	0	0	16	07:40:58	09130000169265
MONTHLY PASS	CO00005	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:41:11	09130000169265
MONTHLY PASS	CO00006	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:41:30	0914000000391
MONTHLY PASS	CO00007	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:41:39	09140000004178
MONTHLY PASS	CO00008	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:42:45	09140000003949
MONTHLY PASS	CO00009	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:42:58	09130000169262
MONTHLY PASS	CO00010	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:43:25	09130000169261
MONTHLY PASS	CO00011	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:43:53	09130000169263
PASSENGER	CO00012	BRK	-NPS	1	0	1	0	0	1	0	0	23	07:44:13	
MONTHLY PASS	CO00013	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:44:38	09130000169160
MONTHLY PASS	CO00014	BRK	-NPS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:44:54	09130000169260
LOW VISION RESHIRT	CO00015	BRK	-JAR	1	0	0	0	0	0	0	0	0	07:46:31	09130000169623
POLICE WARRANT	CO00016	BRK	-SIGH	1	0	3	0	0	6	2	0	120	07:47:14	09000000019878
POLICE WARRANT	CO00017	BRK	-SIGH	1	0	5	0	0	6	2	0	120	07:48:43	09000000019878
POLICE WARRANT	CO00018	BRK	-SIGH	1	0	5	0	0	6	2	0	120	07:49:10	09000000019878

निगम ने बताया कि कार्ड की एक्टीवेशन एवं मियाद स्वत्म होने की तिथि नये मासिक पास बनाते समय एक समान होगी तथा पास को रिचार्ज कराने पर मियाद स्वत्म होने की तिथि रिचार्ज की अवधि के अनुसार बदल दी जाती है। तथ्य यही रहा कि ईटीआईएम्स द्वारा पास को रिचार्ज किये बिना यात्रियों को यात्रा अनुमत की गई।

मासिक/ विद्यार्थी कार्ड धारकों को एक दिन में एक से अधिक आगमन प्रस्थान यात्रा अनुमत करना

3.27 निगम द्वारा आरएफआईडी कार्ड के समक्ष रियायती/ मुफ्त यात्रा के संबंध में निर्देशों की अनुपालना करने में निरीक्षण दलों एवं परिचालकों की विफलता के मद्देनजर, एक आदेश जारी किया गया (28 नवम्बर 2013) कि यदि ईटीआईएम्स एक संदेश प्रदर्शित करती है कि कार्ड के दिन की यात्रा पहले ही पूर्ण हो चुकी थी अथवा कार्ड की मियाद स्वत्म हो चुकी थी अथवा कार्ड मार्ग के लिए वैध नहीं था जिस पर यात्रा की जा रही थी, परिचालक टिकट की पूरी राशि प्रभारित करेंगे।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि ईटीआईएम्स ने 2014-16 के दौरान एक दिन में एक से अधिक यात्राओं के लिए (आगमन-प्रस्थान) 5.07 लाख मासिक/विद्यार्थी कार्डधारकों को 10.81 लाख टिकट जारी किये। यह रोचक था कि 11266 कार्डधारकों को एक दिन में एक तरफ की यात्रा के लिए समान ईटीआईएम्स द्वारा एक बार से अधिक टिकट जारी किये गये तथा 37962 कार्डधारकों को एक दिन में एक तरफ की यात्रा के लिए भिन्न-भिन्न ईटीआईएम्स द्वारा एक बार से अधिक टिकट जारी किये गये। इसने दर्शाया कि सेवाप्रदाता ने व्यवसाय के नियमों को अपर्याप्त रूप से अभिरेखित किया तथा ईटीआईएम्स को वास्तविक समयाधार पर केन्द्रीय सर्वर के साथ समन्वित नहीं किया गया।

ईटीआईएम्स द्वारा एक दिन में एक से अधिक यात्राओं के लिए मासिक/ विद्यार्थी कार्डधारकों को यात्रा अनुमत करने के कारण ₹ 1.20 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सेवाप्रदाता द्वारा वैध जांच नहीं करने के कारण समस्या हुई जिसके लिए सेवाप्रदाता से वसूली की कार्यवाही प्रकियाधीन थी। इसने आगे बताया कि सेवाप्रदाता को सॉफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

जारी किये गये कार्ड के अनुसार पात्र दूरी से परे विद्यार्थियों द्वारा यात्रा

3.28 निगम ने विद्यार्थी श्रेणी के लिए आरएफआईडी कार्ड को जारी/ नवीनीकरण के लिए दिशानिर्देश जारी किये (सितम्बर 2013)। दिशानिर्देशों में प्रावधान था कि किराये में 50 प्रतिशत की रियायत अनुमत की जायेगी तथा आरएफआईडी कार्ड में अकादमिक सत्र; तथा यात्रा के लिए आगमन-प्रस्थान स्थान, जो 50 किलोमीटर (किमी) तक सीमित था, दर्शाना चाहिए।

तथापि, विद्यार्थी श्रेणी के अंतर्गत जारी किये गये कार्ड में इन विवरणों को नहीं दर्शाया गया था। डाटा विश्लेषण द्वारा उजागर हुआ कि :

- चयनित डिपोज में ईटीआईएम्स द्वारा 15701 विद्यार्थी आरएफआईडी कार्डधारकों को 50 किमी की निर्दिष्ट सीमा के बाहर उनके द्वारा की गई यात्राओं के लिए 2014-16

के दौरान 54982 रियायती टिकट जारी किये गये तथा इस प्रकार ₹ 9.90 लाख की अपात्र रियायत प्रदान की गई।

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को विद्यार्थी आरएफआईडी कार्डधारक के अकादमिक सत्र की वैधता का पता लगाने के अनुसार डिजाइन नहीं किया गया था। इस प्रकार, ईटीआईएम्स ने निगम को ₹ 8.32 लाख की हानि पहुंचाते हुए 2014-16 के दौरान ग्रीष्मकालीन अवकाशों³ (16 मई से 30 जून) में 24120 आरएफआईडी कार्डधारकों पर 73467 रियायती टिकट जारी किये।

हमने देखा कि उपमहाप्रबंधक (आईटी) ने सेवाप्रदाता को सूचित किया (22 नवम्बर 2013) कि इन कमियों को सुधारने के बाद ही उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) / पायलट स्वीकृति परीक्षण (पीएटी) प्रमाणपत्र जारी किये जायेंगे। तथापि, निगम द्वारा कमियों में सुधार को सुनिश्चित किये बिना सेवाप्रदाता को यूएटी / पीएटी प्रमाणपत्र जारी किये गये (दिसम्बर 2013)।

निगम ने बताया कि इसने सितम्बर 2014 में पहले से ही ईटीआईएम सॉफ्टवेयर को बदलते हुए सुधारात्मक कार्यवाही की जा चुकी थी। उत्तर सही नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा उजागर किये गये मामले 2014-16 की अवधि से संबंधित है।

किराये की कम वसूली

प्रचलित टैरिफ पर किराये को प्रभारित नहीं करना

3.29 निगम द्वारा बसों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए किराये का पुनरीक्षण किया गया (27 मई 2014 एवं 26 अगस्त 2015) तथा उनको क्रमशः 1 जून 2014 एवं 1 सितम्बर 2015 से लागू किया गया। कार्यालय आदेशों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि प्रत्येक डिपो को बस स्टॉप के अनुसार किराया सूची तैयार करना तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि टिकट ईटीआईएम्स एवं ओआरएस के माध्यम से पुनरीक्षित किराये के अनुसार जारी किये गये थे।

डाटा विश्लेषण ने इंगित किया कि पुनरीक्षित किराये को सही समय पर ईटीआईएम्स में समाहित नहीं किया गया था जिसने ईटीआईएम्स द्वारा पुराने किराये के आधार पर टिकट जारी करने को बढ़ावा दिया। यह भी देखा गया कि ईटीआईएम्स द्वारा यहां तक कि पुरानी एवं नई किराया सूची में असूचित किराये पर टिकट जारी किये गये।

वर्ष 2014-16 के दौरान, चयनित डिपोज द्वारा पुनरीक्षण पूर्व किराये अथवा पुरानी एवं नई किराया सूची में असूचित किराये के आधार पर 98.12 लाख टिकट जारी किये गये। सेवाप्रदाता द्वारा सही/ पुनरीक्षित किराये के साथ ईटीआईएम्स को अद्यतन नहीं किया गया जिसके कारण निगम को ₹ 13.99 करोड़ की कम वसूली हुई।

निगम ने बताया कि डिपोज द्वारा यात्रियों से सही एवं पुनरीक्षित किराया वसूल किया गया। इसने आगे बताया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा मास्टर डाटा में मार्गों पर कुछ बस स्टोप्स

3 राज्य शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया शिक्षा कैलेण्डर।

को जोड़ने/ हटाने के कारण गलत प्रतिवेदन प्रिंट किये गये। इसने आगे बताया कि सेवाप्रदाता को तकनीकी मामले को सुधारने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

उत्तर सही नहीं था क्योंकि निगम द्वारा ना तो मार्गों के मास्टर डाटा में बदलाव के लिए कोई अभिलेख संधारित किया गया था तथा ना ही मूल मार्ग में परिवर्तन के मामले में परिवर्तनों को पहचानने के लिए मार्ग संख्या अलग से आवंटित की गई। इसके द्वारा सीकर डिपो के एकतरफा 'वे बिल' के अतिरिक्त मास्टर डाटा में किये गये बदलाव का कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया गया।

अंतर्राज्जीय बसों में किराये की कम वसूली

3.30 निगम द्वारा संबंधित राज्य के साथ किये गये समझौतों के अनुसार अंतर्राज्जीय बसों (एक्सप्रेस, डीलक्स एवं एसी/ वोल्वो) का संचालन किया गया। निगम ने उस राज्य द्वारा किराये के पुनरीक्षण पर संबंधित राज्य में बढ़े किराये की तुरंत वसूली के लिए सभी मुख्य प्रबंधकों को निर्देश जारी किये (14 मई 1993)। निर्देशों में निर्दिष्ट भी था कि पुनरीक्षित किराये की सूची को संबंधित राज्य के स्टेशन प्रभारी से प्राप्त किया जाना था तथा पुनरीक्षित किराये की सूची को प्रधान कार्यालय के आदेशों की प्रतीक्षा किये बिना डिपो स्तर पर तैयार किया जाना था। साथ ही, परिचालकों द्वारा संबंधित राज्य द्वारा किराये के पुनरीक्षण के बाद वापसी यात्रा के दौरान पुनरीक्षित किराये की वसूली करना आवश्यक था।

वर्ष 2014-16 के दौरान हरियाणा एवं उत्तरप्रदेश राज्यों में इन राज्यों द्वारा किराये के पुनरीक्षण के संबंध में किराये की वसूली से संबंधित डाटा के विश्लेषण ने दर्शाया कि निगम द्वारा पुनरीक्षित किये गये किराये को उस राज्य द्वारा प्रभावी किये जाने की तिथि के बाद की तिथि से पुनरीक्षित किराये की वसूली की गई। साथ ही, निगम ने उस राज्य के बस स्टॉप्स के बीच एक्सप्रेस सेवा के लिए स्थानीय बस किराये की वसूली की। पुनरीक्षित किराये की देरी से वसूली तथा हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश राज्यों में स्थानीय बस किराये की वसूली के कारण ₹ 6.42 करोड़ के किराये की कम वसूली हुई।

निगम ने बताया कि अंतर्राज्जीय परिवहन के मामले में समान किराया नीति का पालन किया जा रहा था। हरियाणा राज्य में एक्सप्रेस सेवा संचालित नहीं की गई थी इसलिये साधारण किराया प्रभारित किया गया था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि निगम द्वारा यहां तक कि हरियाणा राज्य द्वारा अधिसूचित न्यूनतम किराये की भी वसूली नहीं की गई जो समतल क्षेत्रों में सभी पक्की सड़कों के लिए डीलक्स बसों से नीचे के स्तर की सभी प्रकार की सेवाओं के लिए लागू था। तथ्य यही रहा कि निगम द्वारा किराये के पुनरीक्षण की तिथि से लागू होने वाला किराया प्रभारित नहीं किया गया। निगम का उत्तर उत्तरप्रदेश से संबंधित मामलों पर मौन था।

मुफ्त यात्रा टिकटों पर आईटी फीस, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, टोल टैक्स एवं मानव संसाधन अधिभार की वसूली का अभाव

3.31 निगम ने राज्य सरकार के आदेशानुसार निश्चित श्रेणी के व्यक्तियों के लिए रियायती/ मुफ्त यात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई। रियायती/ मुफ्त यात्रा के परिणामतः निगम पर वित्तीय भार का राज्य सरकार द्वारा पुनर्भरण किया गया। निगम ने रियायती/ मुफ्त यात्रा से उत्पन्न

वित्तीय भार, जहां सूचना तकनीक फीस, दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार, टोल टैक्स एवं मानव संसाधन अधिभार को वित्तीय भार में शामिल किया जाना था, की गणना की प्रक्रिया को परिभाषित किया (जुलाई 2006 एवं नवम्बर 2006)।

हमने देखा कि निगम ने एमएलए एवं एमपी द्वारा की गई मुफ्त यात्रा से उत्पन्न वित्तीय भार में करों एवं अधिभारों को शामिल किया था। तथापि, 'शून्य मूल्य' कीमत के जारी किये गये टिकटों के मामलों में करों एवं अधिभारों को राज्य सरकार से प्राप्त किये जाने वाले वित्तीय भार में शामिल नहीं किये गये थे। इन मामलों में, राज्य सरकार से केवल आधार किराये की वसूली का दावा किया गया था। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि करों एवं अधिभारों की राशि की गणना करने के लिए सॉफ्टवेयर में कमी थी जहां आधार किराये को शून्य के रूप में माना गया था। इसके कारण 2014-16 के दौरान राज्य सरकार से करों एवं अधिभारों के पेटे ₹ 2.05 करोड़ की वसूली का अभाव रहा।

हमने आगे देखा कि निगम ने यात्रा की दूरी के आधार पर ₹ एक से तीन प्रति टोल बूथ की दर से टोल टैक्स की वसूली के लिए निर्देश जारी किये (जून 2011)। तथापि, डाटा में, एक मार्ग विशेष पर टोल बूथों की संख्या के संबंध में कोई फील्ड नहीं था। रियायती यात्रा (शून्य मूल्य टिकटों के अतिरिक्त) के पेटे राज्य सरकार से वसूल किये जाने वाले टोल टैक्स की राशि की डिपो स्तर पर मैनुअली प्रविष्ट की गई थी। मैनुअली प्रविष्ट की गई टोल टैक्स की राशि की शुद्धता को व्यवहारों की वृहद संख्या के मद्देनजर सत्यापित नहीं किया जा सका।

निगम ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि भविष्य में राज्य सरकार से सभी करों एवं अधिभारों का पुनर्भरण कराने के लिए रियायत प्रतिवेदन में आवश्यक सुधार किये जा चुके थे।

निरस्तीकरण/ आरक्षण प्रभारों की कम वसूली/ वसूली का अभाव

आरक्षण प्रभारों की अवसूली

3.32 निगम के आरक्षण नियमों (2011) के अनुसार, एक यात्री ऑनलाइन वेब पोर्टल एवं डिपो पर बुकिंग विंडो के माध्यम से आरक्षण करा सकता है। ऑनलाइन वेब पोर्टल के माध्यम से आरक्षण सुविधा एक बस की अनुसूचित रवानगी से पूर्व के 30 मिनट तक उपलब्ध थी। तथापि, ऑनलाइन वेब पोर्टल अथवा बुकिंग विंडो के माध्यम से एक बस की अनुसूचित रवानगी से 30 मिनट पूर्व तक आरक्षण चाहने वाले यात्रियों को ₹ दो प्रति यात्री की दर से आरक्षण प्रभार चुकाने आवश्यक थे। आरक्षण प्रभार एक बस की अनुसूचित रवानगी के 30 मिनट में बुकिंग विंडो के माध्यम से किये गये आरक्षण पर लागू नहीं थे।

हमने देखा कि आरक्षण के नियमों को सॉफ्टवेयर में पर्याप्त रूप से अभिरेखित नहीं किया गया था। इसके परिणामतः 2014-16 के दौरान एक बस की अनुसूचित रवानगी से 30 मिनट पूर्व बुकिंग विंडो के माध्यम से जारी किये गये 38.82 लाख⁴ यात्री टिकटों में, ₹ 0.78 करोड़ राशि के आरक्षण प्रभारों की वसूली नहीं की गई।

4 चालू बुकिंग काउण्टरों द्वारा 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान क्रमशः 22.86 लाख एवं 15.96 लाख यात्री टिकट जारी किये गये।

आरक्षण प्रभारों की वसूली के अभाव को इंगित करते हुए डाटाबेस का एक छायाचित्र नीचे दर्शाया गया है:

TICKET_NO	ISSUE_TM_DATE	ISSUE_TM_TIME	BOARDING_TM_DATE	BOARDING_TM_TIME	AUDIT_DIFF_TIME	RESERVATION_AMT	AUD_FIN
1	121579926	31-Dec-15	21:03:20	31-Dec-15	23:31:00	148	0.00 2015-2016
2	121579925	31-Dec-15	21:03:20	31-Dec-15	23:31:00	148	0.00 2015-2016
3	121579924	31-Dec-15	21:03:20	31-Dec-15	23:31:00	148	0.00 2015-2016
4	121571768	31-Dec-15	17:28:40	31-Dec-15	19:40:00	131	0.00 2015-2016
5	121571767	31-Dec-15	17:28:40	31-Dec-15	19:40:00	131	0.00 2015-2016
6	121571321	31-Dec-15	17:23:27	31-Dec-15	20:00:00	157	0.00 2015-2016
7	121571320	31-Dec-15	17:23:27	31-Dec-15	20:00:00	157	0.00 2015-2016
8	121571132	31-Dec-15	17:21:02	31-Dec-15	20:00:00	159	0.00 2015-2016
9	121571071	31-Dec-15	17:20:14	31-Dec-15	20:00:00	160	0.00 2015-2016
10	121571023	31-Dec-15	17:19:39	31-Dec-15	20:00:00	160	0.00 2015-2016
11	121570983	31-Dec-15	17:19:07	31-Dec-15	20:00:00	161	0.00 2015-2016
12	121570881	31-Dec-15	17:18:05	31-Dec-15	20:00:00	162	0.00 2015-2016
13	121570880	31-Dec-15	17:18:05	31-Dec-15	20:00:00	162	0.00 2015-2016
14	121570820	31-Dec-15	17:17:21	31-Dec-15	20:00:00	163	0.00 2015-2016
15	121570786	31-Dec-15	17:16:57	31-Dec-15	20:00:00	163	0.00 2015-2016
16	121570300	31-Dec-15	17:11:36	31-Dec-15	20:00:00	168	0.00 2015-2016
17	121570189	31-Dec-15	17:10:13	31-Dec-15	20:00:00	170	0.00 2015-2016
18	121570188	31-Dec-15	17:10:13	31-Dec-15	20:00:00	170	0.00 2015-2016
19	121567480	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016
20	121567479	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016
21	121567478	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016
22	121567477	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016
23	121567476	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016
24	121567475	31-Dec-15	16:39:30	31-Dec-15	19:00:00	141	0.00 2015-2016

निगम ने बताया कि साधारण, ग्रामीण एवं एक्सप्रेस बसों के मामले में आरक्षण प्रभारों की वसूली नहीं की गई तथा लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामले इन श्रेणी की बसों से संबंधित थे।

उत्तर सही नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामले बसों की एक्सप्रेस एवं इसके ऊपर श्रेणी से संबंध रखते हैं जिनके लिए आरक्षण प्रभारों की निगम द्वारा व्यावसायिक नियमानुसार वसूली की जानी थी।

निर्धारित निरस्तीकरण प्रभारों को वसूल किये बिना टिकटों का निरस्तीकरण

3.33 निगम ने एक टिकट के निरस्तीकरण के समय बस की अनुसूचित रवानगी में शेष रहे समय के आधार पर आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण प्रभारों की भिन्न-भिन्न दरें निश्चित की।

हमने देखा कि ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली नियत दरों के अनुसार निरस्तीकरण प्रभारों को वसूल करने के लिए अपर्याप्त थी। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली ने प्रभारित की जाने वाली दरों को अनुचित रूप से अभिरेखित करने के कारण 2014-16 के दौरान निरस्त किये गये 4362 टिकटों के समक्ष ₹ 0.14 करोड़ के निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली हुई।

निगम ने बताया कि आंशिक निरस्तीकरण के मामले में, निरस्तीकरण प्रभार केवल निरस्त किये गये टिकट के लिए वसूले गये तथा शेष यात्रियों के लिए प्रणाली द्वारा नयी टिकट उत्पन्न की गई तथा इसलिए, निगम को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर सहमतिकारक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामले उन टिकटों से संबंध रखते हैं जहां निगम द्वारा एक टिकट के लिए निरस्तीकरण आदेश जारी किये जा चुके थे तथा निरस्तीकरण प्रभार नियमानुसार वसूल नहीं किये गये थे।

आरएफआईडी कार्ड के समक्ष अनाधिकृत रियायत/ यात्रा

नियत श्रेणी के अतिरिक्त आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा

3.34 रियायत की 22 श्रेणियों के अधीन चयनित डिपोज में ईटीआईएम्स के माध्यम से तीन श्रेणियों (एसपी/ सीटी/ आरएटी) के 24129 आरएफआईडी कार्डधारकों को 64835 टिकट जारी किये गये। जारी किये गये टिकटों की श्रेणियां तथा श्रेणियां जिनके लिए आरएफआईडी कार्डधारक पात्र थे दोनों भिन्न-भिन्न थी। इसके परिणामतः 11955 आरएफआईडी कार्ड के समक्ष जारी किये गये 28033 टिकटों पर ₹ 6.38 लाख की अधिक रियायत दी गई क्योंकि इन श्रेणियों के अन्तर्गत दी गई रियायत, जिनके लिए आरएफआईडी कार्डधारक पात्र था, से अधिक थी। इसने दर्शाया कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस श्रेणी के अन्तर्गत आरएफआईडी कार्ड जारी किया गया था, को इंगित करते हुए फील्ड की वैधता की जांच करने के लिए अपर्याप्त था।

निगम द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर लेखापरीक्षा आक्षेप को संबोधित नहीं करता था।

आरएफआईडी कार्डधारकों को उच्च वर्ग में यात्रा अनुमत करना

3.35 निगम ने यात्रियों को उनकी पसंदगी एवं बसों (साधारण, एक्सप्रेस, डीलक्स इत्यादि) के प्रकार के आधार पर आरएफआईडी कार्ड जारी किये। आरएफआईडी कार्डधारकों को टिकट ईटीआईएम्स के माध्यम से स्केन किये जाने के बाद जारी किये गये थे।

निगम के एक आदेशानुसार (28 नवम्बर 2013), निम्न श्रेणी की बसों के लिए जारी किये गये कार्ड पर कार्डधारकों द्वारा उच्च वर्ग में यात्रा करते पाये जाने पर इनको बिना टिकट यात्रा के रूप में माना जाना था तथा निगम के नियमानुसार कार्यवाही के लिए यात्री एवं परिचालक उत्तरदायी थे।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि इस तथ्य के बावजूद कि ये कार्डधारक केवल साधारण बसों में रियायती यात्रा के पात्र थे, ईटीआईएम्स के द्वारा 2014-16 के दौरान एक्सप्रेस बसों में 12434 आरएफआईडी कार्डधारकों को 73974 टिकट जारी किये गये। इस प्रकार, सॉफ्टवेयर, बसों के वर्ग/ प्रकार जिनमें कार्डधारक रियायती यात्रा करने के पात्र था, की वैधता का पता लगाने में विफल रहा जिसके कारण चयनित डिपोज में निगम को ₹ 18.44 लाख की हानि हुई। जैसा कि कार्ड पर बसों के प्रकार की छपाई नहीं की गई थी, परिचालक भी यात्रा के पात्र वर्ग को सत्यापित करने की स्थिति में नहीं थे।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा बताया कि सेवाप्रदाता से वसूलियां की जा रही थी। साथ ही, सेवाप्रदाता को भविष्य में ऐसे दृष्टान्तों को टालने के लिए सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

अवधिपार आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा

3.36 एक आरएफआईडी कार्ड के डाटाबेस में इसकी श्रेणी यथा नाम, श्रेणी, एक्टिवेशन की तिथि, अवधिपार होने की तिथि, कार्ड संख्या इत्यादि के आधार पर हिताधिकारी के विभिन्न विवरण थे। सेवाप्रदाता ने निगम द्वारा बढ़ाई गई वैधता की तिथि के मामले में अवधिपार की नई

तिथि को प्रविष्ट किया। नया आरएफआईडी कार्ड जारी करते समय, एक्टीवेशन एवं अवधिपार होने की तिथि कार्ड को रिचार्ज कराये जाने तक एक समान है।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि इस तथ्य के बावजूद कि टिकट को जारी करने की तिथि पर इन कार्ड की वैधता पहले से ही समाप्त हो चुकी थी, ईटीआईएम द्वारा 2014-16 के दौरान 76908 आरएफआईडी कार्ड के समक्ष 4.51 लाख रियायती टिकट जारी किये गये। इस प्रकार, इन टिकटों पर दी गई रियायत (₹ 1.47 करोड़) अधिकृत नहीं थी। यह दर्शाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टिकट को जारी करने के समय पर एक आरएफआईडी कार्ड की अवधिपार होने की तिथि को वैध ठहराने के लिए प्रोग्रामित नहीं किया गया था।

निगम ने बताया कि इससे कोई हानि नहीं हुई क्योंकि 2014-16 के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत बनाये गये आरएफआईडी कार्ड पूरे जीवनकाल के लिए वैध थे।

उत्तर, ने विषय को संबोधित नहीं किया क्योंकि सभी आरएफआईडी कार्ड एक निर्धारित अवधि के लिए वैध थे तथा हिताधिकारियों द्वारा वैधता अवधि के समाप्त होने के बाद वैधता को बढ़वाना आवश्यक था। विद्यार्थियों एवं मासिक कार्डधारकों को असीमित अवधि के लिए आरएफआईडी कार्ड जारी किये जाने की स्थिति में निगम को भारी हानि उठानी पड़ सकती है।

वैध आरएफआईडी कार्ड के बिना रियायत

3.37 निगम ने स्वयं द्वारा जारी किये गये आरएफआईडी कार्ड के आधार पर यात्रियों को रियायती/ मुफ्त यात्रा अनुमत की। प्रत्येक आरएफआईडी कार्ड 14 अंक वाली एक यूनिक संख्या वाला था जिसे एक रियायती टिकट जारी करने के लिए ईटीआईएम में प्रविष्ट करना (मैन्युअली अथवा स्वाइप करके) आवश्यक था। वेब पोर्टल अथवा बुकिंग विंडो से ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली के माध्यम से बुक कराये गये टिकटों के मामले में, यात्री/ बुकिंग क्लर्कों को रियायत प्राप्त करने के लिए वैध आरएफआईडी कार्ड संख्या प्रविष्ट करना आवश्यक था।

ईटीआईएम तथा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (वेब पोर्टल एवं बुकिंग विंडो) के लिए डिजाइन किये गये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द्वारा, तथापि, आरएफआईडी कार्ड संख्या/ वैध आरएफआईडी कार्ड संख्या को प्रविष्ट किये बिना रियायती टिकट जारी किये गये।

डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2014-16 के दौरान चयनित डिपोज में ईटीआईएम द्वारा 1.04 लाख अवैध आरएफआईडी कार्ड संख्या पर 13.25 लाख रियायती टिकट जारी किये गये तथा ₹ 3.42 करोड़ की रियायत अनुमत की। इन मामलों में आरएफआईडी कार्ड संख्या मास्टर डाटा के साथ मेल नहीं खाती थी। कुछ मामलों में, परिचालकों द्वारा एकल संख्या अर्थात् 0, 1 अथवा 8 इत्यादि को दोहराते हुए 14 अंक प्रविष्ट किये गये। साथ ही, ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली (वेब पोर्टल एवं बुकिंग विंडो) द्वारा विद्यार्थी एवं वरिष्ठ नागरिक श्रेणी के अंतर्गत 7.55 लाख रियायती टिकट जारी किये गये तथा बिना आरएफआईडी कार्ड संख्या अथवा अवैध आरएफआईडी कार्ड संख्या के समक्ष ₹ 1.73 करोड़ की रियायत अनुमत की गई।

यह दर्शाता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने 'आरएफआईडी कार्ड संख्या' को इंगित करने वाले फील्ड की वैधता की जांच नहीं की तथा भिन्न-भिन्न श्रेणियों के लिए नियत कोडों के आधार पर रियायती टिकट जारी किये।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि परिचालकों को सितम्बर 2014 तक आरएफआईडी कार्ड संख्या को मैन्युअली प्रविष्ट करना अनुमत किया गया जो विसंगतियों में परिणामित हुई। इसने आगे बताया कि प्रविष्टियों को सही करने के लिए डिपो स्तर पर आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके थे।

उत्तर सहमतिकाकारक नहीं है क्योंकि ईटीआईएम सॉफ्टवेयर आरएफआईडी कार्ड संख्या को वैध ठहराने में अयोग्य था तथा यहां तक कि सितम्बर 2014 के बाद भी अवैध आरएफआईडी कार्ड के समक्ष टिकट जारी करता रहा।

अन्य विसंगतियां

वर्तमान/ सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को मुफ्त यात्रा कूपनों के समक्ष शून्य मूल्य टिकट जारी करना

3.38 निगम ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों (सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मामले में जीवनसाथी) को कूपन जारी करने के माध्यम से मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की। ये कूपन सॉफ्टवेयर के माध्यम से नहीं छापे गये थे बल्कि मैन्युअली छापे गये थे तथा प्रथम दो अंक अल्फाबेट के रूप में एवं शेष संख्यात्मक अंकों के रूप के निहितार्थ एक यूनिक आठ अंकों वाले अल्फान्यूमेरिक कोड वाले थे। सेवारत कर्मचारियों को 50 कूपन जबकि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को 10 कूपन एक वर्ष की अवधि के लिए जारी किये गये थे। एक कूपन को केवल एक बार प्रयुक्त किया जाना था तथा परिचालक द्वारा कूपनों के समक्ष 'शून्य मूल्य' वाला टिकट जारी किया जाना आवश्यक था। सॉफ्टवेयर ने सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी किये गये टिकटों को क्रमशः "000ईएम" एवं "00ईएक्सएस" कोड के माध्यम से इंगित किया। तथापि, कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों को रियायत प्राप्त करने के लिए कूपन के अतिरिक्त पहचान पत्र दिखाना भी आवश्यक था। सेवारत एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने में देस्की गई विसंगतियां निम्न प्रकार थी:

- डिपोज ने आयु, शादीशुदा एवं कमाने वाला है अथवा नहीं इत्यादि के संबंध में कर्मचारियों के आश्रितों का विवरण संधारित नहीं किया। इन विवरणों के अभाव में, हिताधिकारियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकी।
- डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 2014-16 के दौरान कर्मचारियों / आश्रितों को ईटीआईएम के माध्यम से ₹ 1.06 करोड़ के राजस्व को शामिल करते हुए छः अंकों से कम अथवा अधिक संख्यात्मक कोडों के साथ 1.17 लाख मुफ्त टिकट जारी किये गये। इसके अतिरिक्त, इसी प्रकार की अनियमितताओं के साथ ओआरएस के माध्यम से कर्मचारियों/ आश्रितों को 22649 मुफ्त टिकट जारी किये गये लेकिन ओआरएस डाटा में आधार किराये के फील्ड की अनुपलब्धता के कारण वित्तीय प्रभाव की गणना नहीं की जा सकी।

निगम ने कर्मचारियों द्वारा मुफ्त यात्रा से संबंधित क्रियाविधि का वर्णन किया तथा स्वीकार किया कि आरएफआईडी कार्ड कर्मचारियों को जारी नहीं किये गये थे। इसने आगे बताया कि जिस प्रकार परिचालक ने ईटीआईएम में मैन्युअली कूपन संख्याओं की प्रविष्टि की, ईटीआईएम में कूपन संख्याओं का सत्यापन संभव नहीं था। तथ्य यही रहा कि कर्मचारी कोड के अंतर्गत

मुफ्त टिकट आम संख्यात्मक कोड के साथ कूपनों के समक्ष जारी किये गये जिसके कारण निगम को हानि हुई।

निर्देशों के उल्लंघन में अनाधिकृत रियायत

3.39 निगम ने समूह छूट (एक समूह में यात्रा करने वाले न्यूनतम चार एवं अधिकतम छः व्यक्तियों को अनुमत्य) की सुविधा को तुरंत प्रभाव से बंद करने का एक आदेश जारी किया। (17 अप्रैल 2015)। आदेश में रोगियों/ निःशक्त व्यक्तियों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों के साथ एक व्यक्ति (सहयोगी) को भी रियायती यात्रा अनुमत की।

हमने देखा कि समूह छूट की सुविधा को बंद करने के आदेश को ऑनलाइन आरक्षण सॉफ्टवेयर में देरी से समाहित किया गया जो 18 अप्रैल 2015 से जून 2015 के दौरान 12876 टिकटों पर ₹ 0.22 लाख के अनाधिकृत छूट में परिणामित हुआ। साथ ही, प्रतिदर्शित डिपोज ने 2014-16 के दौरान 3506 आरएफआईडी कार्ड पर 'सहयोगियों' को ₹ 4.13 लाख मूल्य वाले 10671 टिकट जारी किये। तथापि, मूल हिताधिकारियों (रोगी/ निःशक्त व्यक्ति) ने सहयोगियों के साथ यात्रा नहीं की। यह दर्शाता है कि रोगी/ निःशक्त व्यक्तियों के लिए बने आरएफआईडी कार्ड का दुरुपयोग किया गया था।

निगम ने बताया कि परिचालकों से वसूली की कार्यवाही प्रकियाधीन थी तथा सेवाप्रदाता को तकनीकी मामले को सुधारने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

एमएलए तथा एमपी को जारी किये गये मुफ्त कूपनों के समक्ष अनाधिकृत यात्रा

3.40 निगम ने एमएलए तथा एमपी (पूर्व एवं वर्तमान) को एक सहायक के साथ छः यूनिक अंकों की संख्या वाले पूर्व में जारी किये गये कूपनों के माध्यम से मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान की। सहायक को मुफ्त यात्रा केवल एमएलए/ एमपी के साथ हो तब अनुमत थी। ये कूपन मैनुअली छापे गये तथा प्रणाली के माध्यम से उत्पन्न नहीं किये गये थे।

	BOARDING_TM_DATE	COUPON_NUMBER	NO_OF_TICKETS	FARE_AMT_SUM
3	16-Aug-14	001339	2	1,598.00
4	28-Oct-14	001339	1	669.00
5	02-Nov-14	007308	1	829.00
6	08-Nov-15	007308	2	1,564.00
7	05-May-14	010	1	504.00
8	28-Dec-15	010	1	1,064.00
9	15-Mar-15	044	1	694.00
10	25-Oct-15	044	1	799.00
11	03-Apr-14	044310	1	819.00
12	22-Jul-15	044310	1	960.00
13	22-May-14	048	1	234.00
14	08-Mar-15	048	1	694.00
15	07-Nov-14	052658	2	1,598.00
16	07-Dec-14	052658	1	799.00
17	06-May-15	055806	1	799.00
18	05-Jun-15	055806	1	799.00
19	30-May-14	154	2	1,242.00
20	28-Jun-14	154	2	2,626.00

हमने देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कूपनों की यूनिक संख्या को पहचानने के लिए उचित आगत एवं वैधता नियंत्रण का अभाव था। इसके परिणामतः 6466 अवैध कूपनों के समक्ष ₹ 19.84 लाख की मुफ्त यात्रा की गई। इन मामलों में 'कूपन संख्या' नामक फील्ड ने इंगित किया कि कूपन संख्या छः अंकों से कम थी।

निगम ने बताया कि मुफ्त टिकट एमएलए/ एमपी को मैन्युअली कूपन संख्या प्रविष्टि द्वारा जारी किये गये तथा ईटीआईएम द्वारा वैधता संभव नहीं थी। इसने तथ्य को स्वीकार किया कि परिचालकों द्वारा छः अंकों की कोई संख्या की प्रविष्टि द्वारा मुफ्त टिकट जारी किये गये। इसने आगे बताया कि डिपोज को ईटीआईएम में सही कूपन संख्या को प्रविष्टि करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कूपन सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पन्न नहीं किये गये थे तथा कूपनों को वैध कराने के लिए ईटीआईएम को एकीकृत नहीं किया गया था।

दो यात्रियों को समान सीट संख्या का आवंटन

3.41 डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली ने बुकिंग विंडोज पर 2014-16 के दौरान 3710 मामलों में एक ही बस में दो यात्रियों को समान संख्या वाली सीट आवंटित की। साथ ही, इन मामलों में दोनों यात्रियों ने यात्रा की तथा इस प्रकार, टिकटों के निरस्तीकरण के कारण दोनों यात्रियों को समान सीट संख्या का आवंटन संभव नहीं था।

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इस प्रकार, पहले से ही आवंटित सीट संख्या की वैधता निर्धारित करने में दोषपूर्ण था। दो यात्रियों को समान सीट संख्या आवंटन की घटना कई बार समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई थी लेकिन सॉफ्टवेयर को संशोधित करने के लिए निगम द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

निगम ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि कमी को सुधारने के लिए सेवाप्रदाता को निर्देश जारी किये जा चुके थे।

18 अंकों से कम संख्या वाले 'यात्री नाम रिकॉर्ड' जारी करना

3.42 प्रणाली ने टिकटों के आरक्षण/ बुकिंग के समय पर एक यूनिक 'यात्री नाम रिकॉर्ड' (पीएनआर) संख्या उत्पन्न की। निगम के क्रियात्मक आवश्यकता मानदण्डों (एफआरएस) में प्रावधान था कि एक पीएनआर में 18 अंक होने चाहिए। प्रथम चार अंकों ने यात्री के गंतव्य को इंगित किया, पांचवे अंक ने बस के प्रकार को इंगित किया, छठे एवं सातवें अंकों ने डिपो की पहचान को इंगित किया, आठवें से तेहरवें अंकों ने टिकट जारी करने की तिथि को इंगित किया तथा शेष पांच अंकों ने व्यवहार के अभिलेख क्रम को इंगित किया। पीएनआर संख्या डिपो अनुसार आय के संग्रह के साथ साथ विभिन्न प्रकार की बसों में यात्री भार को पहचानने एवं अभिलेखित करने में सहायक थी। चयनित डिपोज में डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि सेवाप्रदाता ने पीएनआर नियमों को पर्याप्त रूप से अभिरेखित नहीं किया जिसके परिणामतः 2014-16 के दौरान 18 अंकों से कम पीएनआर संख्या के 4.89 लाख टिकट उत्पन्न हुए। डिपोज की पहचान के लिए भिन्न-भिन्न अंकों को आवंटित करने, डिपो अनुसार आय, यात्री भार एवं यात्रियों के व्यवहार विवरणों को अभिलेखित करने का उद्देश्य, इस प्रकार, विफल हुआ।

निगम ने तथ्य को स्वीकार किया एवं बताया कि भविष्य में 18 अंकों के पीएनआर को सुनिश्चित करने के लिए सेवाप्रदाता को निर्देश जारी किये जा चुके थे।

यात्रा/ बोर्डिंग की तिथि एवं समय के पश्चात टिकट जारी करने की तिथि एवं समय

3.43 बोर्डिंग की तिथि एवं समय किसी भी मामले में टिकटों को जारी करने की तिथि एवं समय से पूर्व नहीं हो सकते। डाटा विश्लेषण ने दर्शाया कि 2014-16 के दौरान जारी किये गये 55249 टिकटों में बोर्डिंग की तिथि एवं समय टिकट को जारी करने की तिथि एवं समय से एक से चार दिन पूर्व थी। इसने पीओआरएस सॉफ्टवेयर में पर्याप्त वैधता नियंत्रणों के अभाव को इंगित किया।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि डिपो स्तर पर कर्मचारियों द्वारा तिथि की गलत प्रविष्टि के कारण यह विसंगति घटित हुई तथा सेवाप्रदाता को इस कमी को ठीक करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था।

गलत प्रविष्टि के संबंध में उत्तर सही नहीं था क्योंकि प्रणाली को स्वतः ही टिकट जारी करने की तिथि एवं समय को लेने के लिए डिजाइन किया गया था तथा इस प्रकार, मैन्युअल प्रविष्टि संभव नहीं था।

निःशक्त व्यक्तियों के लिए बसों में आरक्षित कोटा नहीं होना

3.44 भारत सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अवसरों को सुनिश्चित करने के लिए 'निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार की रक्षा एवं पूर्ण भागीदारी) अधिनियम', 1995 लागू किया। अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र/ राज्य सरकार के सभी मंत्रालयों का एक बहुक्षेत्रीय सहयोगात्मक दृष्टिकोण आवश्यक था।

राज्य सरकार ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए रियायती यात्रा अनुमत की लेकिन निगम द्वारा इन यात्रियों द्वारा सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा को सुनिश्चित करने के लिए ऐसे व्यक्तियों के लिए कोई सीट चिन्हित नहीं की गई।

यह ध्यान देना आवश्यक है कि निगम की बसों में अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक कोटा, महिला यात्रियों एवं एमपी/ एमएलए के लिए सीटें चिन्हित की गईं जो कि इन श्रेणियों द्वारा ग्रहण नहीं किये जाने के मामले में बस के प्रस्थान से 30 मिनट पूर्व, साधारण श्रेणी को आवंटित की गईं।

निगम ने बताया निगम की बसों में निःशक्त व्यक्तियों को आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी थी।

एक टिकट के समक्ष एक से अधिक निरस्तीकरण आदेश जारी करना

3.45 सेवाप्रदाता द्वारा तैयार की गई 'पब्लिक ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली' (पीओआरएस) में निरस्त की गई टिकटों के समक्ष रिफण्ड के संबंध में पर्याप्त नियंत्रणों एवं वैधता जांचों का अभाव था। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि पीओआरएस ने 2014-16 के दौरान 1482 निरस्तीकरण आदेशों की उत्पत्ति की जबकि निरस्त किये गये टिकट केवल 679 थे।

प्रणाली को एक निरस्त किये गये टिकट के लिए केवल एक निरस्तीकरण आदेश जारी किया जाना आवश्यक था। तथापि, कुछ मामलों में, निरस्त किये गये टिकट के लिए एक से अधिक निरस्तीकरण आदेशों की उत्पत्ति की गई।

निरस्त की गई टिकटों के समक्ष दो या अधिक बार के लिए रिफण्ड को इंगित करते हुए डाटाबेस का एक छायाचित्र नीचे दर्शाया गया है:

TICKET_NO	REF_TICKET_NO	ACTUAL_TICKET_NO	AUD_REQ_N_STAT	ISSUE_TM_DATE	PNR_NO	TOTAL_FARE_AMT	
1	98022445	97447015	97447015	CO	03-Apr-15	XAGRV1804031500003	352.00
2	98022503	97447015	97447015	CO	03-Apr-15	XAGRV1804031500004	352.00
3	102715445	102585419	102585418	CO	25-May-15	XUDPV1805251500010	1,415.00
4	102715555	102585419	102585418	CO	25-May-15	XUDPV1805251500011	1,415.00
5	102781354	102690586	102690586	CO	25-May-15	XJPRV1805251500557	1,538.00
6	102781387	102690586	102690586	CO	25-May-15	XJPRV1805251500559	1,538.00
7	102718347	102717978	102717978	CO	25-May-15	XPALV3905251500032	78.00
8	102718550	102717978	102717978	CO	25-May-15	XPALV3905251500033	78.00
9	104313757	102995157	102995157	CO	11-Jun-15	XJPRV1806111500090	789.00
10	104313928	102995157	102995157	CO	11-Jun-15	XJPRV1806111500092	789.00
11	103229766	103005219	103005219	CO	30-May-15	XDLHV1805301500367	769.00
12	103229799	103005219	103005219	CO	30-May-15	XDLHV1805301500369	769.00
13	103229815	103005219	103005219	CO	30-May-15	XDLHV1805301500370	769.00
14	103288983	103049957	103049957	CO	31-May-15	GRGVE3605311500038	105.00
15	103289354	103049957	103049957	CO	31-May-15	GRGVE3605311500039	105.00
16	103169270	103168240	103168240	CO	30-May-15	XJPRV1805301500088	1,138.00
17	103169381	103168240	103168240	CO	30-May-15	XJPRV1805301500093	1,138.00
18	103229758	103229633	103229633	CO	30-May-15	XJPRR1805301500076	472.00
19	103229807	103229633	103229633	CO	30-May-15	XJPRR1805301500077	472.00
20	103559874	103284352	103284352	CO	03-Jun-15	XDLHA1806031500001	944.00
21	103559925	103284352	103284352	CO	03-Jun-15	XDLHA1806031500002	944.00
22	103421711	103390995	103390995	CO	01-Jun-15	XARRV1806011500008	644.00

निगम ने बताया कि डाटा में वास्तविक टिकट संख्या, संदर्भ टिकट संख्या एवं टिकट संख्या के नाम से तीन फील्ड अभिलेखित हैं। प्रत्येक व्यवहार के लिए वास्तविक टिकट संख्या की उत्पत्ति केवल एक बार होती है तथा टिकट वास्तविक टिकट संख्या के समक्ष निरस्त की जाती है।

उत्तर सहमतीकारक नहीं है क्योंकि सॉफ्टवेयर द्वारा उत्पन्न दो अथवा अधिक रिफण्ड आदेशों के मामलों में वास्तविक टिकट संख्या एवं संदर्भ टिकट संख्या समान थी।

मास्टर डाटा में 'शून्य' आधार किराया

3.46 ईटीआईएम डाटा एक टिकट को जारी करने पर आधार किराये, रियायती किराये एवं प्राप्त किये गये वास्तविक किराये को कैप्चर करते हैं। 'शून्य' आधार किराये के लिए टिकट किसी भी मामले में जारी नहीं किये जा सकते थे क्योंकि निगम द्वारा एक से दूसरे गंतव्य तक न्यूनतम किराया निश्चित किया जा चुका था। डाटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि चयनित डिपोज द्वारा 2014-16 के दौरान 'शून्य' आधार किराये के साथ 1878 टिकट जारी किये गये तथापि, यात्रियों ने एक से दूसरे गंतव्य तक यात्रा की। इसने दर्शाया कि सॉफ्टवेयर में किराये को प्रभारित करने के संबंध में व्यावसायिक नियम पर्याप्त रूप से अभिलेखित नहीं किये गये थे तथा जिसके कारण निगम को ₹ 0.56 लाख की राजस्व हानि हुई।

निगम ने बताया कि पूर्ण रियायत टिकटों के मामले में, डाटा में सभी फील्ड 'शून्य' किराये को दर्शाते हुए भरे गये थे। एमसीटी कोड के समक्ष जारी किये गये शून्य टिकटों के मामलों में परिचालकों द्वारा नये टिकट जारी किये गये तथा शून्य मूल्य टिकट डिपो में जमा करा दिये गये तथा इस प्रकार निगम को कोई हानि नहीं हुई।

उत्तर सहमतीकारक नहीं है क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये मामले गैर-रियायती टिकटों से संबंधित थे तथा निगम द्वारा इन शून्य मूल्य टिकटों को डिपोज में जमा कराने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

प्रतिक्षा सूची/ तत्काल टिकटों के लिए प्रावधान का अभाव

3.47 एक यात्री यात्रा की तिथि से 30 दिन पूर्व तक ओआरएस/ पीओआरएस पोर्टल के माध्यम से बसों की भिन्न-भिन्न श्रेणियों में टिकट आरक्षित करा सकता है। सेवाप्रदाता के साथ निष्पादित किये गये (मई 2011) समझौते के कार्यक्षेत्र में निर्दिष्ट था कि प्रणाली में प्रतिक्षीत सूची की सुविधा एवं आरक्षित टिकटों के निरस्तीकरण के मामले में प्रतिक्षीत सूची वाले टिकटों के स्वतः पुष्टिकरण की व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही, निर्धारित अवधि के लिए विशेष प्रभारों के साथ तत्काल आरक्षण की सुविधा भी प्रणाली द्वारा उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

सेवाप्रदाता द्वारा ओआरएस/ पीओआरएस में प्रतिक्षीत सूची एवं तत्काल टिकटों की सुविधा को डिजाइन नहीं किया गया था जिसने एक पुष्टिकृत सीट की आवश्यकता वाले यात्रियों को वंचित रखा तथा यात्रा के प्रारम्भ के समय पर एक आरक्षित टिकट के निरस्तीकरण पर सीट के खाली रह जाने के कारण निगम को राजस्व की हानि में परिणामित किया। इसके अतिरिक्त, निगम को तत्काल बुकिंग पर कमाये जा सकने वाले प्रीमियम से भी वंचित रहना पड़ा।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि प्रतिक्षीत सूची एवं तत्काल टिकटों के संबंध में कोई नीति मौजूद नहीं थी।

निगम का उत्तर इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि सेवाप्रदाता को जारी किये गये कार्यदेश में निर्दिष्ट था कि प्रणाली में प्रतिक्षा सूची एवं तत्काल टिकटों की सुविधाएं होनी चाहिए।

टिकटों पर टोल फ्री नम्बर एवं ईमेल पते को प्रदर्शित नहीं करना

3.48 यात्रियों के साथ संचार व्यवस्था किसी व्यवसाय की सफलता के लिए एक मुख्य कुंजी है। परिवहन उद्योग में यात्रियों की सहायता केन्द्र द्वारा यात्रियों के लिए बस स्टैण्डस तक पहुंचने में सहायता; बस के समय एवं मार्ग में परिवर्तन के बारे में सूचना; शिकायतें दर्ज करना; टिकटों के बुकिंग एवं निरस्तीकरण; यात्रा के दौरान समस्याओं को हल करना इत्यादि विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। यात्रियों के पास परिवहन सेवाप्रदाता के साथ सम्पर्क स्थापित करने के लिए टोल फ्री नम्बर अथवा ईमेल पते जैसे तंत्र उपलब्ध थे।

निगम द्वारा टोल फ्री नम्बर (1800-2000-103) के साथ प्रधान कार्यालय पर एक कॉल सेंटर संचालित किया गया लेकिन इसे ओआरएस एवं ईटीआईएम्स के माध्यम से जारी किये गये टिकटों पर नहीं छापा गया था। निगम द्वारा तथ्य को स्वीकार किया गया एवं बताया गया कि टिकटों पर टोल फ्री नम्बरों की छपाई के लिए आवश्यक प्रावधान किये जा रहे थे।

पीओआरएस के माध्यम से रियायती टिकट उपलब्ध नहीं कराना

3.49 राज्य सरकार ने 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत व्यक्तियों की 18 श्रेणियों के लिए मुफ्त/ रियायती यात्रा की सुविधा अनुमत करने के लिए निर्देशित किया। तथापि, निगम ने केवल महिला एवं वरिष्ठ नागरिक श्रेणियों के लिए पीओआरएस के माध्यम से रियायती टिकटों की बुकिंग अनुमत थी। शेष श्रेणियों को बुकिंग विंडोज अथवा ईटीआईएम्स के माध्यम से रियायती टिकट प्राप्त करना आवश्यक था।

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, इस प्रकार, सभी यात्रियों को उनके द्वार पर आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आईटीएमएस के क्रियान्वयन के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए डिजाइन नहीं किया गया था।

निगम ने बताया कि पीओआरएस के माध्यम से आरक्षण सुविधा उन श्रेणियों को अनुमत नहीं की गई थी जहां 'शून्य' मूल्य के टिकट जारी किये जाते हैं क्योंकि इसके साथ भुगतान गेटवे प्रभार चुकाने पड़ते थे।

प्रबंधन का यह तर्क गलत है क्योंकि 'शून्य' मूल्य के टिकटों के मामले में, यात्रियों को कोई राशि चुकानी आवश्यक नहीं थी तथा इसलिए भुगतान गेटवे को प्रयुक्त नहीं किया जाना था।

निष्कर्ष

निष्पादन लेखापरीक्षा परियोजना प्रबंधन, प्रणाली डिजाइन एवं वैधता नियंत्रणों में कमियों पर प्रकाश डालती है। परियोजना प्रबंधन, प्रणाली डिजाइन एवं वैधता नियंत्रणों में कमियों का निगम के राजस्व पर वित्तीय प्रभाव पड़ा।

निगम ने आईटी नीति, आईटी सुरक्षा नीति, पासवर्ड नीति एवं परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति नहीं बनाई। निगम के आईटी प्रकोष्ठ ने एकीकृत परिवहन प्रबंधन प्रणाली के प्रत्येक क्रियात्मक क्षेत्र की निगरानी के लिए स्पष्ट भूमिका एवं उत्तरदायित्वों के साथ एक नियोजन/ स्टीयरिंग समिति का गठन भी नहीं किया। मार्गों में परिवर्तन, सॉफ्टवेयर में किराया, आईटी सम्पत्तियों की सुरक्षा इत्यादि के संबंध में डाटाबेस में ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड सर्विसेज लिमिटेड, मुम्बई (सेवाप्रदाता) द्वारा किये गये संशोधन किसी पर्यवेक्षी नियंत्रण के अधीन नहीं थे। साथ ही, निगम के पास उचित व्यावसायिक निरंतरता एवं संकट से उबरने की कोई योजना नहीं थी क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएम) की एप्लीकेशन के लिए प्राथमिक डाटा केन्द्र के साथ साथ संकट से उबरने का स्थल समान सिस्मिक जोन (डिपो स्तर) में ही स्थापित किया गया था। निगम द्वारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के मूल्यांकन के बिना सेवाप्रदाता को 'पायलट स्वीकृति परीक्षण' एवं 'उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण' प्रमाणपत्र भी जारी कर दिये गये।

परियोजना निगरानी एवं मूल्यांकन में कमी थी जिसने समझौते/ सेवा स्तरीय समझौते के वाक्यांशों के उल्लंघन में सेवाप्रदाता को भुगतान करने तथा संचालन राजस्व को मिलान नहीं करने को बढ़ावा दिया।

सिस्टम डिजाइन कमियां तथा अपर्याप्त वैधता नियंत्रण महिला एवं वरिष्ठ नागरिक यात्रियों को छूट अनुमत करने में विसंगतियों के रूप में परिणामित हुई यथा राज्य से बाहर छूट अनुमत करना; अपात्र वरिष्ठ नागरिकों को छूट; पुरुष यात्रियों को महिला छूट; तथा महिला दिवस एवं रक्षाबंधन के अतिरिक्त महिला यात्रियों को मुफ्त यात्रा। इसने विद्यार्थी एवं मासिक पासधारक यात्रियों को छूट अनुमत करने यथा एक दिन में एक बार से अधिक के लिए यात्रा अनुमत करने; रविवार को मुफ्त यात्रा अनुमत करने; तथा किराये की प्राप्ति के बिना शून्य शेष वाले मासिक पास पर यात्रा अनुमत करने में विसंगतियों को

भी बढ़ावा दिया। नियमों की अपर्याप्त अभिरेखा ने प्रचलित टैरिफ पर किराया प्रभारित नहीं करने; अंतर्राज्जीय बसों में किराये की कम वसूली तथा आईटी फीस/ दुर्घटना क्षतिपूर्ति अधिभार/ टोल टैक्स/ मुफ्त यात्रा टिकटों पर मानव संसाधन अधिभार की वसूली के अभाव को बढ़ावा दिया। सिस्टम डिजाइन में कमी भी आरक्षण प्रभारों की वसूली के अभाव तथा निरस्तीकरण प्रभारों की कम वसूली / वसूली के अभाव में परिणामित हुई।

सॉफ्टवेयर द्वारा व्यावसायिक नियमों के उल्लंघन में दो यात्रियों को एक समान सीट नम्बर का आवंटन; आरएफआईडी कार्डधारकों को पात्र श्रेणी से उच्च श्रेणी में यात्रा; 'यात्री नाम अभिलेख' संख्या 18 अंकों से कम; एक टिकट के समक्ष एक से अधिक निरस्तीकरण आदेश जारी करने; अवधिपार आरएफआईडी कार्ड पर यात्रा तथा वैध आरएफआईडी कार्ड के बिना छूट इत्यादि को अनुमत किया गया।

सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि निगम को चाहिए कि वह:

- आईटी सुरक्षा नीति; पासवर्ड प्रबंधन एवं परिवर्तन नियंत्रण प्रबंधन के लिए नीति जैसे विभिन्न पहलुओं को सम्मिलित करते हुए एक स्पष्ट एवं विस्तृत आईटी नीति बनाए एवं क्रियान्वित करे। निगम को व्यवसाय की आवश्यकताओं के अनुसार आईटी नीति की आवधिक रूप से समीक्षा भी करनी चाहिए;
- इलैक्ट्रॉनिक टिकट जारी करने वाली मशीनों (ईटीआईएम) की एप्लीकेशन के डाटा के लिए प्राथमिक डाटा केन्द्र एवं संकट से उबरने का स्थल भिन्न-भिन्न स्थानों पर स्थापित करे। निगम को राज्य डाटा केन्द्र पर बैंक अप के लिए ईटीआईएम डाटा के अंतरण को भी सुनिश्चित करना चाहिए;
- गलत आगत डाटा की स्वीकृति एवं गलत टिकट जारी करने के दृष्टान्तों को कम करने के लिए व्यावसायिक नियमों एवं निगम की आवश्यकताओं के अनुसार आगत डाटा एवं निर्गत परिणामों की यथार्थता एवं पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आगत नियंत्रणों एवं वैधता जांचों को विकसित करना;
- संगठन नियमों/ नीतियों, नियमावलियों, सरकारी निर्देशों इत्यादि के अनुसार व्यवसाय के नियमों को अभिरेखित करने को सुनिश्चित करना तथा इनकी आवधिक रूप से समीक्षा एवं इनको अद्यतन करना चाहिए;
- टिकटिंग तथा ऑनलाइन आरक्षण प्रणाली एवं ईटीआईएम के वित्तीय डाटा के वास्तविक समय एकीकरण के लिए जीपीआरएस मोड्यूल की कार्यप्रणाली; डिपोज पर ईटीआईएम में पेशगी बुकिंग विवरणों के डाटा की डाउनलोडिंग; ईटीआईएम का अपग्रेडेशन एवं उनका ऑनलाइन संचालन; ऑनलाइन एमआईएस तथा निर्णयन समर्थन प्रणाली को सुनिश्चित करे;

- कार्यसंचालन दक्षता को बढ़ाने एवं आगत गलतियों को कम करने के लिए ईटीआईएम्स के संचालन की क्रियाविधियों को आसान बनाये; तथा
- राजस्व की किसी छीजत को टालने के लिए आईटी डाटा एवं लेखांकन डाटा का मिलान करे।

अध्याय IV

अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

4. अनुपालना लेखापरीक्षा आक्षेप

राज्य सरकार की कम्पनियों एवं निगमों द्वारा किये गये व्यवहारों की नमूना जांच से प्रकट हुए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा परिणाम इस अध्याय में सम्मिलित किये गये हैं।

सरकारी कम्पनियां

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

4.1 मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के पेटे कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव के कारण ठेकेदारों को अदेय लाभ

ठेकेदारों ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन के स्थान पर अधिकतर (73.66 प्रतिशत) मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन का कार्य किया। कम्पनी ने मानवीय रूप से मीटर रीडिंग के लिए कार्यादेशों में पर्याप्त वाक्यांशों के अभाव में सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से पठन की निर्धारित दरों पर ठेकेदारों को भुगतान किये।

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (कम्पनी) की मीटर एवं प्रोटेक्शन (एमएण्डपी) शाखा ने सीएमआरआई¹ के माध्यम से मासिक मीटर पठन एवं भार सर्वेक्षण के उद्देश्य से कार्यादेश प्रदान किये (फरवरी 2014)। कार्यादेशों के कार्यक्षेत्र में प्रावधान था कि ठेकेदार² मास्टर डाटाबेस के रखरखाव; मीटर पठन/ सीएमआरआई/ एचएचटी³ के माध्यम से डाटा की डाउनलोडिंग एवं नियत समयावधि में पदस्थ अधिकारी/ बिलिंग एजेंसी को सौंपने; बेस कम्प्यूटर पर डाटा अपलोडिंग करने; हार्डवेयर की सहायता से उपयुक्त सॉफ्टवेयर लगाकर वायरिंग पुष्टि करने; तथा निर्गत प्रतिवेदन उत्पन्न करने के कार्यों को सुनिश्चित करेंगे। अनुबंध की अवधि अप्रैल 2014 से शुरू होकर दो साल की थी। ठेकेदारों के निष्पादन की अर्द्धवार्षिक रूप से समीक्षा की जानी थी एवं असंतोषजनक निष्पादन पाये जाने की दशा में किसी भी समय कार्य निरस्त किया जा सकता था।

कार्यादेशों के नियम एवं शर्तों में यह भी प्रावधान था कि मीटर पठन केवल मीटर पठन उपकरण/ हैण्ड हेल्ड टर्मिनल (एचएचटी) द्वारा लिये जाने थे जिसके लिये उपभोक्ताओं के परिसरों पर स्थापित विभिन्न मेक⁴ के मीटरों से पठन लेने में सक्षम मीटर पठन उपकरण पर्याप्त मात्रा में ठेकेदारों द्वारा उपलब्ध कराये जाने थे। मीटरों पर लगी हुई सील हटाकर सभी

1 कॉमन मीटर पठन इंस्ट्रुमेंट।

2 गैलेक्सी डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर तथा एनवाइजी एनर्जी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड।

3 हैंड हेल्ड टर्मिनल।

4 कम्पनी ने मीटरों के विभिन्न मेक यथा सिक्योर, एलएण्डटी, एबीबी, डाटाप्रो, डयूक आरनिक्स, जीनस, एचपीएल, ओमनियागेट इत्यादि स्थापित किये थे।

मीटरों को ऑप्टिकल पोर्ट से जोड़कर पठन लेने के लिए पहुंच योग्य बनाया जाना था। कम्पनी द्वारा ठेकेदारों को सीलें आपूर्ति की जानी थी जिसके द्वारा पोर्ट को पुनः सील लगाया जाना एवं कम्पनी को सीलों का मासिक अभिलेख प्रस्तुत किया जाना था। साथ ही, ठेकेदारों द्वारा मीटर पठन की अवधि के दौरान किसी भी असामान्यता/ असंचारित करने वाले मीटर पाये जाने पर 48 घण्टों में कम्पनी को सूचित करना आवश्यक था। असंचारित मीटरों के मामले में मानवीय रूप से पठन की व्यवस्था डिसप्ले पैरामीटर्स के माध्यम से की जानी थी।

मीटर पठन एवं विश्लेषण की दरें विभिन्न प्रकार के मीटरों के लिए अलग-अलग थी। ठेकेदारों द्वारा किये गये आंशिक कार्यों के मामले में, डाटा कैप्चरिंग/ मीटर पठन एवं डाटा विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरों के अनुसार निम्न प्रकार से भुगतान किये जाने थे:

(राशि ₹ प्रति मीटर में)

मीटर का प्रकार	गैलेक्सी डाटा प्रोसेसिंग सेन्टर						एनवाइजी एनर्जी सोल्युशंस प्राइवेट लिमिटेड		
	जोधपुर जोन			बाड़मेर जोन			बीकानेर जोन		
	पठन	विश्लेषण	कुल	पठन	विश्लेषण	कुल	पठन	विश्लेषण	कुल
एचटी टीवीएम	80	30	110	130	30	160	127	2	129
एलटी टीवीएम	80	30	110	130	30	160	127	2	129
एलटी सीटी संचालित	80	30	110	130	30	160	127	2	129
श्री फेज होल करन्ट (मासिक बिलिंग)	70	20	90	110	20	130	127	2	129
श्री फेज होल करन्ट (द्विमासिक बिलिंग)	70	20	90	110	20	130	127	2	129

हमने देखा (जुलाई 2015) कि ठेकेदारों ने जुलाई 2015 तक 209710 मीटर पठन लिये जिसमें से 55232 (26.34 प्रतिशत) मीटर पठन सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से लिये गये तथा शेष 154478 (73.66 प्रतिशत) मीटर पठन मानवीय रूप से लिये गये। उपभोक्ताओं के मीटर पठन के उपखण्डानुसार विवरण ने उजागर किया कि मानवीय रूप से पठन उन मामलों में लिये गये जहां मीटर, मीटर बॉक्स में लगाये हुए थे, संचार पोर्ट मीटरों को सपोर्ट नहीं करते थे तथा जहां कम्पनी द्वारा इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटर स्थापित किये गये थे।

हमने देखा कि ठेकेदारों ने 48 घण्टों के भीतर असंचारित मीटरों के बारे में कम्पनी को सूचित नहीं किया। ठेकेदारों द्वारा भुगतान के लिए प्रस्तुत किये गये मीटर पठन के उपखण्डानुसार विवरण ने केवल तालाबंद पाये गये मीटर, बॉक्स में लगे मीटर, मीटर जिन्होंने एचएचटी/ सीएमआरआई के साथ संचारित नहीं किया, इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटर, रुके हुए मीटर एवं मीटर जिनका पठन एचएचटी/ सीएमआरआई के माध्यम से लिया गया ऐसे मीटरों की संख्या जैसे विवरणों को प्रकट किया। तथापि, कम्पनी ने 48 घण्टों के भीतर असंचारित मीटरों के बारे में सूचित नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की। साथ ही, अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के उपरान्त भी मीटरों की सील तोड़कर सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन लेने एवं सुसंगत तार/ उपकरण (हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर) की व्यवस्था करने के निर्देश जारी नहीं किये गये। कम्पनी ने इलैक्ट्रोस्टैटिक मीटरों को भी सुसंगत मीटरों में नहीं बदला यद्यपि इनकी संख्या बहुत कम थी।

ठेकेदारों द्वारा अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के कारण मीटर डाटा के आधार पर विभिन्न निर्गत प्रतिवेदन प्राप्त करने का समग्र उद्देश्य विफल हुआ। मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के लिये कोई अलग दर निर्धारित नहीं की गई थी। मानवीय रूप से मीटर पठन

के लिए एक अलग भुगतान प्रणाली अथवा शास्ति के अभाव में तथा पठन एवं विश्लेषण के लिए दरों के मध्य सारभूत अंतर ने ठेकेदारों को अधिकतर मामलों में मानवीय रूप से मीटर पठन लेने के लिए प्रोत्साहित किया।

यह देखा गया कि इसी प्रकार का एक कार्यादेश कम्पनी की एक सहयोगी संस्था जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) द्वारा दिया गया (नवम्बर/ दिसम्बर 2012) जिसमें ठेकेदार द्वारा मानवीय रूप से मीटर पठन के मामले में केवल 50 प्रतिशत भुगतान अनुमत किया गया। साथ ही, एक अन्य मामले में देखा गया कि उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (हरियाणा सरकार की एक विद्युत वितरण कम्पनी) मानवीय रूप से पठन के मामले में ठेकेदारों को केवल 25 प्रतिशत भुगतान अनुमत कर रही थी।

कम्पनी ने जुलाई 2015 तक 1.54 लाख मानवीय रूप से मीटर पठन के मामलों में ठेकेदारों को ₹ 1.19 करोड़ के भुगतान किये। यदि जेवीवीएनएल की तरह मीटर पठन के लिए अनुबंध में 50 प्रतिशत भुगतान की शर्त विद्यमान होती तो कम्पनी ₹ 59.58 लाख के अतिरिक्त भुगतान को बचा सकती थी। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने समझौतों की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों के अर्द्धवार्षिक निष्पादन की समीक्षा भी नहीं की जबकि ठेकेदारों द्वारा अधिकतर मामलों में मीटर पठन मानवीय रूप से लिया गया था।

सरकार ने बताया (जनवरी 2016) कि मीटर पठन की दरें पठन के तरीके, अर्थात् मानवीय रूप से अथवा सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से प्रभावित नहीं थीं तथा ठेकेदारों को भुगतान उनके द्वारा की गई आंशिक गतिविधियों के मामले में, डाटा कैचरिंग/ मीटर पठन एवं डाटा विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरों के अनुसार किये जाने थे। इसने आगे बताया कि मानवीय रूप से पठन के लिए कम्पनी द्वारा अनुमत की गई दरें मानवीय रूप से मीटर पठन के लिए जेवीवीएनएल द्वारा अनुमत की गई दरों के बराबर थीं। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि ठेकेदारों को केवल सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन लेना आवश्यक था एवं सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन एवं निर्गत प्रतिवेदनों की प्राप्ति के अभाव में कार्यादेश दिये जाने के उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए। साथ ही, जेवीवीएनएल द्वारा अनुमत की गई दरों से तुलना नहीं की जा सकती क्योंकि जेवीवीएनएल द्वारा मीटर पठन एवं विश्लेषण के लिए अलग-अलग दरें नहीं दी गईं। जेवीवीएनएल के ठेकेदारों को मानवीय रूप से पठन लेने के मामले में समेकित मूल्य का 50 प्रतिशत (प्रति मीटर ₹ 90 तथा ₹ 125 के मध्य) छोड़ना पड़ता था। तथापि, कम्पनी के मामले में, ठेकेदारों को केवल विश्लेषण वाले भाग की दरों को छोड़ना पड़ा जो कि प्रति मीटर ₹ 2 तथा ₹ 30 के मध्य थीं। इस प्रकार से, ठेकेदारों को मानवीय रूप से पठन लेने के कारण कोई हानि नहीं हुई क्योंकि विश्लेषण वाले भाग के लिए दरें सारभूत रूप से कम थी तथा उनके द्वारा सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन को सुनिश्चित करने के लिए आधारभूत संरचना (उपकरण इत्यादि) पर निवेश करना भी आवश्यक नहीं था जो कि मीटर डाटा के विश्लेषण के लिए पूर्व आवश्यकता थी।

कम्पनी ने आगे उत्तर (जून 2016) में लेखापरीक्षा आक्षेप को स्वीकार किया तथा बताया कि कॉरपोरेट स्तरीय क्रय समिति ने सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से मीटर पठन के लिए अनुमत दरों के 50 प्रतिशत पर मानवीय रूप से पठन के लिए भुगतानों को अनुमत करने का निश्चय किया (1 जून 2016)। इसने यह भी बताया कि अधिक भुगतानों की वसूली के लिए बिल को जांचने वाले अधिकारियों को निर्देश जारी किये जा चुके थे।

सरकार ने, तथापि, कम्पनी के उत्तर के विरोधाभास में बताया (जून 2016) कि विभिन्न कारणों यथा उपभोक्ताओं के परिसर पर स्थापित इलैक्ट्रो मैकेनिकल मीटर; सील लगे हुए मीटर बॉक्स के अन्दर की ओर स्थापित मीटर; मीटर पठनकर्ता के पास सुसंगत सीएमआरआई/ एचएचटी की अनुपलब्धता; मैचिंग सॉफ्टवेयर की अनुपलब्धता; रेत एवं बरसाती पानी जमा होने के कारण उपकरण एवं मीटर के मध्य संचार का अभाव; मीटर के दोषपूर्ण/ टूटे हुए पोर्ट; तथा वातावरणीय तापमान बढ़ने के कारण सीएमआरआई के साथ मीटरों का समन्वय नहीं होने के कारण सभी पठन सीएमआरआई/एचएचटी के माध्यम से लेना संभव नहीं था। सरकार का उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि कार्यादेशों के नियम एवं शर्तों में कार्यक्षेत्र के अनुसार मीटर पठन केवल सीएमआरआई/ एचएचटी के माध्यम से उपलब्ध कराना था। सरकार का उत्तर कॉरपोरेट स्तरीय क्रय समिति के निर्णयानुसार (1 जून 2016) ठेकेदारों से वसूली के संबंध में मौन था।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड

4.2 उद्यमियों से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली में प्रणालीगत कमियों पर अनुवर्ती लेखापरीक्षा

4.2.1 परिचय

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) लीज प्रभारों की पूर्ति एवं औद्योगिक क्षेत्रों के संधारण तथा उनके संचालन एवं रखरखाव पर आवर्ती लागत की पूर्ति के लिए उद्यमियों से वार्षिक रूप से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली करती है।

राजस्थान सरकार के 31 मार्च 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन संख्या 4 (वाणिज्यिक), इसके पश्चात इसे लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 कहा जायेगा, के पैराग्राफ 3.9 में आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली में कम्पनी के निष्पादन पर प्रकाश डाला गया था।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 के अनुच्छेद 3.9 में 2004-05 से 2008-09 की अवधि के दौरान देखी गई आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की अवसूली; इकाई कार्यालयों द्वारा आवंटियों के उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं करने; मांग पत्र एवं कारण बताओ नोटिस जारी नहीं करने/ जारी करने में विलम्ब करने; नियमानुसार दोषी उद्यमियों के विरुद्ध कार्यवाही का अभाव; एवं वसूली नहीं होने के कारण पुराने बकाया को अपलिखित करने से संबंधित विसंगतियों पर प्रकाश डाला गया था।

राजकीय उपक्रम समिति (कोपू) द्वारा अनुच्छेद पर चर्चा की गई (9 जुलाई 2013) एवं उसकी सिफारिशें विधायिका के पटल पर रखी गई (मार्च 2016)।

कोपू ने सिफारिश की कि कम्पनी को आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की दरों की आवधिक रूप से समीक्षा एवं पुनरीक्षण करने; नोटिस जारी करने एवं पांच साल से अधिक के लिए बकाया देयों की वसूली के लिए विशेष प्रयास करने; देयों की वसूली में लापरवाही के लिए अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने; अभिलेखों के अभिलेखीकरण एवं कम्प्यूटरीकरण के लिए कार्यवाही करने; प्रबंधन सूचना प्रणाली तैयार करने एवं देयताओं की वसूली की नियमित रूप से निगरानी करनी चाहिए।

हमने भी सिफारिश की कि कम्पनी को उद्यमियों से बकाया की वसूली करने के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए; आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के लिए अलग से लक्ष्य निर्दिष्ट करने; एवं लक्ष्यों की अप्राप्ति के मामले में संबंधित कर्मचारियों की जवाबदेही निश्चित करनी चाहिए।

अनुवर्ती लेखापरीक्षा कम्पनी के प्रधान कार्यालय एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 के लिए चयनित छः इकाइयों⁵ में से तीन इकाइयों (सीतापुरा, अजमेर एवं भिवाड़ी-II) में की गई। यह लेखापरीक्षा आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली की प्रणाली में सुधार एवं पूर्व में की गई लेखापरीक्षा सिफारिशों पर कम्पनी द्वारा की गई कार्यवाही का आंकलन करने के लिए की गई (जनवरी 2016 से मार्च 2016)। भूमि के आवंटन के लिए कम्पनी द्वारा बनाये गये रीको भूमि निस्तारण नियम 1979 (रीको नियम); आवंटन पत्र एवं लीज समझौतों के नियम एवं शर्तें; कम्पनी द्वारा अपनायी गई लेखांकन नीतियां; तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 का अनुच्छेद 3.9 अनुवर्ती लेखापरीक्षा का आंकलन करने के लिए अपनाए गए मानदण्ड थे।

सरकार के उत्तरों (जुलाई 2016) को ध्यान में रखते हुए लेखापरीक्षा परिणामों को अन्तिम रूप दिया गया।

4.2.2 आर्थिक किराया

रीको नियमों के नियम 9 में प्रावधान था कि उद्यमियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए भूमि के आवंटन की तिथि से 60 दिन के अंदर आर्थिक किराये के रूप में लीज किराया चुकाना था। जहां भूखण्ड नीलामी में आवंटित किये गये हों उन मामलों में आर्थिक किराया कब्जा लेने/ कब्जा लेने की मानी गई की तिथि से 120 दिन में चुकाया जाना था। आगामी वित्तीय वर्षों के लिए, आर्थिक किराया वर्ष के 1 अप्रैल को देय होता है तथा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक अग्रिम में चुकाया जाना होता है। बकाया आर्थिक किराये पर ब्याज, यदि कोई हो, नियमानुसार देय तिथि से वसूलनीय है। रीको नियमों के नियम 10 में आगे प्रावधान था कि कम्पनी ने प्रत्येक पांच वर्ष में आर्थिक किराये की दर को पुनरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित रखा। तथापि, प्रत्येक पुनरीक्षण पर किराये की वृद्धि पुनरीक्षण से तुरंत पहले की अवधि के लिए देय किराये के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

कम्पनी ने मार्च 2012 तक आर्थिक किराया भूखण्ड के आकार, कस्बे की जनसंख्या एवं वर्ष जिसमें आवंटन/ लीज डीड के निष्पादन (31 मार्च 1991 तक अथवा 1 अप्रैल 1991 को अथवा उसके बाद) किया गया हो, के आधार पर निर्धारित किया (अप्रैल 2002)। आर्थिक किराये की दरें 1 अप्रैल 2012 से पुनर्निर्धारित की गई (अप्रैल 2012)।

4.2.3 सेवा प्रभार

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव पर व्यय की गई आवर्ती लागत की भरपाई के लिए उद्यमियों से सेवा प्रभारों की वसूली करती है। रीको नियमों के नियम 15(ए) में प्रावधान था कि आवंटियों द्वारा आर्थिक किराये के अतिरिक्त, आवंटन के समय पर लागू सेवा प्रभारों को चुकाया जाना था। उद्यमियों को चालू वित्तीय वर्ष के लिए आवंटन की तिथि से 120 दिन के अंदर सेवा प्रभार चुकाये जाने थे। आगामी वर्षों के लिए, प्रभार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल

5 सीतापुरा, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, कोटा, अजमेर, भिवाड़ी-I एवं भिवाड़ी-II.

को देय होता है तथा प्रत्येक वर्ष की 31 जुलाई तक अग्रिम में चुकाया जाना होता है। कम्पनी के पास समय-समय पर सेवा प्रभारों की दर का पुनरीक्षण करने का अधिकार सुरक्षित था।

4.2.4 आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली

हमने देखा कि मार्च 2015 को, ₹ 119.97 करोड़ की कुल राशि (₹ 41.30 करोड़ के ब्याज सहित) सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये के पेटे उद्यमियों से वसूली के लिए लम्बित थी। अभिलेखों में यह विवरण उपलब्ध नहीं था कि सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये की राशि किस अवधि के लिए लम्बित थी। चयनित इकाइयों में, 31 मार्च 2015 को उद्यमियों से ₹ 20.12 करोड़ (₹ 6.66 करोड़ के ब्याज सहित) का आर्थिक किराया एवं सेवा प्रभार वसूली के लिए लम्बित था। हमने यह भी देखा कि देयताएं, 2008-09 में ₹ 8.76 करोड़ से 2014-15 में ₹ 20.12 करोड़ तक बढ़ (129.68 प्रतिशत) गई।

कम्पनी एक लेखांकन नीति का अनुकरण करती है जो इसको पांच वर्ष से अधिक अवधि से वसूली के लिए लम्बित देयताओं को अपलिखित करना अनुमत करती है। इस प्रकार, वित्तीय विवरण पांच वर्ष से अधिक के लिए बकाया देयताओं को डूबत ऋण मानते हुए तैयार किये गये। 31 मार्च 2015 को, पांच वर्ष से अधिक की अवधि से वसूली के लिए लम्बित देयताओं को अपलिखित करने के बाद ₹ 52.12 करोड़⁶ सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये के पेटे वसूली के लिए लम्बित थे।

हमने देखा कि 2009-15 के दौरान देयताओं की वसूली में कम्पनी के निष्पादन में गिरावट आई। वित्तीय विवरणों के अनुसार वसूली के लिए लम्बित राशि 31 मार्च 2009 को ₹ 24.33 करोड़ से 31 मार्च 2015 को ₹ 52.12 करोड़ तक बढ़ (114.22 प्रतिशत) गई। सरकार/कम्पनी ने नियमित रूप से सभी देयताओं/ प्रभारों के संग्रहण की निगरानी करने एवं कम्पनी की वित्तीय हालत में सुधार के लिए इकाई कार्यालयों को सलाह देने (अक्टूबर 2009) के तथ्य के उपरान्त भी चयनित इकाइयों में पांच वर्ष से कम अवधि से वसूली के लिए लम्बित राशि 31 मार्च 2009 को ₹ 4.10 करोड़ से बढ़कर (88.56 प्रतिशत) 31 मार्च 2015 को ₹ 7.75 करोड़ हो गई। यह इकाई कार्यालयों द्वारा देयताओं की वसूली में पर्याप्त प्रयासों के अभाव को इंगित करता था। इसके अतिरिक्त, कम्पनी ने अलग से आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के लिए इकाईवार लक्ष्य निर्धारित नहीं किये तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 में की गई सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही निश्चित नहीं की।

सरकार ने बताया कि कम्पनी समस्त सेवा प्रभार; आर्थिक किराया; एवं उस पर ब्याज एवं अन्य कोई देयताएं वसूल करती है जब कोई आवंटी किसी अनुमोदन/ अनुमति अथवा किसी मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने के लिए इसके पास पहुंचता है। इसने आगे बताया कि कम्पनी द्वारा किये गये प्रयासों के कारण सेवा प्रभारों की वसूली गई राशि 2009-10 में ₹ 16.63 करोड़ से बढ़कर 2014-15 में ₹ 44.37 करोड़ हो गई। उत्तर इसलिये तथ्यों के साथ मेल नहीं खाता क्योंकि सेवा प्रभार; आर्थिक किराया; एवं उस पर ब्याज की वसूली इनके देय होने वाले वर्ष में नहीं की गई। 2009-10 से 2014-15 के दौरान देयताओं की वसूली में वृद्धि, सेवा प्रभारों की दर एवं आवंटियों की संख्या में वृद्धि के कारण थी।

6 इसमें ₹ 48.51 करोड़ (₹ 11.60 करोड़ के ब्याज सहित) के सेवा प्रभार एवं ₹ 3.61 करोड़ (₹ 1.54 करोड़ के ब्याज सहित) का आर्थिक किराया शामिल हैं।

4.2.5 सेवा प्रभारों का पुनरीक्षण

कम्पनी ने सेवा प्रभारों की दरों में वर्ष 2007-08 तक छः प्रतिशत वार्षिक दर से वृद्धि की। तात्कालिक दरों की समीक्षा की गई (अप्रैल 2008) एवं रखरखाव की लागत में वृद्धि के साथ साथ कम वसूली के मद्देनजर औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ा (₹ 1.80 प्रति एसक्यूएम से ₹ 2.75 प्रति एसक्यूएम)⁷ दी गई। कम्पनी ने 2009-11 के दौरान इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए दरों का पुनरीक्षण नहीं किया कि दरों को वर्ष 2008-09 के दौरान असामान्य रूप से बढ़ा दिया गया था।

कम्पनी की तकनीकी एवं वित्तीय शाखा (टीएण्डएफडी) ने राजस्व वसूली पर व्यय के आधिक्य के कारण औद्योगिक क्षेत्रों की विभिन्न श्रेणियों के लिए अप्रैल 2011 से सेवा प्रभारों को 10 से 15 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया (मार्च 2011)। टीएण्डएफडी ने सेवा प्रभारों की वृद्धि के कारण 2011-12 के दौरान ₹ 12.50 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व परिकल्पित किया लेकिन कम्पनी ने 2011-12 के दौरान दरों का पुनरीक्षण नहीं किया।

कम्पनी की आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) ने सेवा प्रभारों के पुनरीक्षण के लिए एक उप समिति बनाई (मार्च 2012)। कम्पनी ने, उप समिति की सिफारिशों के आधार पर 1 अप्रैल 2012 से 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ ₹ 10 प्रति एसक्यूएम की अधिकतम एवं न्यूनतम ₹ 1000 के अधीन, विकास शुल्क की तात्कालिक दरों के एक प्रतिशत के रूप में दरें निर्धारित की (मई 2012)। तथापि, उद्यमियों के अभ्यावेदन पर दरें ₹ 5 प्रति एसक्यूएम के साथ न्यूनतम ₹ 1000 तक घटा दी (जून 2012) गईं। तथापि, 2013-16 की अवधि के दौरान सेवा प्रभारों की दरों में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि की गई।

वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान वसूल किये गये सेवा प्रभार, औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर कम्पनी द्वारा किया गया व्यय तथा वसूल किये गये सेवा प्रभारों एवं औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्ययों के मध्य अंतर की स्थिति निम्नानुसार थी :

(₹ करोड़ में)

वर्ष	वसूल किये गये सेवा प्रभार	औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय	वास्तविक रूप से वसूल किये गये सेवा प्रभारों पर व्यय का आधिक्य
2009-10	16.63	30.53	13.90
2010-11	19.87	42.41	22.54
2011-12	21.62	68.97	47.35
2012-13	31.22	116.68	85.46
2013-14	34.37	113.33	78.96
2014-15	44.37	77.55	33.18

यह देखा गया कि सेवा प्रभारों से वसूला गया राजस्व एवं औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर कम्पनी द्वारा किये गये व्यय के मध्य बहुत अंतर था।

सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि कम्पनी ने आवश्यक आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों के उचित देखरेख एवं रखरखाव को बनाये रखने को

7 विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) सीतापुरा के I एवं II चरणों के सेवा प्रभारों की दरें ₹ 34.50 प्रति एसक्यूएम तथा सेज बोरानाड़ा की दरें ₹ 11.50 प्रति एसक्यूएम थीं।

महत्व दिया। प्रत्येक औद्योगिक क्षेत्र से वसूल किये गये सेवा प्रभारों की राशि रस्वरस्वाव पर व्यय करते समय ध्यान में रखी गई लेकिन यह एकमात्र मार्गदर्शक बिंदु नहीं था। कम्पनी को एक क्षेत्र की विशिष्ट रस्वरस्वाव आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए व्यय करना पड़ा जिसने सेवा प्रभारों की वसूली एवं किये गये व्यय के मध्य अंतर को बढ़ावा दिया।

4.2.6 दोषी उद्यमियों के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करना

रीको नियमों का नियम 24 (1) आवंटी द्वारा आवंटन पत्र की शर्त, किसी नियम अथवा लीज समझौते की शर्तों की पालना नहीं करने पर आवंटी को पंजीकृत कारण बताओ नोटिस जारी करने के 30 दिन बाद रीको को आवंटित भूखण्ड को निरस्त करने का अधिकार प्रदान करता है। कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट है कि केवल नियम एवं शर्तों की पालना करने पर बकाया माफ किया जा सकेगा। कारण बताओ नोटिस का जवाब नहीं देने अथवा देयताओं को जमा कराने के लिए प्रतिबद्धता अथवा आवंटी द्वारा नियम एवं शर्तों की पालना किये बिना जवाब देने के मामले में भूखण्ड निरस्त तथा लीज समाप्त किये जाने के लिए दायी होगा।

चयनित इकाइयों में हमने देखा कि मार्च 2015 को 3844 उद्यमियों से सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये के पेटे ₹ 20.12 करोड़ की राशि वसूली के लिए लम्बित थी। ₹ 10.78 करोड़ की बकाया देयताओं वाले 157 दोषी उद्यमियों के अभिलेखों की नमूना जांच देयताओं के भुगतान नहीं करने के मामलों में इकाई कार्यालयों द्वारा की गई कार्यवाही की पर्याप्तता की समीक्षा करने के लिए की गई।

हमने देखा कि 157 उद्यमियों में से, 91 (57.96 प्रतिशत) उद्यमियों ने पांच वर्ष से अधिक तक के ₹ 8.57 करोड़ (79.50 प्रतिशत) के सेवा प्रभार नहीं चुकाये तथा कम्पनी लेखांकन नीति के अनुसार इस राशि को डूबत ऋण के रूप में मान चुकी थी। तथापि, कम्पनी ने 157 मामलों में से केवल 72 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये। साथ ही, 28 मामलों में, मांग पत्र भी जारी नहीं किये थे। शेष 129 मामलों में नोटिस जारी करने के पश्चात व्यतीत अवधि निम्न प्रकार से थी:

अंतिम मांग पत्र जारी करने के बाद मार्च 2015 तक व्यतीत अवधि	मामलों की संख्या
पांच वर्ष	7
चार वर्ष	6
तीन वर्ष	4
दो वर्ष	8
एक वर्ष/ 2015-16 के दौरान जारी किया गया मांग पत्र	104

हमने देखा कि कम्पनी ने इन उद्यमियों द्वारा एक लंबे समय से देयताओं का भुगतान नहीं करने के बावजूद 2009-15 के दौरान एक भी आवंटन निरस्त करने की कार्यवाही शुरू नहीं की।

157 दोषी उद्यमियों में से भिवाड़ी की द्वितीय इकाई के 57 उद्यमियों से अधिकतम सेवा प्रभार (₹ 8.59 करोड़) बकाया थे। आगे विश्लेषण ने उजागर किया कि इन 57 उद्यमियों में से ₹ 7.59 करोड़ के सेवा प्रभार केवल 17 उद्यमियों से बकाया थे। तथापि, इन 17 उद्यमियों के महत्त्वपूर्ण बकाया के मामले में भी, इकाई कार्यालय ने नौ उद्यमियों को मांग पत्र एवं 10 उद्यमियों को कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किये थे।

सरकार ने बताया कि इकाई कार्यालयों द्वारा प्रत्येक वर्ष आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों के भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किये गये लेकिन बंद औद्योगिक इकाइयों अथवा कम्पनी/

आरएफसी⁸ /अन्य संस्थाओं के कब्जे में रही इकाइयों ने देयताओं के भुगतान नहीं किये। सेवा प्रभारों की बड़ी राशि के बकाया हो जाने के मामले में भूखण्ड के निरस्तीकरण के लिए आवंटियों को नोटिस जारी किये। तथापि, आवंटियों की संख्या को देखते हुये सम्पूर्ण राज्य में सभी दोषी आवंटियों के भूखण्डों का कब्जा लेना एवं आवंटन निरस्त करना व्यावहारिक एवं व्यावहार्य नहीं था। प्रत्येक वर्ष सभी दोषी आवंटियों को मांग पत्र जारी करने के संबंध में उत्तर सही नहीं था क्योंकि कम्पनी ने उपर्युक्त दर्शाये गये मामलों में मांग पत्र जारी नहीं किये/ विलम्ब से जारी किये। उत्पादनाधीन इकाइयों, जिन्होंने मांग पत्रों पर ध्यान नहीं दिया, की संख्या महत्वपूर्ण थी एवं कम्पनी द्वारा देयताओं की वसूली के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई।

4.2.7 उचित अभिलेखों का रखरखाव नहीं करना

चयनित इकाइयों में, यह देखा गया कि आवंटिती अनुसार खाताबही; बंद एवं चालू इकाइयां; एवं बकाया सेवा प्रभारों एवं आर्थिक किराये की आयुवार सूचना के संबंध में आवंटियों के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये गये। साथ ही, इकाई कार्यालयों द्वारा देयताओं की वसूली एवं दोषी उद्यमियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही के लिए मांग पत्र/ कारण बताओ नोटिसों के विवरण जैसी अत्यावश्यक सूचनाएं संधारित नहीं की गई। इकाई कार्यालयों ने बकाया देयताओं की क्षेत्रानुसार सूचना; एवं वसूले गये एवं बकाया सेवा प्रभारों/ आर्थिक किराये की समेकित स्थिति संधारित की। व्यक्तिगत उद्यमी की स्थिति का विश्लेषण करने हेतु यह सूचना पर्याप्त नहीं थी।

हमने यह भी देखा कि बकाया सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की स्थिति कभी भी निदेशक मण्डल को अवगत नहीं कराई गई।

सरकार ने बताया कि कम्पनी ने प्रत्येक वर्ष सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की भूतकालीन बकाया देयताओं; वर्ष के दौरान देय राशि; वर्ष के दौरान प्राप्त राशि; एवं वर्ष के अंत में बकाया राशि का उद्यमीवार विवरण तैयार किया। इसने आगे बताया कि लेखापरीक्षा द्वारा सुझाया गया विश्लेषण/विवरण कम्पनी द्वारा रखे जाने वाले मानवीय अभिलेखों के मद्देनजर व्यावहार्य नहीं था। इसने यह भी बताया कि बकाया सेवा प्रभार एवं आर्थिक किराया वार्षिक लेखों का हिस्सा थे तथा यह प्रत्येक वर्ष निदेशक मण्डल के सामने प्रस्तुत किये गये। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि इकाइयों द्वारा उद्यमियों से सेवा प्रभारों तथा आर्थिक किराये की बकाया राशि का आयुवार विवरण तैयार नहीं किया गया। साथ ही, आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली के संबंध में इकाई कार्यालयों की स्थिति पर निदेशक मण्डल की सभाओं में अलग से चर्चा नहीं की गई। कम्पनी, आवश्यकतानुसार व्यक्तिगत अभिलेखों के माध्यम से देयताओं का निस्तारण करती है।

निष्कर्ष

वर्ष 2009-15 की अवधि के दौरान आर्थिक किराये एवं सेवा प्रभारों की वसूली की प्रणाली में कोई सुधार नहीं हुआ। इकाई कार्यालय समय से मांग पत्र/ कारण बताओ नोटिस जारी करने में विफल रहे। नियमानुसार दोषी उद्यमियों के विरुद्ध ठोस कार्यवाही के अभाव में बकाया देयताएं वर्ष दर वर्ष बढ़ती गयी। इकाई कार्यालयों द्वारा अभिलेखों के संधारण में कोई सुधार नहीं था। सेवा प्रभारों से वसूले गये राजस्व एवं औद्योगिक क्षेत्रों के

रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय के मध्य बहुत अंतर था। साथ ही, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2009-10 में लेखापरीक्षा द्वारा की गई अनुशंषाएं कम्पनी द्वारा क्रियान्वित नहीं की गई।

अनुशंषाएं

कम्पनी को कोपू द्वारा की गई अनुशंषाओं की अनुपालना करनी चाहिए। यह भी सिफारिश की जाती है कि कम्पनी को चाहिये कि वह:

- आर्थिक किराये/ सेवा प्रभारों की वसूली के इकाई कार्यालयानुसार लक्ष्य निर्धारित करे;
- आर्थिक किराये/ सेवा प्रभारों के भुगतान नहीं करने वाले दोषी उद्यमियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करे;
- औद्योगिक क्षेत्रों के रखरखाव/ विशेष रखरखाव पर किये गये व्यय के साथ समानता बनाये रखने के लिए सेवा प्रभारों की दरों को तार्किक बनाये; तथा
- अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण करे एवं इकाई कार्यालयों द्वारा प्रबंधन को प्रस्तुत की जाने वाली बकाया देयताओं (उद्यमी-वार) की आवधिक विवरणियां निर्धारित करे।

4.3 औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना

4.3.1 परिचय

जल एक दुर्लभ एवं कीमती राष्ट्रीय स्रोत है। यह जीवन के लिए आधारभूत, आजीविका, स्वाद्य सुरक्षा एवं विकासात्मक नियोजन में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। राजस्थान राज्य देश के सबसे शुष्कतम राज्यों में से एक है तथा राज्य में कुल सतही जल संसाधन देश के कुल सतही जल संसाधन का मात्र एक⁹ प्रतिशत है।

वर्ष 2001-15 के दौरान राजस्थान में भूजल का उपयोग एवं उनकी फिर से भरवाई
भूजल स्रोत मुख्यतः दो स्रोतों द्वारा पुनः भरे जाते हैं; वर्षा एवं अन्य स्रोत जिनमें नहर रिसाव, सिंचाई से प्रतिप्रवाह, जलस्रोतों से रिसाव एवं जल संरक्षण ढांचों से कृत्रिम पुनर्भरण शामिल हैं। राजस्थान में, 2001 में सिंचाई (10.454 बीसीएम) तथा औद्योगिक एवं आवासीय (1.181 बीसीएम) उद्देश्य के लिए जल के उपयोग के समक्ष 11.159 बिलियन घन मीटर (बीसीएम) कुल जल का पुनर्भरण हुआ। वर्ष 2015 में सिंचाई तथा औद्योगिक एवं आवासीय उद्देश्य के लिए जल के उपयोग में क्रमशः 11.60 बीसीएम एवं 2.72 बीसीएम की वृद्धि हुई लेकिन जल पुनर्भरण केवल 10.38 बीसीएम था। इस प्रकार, भूजल तालिका में लगातार रिक्तीकरण को इंगित करते हुए भूजल का आहरण 2001 में 0.476 बीसीएम से बढ़कर 2015 में 3.94 बीसीएम हो गया। 58 प्रतिशत के राष्ट्रीय औसत के समक्ष राजस्थान में जल के विकास का स्तर नकारात्मक (125 प्रतिशत) था जो दर्शाता है कि औसत वार्षिक भूजल उपभोग औसत वार्षिक भूजल पुनर्भरण से अधिक था।

स्रोत: भारतीय जल संसाधन सूचना प्रणाली एवं केंद्रीय भूजल मण्डल।

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने 500 वर्गमीटर (एसक्यूएम) अथवा अधिक क्षेत्र के भूखण्ड वाले सभी सार्वजनिक संस्थानों तथा नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी सम्पत्तियों के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली की अनिवार्य स्थापना के आदेश दिये (31 मई 2000)। आदेश को संशोधित किया गया (12 दिसम्बर 2005) तथा वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना को 300 एसक्यूएम अथवा अधिक के नगरीय क्षेत्रों में सभी भूखण्डों के लिए अनिवार्य कर दिया गया।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) राज्य में औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक उद्देश्य के लिए भूमि के आवंटन में कार्यरत है। जीओआर के निर्णय के बाद, 500 एसक्यूएम अथवा अधिक के भूखण्ड वाले आवंटियों के लिए 7 दिसम्बर 2000 की तिथि से छः माह की अवधि में वर्षा जल संचयन ढांचे (आरडब्ल्यूएचएस) के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया था। तथापि, कम्पनी ने राज्य सरकार के उस संशोधित (12 दिसम्बर 2005) आदेश पर ध्यान नहीं दिया जिसमें 300 एसक्यूएम अथवा अधिक के भूखण्डों के लिए आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को अनिवार्य कर दिया गया था।

वर्तमान अध्ययन यह आंकलन करने के लिए किया गया (फरवरी 2016 से अप्रैल 2016) कि क्या विद्यमान नियम एवं समय-समय पर कम्पनी द्वारा जारी किये गये निर्देशानुसार आवंटियों द्वारा भूखण्डों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। साथ ही, उद्यमियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की पुष्टि करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाये गये निगरानी तंत्र तथा दोषी आवंटियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही की समीक्षा भी की गई।

31 दिसम्बर 2015 तक, कम्पनी 27 इकाई कार्यालयों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 330 औद्योगिक क्षेत्रों में 54195¹⁰ भूखण्ड (34682 एकड़ भूमि पर 42479 औद्योगिक/ गैर-औद्योगिक इकाइयां) आवंटित कर चुकी थी। दिसम्बर 2015 तक, 42479 इकाइयों में से 36519 इकाइयां उत्पादनाधीन थी तथा 2060 इकाइयां निर्माणाधीन थी। शेष इकाइयों के अधीन भूखण्ड या तो स्वामी पड़े थे अथवा विवादित थे।

हमारी संवीक्षा में राज्य के सभी भौगोलिक संभागों/ क्षेत्रों को सम्मिलित करते हुए प्रधान कार्यालय एवं चयनित किये गये सात¹¹ इकाई कार्यालयों पर अभिलेखों की समीक्षा को शामिल किया गया। पुराने एवं नए आवंटियों (इकाइयों) द्वारा नियमों एवं आदेशों की अनुपालना का निर्धारण करने के लिए चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा विकसित 71 औद्योगिक क्षेत्रों में से 33 पुराने एवं नए औद्योगिक क्षेत्रों के एक सम्मिश्रण का चयन किया गया। लेखापरीक्षा परिणाम दिसम्बर 2015 को चयनित औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादनाधीन 5581 इकाइयों में से 1262 इकाइयों (औद्योगिक एवं गैर औद्योगिक सहित) के अभिलेखों की विस्तृत संवीक्षा पर आधारित हैं। आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की विश्वसनीयता एवं कम्पनी द्वारा प्रतिपुष्टि का आंकलन करने के लिए हमने कम्पनी के कर्मचारियों के साथ 105 इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण भी किया।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रीको भूमि निस्तारण नियम 1979, (रीको नियम); आवंटन पत्र के नियम एवं शर्तें; आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णय, औद्योगिक

10 दिसम्बर 2015 तक स्वामी पड़े 6937 भूखण्डों की संख्या सहित।

11 आबू रोड़, बीकानेर, भरतपुर, बोरानाड़ा जोधपुर, ईपीआईपी सीतापुरा, कोटा एवं नीमराणा।

क्षेत्रों के लिए जारी की गई प्रशासनिक स्वीकृतियां, तथा कम्पनी द्वारा जारी किये गये अन्य नियम, अधिसूचनाएं, नियमावलियां लेखापरीक्षा मापदण्ड बनाये गये।

अनुच्छेद को सरकार के उत्तर (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.3.2 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए विनियामक ढांचा

भूखण्डों के आवंटियों के लिए कम्पनी द्वारा निर्धारित भवन मानदण्डानुसार नक्शा बनाना एवं अनुमोदित कराना आवश्यक है। कम्पनी ने भवन मानदण्डों को संशोधित किया (7 दिसम्बर 2000) तथा 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त गैर-औद्योगिक इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को अनिवार्य किया गया। कम्पनी ने 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त औद्योगिक इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना की शर्तों को अगस्त 2001 के बाद से आवंटन /अंतरण पत्रों में समाहित भी किया गया। आवंटी द्वारा आवंटन /अंतरण पत्र की किसी भी नियम एवं शर्त की अनुपालना नहीं करने के मामले में भूखण्ड के आवंटन को स्वतः ही निरस्त मान लिया जाना था।

जीओआर ने राज्य जल नीति 2010 जारी (फरवरी 2010) की जिसमें ग्रामीण एवं नगरीय दोनों क्षेत्रों में छत के वर्षा जल संचयन के प्रोत्साहन पर जोर दिया गया। राज्य जल नीति की अनुपालना में कम्पनी ने उक्त नीति एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशानिर्देशों के अनुरूप कम्पनी के औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षा जल संचयन के मामले की जांच के लिए एक उप-समुह¹² का गठन किया (9 जून 2011)।

उप-समुह की अनुशंषाओं (अगस्त 2011) के आधार पर आईडीसी द्वारा 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार के सभी मौजूदा आवंटियों को छः माह की अवधि में अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण करना आवश्यक करने का निश्चय किया गया (5 सितम्बर 2011)। आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के अभाव में भू उपयोग परिवर्तन; भूखण्ड के अंतरण; इकाई के संविधान में परिवर्तन; एवं अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में वतर्मान आवंटियों के निवेदन को नहीं माना जाना था।

यह भी निश्चय किया गया कि संबंधित इकाई प्रमुख द्वारा नई औद्योगिक इकाइयों को उनके परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस की पुष्टि किये बिना 'उत्पादनाधीन' के रूप में दर्ज नहीं किया जायेगा।

आईडीसी ने रीको नियमों के नियम 23 (सी) को भी संशोधित किया (अगस्त 2014)। संशोधित नियम में प्रावधान था कि नियत दरों पर शास्ति के वार्षिक भुगतान करने पर आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण नहीं करने/ निर्माण पूरा किये बिना किसी औद्योगिक इकाई को 'उत्पादनाधीन' माना जा सकेगा। इस संशोधन पर एक स्पष्टीकरण जारी किया गया (सितम्बर 2014) जिसमें प्रावधान था कि:

- जिन मामलों में 30 सितम्बर 2011 से 24 अगस्त 2014 की अवधि के दौरान भूखण्डों को 'उत्पादनाधीन' माना गया हो उन मामलों में आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण

12 उद्योग आयुक्त, आयुक्त (निवेश एवं एनआरआई) तथा सचिव (ऊर्जा)।

की तिथि तक उत्पादन गतिविधियों को शुरू करने में विलम्ब को प्रतिधारण प्रभारों के भुगतान पर नियमित किया जा सकेगा,

- जिन मामलों में 25 अगस्त 2014 अथवा उसके बाद भूखण्डों को 'उत्पादनाधीन' माना गया हो, उनमें उद्यमियों को आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण में विलम्ब के लिए नियत दरों पर शास्ति का भुगतान करना आवश्यक था।

तथापि, जिन आवंटियों ने अगस्त 2014 के बाद भी आरडब्ल्यूएचएस स्थापित नहीं किया था लेकिन उन इकाइयों को अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 'उत्पादनाधीन' माना गया था, उन मामलों में प्रतिधारण प्रभारों की वसूली के संबंध में यह स्पष्टीकरण मौन था।

4.3.3 आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण

मार्च 2016 तक 1262 चयनित इकाइयों में से केवल 515 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किया गया। कम्पनी द्वारा निर्देश जारी करने/ नियमों में संशोधन के आधार पर आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण करने के विश्लेषण को तीन भागों में बांटा गया है। प्रथम भाग 703 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सम्मिलित करता है जो सितम्बर 2011 को उत्पादनाधीन थी; द्वितीय भाग 339 नई इकाइयों को सम्मिलित करता है जो अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 के दौरान उत्पादन में आई; तथा तृतीय भाग 176 इकाइयों को सम्मिलित करता है जो अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई। 44 पुरानी इकाइयों के संबंध में डाटा के अभाव में उनकी उत्पादन की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी। तथापि, इन पुरानी इकाइयों में से 14 इकाइयां अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित कर चुकी थी। मार्च 2016 को, 1262 चयनित इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने की स्थिति निम्न प्रकार थी:

अवधि	अध्ययनाधीन इकाइयां	इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये	इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस स्थापित नहीं किये
सितम्बर 2011 को उत्पादनाधीन इकाइयां	703	160	543
अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 के दौरान उत्पादन में आई इकाइयां	339	206	133
अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई इकाइयां	176	135	41
इकाइयों जिनके उत्पादन की तिथि की पुष्टि नहीं की जा सकी	44	14	30
कुल	1262	515	747

- सितम्बर 2011 को 'उत्पादनाधीन' 703 इकाइयों में से केवल 160 इकाइयों ने ही मार्च 2016 तक अपने परिसरों में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये थे। हमने देखा कि केवल आठ विद्यमान इकाइयों द्वारा ही छः माह की निर्धारित अवधि में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। तथापि, कम्पनी/ इकाई कार्यालयों ने अक्टूबर 2011 से मार्च 2016 की अवधि के दौरान इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की पुष्टि किये बिना ही 34 मामलों में इकाइयों के संविधान में परिवर्तन; सात मामलों में भू उपयोग में परिवर्तन; 235 मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने; तथा 194 मामलों में इकाइयों के अंतरण को अनुमत किया।
- इकाई प्रभारियों ने अक्टूबर 2011 से अगस्त 2014 की अवधि के दौरान 339 इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' माना लेकिन केवल 206 इकाइयों द्वारा ही अपने परिसरों

में आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। शेष 133 इकाइयां आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किये बिना ही 'उत्पादनाधीन' मानी गई। हमने देखा कि कम्पनी ने आरडब्ल्यूएचएस को विलम्ब से स्थापित करने/ आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित नहीं करने के पेटे ₹ 6.45 करोड़ के प्रतिधारण प्रभारों की वसूली नहीं की।

- अगस्त 2014 के बाद उत्पादन में आई 176 इकाइयों में से केवल 135 इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये गये। शेष 41 इकाइयों में से 19 इकाइयों को आरडब्ल्यूएचएस स्थापित किये बिना ही वर्तमान मानदण्डानुसार 'उत्पादनाधीन' माना गया। 22 इकाइयों के मामले में उत्पादन की अनुसूचित तिथि मार्च 2016 के बाद थी। कम्पनी ने उन इकाइयों¹³ से ₹ 0.06 करोड़ की शास्ति की वसूली नहीं की जिन्हें आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित किये बिना ही 'उत्पादनाधीन' माना गया।

4.3.4 संयुक्त निरीक्षण के परिणाम

हमने आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की विश्वसनीयता का निर्धारण करने के लिए कम्पनी के कर्मचारियों के साथ 105 इकाइयों का संयुक्त निरीक्षण किया जिसे इकाई कार्यालयों द्वारा सत्यापित भी किया गया। संयुक्त निरीक्षण के परिणाम निम्न प्रकार थे:

क्रम संख्या	इकाई कार्यालय का नाम	संयुक्त निरीक्षणों की संख्या	इकाइयों की संख्या जहां आरडब्ल्यूएचएस अस्तित्व में नहीं थे	इकाइयों की संख्या जहां आरडब्ल्यूएचएस का उचित रखरखाव नहीं किया था
1	आबू रोड़	13	7	5
2	नीमराणा	9	2	3
3	भरतपुर	8	-	7
4	बीकानेर	20	-	8
5	कोटा	34	-	12
6	बोरानाड़ा जोधपुर	11	8	11
7	सीतापुरा जयपुर	10	1	1
कुल		105	18	47

संयुक्त निरीक्षण के परिणामों ने उजागर किया कि 105 इकाइयों में से 18 इकाइयों ने आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की थी लेकिन इकाई कार्यालय इसे पहले ही सत्यापित कर चुके थे। इससे इंगित हुआ कि आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को इकाई के भौतिक सत्यापन किये बिना ही इकाई कार्यालय द्वारा प्रमाणित कर दिया गया था। इससे अनियमितताओं का जोखिम बढ़ता है क्योंकि इकाई कार्यालयों की सहमति के बिना उद्यमी भू उपयोग में परिवर्तन; भूखण्ड के अंतरण; इकाई के संविधान में परिवर्तन; वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में समर्थ नहीं थे। साथ ही, 47 इकाइयों में, हमने देखा कि आरडब्ल्यूएचएस का उचित रूप से रखरखाव नहीं किया गया था क्योंकि पानी के भूमिगत टैंक मौजूद नहीं थे; छत के पानी को भूमिगत टैंक में ले जाने के लिए लगाये गये पाईप मौजूद नहीं थे अथवा पाईप कचरे के कारण अवरुद्ध पड़े थे।

13 38 इकाइयों के संबंध में (19 इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित नहीं किया एवं 19 इकाइयां जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस को विलम्ब से स्थापित किया गया)।

4.3.5 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की निगरानी

कम्पनी ने औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्यूहरचना नहीं बनाई तथा लागू नहीं की। इकाई कार्यालयों ने सितम्बर 2011 तक कोई नोटिस जारी नहीं किये यद्यपि 500 एसक्यूएम अथवा अधिक आकार की समस्त इकाइयों के लिए आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना करना अगस्त 2001 से अनिवार्य था। कम्पनी द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना के लिए आवंटियों में जागरुकता पैदा करने एवं निर्देश जारी करने का अभाव रहा। कम्पनी/ इकाई कार्यालयों के पास आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण कर चुकी इकाइयों का कोई डाटाबेस नहीं था। डाटाबेस के अभाव में, कम्पनी/ इकाई कार्यालय उन इकाइयों की पहचान नहीं कर सके जिन्होंने आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण नहीं किया एवं इस प्रकार प्रतिधारण प्रभारों के लिए दायी थी। आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं करने के पर भूखण्ड निरस्त किये जा सकते थे लेकिन आवंटन/ अंतरण पत्रों की इस शर्त की अनुपालना की निगरानी नहीं की गई थी। साथ ही, निर्देशों के उल्लंघन में इकाई प्रमुखों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण को सत्यापित किये बिना नई 'उत्पादनाधीन' इकाई मान लिया गया।

भूखण्ड के आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण करने के बाद संबंधित इकाई प्रमुखों को लिखित में सूचित करना आवश्यक था। हमने देखा कि मार्च 2016 तक 1262 चयनित इकाइयों में से केवल 45 इकाइयों ने आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के बारे में सूचित किया। तथापि, कम्पनी ने सितम्बर 2011 से मार्च 2016 के दौरान 1217 मामलों में से केवल 161 मामलों (13.23 प्रतिशत) में ही नोटिस जारी किये। इस प्रकार, इकाई कार्यालय आवंटियों से सूचनाएं प्राप्त नहीं होने के बावजूद भी आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की निगरानी करने में विफल रहे।

4.3.6 आईडीसी की अनुशंषाओं का क्रियान्वयन

आईडीसी ने, 5 सितम्बर 2011 को आयोजित सभा में लिये गये निर्णयों के अतिरिक्त भी सिफारिश की कि:

- आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक मानदण्डों जैसे आकार, प्रकार, डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां इत्यादि को परिभाषित करने के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली पर एक मैनुअल तैयार किया जाये;
- उद्योग संघ के साथ व्यापक चर्चा के द्वारा जल संचयन प्रणाली के लिए एक प्रेरक दृष्टिकोण अपनाया जाये; तथा
- उपसमूह के सुझावों के क्रियान्वयन के तौर-तरीकों को निश्चित करने के लिए एक समूह बनाया जाये।

इकाई कार्यालयों/ कम्पनी द्वारा आईडीसी की उपर्युक्त अनुशंषाओं की अनुपालना की चर्चा नीचे की गई है।

4.3.7 आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए मैनुअल बनाना

कम्पनी के पास आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण की क्रियाविधि बतलाने वाला एक प्रलेख था (जून 2005) लेकिन इकाई कार्यालय ऐसे किसी प्रलेख के बारे में अनभिज्ञ थे। साथ ही, आईडीसी के निर्देशों (5 सितम्बर 2011) की अनुपालना में, कम्पनी ने आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक

मानदण्डों जैसे आकार, प्रकार, डिजाइन, तकनीकी विशिष्टियां इत्यादि को परिभाषित करने के लिए कोई मैनुअल तैयार नहीं किया। इकाई कार्यालय क्षेत्र की भूसंरचना के अनुसार आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए इकाइयों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली तकनीक एवं विशिष्टताओं के बारे में अनभिज्ञ थे।

विशिष्ट निर्देशों एवं जागरुकता के अभाव में, चयनित इकाई कार्यालयों द्वारा तैयार किये गए मौका प्रतिवेदनों में केवल यह दर्शाया गया था कि क्या आवंटियों ने आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण किया था अथवा नहीं। इस प्रकार, कम्पनी निर्माण किये जाने वाले आरडब्ल्यूएचएस के अत्यावश्यक मानदण्डों के अभाव के कारण इकाइयों द्वारा स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस की उपयुक्तता को सुनिश्चित नहीं कर सकी।

4.3.8 आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने की प्रक्रिया

एक नीति का क्रियान्वयन अधिकांशतः हितधारियों के भाग लेने पर निर्भर करता है। राज्य जल नीति 2010 एक धारणीय आधार पर जल स्रोतों के नियोजन, विकास एवं प्रबंधन में एक एकीकृत एवं बहु-पक्षीय दृष्टिकोण अपनाने के लिए लक्षित थी। यह नीति शिक्षा, विनियम, प्रगतिशील जल टैरिफ द्वारा उत्प्रेरक एवं अनुत्प्रेरक, जल पुनःचक्रण सुविधाएं इत्यादि के माध्यम से जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए लक्षित थी।

औद्योगिक एवं गैर-औद्योगिक भूखण्डों के आवंटी कम्पनी द्वारा विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्रों में आरडब्ल्यूएचएस को स्थापित करने के लिए संबद्ध हितधारी थे। तथापि, कम्पनी ने वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में उद्यमियों के मध्य प्रचार करने एवं जागरुकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाया।

उपसमूह ने राज्य में सतही जल की कमी एवं भूजल की चिंताजनक स्थिति तथा राज्य जल नीति के प्रावधानानुसार वर्षा जल संचयन प्रणाली के क्रियान्वयन की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये औद्योगिक क्षेत्रों में आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना की सिफारिश की थी (24 अगस्त 2011)। आईडीसी द्वारा भी उपसमूह के सुझावों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए एक समूह का गठन किया गया (सितम्बर 2011)। तथापि, समूह ने औद्योगिक क्षेत्रों में इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना की प्रक्रिया तय करने के लिए कोई प्रस्ताव तैयार नहीं किया। साथ ही, कम्पनी भूसंरचनात्मक दशाओं के अनुसार आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना के संबंध में औद्योगिक इकाइयों की शिकायतों के निवारण में भी पीछे रही।

हमने देखा कि कोटा एवं झालावाड़ औद्योगिक क्षेत्रों के औद्योगिक संघों ने कम्पनी से स्तरित/कठोर चट्टान वाली अभेद्य क्षेत्र में उद्योगों के स्थित होने के मद्देनजर आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए दिशानिर्देश जारी करने का निवेदन किया (जुलाई 2012)। तथापि, कम्पनी इन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक इकाइयों को दिशानिर्देश उपलब्ध कराने में विफल रही (अप्रैल 2016)। परिणामस्वरूप, कोटा इकाई कार्यालय में चयन की गई 276 इकाइयों में से केवल 90 इकाइयां ही आरडब्ल्यूएचएस का निर्माण कर सकी (मार्च 2016)।

सरकार ने लेखापरीक्षा आक्षेपों को स्वीकार किया एवं बताया (अगस्त 2016) कि वर्षा जल संचयन ढांचों के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा आक्षेपों एवं कम्पनी द्वारा जारी किये गये आदेशों/परिपत्रों की अनुपालना को सुनिश्चित करने के लिए सभी इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिये गये (अप्रैल 2016) थे। इसने आगे बताया कि वर्षा जल संचयन ढांचों के

निर्माण के लिए उद्योग संघों से समर्थन प्राप्त करने तथा प्रचार एवं जागरुकता पैदा करने के लिए कम्पनी द्वारा उपयुक्त स्थानों पर फलेक्सी साइन बोर्ड लगवाने के लिए निर्देश जारी किये गये।

निष्कर्ष

कम्पनी औद्योगिक क्षेत्रों में आवंटियों द्वारा वर्षा जल संचयन ढांचों (आरडब्ल्यूएचएस) की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युहरचना बनाने एवं लागू करने में विफल रही। आधारभूत विकास समिति (आईडीसी) के निर्णयों/ निर्देशों की अनुपालना के अभाव में कम्पनी/ इकाई कार्यालयों द्वारा इकाई के संविधान में परिवर्तन; भू उपयोग में परिवर्तन; इकाइयों के अंतरण; अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमत किया गया तथा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना को सुनिश्चित किये बिना मौजूदा मानदण्डों के अनुसार इकाइयों को 'उत्पादनाधीन' मान लिया गया। कई उदाहरण ऐसे भी देखे गये जहां आवंटियों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना नहीं की गई लेकिन इकाई कार्यालयों द्वारा इन इकाइयों द्वारा आरडब्ल्यूएचएस स्थापित करने को प्रमाणित किया गया। साथ ही, कुछ मामलों में आवंटियों द्वारा स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस का उचित रखरखाव नहीं किया गया था। कम्पनी द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों की भूसंरचना पर आधारित आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए आवंटियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले तकनीकी मानदण्ड एवं तकनीक निर्धारित नहीं की गई। कम्पनी द्वारा, प्रचार के लिए एवं वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में उद्यमियों के मध्य जागरुकता पैदा करने के लिए कोई कार्यक्रम भी नहीं बनाया गया जैसा कि आईडीसी द्वारा अनुशंसा की गई थी।

अनुशंसाएं

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी को चाहिए कि:

- आवंटियों द्वारा निर्धारित समय सीमा में आरडब्ल्यूएचएस की अनिवार्य स्थापना को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी व्युहरचना बनाये एवं लागू करे। कम्पनी, आरडब्ल्यूएचएस की स्थापना में ढिलाई करने वाले उद्यमियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही भी शुरू करे;
- औद्योगिक क्षेत्रों की भूसंरचना पर आधारित आरडब्ल्यूएचएस के निर्माण के लिए आवंटियों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाले तकनीकी मानदण्ड एवं तकनीक निर्धारित करे;
- एक इकाई को 'उत्पादनाधीन' मानने तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने, भूमि अंतरण इत्यादि से पूर्व आरडब्ल्यूएचएस के अनिवार्य सत्यापन के लिए इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी करे। कम्पनी, स्थापित किये गये आरडब्ल्यूएचएस के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित फोटोग्राफिक साक्ष्य लेने को भी ध्यान में रख सकती है;
- यह सुनिश्चित करने के लिए इकाइयों के आवधिक सत्यापन के लिए इकाई कार्यालयों को निर्देश जारी करे कि आवंटियों द्वारा स्थापित आरडब्ल्यूएचएस का

उचित रखरखाव किया जा रहा है;

- वर्षा जल संचयन के महत्व के बारे में प्रचार के लिए एवं उद्यमियों के मध्य जागरूकता पैदा करने के लिए कार्यक्रम बनाये एवं लागू करे।

4.4 आरक्षित मूल्य का कम निर्धारण

इकाई कार्यालय (नीमराणा) द्वारा भूमि के अनाधिकृत कब्जे के नियमितीकरण पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित दरों से कम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के कारण ₹ 1.73 करोड़ की हानि हुई।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड (कम्पनी) द्वारा बनाये गये 'रीको भूमि निस्तारण नियम, 1979' (रीको नियम) के अनुसार एक अथवा अधिक मौजूद भूखण्डों के साथ लगी हुई भूमि का एक टुकड़ा जिसे स्वतंत्र रूप से उपयोग में नहीं लाया जा सकता क्योंकि न तो इसे नगर नियोजन मानदण्डों के अनुरूप एक स्वतंत्र भूखण्ड के रूप में नियोजित किया जा सकता हो तथा न ही ऐसी भूमि के टुकड़े तक पहुंचा जा सकता हो उसे भूमि की पट्टी के रूप में परिभाषित करते हैं।

रीको नियमों के नियम 12 (बी-2) में प्रावधान था कि वाणिज्यिक भूखण्डों के मामले में भूमि की पट्टी की आवंटन की दर, औद्योगिक भूमि के आवंटन की प्रचलित दर की चार गुणा अथवा वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए अन्तिम नीलामी में प्राप्त उच्चतम नीलामी दर जो भी अधिक हो, होगी। यदि भूमि की कोई पट्टी इस प्रकार से स्थित है कि इसके साथ लगे हुए एक से अधिक भूखण्डों के स्वामियों द्वारा उपयोग की जा सके, उस मामले में ऐसी भूमि की पट्टी का निस्तारण सभी साथ लगे हुए भूखण्डों के स्वामियों के मध्य एक सीमित नीलामी द्वारा किया जायेगा। यदि नीलामी के दौरान भूमि क्रय में केवल साथ लगे हुए एक भूखण्ड का स्वामी रुचि दर्शाता है तो नियम में दर्शायी गई दरों से कम दर पर भूमि की पट्टी का आवंटन नहीं किया जायेगा।

इकाई कार्यालय (नीमराणा) ने वाणिज्यिक उद्देश्य के लिए वनचारी होटल्स प्राइवेट लिमिटेड¹⁴ (वीएचपीएल) को 20125 वर्ग मीटर (एसक्यूएम) भूमि (भूखण्ड संख्या सीसी-1) आवंटित की (दिसम्बर 1998)। तथापि, इसके साथ सटी हुई 1684 एसक्यूएम भूमि भी वीएचपीएल के पास अनाधिकृत कब्जे में थी।

भूमि के अनाधिकृत कब्जे का तथ्य इकाई कार्यालय (नीमराणा) द्वारा औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा-1 के निरीक्षण के समय अगस्त 2013 के दौरान ध्यान में आया। इकाई कार्यालय ने वीएचपीएल को भूमि खाली करने का निर्देश दिया (अक्टूबर 2013) तथा इसके जवाब में (दिसम्बर 2013), वीएचपीएल ने ब्याज सहित आवंटन दर पर भूमि की पट्टी को क्रय करने का प्रस्ताव दिया।

14 भूमि को मूल रूप से डोराता शोपिंग कॉम्प्लेक्स को आवंटित की गई थी जिसका नाम बाद में मॉडर्न बिल्डर्स के रूप में परिवर्तित किया गया (जून 2000)। भूमि को वीएचपीएल द्वारा मॉडर्न बिल्डर्स के अधिग्रहण के बाद वीएचपीएल के नाम में अंतरित किया गया।

भूमि की पट्टी भूखण्ड संख्या सीसी-1 तथा सीसी-2 के मध्य स्थित थी तथा इसलिए इकाई कार्यालय ने दोनों स्वामियों से सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की (मार्च 2014)। भूमि की पट्टी के लिए आरक्षित मूल्य (₹ 12000 प्रति एसक्यूएम) विकास शुल्क की प्रचलित दरों (₹ 3000 प्रति एसक्यूएम) का चार गुणा निर्धारित किया गया (मार्च 2014)। सीसी-2 भूखण्ड के स्वामी ने निविदा प्रस्तुत नहीं की जबकि वीएचपीएल ने कोई दर उद्धृत किये बिना भूमि को क्रय करने की इच्छा जताई (अप्रैल 2014)। कम्पनी ने आरक्षित मूल्य पर वीएचपीएल को भूमि की पट्टी आवंटित कर दी (मई 2014)।

हमने देखा (अगस्त 2015) कि इकाई कार्यालय ने भूमि की पट्टी का आरक्षित मूल्य (₹ 12000 प्रति एसक्यूएम) विकास शुल्क की प्रचलित दरों (₹ 3000 प्रति एसक्यूएम) का चार गुणा निर्धारित किया था। इकाई कार्यालय ने प्रधान कार्यालय को सूचित किया कि वाणिज्यिक भूखण्ड के लिए प्राप्त (जून 2011) उच्चतम नीलामी दर ₹ 9501 प्रति एसक्यूएम थी तथा इस दर के आधार पर आरक्षित मूल्य का निर्धारण कम होगा।

हमने यह भी देखा कि इकाई कार्यालय ने प्रचलित बाजार दशाओं को ध्यान में रखे बिना भूमि की पट्टी का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया क्योंकि इस क्षेत्र में वाणिज्यिक भूमि के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई आवंटन (डीएलसी¹⁵ दर) की न्यूनतम दर (₹ 22270 प्रति एसक्यूएम) इकाई कार्यालय द्वारा निर्धारित आरक्षित मूल्य से बहुत अधिक थी। इकाई कार्यालय ने इस तथ्य के बावजूद डीएलसी दर को ध्यान में नहीं रखा कि उसी औद्योगिक क्षेत्र में अन्य वाणिज्यिक भूखण्ड (5782 एसक्यूएम माप वाला सीसी-13) के संबंध में इसने पूर्व में डीएलसी की प्रचलित दर के आधार पर ₹ 25000 प्रति एसक्यूएम का आरक्षित मूल्य प्रस्तावित किया था (3 फरवरी 2014) तथा कम्पनी के प्रधान कार्यालय द्वारा अनुमोदित¹⁶ किया गया था (अक्टूबर 2014)। साथ ही, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित डीएलसी दरें एक क्षेत्र में आवंटन की न्यूनतम दरें हैं तथा रीको नियमों का नियम 12 (बी-2) कम्पनी को डीएलसी दरों से अधिक आरक्षित मूल्य निर्धारित करने से नहीं रोकता है।

कम्पनी, कम से कम भूमि की पट्टी के आरक्षित मूल्य को क्षेत्र की डीएलसी दर को ध्यान में रखते हुए निर्धारित कर सकती थी। इस प्रकार, इकाई कार्यालय द्वारा भूमि के अनाधिकृत कब्जे के नियमितीकरण पर राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम निर्धारित दरों से कम आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के कारण कम्पनी को ₹ 1.73 करोड़¹⁷ की हानि हुई।

सरकार ने कहा (जून 2016) कि भूमि की पट्टी के निस्तारण के लिए आरक्षित मूल्य निर्धारित करते समय डीएलसी दर को ध्यान में रखने का कोई नियम नहीं था। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि इकाई कार्यालय ने ना तो प्रचलित बाजार दरों पर आधारित आरक्षित मूल्य निर्धारित करने के लिए डीएलसी दर को मानदण्ड माना तथा ना ही रीको नियमों के नियम 12(बी-2) में निर्दिष्ट अंतिम नीलामी में प्राप्त उच्चतम नीलामी दर का अनुगमन किया।

15 डीएलसी का अर्थ जिला स्तर समिति है। जिला स्तर समिति ने दिसम्बर 2014 के दौरान पुनरीक्षण के समय पर दरों को अपरिवर्तित रखा।

16 अनुमोदन में विलम्ब चुनाव आयोग द्वारा लागू 'आदर्श आचार संहिता' के कारण हुआ।

17 (₹ 22270 प्रति एसक्यूएम में से ₹ 12000 प्रति एसक्यूएम घटाकर) X 1684 एसक्यूएम।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

4.5 हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे क्षतिपूर्ति की कम वसूली

कम्पनी ने हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूली की क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई जिससे ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई।

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (कम्पनी) ने 2011-15 के दौरान विभिन्न निविदाओं¹⁸ के अन्तर्गत अपने तापीय विद्युत संयंत्रों¹⁹ पर कोयले की पिसाई के लिए आर. एन. मैटल्स, जयपुर (आपूर्तिकर्ता) से 8491.98 मिट्रिक टन (एमटी) हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स का क्रय किया। कार्यादेशों के 'घिसावट दर गारंटी' एवं 'निष्पादन गारंटी' से संबंधित वाक्यांशों में प्रावधान था कि आपूर्तिकर्ता कोयले की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना, 110 ग्राम/एमटी पीसे गये कोयले की दर से हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट दर²⁰ की गारंटी देगा। क्रयादेशों में आगे प्रावधान था कि पुरानी ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को पूरी तरह से खाली करने के बाद एसएसटीपीएस/ केएसटीपीएस/ सीटीपीपी की टेस्ट मिल्स में नई ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को चार्ज किया जायेगा तथा एक साल की अवधि के लिए उपयोग में लाई गई ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की केवल एक बार की मात्रा अथवा एक वार्षिक बंदी से अगली वार्षिक बंदी (अधिकतम 15 माह) तक, जो व्यवहार्य हो, के लिए घिसावट की दर की गणना की जायेगी। इस प्रकार गणना की गई घिसावट की दर को, एसएसटीपीएस, केएसटीपीएस एवं सीटीपीपी की परिचालन आवश्यकतानुसार पुरानी सामग्री के साथ अन्य मिल्स में मिश्रित की जा रही सामग्री के निरपेक्ष, क्रयादेश के अन्तर्गत कुल आपूर्तित मात्रा पर लागू की जायेगी। ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट की दर 110 ग्राम/ एमटी से अधिक पाये जाने पर निविदाओं में निम्न में से एक शर्त थी:

- घिसावट दर 110 ग्राम/ एमटी से अधिक होने पर आपूर्तिकर्ता टोपिंग अप के लिए मुफ्त में अतिरिक्त ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की आपूर्ति करेगा (निविदा नोटिस 101/11);
- अधिक घिसावट दर के पेटे हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स के आदेशित लागत की दर से गणना की गई मात्रा के लिए इसकी राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जायेगी (निविदा नोटिस 104/12);

18 वर्ष 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान निविदा नोटिस 101/11 (3236.56 एमटी), 2012-13 एवं 2014-15 के दौरान निविदा नोटिस 104/12 (1432.894 एमटी) तथा 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के दौरान निविदा नोटिस 108/13 (3822.533 एमटी)।

19 सुरतगढ़ सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (एसएसटीपीएस), कोटा सुपर तापीय विद्युत स्टेशन (केएसटीपीएस) तथा छबड़ा तापीय विद्युत परियोजना (सीटीपीपी)।

20 घिसावट दर=[उसी अवधि के दौरान डाली गई बॉल्स सहित टेस्ट मिल में चार्ज की गई बॉल्स का भार- ड्रेनिंग के बाद प्राप्त बॉल्स का भार]/ उसी अवधि के दौरान पीसे गये कोयले का भार।

- अधिक घिसावट दर के पेटे हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स के आदेशित एफओआर²¹ मूल्यों के 1.25 गुणा की दर से गणना की गई मात्रा के लिए राशि आपूर्तिकर्ता से वसूल की जायेगी (निविदा नोटिस 108/13)।

हमने देखा (मार्च 2016) कि कम्पनी ने तीन तापीय स्टेशनों पर 114.33 ग्राम/ एमटी एवं 195.28 ग्राम/ एमटी की सीमा में हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की घिसावट की दरें निर्धारित की। तथापि, कम्पनी ने उपभोग में लाई गई अधिक बॉल्स तथा टेस्ट मिल में डाली गई कुल बॉल्स के अनुपात की गणना²² की तथा इस अनुपात को गारन्टीड घिसावट दर से बॉल्स के अधिक उपभोग के लिए क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए कुल आपूर्तित मात्रा पर लागू किया। क्षतिपूर्ति की गणना करने के लिए कम्पनी द्वारा अपनाई गई यह क्रियाविधि सही नहीं थी क्योंकि अधिक घिसावट दर के लिए क्षतिपूर्ति की गणना उपभोग में नहीं लाई गई बॉल्स के भार को घटाने के बाद की जानी थी जैसा कि घिसावट दर की गणना करने के लिए किया गया। यह क्रियाविधि हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की गारन्टीड घिसावट दर के लिए लागू वाक्यांशों के साथ मेल खाती।

हमने आगे देखा कि कम्पनी के मुख्य लेखाधिकारी (थर्मल डिजाइन) ने भी अधिक घिसावट की दर के पेटे वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए अपनाई गई गलत क्रियाविधि के विषय को उठाया (जुलाई 2015)। तथापि, मामले की समीक्षा के लिए गठित (15 दिसम्बर 2015) की गई समिति²³ ने प्रचलित क्रियाविधि को जारी रखने का निश्चय इस आधार पर किया (23 दिसम्बर 2015) कि टोप अप बॉल्स के साथ टेस्ट मिल में डाली गई हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स द्वारा प्रारम्भ से ही कोयले की पिसाई में योगदान दिया गया तथा इसलिए, टेस्ट मिल में डाली गई कुल बॉल्स के आधार पर वसूली की राशि की गणना की जाये।

समिति का निर्णय क्रयादेशों के लागू वाक्यांशों पर आधारित नहीं था जहां घिसावट दर की गणना टेस्ट मिल से निकाली गई हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स को घटाने के बाद की गई थी। हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे वसूल की जाने वाली क्षतिपूर्ति के लिए गलत क्रियाविधि अपनाई गई जिसके कारण ₹ 6.27 करोड़ की क्षतिपूर्ति की कम वसूली हुई (अनुबंध-5)।

कम्पनी ने अपने उत्तर (जून 2016) में टेस्ट मिल की कार्यप्रणाली का वर्णन किया तथा समिति के विचारों को दोहराया। कम्पनी ने आगामी उत्तर (जुलाई 2016) में बताया कि विभिन्न विद्युत स्टेशनों द्वारा गत कई वर्षों से इसी क्रियाविधि को अपनाया गया एवं ठेकेदारों से अनुमत्य वसूलियां की गईं। इसने आगे बताया कि मामले की समीक्षा की जा चुकी थी तथा क्रियाविधि एवं की गई वसूलियों को सही माना गया। सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (जुलाई 2016)।

21 फ्री ऑन रेल/ रोड़।

22 (अधिक घिसी हुई बॉल्स की मात्रा /टेस्ट मिल में डाली गई बॉल्स की मात्रा) X क्रयादेश के अंतर्गत आपूर्तित मात्रा।

23 मुख्य अभियंता (केएसटीपीएस), मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, एसएसटीपीएस), मुख्य अभियंता (ओएण्डएम, सीटीपीपी), मुख्य लेखा नियंत्रक (केएसटीपीएस), मुख्य लेखा नियंत्रक (प्रधान कार्यालय), मुख्य लेखा नियंत्रक (एसएसटीपीएस) तथा मुख्य लेखाधिकारी (सीटीपीपी)।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड

4.6 अविवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

कोषों को चालू खाते में रखने के कारण कम्पनी को ₹ एक करोड़ के ब्याज की हानि होने के साथ उन उद्देश्यों की पूर्ति भी नहीं हुई जिनके लिये कोष स्वीकृति किये गये थे।

राजस्थान राज्य होटल्स निगम लिमिटेड (कम्पनी) जयपुर स्थित होटल स्वासा कोठी तथा उदयपुर स्थित होटल आनंद भवन का संचालन करती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2013-14 के लिए अपने बजट भाषण में होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए कम्पनी हेतु ₹ 10 करोड़ की राशि की घोषणा की (6 मार्च 2013)। कम्पनी ने पर्यटन विभाग, राजस्थान सरकार (जीओआर) के साथ परामर्श (15 जुलाई 2013) के दौरान राजस्थान आवास विकास एवं ढांचागत लिमिटेड²⁴ (आरएवीआईएल) के माध्यम से होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण एवं इलैक्ट्रीकल कार्यों को निष्पादित कराने का निश्चय किया।

पर्यटन विभाग ने पांच समान वार्षिक किशतों में देय ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कम्पनी के निक्षेप जमा (पीडी) खाते में ₹ 10 करोड़ के कोषों के अंतरण की 'प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति' जारी की (25 सितम्बर 2013)। वित्त विभाग, जीओआर, ने भी स्वीकृति जारी की एवं कम्पनी के पीडी खाते में ₹ 10 करोड़ अंतरित किये (3 जनवरी 2014)। स्वीकृति की शर्तों में निर्दिष्ट था कि कोषों को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए व्यय करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के लिए आहरित नहीं किया जायेगा।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि कम्पनी ने होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए कोई योजना नहीं बनाई थी। साथ ही, स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन में तथा बिना वित्त विभाग को बताये, कम्पनी ने पीडी खाते से ₹ 10 करोड़ की सम्पूर्ण राशि आहरित कर ली (31 जनवरी 2014) एवं उसे चालू खाते में जमा करा दिया। कम्पनी ने कोषों को सावधि जमा खाते में निवेश करने के लिए वित्त विभाग से अनुमति मांगी (24 फरवरी 2014)। अनुमति इस आधार पर नहीं दी गई (28 मार्च 2014) कि पर्यटन विभाग/ कम्पनी ने पर्याप्त समय के बावजूद बजट के क्रियान्वयन के लिए कदम नहीं उठाये।

तत्पश्चात्, कम्पनी ने ₹ 10 करोड़ की अनुमानित लागत पर होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए आरएवीआईएल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये (8 मई 2014) तथा ₹ 1.47 करोड़²⁵ के कोष जारी किये (2 जून 2014)। शेष ₹ 8.50 करोड़ के कोष चालू खाते में रहे। तत्पश्चात्, कम्पनी ने सावधि खाते में ₹ 7.50 करोड़ निवेश किये (जून 2015) तथा ₹ एक करोड़ के शेष कोषों को दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए उपयोग में ले लिया (जून 2015 से अक्टूबर 2015)।

हमने आगे देखा कि आरएवीआईएल ने होटल स्वासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन पर ₹ 10 करोड़ के अनुमानित व्यय के समक्ष केवल ₹ 42.04 लाख के कार्यादेश जारी किये (21 अक्टूबर 2014)। राज्य सरकार द्वारा कम्पनी को बिना पूर्व अनुमति के नवीनीकरण/ उन्नयन

24 राजस्थान सरकार की एक कम्पनी।

25 ₹ 1.50 करोड़ में से ₹ 0.03 करोड़ की स्रोत पर कर की कटौती को घटाकर।

कार्य कराने से मना करने वाले निर्देशों (मई 2015) का हवाला देते हुए कम्पनी ने आरएवीआईएल को अप्रयुक्त राशि को लौटाने का निवेदन किया (28 मई 2015)। आरएवीआईएल ने ₹ एक करोड़ की राशि लौटा दी (18 अगस्त 2015) जिसे कम्पनी द्वारा सावधि जमा खाते में निवेश किया गया (16 अक्टूबर 2015)।

हमने देखा कि:

- कम्पनी, राज्य सरकार द्वारा ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के बावजूद होटल खासा कोठी के नवीनीकरण/ उन्नयन के लिए एक प्रभावी कार्यक्रम को लागू करने में विफल रही।
- कम्पनी ने, स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन में, कोष आहरित किये (जनवरी 2014) तथा वित्त विभाग की अनुमति के बिना इसे सावधि जमा खाते में निवेश किया (जून एवं अक्टूबर 2015)। यदि कम्पनी द्वारा कोषों का आहरण नहीं किया जाता तो राज्य सरकार अन्य परियोजनाओं के लिए इन कोषों का उपयोग कर सकती थी।

आगे यह देखा गया कि आहरण के बाद चालू खाते में कोषों को रखने का कम्पनी का निर्णय भी वित्तीय विवेकशीलता के अनुसार नहीं था क्योंकि कोष 18 माह की अवधि के लिए व्यर्थ पड़े रहे। यदि इन कोषों को चालू खाते के स्थान पर ब्याज वाहक खातों में रखा जाता तो कम्पनी कम से कम ₹ एक करोड़²⁶ का ब्याज कमा सकती थी।

कम्पनी ने बताया (जुलाई 2016) कि राज्य सरकार ने पीडी खाते से कोषों के आहरण पर कोई शर्त नहीं लगाई थी। साथ ही, ऋण कोष सावधि जमा में निवेश नहीं किये जा सके क्योंकि वित्त विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की थी। उत्तर सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि वित्त विभाग द्वारा जारी स्वीकृति की शर्तों में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट था कि कोषों को स्वीकृत उद्देश्यों के लिए खर्च करने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्यों के लिए आहरित नहीं किया जायेगा। साथ ही, वित्त विभाग के निर्णय को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए था कि वित्त विभाग पीडी खाते से कम्पनी द्वारा कोषों के आहरण के बारे में अनभिज्ञ था।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड

4.7 राज्य सरकार को खनिज अधिकारों पर उपकर का दुगुना भुगतान

खान विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण पर कार्यवाही नहीं करने के कारण एचजेडएल से क्रय किये गये निम्न ग्रेड रॉक फॉस्फेट पर राज्य सरकार को खनिज अधिकारों पर खनिज उपकर का दुगुना भुगतान।

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने समय समय पर अधिसूचित दरों के अनुसार रॉक फॉस्फेट के खनिज अधिकारों (एमआर) पर 'पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर' (उपकर) लगाया (फरवरी

26 गणना 8.50 प्रतिशत वार्षिक दर से की गई जिस दर पर कम्पनी द्वारा सावधि जमा खाते में ब्याज कमाया गया। ब्याज की हानि= फरवरी 2014 से मई 2014 की अवधि के दौरान ₹ 10 करोड़ पर ₹ 0.28 करोड़ के ब्याज की हानि तथा जून 2014 से मई 2015 की अवधि के दौरान ₹ 8.50 करोड़ पर ₹ 0.72 करोड़ के ब्याज की हानि।

2008)। जून 2008 में अधिसूचित किये गये एमआर उपकर की लेवी को शासित करने वाले नियमों (राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008) में प्रावधान था कि लेसी द्वारा अधिक भुगतान किये गये उपकर को ऐसे भुगतान की तिथि से एक वर्ष की अवधि में आवेदन करने पर वापस लौटाया जायेगा।

राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने 2010-13 के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड (एचजेडएल) से 2.64 लाख मिट्रिक टन²⁷ निम्न ग्रेड के रॉक फॉस्फेट का क्रय किया। निम्न ग्रेड अयस्क को स्वयं की स्वान द्वारा उत्पादित उच्च ग्रेड के रॉक फॉस्फेट के साथ मिलाकर कम्पनी द्वारा एकरूप ग्रेड (31.5 प्रतिशत) रॉक फॉस्फेट बनाने में प्रयुक्त किया गया। कम्पनी ने एचजेडएल से क्रय किये गये रॉक फॉस्फेट पर इसके द्वारा मिश्रण एवं प्रसंस्करण के बाद विक्रय करने पर उपकर के भुगतान के संबंध में स्वान विभाग, जीओआर से स्पष्टीकरण मांगा (जनवरी 2010)। वित्त विभाग के अनुमोदन के साथ स्वान विभाग ने स्पष्ट किया (फरवरी 2010) कि कम्पनी द्वारा मिश्रित किये गये एवं विक्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर राज्य सरकार को एमआर उपकर के भुगतान का कोई औचित्य नहीं था क्योंकि एचजेडएल पहले से ही एमआर उपकर जमा करा चुकी थी।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि कम्पनी ने (2010-11 से 2012-13) क्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर एमआर उपकर के पेटे एचजेडएल को ₹ 13.18 करोड़ चुकाये। कम्पनी ने उपभोक्ताओं को बेचे गये एकरूप ग्रेड रॉक फॉस्फेट की मात्रा पर राज्य सरकार को भी एमआर उपकर चुकाया (2010-11 से 2013-14)। तथापि, कम्पनी ने राज्य सरकार को भुगतान करते समय एचजेडएल को पहले से ही चुकाये गये एमआर उपकर को समायोजित/सेट ऑफ नहीं किया। स्वान विभाग द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण पर कम्पनी द्वारा कार्यवाही नहीं करने के परिणामस्वरूप एचजेडएल से क्रय किये गये निम्न ग्रेड अयस्क पर एमआर उपकर के पेटे ₹ 9.43 करोड़²⁸ का भुगतान राज्य सरकार को दो बार कर दिया गया।

कम्पनी ने, चार वर्ष के अंतराल के बाद वित्त विभाग, जीओआर तथा महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक, जीओआर (आईजी मुद्रांक) से इस संबंध में स्पष्टीकरण मांगा (जनवरी 2014)। आईजी मुद्रांक ने वित्त विभाग को सूचित किया (जून 2014) कि कम्पनी एचजेडएल से क्रय किये गये रॉक फॉस्फेट पर उपकर चुकाने के लिए दायी नहीं थी तथा यह भी स्पष्ट किया कि कम्पनी द्वारा एमआर उपकर के पेटे एचजेडएल को चुकायी गयी राशि सेट ऑफ की जा सकती थी यदि यह राशि कम्पनी ने उपभोक्ताओं से वसूल नहीं की हो। स्पष्टीकरण के आधार पर, कम्पनी ₹ 9.43 करोड़ के एमआर उपकर को लौटाने के लिए आईजी मुद्रांक के पास गई (अक्टूबर 2014)। तथापि, कम्पनी एमआर उपकर का पुनर्भुगतान प्राप्त नहीं कर सकी (फरवरी 2016)। ₹ 9.43 करोड़ के पुनर्भुगतान की संभावनाएं क्षीण थी क्योंकि कम्पनी को राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008 (नियम) के अनुसार भुगतान की तिथि से एक वर्ष के भीतर एमआर उपकर के अधिक भुगतान के पुनर्भुगतान के लिए आवेदन करना आवश्यक था।

27 2010-11 (1471.45 एमटी), 2011-12 (48013.09 एमटी) एवं 2012-13 (214065.77 एमटी)।

28 एमआर उपकर के पेटे ₹ 3.75 करोड़ के भुगतान को शामिल करते हुए निम्न ग्रेड अयस्क को कम्पनी द्वारा विक्रय नहीं किया गया था (फरवरी 2016)।

कम्पनी ने बताया (जून एवं जुलाई 2016) कि निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण के लम्बित रहते हुए, कम्पनी राजस्थान पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर नियम, 2008 के नियम 6 के अनुसार ₹ 9.43 करोड़ की सम्पूर्ण भुगतान को समायोजित कर चुकी थी (जून/जुलाई 2016)। उत्तर सहमतिकारक नहीं था क्योंकि:

- नियम 6 द्वारा कम्पनी को दाखिल की गई विवरणी में किसी भूल अथवा गलत तथ्य के मामले में निर्धारण अधिकारी द्वारा कर निर्धारण से पूर्व विवरणी को केवल पुनरीक्षित करना अनुमत किया गया। कम्पनी द्वारा स्वतः ही किया गया समायोजन सही नहीं था क्योंकि कम्पनी द्वारा सरकार को किये गये अधिक भुगतान के पुनर्भुगतान का दावा एक वर्ष की अवधि में करना आवश्यक था।
- ऐसा करके कम्पनी ने चालू वित्तीय वर्ष (2016-17) के लिए राज्य सरकार को एमआर उपकर का कम भुगतान किया तथा, इसलिए, लागू नियम 11 के अनुसार शास्ति लगने का जोखिम भी उठाया।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

4.8 अतिरिक्त व्यय

कम्पनी ने बिना किसी औचित्य के दरानुबंध को समाप्त किया तथा उच्च दरों पर एडेटिव का क्रय किया जिसके कारण ₹ 37.03 लाख का अतिरिक्त व्यय हुआ।

राजस्थान राज्य स्वान एवं स्वनिज लिमिटेड (कम्पनी) ने 'एडेटिव के रूप में उपयोग के लिए कैल्साइट स्वनिज' के क्रय के लिए निविदाएं आमंत्रित की (जून 2013) तथा ₹ 786.82 प्रति टन की दर पर 70000 मिट्रिक टन (एमटी) की कुल निविदा मात्रा के लिए निम्नतम (एल-1) निविदादाता (सुरभि प्रोसेस, पाली) को दर अनुबंध प्रदान किया (जनवरी 2014)। सुरभि प्रोसेस द्वारा इस मात्रा को दरानुबंध जारी किये जाने की तिथि से दो वर्षों की अवधि में 35000 एमटी वार्षिक दर से आपूर्ति करना आवश्यक था। तथापि, आपूर्ति की अनुसूची को निर्धारित नहीं किया गया था तथा समय-समय पर कम्पनी द्वारा सूचित मात्रानुसार एडेटिव की आपूर्ति की जानी थी। एल-1 निविदादाता के साथ दरानुबंध के अतिरिक्त, कम्पनी ने एल-2 निविदादाता (कल्पना मिनरल्स एण्ड केमिकल्स, उदयपुर) के साथ एक समानांतर दरानुबंध के लिए संभावनाएं भी तलाश की (दिसम्बर 2013) ताकि निर्बाध आपूर्ति को सुनिश्चित किया जा सके क्योंकि एल-1 निविदादाता कम्पनी के लिए एक नया आपूर्तिकर्ता था। तथापि, समानांतर दरानुबंध को मूर्त रूप नहीं दिया जा सका क्योंकि कल्पना मिनरल्स, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित 25 प्रतिशत के स्थान पर कुल निविदा की 50 प्रतिशत मात्रा की आपूर्ति करने की शर्त पर एल-1 निविदादाता की दर को स्वीकार करने के लिए सहमत हुआ था।

सुरभि प्रोसेस की आपूर्ति संतोषजनक नहीं थी तथा इसके परिणामतः कम्पनी ने फिर से कल्पना मिनरल्स को एल-1 दर का प्रस्ताव दिया (मार्च 2014)। मोलभाव के दौरान (मार्च 2014), कल्पना मिनरल्स ने कुल निविदा मात्रा की कम से कम 35 प्रतिशत (24500 एमटी) के लिए आपूर्ति आदेश दिये जाने पर जोर दिया। तथापि, कम्पनी ने एल-1 निविदादाता की दर पर केवल 13125 एमटी (18.75 प्रतिशत) एडेटिव की आपूर्ति के लिए दरानुबंध प्रदान किया (जुलाई 2014)। कल्पना मिनरल्स को 8750 एमटी वार्षिक दर से 23 दिसम्बर 2015 तक

सामग्री की आपूर्ति करनी थी। साथ ही, सुरभि प्रोसेस का दरानुबंध 56875 एमटी तक घटा दिया गया था (जुलाई 2014)।

कम्पनी ने देखा (मार्च 2015) कि सुरभि प्रोसेस 'क्रीस्टलाइन मेटामोर्फज्ड केल्साइट एडेटिव' के नाम में स्वान एवं भूविज्ञान निदेशालय (डीएमजी) द्वारा जारी किये गये 'रवन्ना'²⁹ को संलग्न करके एडेटिव की आपूर्ति कर रहा था जिसमें स्वनिज का नाम 'मार्बल स्वण्डा' के रूप में दर्शाया गया था। सुरभि प्रोसेस द्वारा आपूर्तित एडेटिव दरानुबंध में दर्शाये गये विशिष्ट विवरणों से मेल खाता था।

कम्पनी ने डीएमजी को एडेटिव का विवरण (रासायनिक एवं भौतिक विशिष्ट विवरण) प्रस्तुत किया (अप्रैल 2015) तथा पूछा (अप्रैल 2015) कि क्या 'मार्बल स्वण्डा' स्वनिज के लिए जारी किये गये 'रवन्ना' के अन्तर्गत सुरभि प्रोसेस द्वारा एडेटिव की आपूर्ति के कारण राज्य सरकार को रॉयल्टी के रूप में राजस्व की हानि हुई। डीएमजी ने उत्तर दिया (मई 2015) कि 'मार्बल स्वण्डा' स्वनिज के लिए आवंटित स्वनन लीज से केल्साइट स्वनिज की आपूर्ति को वैध नहीं माना जा सकता था।

कम्पनी ने डीएमजी से प्राप्त जवाब के आधार पर दोनों फर्मों के दर अनुबंधों को समाप्त कर दिया (जून 2015) तथा एडेटिव के विशिष्ट विवरण देते हुए तथा केल्साइट स्वनिज का नाम दर्शाए बिना नई निविदाएं आमंत्रित की (जून 2015)। अनुबंधों को समाप्त किये जाने तक सुरभि प्रोसेस एवं कल्पना मिनरल्स क्रमशः 14283 एमटी तथा 6495 एमटी एडेटिव की आपूर्ति कर चुकी थी। निविदाओं के आधार पर, एक बार फिर ₹ 1050 प्रति एमटी की दर पर 21000 एमटी तथा 9000 एमटी एडेटिव की आपूर्ति के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए क्रमशः सुरभि प्रोसेस एवं कल्पना मिनरल्स को दरानुबंध प्रदान किये (सितम्बर 2015)। इसी दौरान, कम्पनी ने सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से ₹ 1100 प्रति एमटी की दर से महावीर मिनरल्स से 2500 एमटी एडेटिव का क्रय भी किया (अगस्त 2015)।

हमने देखा (फरवरी 2016) कि सुरभि प्रोसेस (जनवरी/ जुलाई 2014) एवं कल्पना मिनरल्स (जुलाई 2014) के साथ किये गये प्रारम्भिक दर अनुबंधों में आपूर्तिकर्ताओं द्वारा 'रवन्ना' की प्रस्तुति के संबंध में कोई प्रावधान नहीं डाला गया था। कम्पनी इस तथ्य के बारे में अच्छी तरह से जानती थी कि सुरभि प्रोसेस एक व्यापारिक फर्म थी जबकि कल्पना मिनरल्स अपनी स्वयं की स्वानों से एडेटिव की आपूर्ति कर रही थी। सुरभि प्रोसेस का दर अनुबंध समाप्त करने का कम्पनी का निर्णय न्यायोचित था क्योंकि डीएमजी के जवाबानुसार इसमें कानूनी जटिलताएं पैदा हो सकती थी। तथापि, कल्पना मिनरल्स का दरानुबंध समाप्त करने का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था क्योंकि यह केल्साइट स्वनिज के नाम में एडेटिव की आपूर्ति कर रही थी तथा इसकी आपूर्ति की स्थिति संतोषजनक थी। साथ ही, कम्पनी ने आगामी निविदाओं में उच्चतर दरों पर दोनों फर्मों से वही एडेटिव क्रय किया।

यदि कम्पनी, दर अनुबंध को समाप्त करने के स्थान पर कल्पना मिनरल्स से एडेटिव की 35 प्रतिशत (24500 एमटी) न्यूनतम मात्रा क्रय करती जैसा कि इसके द्वारा जोर दिया गया था

29 राजस्थान स्वनिज (अवैध स्वनन, परिवहन एवं संग्रहण की रोकथाम) नियम, 2007 के नियम 2 (i) के अनुसार रवन्ना का आशय वैध स्वनन पट्टे से स्वनिज के प्रेषण के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले एक चालान से है। यह स्वान एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा जारी किया जाता है।

तो कम्पनी महावीर मिनरल्स से सीमित निविदा पूछताछ एवं सुरभि प्रोसेस से नई निविदा के माध्यम से क्रय करने पर हुए ₹ 37.03 लाख³⁰ के अतिरिक्त व्यय को टाल सकती थी।

कम्पनी ने बताया (जून 2016) कि कल्पना मिनरल्स के समानांतर दरानुबंध को समाप्त करना एल-1 निविदादाता के दरानुबंध की समाप्ति के समय विवेकपूर्ण माना गया था क्योंकि इसे एक समान नियम एवं शर्तों पर प्रदान किया गया था जैसा कि एल-1 निविदादाता को प्रदान किया गया तथा यदि ऐसा नहीं किया जाता तो यह सम्पूर्ण प्रक्रिया पर प्रश्न उठा सकती थी। आगे यह भी बताया कि कम्पनी ने कल्पना मिनरल्स को केवल 25 प्रतिशत मात्रा का प्रस्ताव करने का निश्चय किया था तथा इस प्रकार 35 प्रतिशत मात्रा जैसा कि कल्पना मिनरल्स द्वारा निवेदन किया गया था उसे प्रदान नहीं की जा सकती थी। इसके साथ ही, भारतीय मानक ब्यूरो (आईबीएम) ने रॉयल्टी की दर ₹ 55.50 प्रति एमटी से बढ़ाकर ₹ 120 प्रति एमटी कर दी (अप्रैल 2015) जिसने केल्साइट की लागत को बढ़ा दिया।

उत्तर सहमतिकाकारक नहीं था क्योंकि दोनों अनुबंध एक दूसरे से स्वतंत्र थे। कल्पना मिनरल्स को केवल 13125 एमटी के लिए दरानुबंध दिये जाने का कम्पनी का निर्णय सुरभि प्रोसेस की असंतोषजनक आपूर्ति के मद्देनजर न्यायोचित नहीं था। साथ ही, अप्रैल 2015 से आईबीएम द्वारा रॉयल्टी की दर में वृद्धि केवल ₹ 64.50 प्रति एमटी थी तथा इसके प्रभाव (₹ 11.61 लाख³¹) को पहले ही गणना में शामिल कर लिया गया।

सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (अगस्त 2016)।

राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड

4.9 रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल का ढहना

निगरानी के अभाव एवं सामग्री, मैसनरी व निर्माण तकनीकों की निम्न गुणवत्ता के कारण हिण्डोन-गंगापुर सिटी रोड़ पर रोड ओवर ब्रिज की एप्रोच वॉल ढह गई। इसके कारण लोक धन का अपव्यय हुआ तथा सुधार कार्य के पेटे कम्पनी पर ₹ 5.19 करोड़ का अतिरिक्त दायित्व उत्पन्न हुआ।

राजस्थान सरकार (जीओआर) ने हिण्डोन-गंगापुर सिटी रोड़ पर 'रोड ओवर ब्रिज' (आरओबी) के निर्माण का कार्य ₹ 21.57 करोड़ की स्वीकृत³² लागत पर राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड (कम्पनी) को सौंपा (मार्च 2006)। कम्पनी ने 28 फरवरी 2009 तक पूर्णता की अनुसूचित तिथि के साथ भगत कॉन्ट्रैक्टर्स, करोली (ठेकेदार) को कार्यादेश जारी किया (मार्च 2008)। कार्य ₹ 21.56 करोड़ की लागत पर पूरा किया गया

30 ₹ 7.83 लाख का अतिरिक्त व्यय [2500 एमटी गुणा (₹ 1100 प्रति एमटी – ₹ 786.82 प्रति एमटी)] सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से महावीर मिनरल्स से एडेटिव के क्रय पर तथा ₹ 40.81 लाख का अतिरिक्त व्यय [(24500 एमटी – 6495 एमटी - 2500 एमटी) गुणा (₹ 1050 प्रति एमटी – ₹ 786.82 प्रतिएमटी)] नई निविदा में सुरभि प्रोसेस से एडेटिव के क्रय पर – आईबीएम द्वारा रॉयल्टी में वृद्धि के कारण ₹ 11.61 लाख।

31 ₹ 64.50 प्रति एमटी गुणा (24500 एमटी – 6495 एमटी)।

32 जीओआर ने प्रारम्भ में (मार्च 2006) में ₹ 10 करोड़ स्वीकृत किये जो जून 2010 में ₹ 16.75 करोड़ पुनरीक्षित किये तथा मार्च 2013 में ₹ 21.57 करोड़ किये।

(फरवरी 2014) तथा आरओबी पर 17/18 फरवरी 2014 से यातायात संचालन प्रारम्भ हो गया। तथापि, आरओबी का मैसनरी रिटेनिंग वॉल का कुछ भाग ठीक अगले ही दिन (19 फरवरी 2014) ढ़ह गये। दोषी अभियंताओं, जिन्होंने ठेकेदार के निम्न गुणवत्ता के मैसनरी कार्य को प्रमाणित किया था, को निलम्बित कर दिया गया (फरवरी 2014) तथा जांच का नतीजा कार्मिक विभाग (जीओआर) के स्तर पर लम्बित था (जुलाई 2016)। कार्यस्थल का निरीक्षण (i) 19 फरवरी 2014 को मुख्य अभियंता, (राष्ट्रीय राजमार्ग), लोक निर्माण विभाग, जीओआर (ii) 24 फरवरी 2014 को मुख्य परियोजना प्रबंधक (कोटा इकाई) तथा (iii) 25 जून 2014 को मालवीय राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान (एमएनआईटी), जयपुर के एक विशेषज्ञ समूह द्वारा किया गया।

मुख्य अभियंता तथा मुख्य परियोजना प्रबंधक के निरीक्षण प्रतिवेदनों में दर्शाया गया था कि अधिकांश पत्थर बहुत कम गारे के साथ सूखे ही लगाने, गारे की गुणवत्ता अच्छी नहीं होने एवं पत्थरों के मध्य किसी बंध के बिना पत्थरों को उबड़ स्वाबड़ रखने; पत्थरों के उर्ध्वाधर जोड़ों को ठीक से नहीं लगाने के साथ चिनाई कार्य की गुणवत्ता बहुत खराब थी तथा चिनाई भू-दाब को सहन नहीं करने एवं कम शक्ति के कारण ढ़ह गई। एमएनआईटी जिसने कार्यस्थल का विस्तृत निरीक्षण किया ने प्रतिवेदित किया (सितम्बर 2014) कि लगभग सभी जोड़ कमजोर थे; सूखी स्थिति के साथ साथ बिना यातायात के भी मिटटी पुनर्भाव द्वारा डाले गये दाब को झेलने के लिए एप्रोच वॉल सेक्शन इतने मजबूत नहीं थे तथा किसी भी समय ढ़ह सकते थे। अनावरण से वॉल की भौतिक स्थिति में गिरावट की संभावना नहीं थी क्योंकि आरओबी नया बनाया गया था एवं घटिया निर्माण, कारीगरी, सामग्री एवं निर्माण तकनीकों की गुणवत्ता के कारण कई स्थानों पर दरारें पड़ी हुई थी। एमएनआईटी ने उपयुक्त रूप से डिजाइन की गई नई आरसीसी³³ रिटेनिंग वॉल के निर्माण की सिफारिश की।

एमएनआईटी की सिफारिशों के आधार पर कम्पनी के निदेशक मण्डल ने मरम्मत कार्य कराने के लिए अपने कोषों से ₹ 5.75 करोड़ के अतिरिक्त व्यय करने के लिए मंजूरी प्रदान की (जनवरी 2015)। सलाहकार³⁴ द्वारा तैयार किये गये एप्रोच वॉल के प्रस्तावित सुधार कार्य के लिए ढ़ांचागत डिजाइन एवं ड्रॉइंग, एमएनआईटी द्वारा विधिवत रूप से जांचकर प्रस्तुत किये गये (मार्च 2015)। डिजाइन एवं ड्रॉइंग के अनुसार, सात मीटर से अधिक उंचाई की मौजूदा चिनाई वॉल्स को पूरी तरह से हटाने के बाद नई आरसीसी रिटेनिंग वॉल्स द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना था। पांच मीटर से अधिक उंचाई की चिनाई वॉल्स का सुधार कार्य प्रथम चरण में करवाने तथा चार से पांच मीटर उंचाई की चिनाई वॉल्स एवं सर्विस रोड का पुनर्निर्माण द्वितीय चरण में करवाने का निश्चय किया गया (अप्रैल 2015)। प्रथम चरण के लिए सुधार कार्य की अनुमानित लागत ₹ 7.83 करोड़ की गणना की गई (सीमेंट को घटाने के बाद ₹ 5.50 करोड़)।

कम्पनी ने प्रथम चरण के लिए निविदा आमंत्रित की (जून 2015) तथा ₹ 4.82 करोड़ (सीमेंट के अतिरिक्त) की लागत पर निम्नतम निविदादाता के पक्ष में कार्यादेश जारी किया (अगस्त 2015)। कम्पनी ने सुधार कार्य के पेटे ₹ 5.19 करोड़ का व्यय किया (जुलाई 2016)। प्रथम चरण की अनुमानित लागत को ₹ 6.75 करोड़ तक संशोधित किया गया तथा लोक निर्माण

33 रीइंफोर्सड सीमेंट कंक्रीट।

34 थोटस कंस्लटेंटस जयपुर प्राइवेट लिमिटेड, जयपुर।

विभाग (जीओआर) को स्वीकृति एवं कोषों को जारी करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया (अक्टूबर 2015)। तथापि, अनुमोदन प्रतीक्षित था (जुलाई 2016)।

लेखापरीक्षा संवीक्षा ने उजागर किया (नवम्बर 2015) कि आरओबी के निर्माण का कार्य दौसा इकाई के परियोजना निदेशक द्वारा नियमित रूप से पर्यवेक्षित किया गया तथा कार्य निष्पादन के दौरान कम्पनी के महाप्रबंधक एवं उपमहाप्रबंधक द्वारा भी निरीक्षण किये गये। तथापि, परियोजना निदेशक एवं निरीक्षण टीमों ने ठेकेदार द्वारा निष्पादित किये जा रहे कार्य की घटिया गुणवत्ता से संबंधित किसी मामले को नहीं उठाया। कार्य की घटिया गुणवत्ता को जांच टीमों द्वारा एप्रोच वॉल्स के ढहने के बाद बताया गया।

इस प्रकार, यह स्पष्ट था कि ठेकेदार द्वारा गुणवत्ता कार्य के निष्पादन के साथ साथ कम्पनी द्वारा परियोजना कार्य की निगरानी में विफलताएं थीं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली, परियोजना विशिष्ट विवरणानुसार, ठेकेदार द्वारा कार्य के निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। इसका परिणाम आरओबी की एप्रोच वॉल्स ढहने के अतिरिक्त दीवार के निर्माण पर लोक धन के अपव्यय के रूप में हुआ। कम्पनी पर सुधार कार्य के पेटे (जुलाई 2016 तक) ₹ 5.19 करोड़ के अतिरिक्त दायित्व का भार भी पड़ा। प्रथम चरण में सुधार कार्य के पेटे कम्पनी का दायित्व तैयार किये गये अनुमानों एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों के अनुसार ₹ 6.75 करोड़ तक बढ़ सकता है। द्वितीय चरण में किये जाने वाले कार्यों के अतिरिक्त दायित्व की गणना अभी तक नहीं की गई थी (जुलाई 2016)।

कम्पनी ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया (मार्च 2016) कि प्रस्तावित व्यय अपरिहार्य था क्योंकि आरओबी की एप्रोच वॉल्स का सुधार कार्य यातायात संचालन को व्यवस्थित करने के लिए आवश्यक था। तथापि, तथ्य यही रहा कि स्वराब पर्यवेक्षण एवं गुणवत्ता मामलों ने कम्पनी पर सुधार कार्य के पेटे अतिरिक्त दायित्व का भार डाला जो संरचना की शक्ति को बनाये रखने के लिए आवश्यक था। सरकार ने कम्पनी के उत्तर की पुष्टि की (मई 2016)।

हम सिफारिश करते हैं कि कम्पनी को पदस्थ अभियंताओं द्वारा निरीक्षण/ पर्यवेक्षण गुणवत्ता के संबंध में अपनी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सशक्त बनाना चाहिए। हम यह भी सिफारिश करते हैं कि निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा एक स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षण होना चाहिए।

सांविधिक निगम

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

4.10 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत रेडियो आवृत्ति पहचान पत्र जारी करना

4.10.1 परिचय

राजस्थान सरकार (राज्य सरकार) ने एक निर्दिष्ट समय सीमा में राज्य की जनता को निश्चित सेवाओं को प्रदान करने के लिए 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी

अधिनियम, 2011' (अधिनियम) लागू किया (सितम्बर 2011)। राज्य सरकार ने इस संबंध में 'राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान करने की गारन्टी नियम, 2011' (नियम) भी अधिसूचित किये (अक्टूबर 2011)।

अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि नामित अधिकारी निर्दिष्ट समय में सेवा प्राप्त करने के लिए योग्य व्यक्ति को अधिसूचित सेवा उपलब्ध कराएगा। यदि किसी व्यक्ति को निर्दिष्ट समय में सेवा उपलब्ध नहीं कराई गई तो वह व्यक्ति निर्दिष्ट समय सीमा की समाप्ति अथवा आवेदन के अस्वीकार होने के 30 दिन में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को अपील दर्ज करा सकता है। प्रथम अपील के निर्णय की तिथि से 60 दिनों की अवधि में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध द्वितीय अपील भी की जा सकती है। जहां द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी की यह राय हो कि नामित अधिकारी सेवा उपलब्ध कराने में विफल रहा है अथवा पर्याप्त तथा उचित कारण के बिना सेवा उपलब्ध कराने में विलम्ब किया गया है तो वह अधिनियम की धारा 7 के अनुसार ₹ 500 से ₹ 5000 के मध्य एकमुश्त जुर्माना लगा सकता है जो कि नामित अधिकारी के वेतन से वसूलनीय होगा।

अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत राज्य सरकार ने अतिरिक्त सेवाएं अधिसूचित की (27 जून 2012) जिनमें 18³⁵ श्रेणी के व्यक्तियों को मुफ्त / रियायती यात्रा के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (निगम) द्वारा पहचान पत्र जारी करने/ नवीनीकरण करने को सम्मिलित किया गया। निगम ने रेडियो आवृत्ति पहचान कार्ड (आरएफआईडी) को जारी करके अधिसूचित श्रेणी के व्यक्तियों को मुफ्त/ रियायती यात्रा सुविधा अनुमत की।

4.10.2 वर्तमान अध्ययन यह आंकलन करने के लिए किया गया (जनवरी 2016 से मार्च 2016) कि क्या निगम द्वारा वर्ष 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) के दौरान अधिनियम में नियत निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड जारी किये गये थे। लेखापरीक्षा क्षेत्र में अभिलेखों के संधारण एवं सूचना बोर्ड पर सूचना के प्रदर्शन के संबंध में निगम द्वारा अधिनियम के अन्य प्रावधानों की अनुपालना के निर्धारण को भी सम्मिलित किया गया। लेखापरीक्षा परिणामों को निगम के उत्तरों (अगस्त 2016) को ध्यान में रखते हुए अन्तिम रूप दिया गया। सरकार द्वारा निगम के विचारों की पुष्टि की गई (सितम्बर 2016)।

4.10.3 निगम द्वारा 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान 275982 आरएफआईडी कार्ड जारी किये गये। आरएफआईडी कार्ड जारी करने में निगम के निष्पादन का विश्लेषण करने के लिए प्रधान कार्यालय तथा 57 डिपोज में से छः³⁶ डिपोज का चयन किया गया। लेखापरीक्षा अवधि के दौरान डिपोज द्वारा जारी किये गये कार्ड की संख्या को

35 (i) पत्रकार, (ii) स्वतंत्रता सेनानी, (iii) स्वतंत्रता सेनानी की विधवा, (iv) शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रित, (v) राज्य की अनुसूचित जनजाति एवं आठवीं कक्षा तक पढ़ने वाली जनजातीय लड़कियां, (vi) पदम पुरस्कृत, (vii) दृष्टिबाधित, (viii) शारीरिक असक्षमता/ चलने में असमर्थ, (ix) श्रवण बाधित, (x) मानसिक असक्षमता, (xi) कम दृष्टि (xii) मानसिक रोगी, (xiii) कुष्ठ मुक्त रोगी, (xiv) राज्य के अंतर्राष्ट्रीय खेल पुरस्कार विजेता (xv) पुलिस शौर्य के लिए राष्ट्रपति मेडल अथवा शौर्य के लिए पुलिस मेडल विजेता व्यक्ति (xvi) विद्यार्थी (xvii) राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार विजेता राज्य के अध्यापक, तथा (xviii) वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष से अधिक)।

36 झुंझुनू, श्रीगंगानगर, कोटपुतली, दिल्ली, विद्याधर नगर एवं डीलक्स डिपो।

डिपोज के चयन का प्राथमिक आधार बनाया गया। छः डिपोज में से, तीन³⁷ डिपोज (श्रीगंगानगर, कोटपुतली एवं झुंझुनूं) को उनके द्वारा जारी किये गये कार्ड की अधिकतम संख्या के आधार पर चुना गया। शेष तीन डिपोज (विद्याधरनगर, दिल्ली एवं डीलक्स) को उनके द्वारा जारी किये गये कार्ड की न्यूनतम संख्या के आधार पर चुना गया। इस प्रकार, हमारी संवीक्षा में 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान निगम द्वारा जारी किये गये 275982 आरएफआईडी कार्ड में से 33079 (11.99 प्रतिशत) के विश्लेषण को सम्मिलित किया गया जो निम्नानुसार था:

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	प्रधान कार्यालय	डीलक्स	श्रीगंगानगर	झुंझुनूं	कोटपुतली	विद्याधर नगर	दिल्ली	कुल
2014-15	261	241	7462	6061	5853	1	2	19881
2015-16	312	166	3653	3750	5316	0	1	13198
कुल	573	407	11115	9811	11169	1	3	33079

4.10.4 आरएफआईडी कार्ड जारी/नवीनीकरण करने की प्रक्रिया

आरएफआईडी कार्ड जारी/ नवीनीकरण करवाने के लिए अधिनियम तथा नियमों में निर्धारित फीस एवं सहायक प्रलेखों के साथ निगम द्वारा निर्धारित फॉर्म में आवेदन करना आवश्यक है। निगम को नियमों में निर्धारित फॉर्म-1 में आवेदन पत्र की पावती उपलब्ध करानी होती है। पावती में आवेदक का नाम एवं पता, नामित अधिकारी द्वारा आवेदन की प्राप्ति की तिथि, सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया था, आवेदन पत्र के साथ नहीं लगाये गये आवश्यक प्रलेख एवं निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि को दर्शाया जायेगा। यदि, आवेदक ने सभी आवश्यक प्रलेख संलग्न नहीं किये हो, तब नामित अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा की अंतिम तिथि को नहीं दर्शायेगा।

निगम द्वारा आरएफआईडी कार्ड तैयार करने की प्रक्रिया में डिपो स्तर पर ऑनलाइन आरएफआईडी मॉड्यूल में हिताधिकारी के विवरणों की प्रविष्टि; प्रधान कार्यालय स्तर पर स्थित आईटी प्रकोष्ठ को विवरण अग्रेषित करना; आईटी प्रकोष्ठ द्वारा विवरणों का सत्यापन; आरएफआईडी कार्ड को तैयार करने के लिए सेवा प्रदाता को विवरण भेजना; सेवा प्रदाता द्वारा आरएफआईडी कार्ड की छपाई; आरएफआईडी कार्ड की प्राप्ति पर आईटी प्रकोष्ठ द्वारा मास्टर डाटा में सेवा प्रदाता द्वारा प्रविष्टि विवरणों की पुनः जांच; तथा हिताधिकारी को आरएफआईडी कार्ड जारी करना शामिल हैं।

लेखापरीक्षा परिणाम

4.10.5 उचित अभिलेखों का अभाव/ रखरखाव नहीं करना

नियम 17 में नामित अधिकारी को फॉर्म-3 में एक रजिस्टर संघारित करना था जिसमें आवेदक के नाम एवं पते, सेवा का नाम जिसके लिए आवेदन किया गया था, निर्दिष्ट समय सीमा की

37 सीबीएस जयपुर एवं सीकर डिपोज आरएफआईडी कार्ड की अधिकतम संख्या के जारी करने के पदानुक्रम में आगे थे लेकिन ये डिपोज 'निगम द्वारा टिकटिंग प्रणाली एवं अन्य गतिविधियों के कम्प्यूटरीकरण पर निष्पादन लेखापरीक्षा (आईटी)' के लिए चयनित किये गये। अतः, सीबीएस जयपुर एवं सीकर डिपोज के स्थान पर झुंझुनूं डिपो का चयन किया गया।

अंतिम तिथि; आवेदन पत्र अनुमत करने/नहीं करने; तथा आदेश पारित करने के विवरण एवं तिथि को दर्शाया जायेगा।

हमने देखा कि प्रधान कार्यालय एवं डिपोज पर नामित अधिकारी ने फॉर्म-3 में एक रजिस्टर संधारित नहीं किया। प्रधान कार्यालय एवं डिपोज पर संधारित किये गये अभिलेखों (आवेदन पत्र एवं प्रासंगिक सहायक अभिलेख) की स्थिति निम्नानुसार थी:

प्रासंगिक सहायक अभिलेख	प्रधान कार्यालय	कोटपुतली	झुंझुनूं	श्रीगंगा नगर	विद्याधर नगर	दिल्ली	डीलक्स
आरएफआईडी कार्ड के लिए आवेदन पत्र	✓	x	x	✓	x	✓	✓
आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये सहायक प्रलेख	✓	x	✓	✓	x	✓	✓

डिपोज द्वारा अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति खराब थी। कोटपुतली डिपो ने आवेदक से प्राप्त आवेदन पत्रों एवं सहायक प्रलेखों का कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं कराया। विद्याधर नगर डिपो ने लेखापरीक्षा अवधि के दौरान केवल एक कार्ड जारी किया लेकिन डिपो अधिकारीगण ऐसे किसी कार्ड के जारी होने के बारे में अनभिज्ञ थे। यह भी सूचित किया गया कि डिपो स्तर पर कोई कार्ड जारी नहीं किया गया। झुंझुनूं डिपो ने आरएफआईडी कार्ड को तैयार करने के लिए किसी आवेदन पत्र के बिना सीधे ही सहायक प्रलेख प्राप्त किये। प्रधान कार्यालय तथा शेष डिपोज (दिल्ली के अतिरिक्त) ने आवेदकों से आवेदन पत्र एवं सहायक प्रलेख प्राप्त किये लेकिन वे एक कार्ड विशेष की सत्यता की पुष्टि करने के लिए प्रलेखों को एक क्रमबद्ध तरीके में लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करा सके।

निगम ने स्वीकार किया कि कोटपुतली, झुंझुनूं एवं विद्याधरनगर डिपोज ने आरएफआईडी कार्ड को जारी करने के उचित अभिलेख संधारित नहीं किये। निगम द्वारा सभी डिपोज के मुख्य प्रबंधकों को उचित अभिलेख संधारित करने के लिए निर्देश जारी किये गये (जून 2016)।

4.10.6 आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब

आवेदनों, सहायक अभिलेखों एवं फॉर्म-3 में संधारित किये जाने वाले रजिस्टर के अभाव में, निगम द्वारा हिताधिकारियों को समय पर आरएफआईडी कार्ड जारी किये जाने का सत्यापन करना व्यवहार्य नहीं था। इसलिये, हमने निगम से आरएफआईडी कार्ड के डिजिटल डाटा प्राप्त किये तथा इनका इंटरएक्टिव डाटा एक्सट्रैक्शन एण्ड एनालिसिस (आईडीईए) सॉफ्टवेयर के माध्यम से विश्लेषण किया। आवेदन पत्र की प्राप्ति की वास्तविक तिथि के अभाव में; नामित अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की तिथि, यदि कोई हो, एवं आरएफआईडी कार्ड को सौंपने की वास्तविक तिथि, डाटा प्रविष्ट करने की तिथि एवं एजेंसी (ट्राइमेक्स आईटी इन्फ्रा एण्ड सर्विस लिमिटेड) द्वारा कार्ड के एक्टिवेशन की तिथि को आरएफआईडी कार्ड को जारी करने में निहित समयावधि की गणना के लिए कट ऑफ तिथि के रूप में मान लिया गया।

अधिनियम में, नामित अधिकारी को आवेदकों को आरएफआईडी कार्ड जारी करने के लिए उनके द्वारा प्रलेखों की प्रस्तुति की तिथि से तीन दिन की समयावधि प्रदान की गई। तथापि, निगम ने आरएफआईडी कार्ड तैयार करने के लिए नामांकित एजेंसी को कार्ड जारी करने के लिए आवेदकों को उपलब्ध करायी जाने वाली पावती रसीद पर 14 दिन की समयावधि दर्शाने का निर्देश दिया (अप्रैल 2013)। तथापि, हमने पांच कैलेण्डर दिवसों (तीन कार्य दिवस एवं दो

अवकाश) को ध्यान में रखते हुए आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब की गणना की। यदि आवेदन की प्राप्ति की वास्तविक तिथि एवं नामित अधिकारी द्वारा पारित किये गये आदेश की तिथि विश्लेषण के लिए उपलब्ध होती तब वास्तविक विलम्ब बहुत अधिक होता। निगम ने आवेदकों को पंजीयन रसीद के आधार पर यात्रा करने की अनुमति प्रदान की (सितम्बर 2013)। तथापि, अगस्त 2014 से यह सुविधा समाप्त कर दी गई तथा जब तक आवेदकों के पास आरएफआईडी कार्ड नहीं हो वे यात्रा नहीं कर सकते थे।

डाटा विश्लेषण ने उजागर किया कि 2014-15 से 2015-16 (20 नवम्बर 2015 तक) की अवधि के दौरान प्रधान कार्यालय तथा चयनित डिपोज द्वारा जारी किये गये 33079 आरएफआईडी कार्ड में से 249 आरएफआईडी कार्ड क्षतिग्रस्त/ दोहरी छपाई के कारण निरस्त कर दिये गये। शेष 32830 कार्ड के विश्लेषण ने उजागर किया कि अधिनियम में निर्धारित की गई निर्दिष्ट समयावधि में हिताधिकारियों को कार्ड जारी करने में निगम का कार्य निष्पादन निराशाजनक था क्योंकि केवल 125 कार्ड पांच कैलेण्डर दिनों में जारी किये गये। शेष 32705 (99.62 प्रतिशत) कार्ड एक से 543 दिनों के विलम्ब से जारी किये गये। अधिकांश मामलों (69.51 प्रतिशत) में विलम्ब छः से 15 दिनों के मध्य रहा एवं इसके पश्चात 17.89 प्रतिशत मामलों में 16 से 30 दिनों तथा 11.69 प्रतिशत मामलों में एक से पांच दिनों के मध्य विलम्ब रहा।

विलम्ब 100 दिनों से अधिक के मामलों के विश्लेषण पर उजागर हुआ कि 36 मामलों में 101 से 200 दिनों के मध्य विलम्ब, 36 मामलों में 201 से 300 दिनों के मध्य विलम्ब, 17 मामलों में 301 से 400 दिनों के मध्य विलम्ब तथा 10 मामलों में 400 से अधिक दिनों का विलम्ब देखा गया।

कुछ चयनित श्रेणियों के आरएफआईडी कार्ड को जारी करने में निगम का कार्य निष्पादन नीचे तालिकाबद्ध किया गया है:

श्रेणी	जारी किये गये आरएफआईडी कार्ड की कुल संख्या	विलम्ब से जारी किये गये आरएफआईडी कार्ड	विलम्ब दिनों में			
			1-5	6-15	16-30	30 से अधिक
शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रित	56	55	11	33	11	0
दृष्टिबाधित	128	124	20	92	12	0
शारीरिक असक्षमता/ चलने में असमर्थ	2206	2162	356	1455	329	22
श्रवण बाधित	178	177	32	118	25	2
मानसिक असक्षमता	115	114	21	77	16	0
मानसिक रोगी	62	62	5	49	8	0
कुष्ठ मुक्त रोगी	12	12	1	7	4	0
विद्यार्थी	20198	20198	1915	14062	4216	5
वरिष्ठ नागरिक	9235	9202	1409	6587	1189	17

शहीद की विधवा एवं उनके अवयस्क आश्रितों, मानसिक रोगी, कुष्ठ मुक्त रोगी एवं विद्यार्थियों को सभी आरएफआईडी कार्ड विलम्ब से जारी किये गये। शारीरिक रूप से असक्षम, श्रवण बाधित एवं वरिष्ठ नागरिकों के मामले में आरएफआईडी कार्ड 30 दिनों से अधिक विलम्ब से जारी किये गये।

निगम ने आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विलम्ब को स्वीकार किया एवं बताया कि परिवहन विभाग (राजस्थान सरकार) को अधिनियम में निर्धारित तीन दिनों के स्थान पर आरएफआईडी कार्ड को जारी करने के लिए 15 दिन अनुमत करने के लिए निवेदन किया गया था (अप्रैल 2016)। 100 दिनों से अधिक विलम्ब वाले मामलों के संबंध में यह बताया कि सॉफ्टवेयर द्वारा इन कार्ड के नवीनीकरण के समय पुरानी एक्टिवेशन तिथि द्वारा कार्ड की एक्टिवेशन की तिथि को प्रतिस्थापित कर दिया गया। सेवा प्रदाता को इस संबंध में सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया जा चुका था (जून 2016)। सॉफ्टवेयर द्वारा पुरानी एक्टिवेशन तिथि द्वारा कार्ड की एक्टिवेशन की तिथि को प्रतिस्थापित करने के संबंध में दिया गया उत्तर सही नहीं था क्योंकि एक्टिवेशन की तिथि सभी मामलों में डाटा प्रविष्ट करने की तिथि के बाद की थी।

4.10.7 सूचना बोर्ड पर सूचना का प्रदर्शन

नियम 7 के अनुसार नामित अधिकारी द्वारा आमजन की सुविधा कि लिए फॉर्म-2 में सूचना बोर्ड पर सेवाओं से संबंधित सभी संगत सूचनाओं को प्रदर्शित करना आवश्यक था। सूचना बोर्ड को कार्यालय के सहजगोचर स्थान पर लगाना आवश्यक था तथा अधिसूचित सेवा को प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले सभी आवश्यक प्रलेखों की जानकारी सूचना बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक था। फॉर्म-2 में अधिसूचित सेवाओं के विवरण; आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले प्रलेखों; सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए निर्दिष्ट समय सीमा; प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम एवं पता; प्रथम अपील के निस्तारण के लिए निर्दिष्ट समय सीमा; तथा द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी का पदनाम एवं पते को सम्मिलित किया गया।

हमने देखा कि निगम द्वारा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये परिलामों के बारे में पात्र हिताधिकारियों की जागरुकता के लिए योजना को प्रचारित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। साथ ही, निगम द्वारा श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं के अतिरिक्त प्रधान कार्यालय एवं अन्य चयनित डिपोज के सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित नहीं की गई। हिताधिकारियों को, इस प्रकार, निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड को जारी करवाने तथा नामित अधिकारी/ प्रथम अपील अधिकारी के विरुद्ध प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारियों के पास अपील दायर करने के उनके अधिकारों के बारे में जागरुक नहीं किया गया। निगम द्वारा अधिकांश कार्ड विलम्ब से जारी किये गये थे लेकिन आरएफआईडी कार्ड को जारी/नवीनीकरण करने में विलम्ब के लिए नामित अधिकारी के विरुद्ध एक भी अपील दायर नहीं की गई थी।

निगम ने तथ्यों को स्वीकार किया एवं बताया कि सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित करने के लिए सभी डिपोज के मुख्य प्रबंधकों को निर्देश जारी किये जा चुके थे (जून 2016)।

आरएफआईडी कार्ड से संबंधित अन्य लेखापरीक्षा परिणामों की चर्चा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के अध्याय-III में की गई है।

निष्कर्ष


निगम, अधिनियम में निर्धारित निर्दिष्ट समयावधि में आरएफआईडी कार्ड जारी करने में विफल रहा क्योंकि लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गये कार्ड में से 99.62 प्रतिशत कार्ड विलम्ब से जारी किये गये। अभिलेखों का रखरखाव भी ठीक ढंग से नहीं किया गया था।

नामित अधिकारियों द्वारा फॉर्म-3 में रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया तथा डिपोज द्वारा या तो आवेदन पत्रों एवं सहायक प्रलेखों के अभिलेख संधारित नहीं किये गये अथवा कार्डधारकों के सत्यापन की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गये। सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये परिलाभों के बारे में जनता अनभिज्ञ रही क्योंकि प्रधान कार्यालय एवं चयनित डिपोज (श्रीगंगानगर एवं झुंझुनूं के अतिरिक्त) द्वारा सूचना बोर्ड पर आवश्यक सूचना प्रदर्शित नहीं की गई।

सिफारिशें

हम सिफारिश करते हैं कि निगम द्वारा आरएफआईडी कार्ड जारी करने की प्रक्रिया में सुधार करना चाहिए ताकि कार्ड को निर्धारित समयावधि में जारी किया जा सके। प्रबंधन द्वारा भी डिपोज को जारी किये गये निर्देशों की अनुपालना की निगरानी की जानी चाहिए।

जयपुर
दिनांक 06 दिसम्बर 2016




(एस. आलोक)

महालेखाकार

(आर्थिक एवं राजस्व क्षेत्र लेखापरीक्षा), राजस्थान

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक 13 दिसम्बर 2016



(शशि कान्त शर्मा)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुबंध

अनुबंध-1

(पृष्ठ संख्या 8 पर अनुच्छेद संख्या 1.11 में संदर्भित)

राज्य सरकार द्वारा पीएसयूज, जिनके लेखे बकाया हैं, में बकाया लेखों के वर्षों के दौरान किये गये निवेश को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	पीएसयू का नाम	वर्ष जहाँ तक के लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका है	अंतिम रूप दिये गये नवीनतम लेखों के अनुसार प्रदत्त पूँजी	राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 के दौरान किया गया निवेश जिनके लेखे बकाया हैं					योग
				वर्ष	पूँजी	ऋण	अर्थसाहाय्य	पूँजी में परिवर्तित ऋण	
1	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2014-15	10.00	2015-16	-	-	2.93	-	2.93
2	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	21.95	2015-16	-	8.00	-	-	8.00
योग			31.95		-	8.00	2.93	-	10.93

अनुबंध-2

(पृष्ठ संख्या 9 पर अनुच्छेद संख्या 1.15 में संदर्भित)

सरकारी कम्पनियों एवं सांविधिक निगमों के नवीनतम वर्ष, जिनके लेखों को अंतिम रूप दिया जा चुका था, के संक्षिप्त वित्तीय परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^v	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ⁸	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं हास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	हास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
क. कार्यरत सरकारी कम्पनियां														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	9.34	3.01	3.12	3.21	223.07	₹ 2.60 करोड़ से लाभ में वृद्धि	7.59	101.10	108.69	6.22	5.72
क्षेत्रवार योग				9.34	3.01	3.12	3.21	223.07		7.59	101.10	108.69	6.22	
वित्त क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				समामेलन से ही प्रथम लेखे प्राप्त नहीं हुये										
3	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2.06	0.51	0.71	0.84	106.71	₹ 0.19 करोड़ से लाभ में कमी	6.96	-19.90	1.43	1.35	94.41
4	राजस्थान राज्य हाथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	0.58	0.01	0.05	0.52	17.87	-	46.06	-46.02	3.56	0.53	14.89
5	राजस्थान स्टेट पावर फायनेन्स एण्ड फायनेन्सियल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	6.84	-	0.02	6.82	7.47	-	90.00	7.08	97.08	6.82	7.03
क्षेत्रवार योग				9.48	0.52	0.78	8.18	132.05		143.02	-58.84	102.07	8.70	
ढांचागत क्षेत्र														
6	जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड													
				प्रथम लेखे देय नहीं										
7	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.50	-0.05	0.45	-0.01	-2.22
8	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	354.19	3.58	1.03	349.58	897.75	-	210.19	1560.05	1770.23	353.16	19.95
9	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	349.01	209.66	130.69	8.66	380.94	₹ 0.66 करोड़ से लाभ में वृद्धि	100.00	74.23	2091.49	218.32	10.44
10	राजस्थान शहरी पेयजल सीवरेज एवं ढांचागत निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	0.83	-	0.08	0.75	0.25	-	33.00	2.54	35.54	0.75	2.11

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्मओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ^५	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ^६	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				व्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	व्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
11	उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड	प्रथम लेख देय नहीं		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				704.02	213.24	131.80	358.98	1278.94		343.69	1636.77	3897.71	572.22	
विनिर्माण क्षेत्र														
12	बाड़मेर लिग्नाइट स्नन कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (16) की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2015-16	2016-17	83.17	43.80	25.30	14.07	860.08	-	20.00	3.34	1563.48	57.87	3.70
13	राजस्थान राज्य ब्रेवरेज निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	13.84	-	0.43	13.41	4652.14	-	2.00	23.67	25.67	13.41	52.24
14	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2015-16	2016-17	60.92	-	8.23	52.69	961.70	₹ 3.18 करोड़ से लाभ में वृद्धि	181.29	66.05	247.84	52.69	21.26
15	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड	2015-16	2016-17	-3.19	-	0.04	-3.23	-	-	27.05	-4.75	22.30	-3.23	-14.48
16	राजस्थान राज्य स्नान एवं स्निज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2015-16	2016-17	249.10	7.00	41.77	200.33	948.90	₹ 22.18 करोड़ से लाभ में कमी	77.55	1870.37	1947.92	207.33	10.64
17	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (क्रम संख्या क (16) की सहायक कम्पनी)	2014-15	2015-16	-	-	-	-	-	-	11.10	-0.85	10.25	-	-
क्षेत्रवार योग				403.84	50.80	75.77	277.27	7422.82		318.99	1957.83	3817.46	328.07	
ऊर्जा क्षेत्र														
18	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-72.92	3013.19	417.89	-3504.00	8331.21	₹ 194.96 करोड़ से हानि में वृद्धि	6813.15	-30347.76	2255.60	-490.81	-21.76
19	बांसवाड़ा तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-0.24	-	0.02	-0.26	-	-	0.05	-8.82	-8.77	-0.26	-
20	बाड़मेर तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-0.01	1.78	-	-1.79	-	-	0.05	-11.75	-11.70	-0.01	-
21	छबड़ा ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
22	धौलपुर गैस ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-	-	-	-	-	-	0.05	-0.03	0.02	-	-
23	गिरल लिग्नाइट ऊर्जा लिमिटेड (क्रम संख्या क (30) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	48.37	99.94	86.82	-138.39	90.43	₹ 26.05 करोड़ से हानि में वृद्धि	370.05	-466.49	371.64	-38.45	-10.35

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ²	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
24	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-459.47	3319.93	683.51	-4462.91	11502.12	₹ 121.77 करोड़ से हानि में वृद्धि	7354.30	-32294.00	-4429.63	-1142.98	-
25	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	295.24	3102.40	466.71	-3273.87	9983.61	₹ 172.99 करोड़ से हानि में कमी	6802.42	-29995.03	1984.45	-171.47	-8.64
26	केशोरायपाटन गैस तापीय ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-2.02	-1.97	-0.01	-
27	लेक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.30	-0.25	-0.01	-
28	पिक सिटी प्रसारण सेवा कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (29) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	-0.01	-	-	-0.01	-	-	0.05	-0.26	-0.21	-0.01	-
29	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1486.11	735.84	659.89	90.38	2708.36	-	3826.16	-1327.80	11498.98	826.22	7.19
30	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	2096.67	1979.74	1055.89	-938.96	9962.06	₹ 29.33 करोड़ से हानि में कमी	8731.09	-4953.14	28175.86	1040.78	3.69
31	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	38.62	1.12	12.02	25.48	84.55	₹ 3.83 करोड़ से लाभ में वृद्धि	12.94	134.72	147.66	26.60	18.01
32	राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड (क्रम संख्या क (31) की सहायक कम्पनी)	2015-16	2016-17	2.74	-	-	2.74	0.68	₹ 3.39 करोड़ से लाभ में वृद्धि	0.05	2.90	64.15	2.74	4.27
33	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
क्षेत्रवार योग				3435.08	12253.94	3382.75	-12201.61	42663.02		33910.51	-99269.81	40045.85	52.33	
सेवा क्षेत्र														
34	बीकानेर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2013-14	2014-15	0.02	-	-	0.02	-	-	0.30	0.08	0.38	0.02	5.26
35	जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2014-15	2015-16	-16.15	-	8.50	-24.65	74.48	₹ 0.74 करोड़ से हानि में कमी	10.00	11.87	120.52	-24.65	-20.45
36	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	-12.58	16.13	61.49	-90.20	9.15	-	442.16	-90.13	2102.40	-74.07	-3.52
37	जोधपुर बस सर्विसेज लिमिटेड	2015-16	2016-17	-1.31	-	-	-1.31	-	-	0.30	-1.31	-1.01	-1.31	-
38	कोटा बस सर्विसेज लिमिटेड	प्रथम लेख प्राप्त नहीं हुये		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	कोटा शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2011-12	2016-17	-	-	-	-	-	-	0.10	-0.01	0.09	-	-

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव ¹	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी ²	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/ हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
40	राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	2014-15	2015-16	9.98	0.06	0.54	9.38	24.48	₹ 1.60 करोड़ से लाभ में कमी	5.00	28.89	33.89	9.44	27.85
41	राजस्थान नागरिक उड्डयन निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-0.20	-	-	-0.20	-	-	4.49	-6.37	-1.88	-0.20	-
42	राजस्थान भूतपूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	1.63	0.01	0.04	1.58	83.72	-	5.00	3.32	8.32	1.59	19.11
43	राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड	2015-16	2016-17	16.91	2.10	3.05	11.76	461.25	-	5.00	8.43	44.52	13.86	31.13
44	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2015-16	2016-17	1.88	0.01	0.26	1.61	68.25	-	0.05	-10.24	-10.19	1.62	-
45	राजस्थान राज्य स्टाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	13.97	6.88	0.61	6.48	512.07	₹ 3.03 करोड़ से लाभ में कमी	50.00	27.22	72.22	13.36	18.50
46	राजस्थान राज्य होटलस निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-1.14	0.04	0.08	-1.26	1.47	₹ 2.12 करोड़ से हानि में वृद्धि	2.16	-8.51	-0.35	-1.22	-
47	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-18.57	0.22	3.75	-22.54	78.26	₹ 0.09 करोड़ से हानि में वृद्धि	21.95	-125.06	-93.74	-22.32	-
48	उदयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड	2010-11	2012-13	0.07	-	-	0.07	0.01	-	0.30	0.15	0.45	0.07	15.56
क्षेत्रवार योग				-5.49	25.45	78.32	-109.26	1313.14		546.81	-161.67	2275.62	-83.81	
योग क (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सरकारी कम्पनियों)				4556.27	12546.96	3672.54	-11663.23	53033.04		35270.61	-95794.62	50247.40	883.73	
ख. कार्यरत सांविधिक निगम														
वित्त क्षेत्र														
1	राजस्थान वित्त निगम	2015-16	2016-17	52.17	40.07	0.35	11.75	69.06	-	160.73	-122.53	663.54	51.82	7.81
क्षेत्रवार योग				52.17	40.07	0.35	11.75	69.06		160.73	-122.53	663.54	51.82	
सेवा क्षेत्र														
2	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2015-16	2016-17	-596.71	90.19	67.20	-754.10	1668.57	-	638.96	-3521.00	-1717.85	-663.91	-
3	राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम	2015-16	2016-17	42.37	4.30	6.37	31.70	63.98	-	7.85	148.61	341.78	36.00	10.53
क्षेत्रवार योग				-554.34	94.49	73.57	-722.40	1732.55		646.81	-3372.39	-1376.07	-627.91	
योग ख (सभी क्षेत्रवार कार्यरत सांविधिक निगम)				-502.17	134.56	73.92	-710.65	1801.61		807.54	-3494.92	-712.53	-576.09	
कुल योग (क+ख)				4054.10	12681.52	3746.46	-12373.88	54834.65		36078.15	-99289.54	49534.87	307.64	

31 मार्च 2016 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 5 (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम)

क्र. सं.	क्षेत्र एवं कम्पनी का नाम	लेखों की अवधि	वर्ष जिसमें लेखों को अंतिम रूप दिया गया	शुद्ध लाभ (+)/ हानि (-)				टर्नओवर	लेखों पर टिप्पणियों का प्रभाव [¥]	प्रदत्त पूँजी	संचित लाभ (+)/ हानि (-)	नियोजित पूँजी [§]	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल	नियोजित पूँजी पर प्रतिफल का प्रतिशत
				ब्याज एवं ह्रास से पहले शुद्ध लाभ/हानि	ब्याज	ह्रास	शुद्ध लाभ/हानि							
1	2	3	4	5 (क)	5 (ख)	5 (ग)	5 (घ)	6	7	8	9	10	11	12
ग. अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ														
कृषि एवं समवर्गी क्षेत्र														
1	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड	2012-13	2014-15	-0.15	1.28	-	-1.43	-	-	6.01	-51.77	-28.81	-0.15	-
2	राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम लिमिटेड	2015-16	2016-17	-	-	-	-	-	-	2.88	-0.22	2.66	-	-
क्षेत्रवार योग				-0.15	1.28	-	-1.43	-	-	8.89	-51.99	-26.15	-0.15	-
विविध क्षेत्र														
3	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2014-15	2015-16	-0.01	-	-	-0.01	-	-	1.27	-1.76	-0.48	-0.01	-
क्षेत्रवार योग				-0.01	-	-	-0.01	-	-	1.27	-1.76	-0.48	-0.01	-
योग ग (सभी क्षेत्रवार अकार्यरत सरकारी कम्पनियाँ)				-0.16	1.28	-	-1.44	-	-	10.16	-53.75	-26.63	-0.16	-
कुल योग (क+ख+ग)				4053.94	12682.80	3746.46	-12375.32	54834.65	-	36088.31	-99343.29	49508.24	307.48	0.62

¥ सांविधिक लेखापरीक्षक तथा सीएजी की टिप्पणियों के शुद्ध प्रभाव को शामिल करते हुये।

& नियोजित पूँजी से आशय अंशधारियों के कोष एवं दीर्घकालीन उधारियों के योग से है।

अनुबंध-3

(पृष्ठ संख्या 39 पर अनुच्छेद संख्या 2.24 में संदर्भित)

उच्च स्टेशन हीट रेट के कारण कोयले के अधिक उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	इकाई-I		इकाई -II	कुल
	2014-15 (7 मई 2014 से 31 मार्च 2015)	2015-16	2015-16 (25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016)	
सकल उत्पादन (एमयूज) [ए]	1147.39	3570.70	2350.50	
आरईआरसी के मानदण्डानुसार स्टेशन हीट रेट (किलो कैलोरी /किलो वाट घण्टा) [बी]	2320.632	2320.632	2320.632	
वास्तविक स्टेशन हीट रेट (किलो कैलोरी / किलो वाट घण्टा) [सी]	2742.19	2598.87	2606.16	
कोयला उपभोग (एमटी में) [डी]	671405	2126563	1412291	
कोयले की औसत जीसीवी (किलो कैलोरी/किग्रा) [ई]	4497.81	4322.69	4305.12	
उत्पादन के लिए कोयले से आवश्यक हीट (किलो कैलोरी लास् में) [एफ] = [ए] X [बी] X 10	26626700	82862807	54546455	
सकल उत्पादन के लिए आवश्यक कोयला (एमटी में) [जी] = [एफ]/[ई] X 100	591993	1916927	1267014	
कोयले का अधिक उत्पादन (एमटी में) [एच] = [डी] – [जी]	79413	209637	145277	434327
कोयले की औसत दर (₹ प्रति एमटी)	3862.99	4112.79	4160.25	
अधिक उपभोग किये गये कोयले का मूल्य (₹ करोड़ में)	30.68	86.22	60.44	177.34

अनुबंध-4

(पृष्ठ संख्या 39 पर अनुच्छेद संख्या 2.25 में संदर्भित)

आरईआरसी के मानदण्डों की तुलना में ईंधन ऑइल के अधिक उपभोग को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

विवरण	इकाई-I		इकाई-II	कुल
	2014-15 (7 मई 2014 से 31 मार्च 2015)	2015-16	2015-16 (25 जुलाई 2015 से 31 मार्च 2016)	
उत्पादित इकाइयां (एमयूज में) [ए]	1147.39	3570.70	2350.50	
उत्पादित इकाइयां किलो वाट घण्टा में [बी] = [ए] X 1000000	1147390000	3570700000	2350500000	
वास्तविक ईंधन उपभोग (मिलीलीटर/ किलो वाट घण्टा) = [सी]	11.156	2.474	1.967	
वास्तविक ईंधन उपभोग (मिलीलीटर में) [डी]	12800282840	8833911800	4623433500	
वास्तविक ईंधन उपभोग (किलोलीटर में) [ई] = [डी]/1000000	12800	8834	4623	
आरईआरसी द्वारा निर्धारित मानदण्ड (मिलीलीटर/ किलो वाट घण्टा) [एफ]	0.50	0.50	0.50	
मानदण्डों के अनुसार आवश्यक ईंधन (मिलीलीटर में) [जी]	573695000	1785350000	1175250000	
मानदण्डों के अनुसार आवश्यक ईंधन (किलोलीटर में) [एच] = [जी]/1000000	574	1785	1175	
ईंधन का अधिक उपभोग (किलोलीटर में) [आई] = [डी] – [एच]	12226	7049	3448	22723.00
औसत दर (₹ प्रति किलोलीटर) [जे]	49801	36547	36547	
अधिक उपभोग किये गये ईंधन ऑइल का मूल्य (₹ करोड़ में) [के] = [आई] X [जे]	60.89	25.76	12.60	99.25

अनुबंध-5

(पृष्ठ संख्या 100 पर अनुच्छेद संख्या 4.5 में संदर्भित)

(हाई क्रोम ग्राइंडिंग मिडिया बॉल्स की अधिक घिसावट दर के पेटे क्षतिपूर्ति की कम वसूली को दर्शाने वाला विवरण-पत्र)

कॉलम 10, 11, 13 एवं 15 की गणनाओं को तालिका के नीचे दर्शाया गया है

टीएन/ पीओ क्र. एवं पीओ का वर्ष (वसूलियों के निर्धारण का वर्ष)	क्षतिपूर्ति/वसूली हेतु पीओ में शर्त	संयंत्र की स्थिति	पीओ के समक्ष आपूर्तित मात्रा (एमटी)	टेस्ट मिल में डाली गई बॉल्स की मात्रा (एमटी)	टेस्ट मिल में घिस गई बॉल्स की मात्रा (एमटी)	टेस्ट अवधि के पश्चात निकाली गई बॉल्स की मात्रा (एमटी)	पिसे गये कोयले की मात्रा (एमटी)	कम्पनी द्वारा मानी गई घिसाई दर (ग्राम प्रति एमटी)	पिसाई मिल में अधिक घिस गई बॉल्स की मात्रा (एमटी)	पीओ के अनुसार लेखापरीक्षा द्वारा गणना की गई क्षतिपूर्ति (एमटी)	कम्पनी द्वारा गणना की गई क्षतिपूर्ति/ वसूली राशि (एमटी) (कम्पनी के अभिलेखों के अनुसार आंकड़े)	क्षतिपूर्ति की कम वसूली (एमटी)	पीओ के अनुसार एफओआर दर (₹)	कम क्षतिपूर्ति/ वसूली (₹)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
टीएन 101/11 745-2011-12 एवं 1072-2012-13/ (2014-15)	110 ग्राम/टन से अधिक घिसाई दर होने पर बिना लागत ग्राइंडिंग बॉल्स की आपूर्ति	सूरतगढ़	2083.030	134.822	71.450	63.369	410010.44	152.000	17.22	502.026	266.060	235.966	60217.70	14209330
		कोटा	942.980	118.120	46.280	71.840	304283.90	152.000	12.78	260.399	102.460	157.939	60018.70	9479293
		छबड़ा	210.550	193.360	134.960	58.402	554527.00	152.000	23.29	36.335	35.460	0.875	60053.50	52547
टीएन 104/12 1663-2012-13 एवं 553-2013-14/ (2014-15)	अधिक घिसाई दर के कारण अधिक उपभोग के पेटे वसूली की राशि	सूरतगढ़	708.830	124.249	41.649	82.600	364294.00	114.330	1.58	26.890	8.999	17.891	70887.80	1268254
		कोटा	562.645	126.019	51.985	74.034	423064.00	122.877	5.45	58.987	24.168	34.819	70650.60	2459983
		छबड़ा	161.419	167.220	86.965	80.245	445386.00	195.280	37.98	70.496	36.797	33.699	70887.80	2388848
टीएन 108/13 1097, 1132-2013- 14, 270, 290, 1941-2014-15/ (2015-16)	अधिक घिसाई दर के कारण अधिक उपभोग के पेटे 1.25 गुणा राशि की वसूली	सूरतगढ़	1949.340	134.302	55.520	78.782	445063.60	124.750	6.56	230.325	95.284	135.041	77632.20	13104412
		कोटा	1168.600	116.808	48.298	68.510	357607.00	135.058	8.96	216.793	89.650	127.143	77030.50	12242361
		छबड़ा	691.793	116.808	48.298	68.510	357607.00	135.058	8.96	128.338	53.071	75.267	77334.60	7275929
		छबड़ा	12.800	12.800	-	-	-	195.280	-	-	5.216	2.907	2.309	77334.60
कुल योग			8491.987											62704164

$$\text{कॉलम संख्या 10} = \frac{(\text{घिसाई दर अर्थात कॉलम 9}) - 110 \text{ ग्राम प्रति एमटी}}{10^6} \times \text{टेस्ट मिल में पिसे गये कोयले की मात्रा अर्थात कॉलम 8}$$

$$\text{कॉलम संख्या 11} = \frac{\text{अधिक घिस गई बॉल्स अर्थात कॉलम 10}}{\text{टेस्ट मिल में घिस गई कुल बॉल्स अर्थात कॉलम 6}} \times \text{पीओ के समक्ष आपूर्तित मात्रा अर्थात कॉलम 4}$$

$$\text{कॉलम संख्या 13} = \text{कॉलम 11} - \text{कॉलम 12}$$

$$\text{कॉलम संख्या 15} = \text{कॉलम 13} \times \text{कॉलम 14 (कॉलम 2 में दर्शाई गई शर्त को ध्यान में रखते हुए)}$$

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<http://www.agraj.cag.gov.in>